पंचम माला, खंड 60, अंक 30, शुक्रवार, 30 अप्रैल, 1976/10 वैशाख, 1898 (शक)
Fifth Series, Vol. LX, No. 30 Friday, April 30, 1976/Vaisakha 10, 1898 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

LOK SABHA DEBATES

[सोलहवां सत्र / Sixteenth Session]

सत्यमेव जयते

[खंड 60 में अंक 21 से 30 तक हैं / Vol. LX contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

Price : Two Rupees

मूल्य : दो रुपये

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

अंक 30, शुक्रवार, 30 अप्रैल, 1976/10 वैशाख, 1898 (शक)
No. 30, Friday, April 30, 1976/Vaisakha 10, 1898 (Saka)

विषय	SUBJECT	PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
अतारांकित प्रश्न संख्या 606, 608, 609, 611, 613, 615 और 618	Starred Question Nos. 606, 608, 609, 611, 613, 615 and 618 . . .	1-18
अल्प सूचना प्रश्न संख्या 3	Short Notice Question No. 3.	18-22
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
तारांकित प्रश्न संख्या 607, 610, 614, 616 और 619 से 627	Starred Questions Nos. 607, 610, 614, 616 and 619 to 627 . . .	22-30
अतारांकित प्रश्न संख्या 2946 से 2986, 2988 से 3048, 3050 से 3078 3080 से 3098 और 3100 से 3103	Unstarred Questions Nos. 2946 to 2986, 2988 to 3048, 3050 to 3078, 3080 to 3098 and 3100 to 3103 . .	31-101
लोक सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table . . .	101-102
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति	Committee on Public Undertakings .	102
71वें प्रतिवेदन के बारे में पत्र	Papers re. Seventy First Report .	102
विधेयकों पर अनुमति	Assent to Bills	103
लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee . .	103-104
174वां, 178वां, 194वां, 219वां, 221वां, 222वां और 223वां प्रतिवेदन	174th, 178th, 194th, 219th, 221st, 222nd and 23rd Reports . .	103-104
प्राक्कलन समिति	Estimates Committee . . .	104
97वां, 93वां, 94वां तथा 96वां प्रतिवेदन	97th, 93rd, 94th and 96th Reports .	104
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति	Committee on Public Undertakings	104-105
89वां और 90वां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश	89th and 90th Reports and Minutes	104-105
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति-संबन्धी समिति	Committee on Absence of Members from Sittings of the House	105
27वां प्रतिवेदन	Twenty-seventh Report . . .	105

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	PAGE
अनुदानों की मांगें, 1976-77	Demands for Grants, 1976-77 . .	105-125
ऊर्जा मंत्रालय	Ministry of Energy	105-112
श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K. C. Pant . .	105
वाणिज्य मंत्रालय	Ministry of Commerce . .	112
श्री दिनेश जोरदर	Shri Dinesh Joarder . . .	112-115
श्री एम० सुदर्शनम	Shri M. Sudarsanam . . .	115-117
श्री के० एस० चावड़ा	Shri K. S. Chavda . .	117-118
श्री वसन्त साठे	Shri Vasant Sathe	118-119
श्री एस० आर० दामाणी	Shri S. R. Damani . . .	119-121
श्री एन० ई० होरो	Shri N. E. Horo	121
श्री वयालार रवि	Shri Vayalar Ravi . . .	121-123
श्री के० जी० देशमुख	Shri K. G. Deshmukh . . .	123
श्री धामनकर	Shri Dhamankar	124-125
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members' Bills and Resolutions	125
63वां प्रतिवेदन	Sixty-third Report	125
बहुराष्ट्रीय निगमों के बारे में संकल्प—अस्वीकृत	Resolution Re. Multinational Corporations—Negatived. . .	125-127
डा० रानेन सेन	Dr. Ranen Sen . . .	126-127
श्री भगवत झा आजाद	Shri Bhagwat Jha Azad . . .	127-128
श्री त्रिदिब चौधरी	Shri Tridib Chaudhuri . . .	128-129
श्री मूल चन्द डागा	Shri M. C. Daga	129-130
श्री वयालार रवि	Shri Vayalar Ravi . . .	130-131
श्री सत पाल कपूर	Shri Sat Pal Kapur . . .	131
श्री वसन्त साठे	Shri Vasant Sathe	131-132
श्री टी० ए० पाई	Shri T. A. Pai . . .	132-135
श्री एच० एन० मुकर्जी	Shri H. N. Mukherjee . . .	135-136
संविधान के अन्तर्गत प्राप्त स्वतंत्रताओं को बहाल करने के बारे में संकल्प	Resolution Re. Restoration of Freedoms provided under the Constitution	137
श्री ए० के० गोपालन	Shri A.K. Gopalan . . .	137

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 30 अप्रैल 1976/10 बैशाख 1898 (शक)
Friday, April 30, 1976/Vaisakha 10, 1898 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

अध्यक्ष महोदय पीठसीन हुए
Mr. Speaker in the Chair

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

*606. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम० पी० ई० डी० ए०) ने देश के विभिन्न समुद्र तटीय राज्यों में अपनी शाखायें खोल दी हैं;

(ख) समुद्री उत्पाद उद्योग के विकास के लिये राज्यवार अब तक ऐसी कितनी शाखायें खोली जा चुकी हैं; और

(ग) आगामी कुछ वर्षों के लिये इस सम्बन्ध में सरकार का आर्थिक कार्यक्रम क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने कोचीन, मद्रास, बम्बई तथा कलकत्ता में चार क्षेत्रीय कार्यालय खोले हैं।

(ग) सरकार ने और शाखाएं खोलने के किसी कार्यक्रम को अनुमोदित नहीं किया है। प्राधिकरण द्वारा की गई प्रस्थापनाओं पर समुद्री उत्पाद उद्योगों की संख्या, क्षेत्र से निर्यातों के स्तर, निर्यात सम्भाव्यता विकास कार्यक्रमों आदि जैसे उपादानों का यथोचित ध्यान रखते हुए गुणावगुण के आधार पर विचार किया जायेगा।

श्री पी० गंगादेव : क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में जितनी मछली पकड़ी जाती है उसका कितना प्रतिशत एक वर्ष में निर्यात किया जा रहा है और एम० पी० ई० डी० ए० की स्थापना के बाद कुल कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की है। निर्यात की जाने वाली इस मछली की अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में किस्म और मूल्य की दृष्टि से तुलनात्मक स्थिति क्या है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : इस प्राधिकरण की स्थापना के बाद निर्यात दुगना हो गया है। वर्ष 1972 में 59.72 करोड़ रुपये मूल्य की 38,000 टन मछली और 1975-76 में 124.16 करोड़ रुपये मूल्य की 54,369 टन मछली निर्यात की गई। दूसरे देशों के उत्पादों की तुलना में भारतीय मछली की किस्म,

अधिक उत्तम सिद्ध हुई है, विशेषकर उसमें नशीला तत्व कम पाया गया है। कुल मछली उत्पादन का कितना प्रतिशत किया जाता है, इसके सम्बन्ध में आंकड़े मुझे ज्ञात नहीं हैं। परन्तु लगभग 10 लाख टन मछली पकड़ी जाती है जिससे निर्यात का अनुपात निकाला जा सकता है।

श्री पी० गंगादेव : यह तथ्य ध्यान में रखते हुए कि भारत में समुद्री उत्पादों की तुलना में उसके निर्यात बढ़ाने की काफी संभावनाएं हैं परन्तु तो भी उसका विकास अभी तक पिछड़ा हुआ है, मैं यह जानना चाहता हूँ कि निर्यात बढ़ाने के लिए अधिक मछली पकड़ने और उसकी किस्म सुधारने की दिशा में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं या उठाने का विचार है? वित्तीय, तकनीकी या अन्य दिशाओं में लागत सम्बन्धी बाधाएं क्या हैं तथा उन्हें शीघ्र कैसे हल किया जायेगा?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : समुद्री उत्पाद उद्योग के विकास के लिए निर्यात की सम्भावनाओं और उन क्षेत्रों के बारे में जहाँ कि मछली उपलब्ध हो सकती हैं, सर्वेक्षण किये जाते हैं। मछली परिष्करण यूनिटों के आधुनिकीकरण के लिए सहायता दी जाती है। देश के विभिन्न भागों में मछली ठंडे रखने के आदर्श केन्द्र प्रशिक्षण हेतु खोले गये हैं। नशीले तत्व को दूर करने के लिए अनुसंधान चल रहा है। इस उद्योग में विविधता लाने के लिए विशेष प्रोत्साहन दिये गये हैं । एक हजार टन की क्षमता वाला शीत भण्डार हाल ही में कोचीन में खोला गया है और कलकत्ता में एक और ऐसा ही शीत भण्डार खोलने का विचार है। गहरे पानी में मछली पकड़ने के धंधे को विकसित करने के लिए जलपोत आयात करने का समझौता किया गया है। नयी शाखाएं खोलने के लिए कुछ प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन हैं और वित्तीय बाधाओं को ध्यान में रखते हुए वे जब भी आवश्यक होंगी खोली जायेंगी।

श्री एम० एस० संजीवी राव : मछली निर्यात को 60 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये का करने के लिए मैं मंत्रालय को बधाई देता हूँ और यह जानना चाहता हूँ कि क्या हमारा मछली उद्योग केवल श्रिम्प और केकड़े की ओर सारा ध्यान दे रहा है? अब इस उद्योग को तुना मछली पर अधिक जोर देना चाहिए क्योंकि वह अण्डमान और पूर्वी समुद्रीतट के करीब भारी मात्रा में उपलब्ध है। वाणिज्य मंत्रालय इस दिशा में क्या कदम उठा रहा है?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यह सच है कि निर्यात का 90 प्रतिशत भाग श्रिम्प मछली का है और इस उद्योग में विविधता लाना आवश्यक है। तुना मछली पकड़ने के लिए विशिष्ट प्रकार की नौकाओं की आवश्यकता होती है । इस दिशा में सहयोग के लिए हम विभिन्न देशों से सम्पर्क कर रहे हैं और मालदीव में थोड़ा सा काम आरम्भ भी हो चुका है।

श्री त्रिदिव चौधरी : जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया, समुद्री उत्पाद के निर्यात में इस समय मुख्यतः श्रिम्प, प्राउन मछलियां और केकड़े शामिल हैं और उन्होंने यह भी बताया कि निर्यात 60 करोड़ रुपये से बढ़कर 100 करोड़ रुपये का हो गया है। यह अच्छी बात है, परन्तु मंत्री महोदय क्या यह बताने की भी कृपा करेंगे कि इस निर्यात उद्योग का कितना-कितना भाग पूर्णतः भारतीय कम्पनियों और विदेशी कम्पनियों के हाथ में है और विशेषकर कुछ ऐसी बड़ी-बड़ी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हाथ में है जिन्होंने इस क्षेत्र में भी पदार्पण किया है। यूनियन कारबाइड, इन्डियन टुबैको तथा अन्य कम्पनियां, जिनका पहले इस उद्योग से कोई सम्बन्ध नहीं था, सरकार को यह लालच दिखाकर प्रविष्ट हुई है कि वे निर्यात बढ़ायेंगी। दूसरी ओर, उद्योग और व्यापार का यह अत्यधिक सम्भावनाओं वाला स्रोत बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के नियंत्रण में आता जा रहा है। क्या वह इससे सम्बन्धित आंकड़े बता सकते हैं और बढ़ती हुई इस प्रवृत्ति का स्पष्टीकरण कर सकते हैं? न केवल मछली पकड़ने बल्कि ट्राडलर बनाने आदि के क्षेत्र भी काम करने के लिए बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को क्यों प्रोत्साहित किया जा रहा है?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जितनी मछली उथले पानी में पकड़ी जा सकती है उससे छः गुना अधिक मछली गहरे पानी में पकड़ी जा सकती है, परन्तु इसके लिए गहन पूंजी-विनियोजन और विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। इसे राष्ट्रीय संसाधन के उपयोग के लिए और इस उद्योग में विविधता लाने के लिए कुछ कम्पनियों को आमंत्रित करने का विचार किया गया था। हमने इस मामले में इस बात की पूरी सावधानी बरती कि छोटे उद्यमियों और उथले पानी में मछली पकड़ने का धंधा करने वालों के हितों को कोई हानि न पहुंचे।

श्री बी० बी० नायक : जबकि कोचीन, मद्रास, बम्बई और कलकत्ता, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और बंगाल का कार्य कर रहे हैं; परन्तु कर्नाटक, गुजरात, उड़ीसा और आन्ध्र प्रदेश के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है । जब कि समुद्री उत्पाद निर्यात निगम का व्यवसाय 200 प्रतिशत बढ़ चुका है, तो श्री गंगादेव के प्रश्न का स्पष्ट उत्तर देना क्यों सम्भव नहीं है? क्या कारण है कि सागर-तटवर्ती प्रत्येक राज्य में इस निगम की एक-एक शाखा या प्रादेशिक कार्यालय नहीं खोला जा सकता?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : कर्नाटक, मंगलौर पत्तन से होने वाला निर्यात कुल निर्यात का केवल 7 प्रतिशत है। 124 करोड़ रुपये मूल्य के कुल निर्यात में से केवल 1.86 करोड़ रुपये मूल्य का निर्यात आन्ध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम से है। अतः यह तथ्य हमें ध्यान में रखना होता है। इसके अतिरिक्त इन शाखा कार्यालयों के खोलने में वित्त का प्रश्न भी सामने रहता है।

गांवों में उपभोक्ता ऋण का वितरण

*608. **श्री नवल किशोर सिन्हा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गांवों में उपभोक्ता ऋण का वितरण करने के लिए क्या प्रबन्ध किये जा रहे हैं; और

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक उपभोक्ता ऋण की कितनी राशि बांटी जा चुकी है?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) एक विवरण सभापटल पर रखा जा रहा है।

विवरण

फिलहाल गांवों में उत्पादक ऋण के अतिरिक्त शुद्ध उपभोग ऋण देने की बहुत ही सीमित व्यवस्था है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रारंभिक कृषि ऋण समितियों को यह अनुमति दी है कि वे सहकारी समितियों के अपनी स्रोतों से गैर-बाकीदार सदस्य को उसके अल्पावधिक ऋण के 10 प्रतिशत तक का ऋण दे सकते हैं, जिसकी सीमा 250 रुपये है। प्राप्त सूचना के अनुसार महाराष्ट्र और केरल की प्रारम्भिक सहकारी समितियों ने भूमिहीन कृषि मजदूरों और ग्रामीण कारीगरों जैसे समाज के कमजोर वर्गों को उत्पादक ऋणों की प्रतिशतता के रूप में बर्तनों, रेडियो सैटों, साइकिलों, घड़ियों आदि जैसी चल सम्पत्ति की गिरवी पर उपभोग ऋण देना आरम्भ कर दिया है। कुछ वाणिज्यिक बैंकों ने हाल ही में ग्रामीण समाज के निर्धन वर्गों की उपभोग आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ योजनाएं तैयार की हैं। सरकारी क्षेत्र के विभिन्न बैंकों द्वारा उपभोग ऋण के लिए तैयार की गयी योजनाओं आदि का सारांश अनुबन्ध (क) में प्रस्तुत है। इसमें यह देखा जा सकता है कि वाणिज्यिक बैंकिंग व्यवस्था में भी उपभोग प्रयोजनों के लिए दिये जाने वाले ऋण मोटे तौर पर ऋणकर्त्ता की उत्पादन विषयक गतिविधियों से सम्बद्ध हैं।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने भी उत्पादन ऋणों के साथ-साथ चिकित्सा और शिक्षा संबंधी प्रयोजनों के लिए उपभोग ऋण देने की अनुमति दे दी है।

उत्पादन ऋण के अंश के रूप में सीमित मात्रा में उपभोग ऋण देने का सिद्धान्त हाल ही में स्वीकार किया गया है इसलिए पूरी तरह उपभोग प्रयोजनों के लिए ग्रामीण क्षेत्र में दिये गये ऋण की वास्तविक राशि के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

अनुबन्ध क

सरकारी क्षेत्र के विभिन्न बैंकों द्वारा उपभोग ऋण के लिये तैयार की गयी योजनाओं आदि का सारांश

बैंक ऑफ इण्डिया : इस बैंक ने मुक्त किये गये बंधुआ मजदूरों के वित्त पोषण के लिए उपभोग ऋण देने के वास्ते एक योजना बनाई है। यह ऋण उत्पादन-ऋणों से जुड़ा हुआ है। जिन प्रयोजनों के लिये यह ऋण मिल सकता है, वे प्रयोजन और उनके लिए मिल सकने वाले ऋण की मात्रा नीचे दी गयी है :—

1. चिकित्सा व्यय	250 रुपये तक
2. शिक्षा व्यय	प्रति बालक 25 रुपये के हिसाब से 75 रुपये तक
3. सामाजिक कार्य	125 रुपये

प्रति ऋणकर्ता सभी ऋणों की कुल सीमा 400 रुपये है।

पंजाब नेशनल बैंक : हाल ही में एक योजना शुरू की गयी है, जिसके अधीन छोटी रकमों के उपभोग ऋण, छोटे किसानों और कृषि मजदूरों को दिये जाते हैं। किन्तु ये ऋण सामान्य उपभोग आवश्यकताओं के लिए दिये जाते हैं, शादियों, दहेजों या मरणोत्तर कृत्यों जैसे फिजूलखर्ची के कार्यों के लिए नहीं।

कैनरा बैंक : बैंक ने छोटे/सीमान्तिक किसानों को ऐसे अवसरों के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए एक योजना बनाई है, जबकि वे बाढ़, सूखा और अकाल आदि से पीड़ित हों। इस योजना के अधीन प्रति व्यक्ति अधिक से अधिक 1,000 रुपये का ऋण देने की व्यवस्था है।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र : इस बैंक ने एक योजना बनाई है, जिसमें फसल की कटाई और बिक्री तक किसानों के दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए ऋण प्रदान करने की व्यवस्था है। यह योजना केवल थाना जिला के आदिवासियों के लाभार्थ है।

सेण्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया : इस बैंक ने यह योजना ऐसे क्षेत्रों के लिए बनाई है जहां ऋण राहत कानून लागू है। इस योजना के अधीन ऐसे सीमान्तिक किसानों, भूमिहीन मजदूरों और ग्रामीण कारीगरों और अन्य छोटे ऋणकर्त्ताओं को जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 2,400 रुपये से अधिक नहीं है मुख्यत: चिकित्सा और शिक्षा संबंध खर्चों के लिए ऋण दिया जाता है।

यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया : जरूरत मंद किसानों के चिकित्सा और शिक्षा संबंधी खर्चों की पूर्ति के लिए ऋण देने की एक योजना विचाराधीन है।

देना बैंक : इस बैंक ने दो योजनाएं बनाई हैं। एक योजना तो उन भूमिहीन किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए है जिन्हें कि 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अधीन राज्य सरकारों द्वारा जमीन आबंटित की जा रही है। दूसरी योजना मुक्त किये गये बंधुआ मजदूरों के बारे में है। पहली योजना के अधीन उपभोग ऋण विषयक आवश्यकताओं को उत्पादन ऋण की आवश्यकताओं से जोड़ा जाता है। इस योजना के अधीन उपभोग-अंश समेत प्रति ऋणकर्ता अधिक से अधिक 5,000 रुपये का ऋण देने की

व्यवस्था है। जिन भूमिहीन/सीमान्तिक किसानों को राज्य सरकारें जमीन आबंटित करती हैं, वे लोग इन ऋणों के पात्र हैं।

इण्डियन बैंक : सोने के जेवरों की गिरवी पर प्रति व्यक्ति 1,000 रुपये तक उपभोग ऋण दिया जा सकता है। जिन प्रयोजनों के लिये यह ऋण मिल सकता है, उनके ब्यौरे नहीं दिये गये हैं।

इलाहाबाद बैंक : इस बैंक ने ऐसे जन-जाति के किसानों और भूमिहीन किसानों को वित्तीय सहायता देने के लिए योजना बनाई है, जिन्हें राज्य सरकारों से भूमि आबंटित की गयी हो। यह ऋण 200 रुपये प्रति कृषक-परिवार तक सीमित है।

यूनियन बैंक : इस बैंक ने एक योजना बनाई है जिसके अधीन ऋणकर्ता/किसानों के चिकित्सक और शिक्षा विषयक खर्चों को पूरा करने के लिए उपभोग ऋण दिया जाता है। यह ऋण उत्पादन ऋण से जुड़ा हुआ है और फसल ऋण की राशि के 50% अथवा 500 रुपये दोनों में से जो भी कम हो, उस राशि तक सीमित रहता है।

बैंक ऑफ बड़ौदा : यह बैंक ऐसे भूमिहीन मजदूरों और मुक्त किये गये बंधुआ मजदूरों को 500 रुपये तक के छोटे उपभोग ऋण देता है जिन्हें खेती के लिए जमीन आबंटित की गयी हो। यह राशि फसल और अन्य उत्पादन ऋणों के अतिरिक्त दी जाती है।

यूनाइटेड कमर्शियल बैंक : इस बैंक ने किसानों के शिक्षा और चिकित्सा विषयक खर्चों की पूर्ति के लिए उपभोग ऋण देने की योजना बनाई है। यह ऋण उत्पादन ऋणों से जुड़ा हुआ है।

सिंडीकेट बैंक : इस बैंक ने कोई विशेष योजना तो तैयार नहीं की है, किन्तु यह एक ग्राम सोने की जमानत पर 30 रुपये के हिसाब से ग्रामीण जनता के सभी वर्गों को उपभोग आवश्यकताओं के लिए ऋण प्रदान करता रहा है।

श्री नवल किशोर सिन्हा : इस विवरण से यह पता लगता है कि उपभोग ऋण को फिर उत्पादन के साथ जोड़ने की प्रवृत्ति चल रही है। इससे उपभोग ऋण का प्रश्न पिछड़ जायेगा। वर्तमान स्थिति यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 80 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को उत्पादन और उपभोग दोनों के लिए ही ऋण लेना पड़ता है। शेष परिवारों को भी कभी-कभी ऋण लेना पड़ता है जो कठिनाई-ग्रस्तता के कारण नहीं होता, परन्तु किसानों के लिए ऋण पूर्णतः कठिनाई-ग्रस्त होने की स्थिति में लेना पड़ता है। वास्तव में ऐसी परिस्थितियों ने ही बन्धक मजदूरी और अनाज तथा अन्य वस्तुएं हानि उठाकर भी बेच देने की बुराइयों को जन्म दिया है। इस ऋण प्रथा का एक अन्य पहलू यह है कि ऐसे ऋण छोटी-छोटी राशियों के रूप में आये दिन लेने पड़ते हैं। हाल ही में जो कानून पास किया गया है उससे ग्रामीण क्षेत्रों में यह कठिनाई और भी बढ़ गई है क्योंकि वहां पर ऋण-स्रोत करीब करीब सूख चुके हैं। क्या इन लोगों की इस महत्वपूर्ण आवश्यकता की पूर्ति के लिए विकल्प के रूप में कोई संगठन स्थापित करने का विचार है?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : मैं माननीय सदस्यों से सहमत हूं कि उत्पादन और उपभोग दोनों के लिए ग्रामीण ऋण की आवश्यकता एक महत्वपूर्ण समस्या है और इस तथ्य के कारण कि ग्रामीण ऋणों की अदायगी पर रोक की घोषणा कर दी गई है और कतिपय मामलों में उनमें कटौती कर दी गई है, इस समस्या ने और अधिक गम्भीर रूप ले लिया है। माननीय सदस्यों को ज्ञात ही है कि इस समस्या के बारे में अध्ययन करने के लिए एक कार्यकारी दल स्थापित किया गया था। इस दल को यह समस्या हल करने के सुझाव भी देने थे ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में हम प्रवेश कर सकें और साहूकारों को हटाने के कारण हुई रिक्तता को भरा जा सके। शिवरामन समिति ने अपने सुझाव इसी 26 अप्रैल को मेरे पास भेज दिये हैं

जो सरकार के विचाराधीन हैं। इस समिति ने कुछ उपाय सुझाये हैं जिन्हें क्रियान्वित करने के लिये हम राज्यों के साथ साथ पहल ले रहे हैं। यदि सदस्य महोदय मेरे उत्तर के साथ लगे अनुबन्ध को देखें तो उन्हें ज्ञात होगा कि कतिपय बैंकों ने ग्रामीण जनता को उपभोग ऋणों की व्यवस्था की विभिन्न योजनाएं आरम्भ कर रखी हैं। सारी समस्या तो यह है कि हम इसमें कैसे वृद्धि करें और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक ऋण-सुविधाएं उपलब्ध करायें। इसके अतिरिक्त प्रादेशिक ग्रामीण बैंक भी हैं जो मुख्य रूप से ग्रामीण ऋण आवश्यकता पूरी करता है। इस दिसम्बर से हमने इन बैंकों की संख्या 6 से बढ़ाकर 80 कर दी है जो अपनी शाखाएं बढ़ा रहे हैं । हम इस समस्या से अवगत हैं और इसे पूरी तरह समझने तथा यथाशीघ्र हल करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री नवल किशोर सिन्हा : विवरण के अनुसार, सहकारी समितियां केरल और महाराष्ट्र में उपभोग ऋण पहले से ही दे रही हैं परन्तु अन्य राज्यों में ऐसा नहीं है। क्या सरकार के सामने कोई ऐसा प्रस्ताव है कि यह ऋण ब्याज की रियायती दर पर दिये जायें विशेषकर छोटे तथा मध्यम किसानों और खेतीहर मजदूरों को ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : समिति ने इन सभी पहलुओं पर विचार किया है। जब तक कि हम समिति की सिफारिशों के बारे में कोई अंतिम निर्णय न ले लें, तब तक यह बताना सम्भव नहीं है कि हम कौनसे ठोस कदम उठाने जा रहे हैं। जहाँ तक ब्याज की रियायती दर का सम्बन्ध है, माननीय सदस्यों को ज्ञात ही है कि इस समय किसी विशिष्ट समुदाय या वर्ग के लिए ब्याज दर अलग नहीं है। ये बैंक देश के 375 जिलों में से 265 जिलों में फैले हुए हैं। परन्तु हम इस बात पर भी विचार कर रहे हैं कि किन्हीं विशिष्ट परियोजनाओं और मुख्यतः समाज के कमजोर वर्गों के लिए रियायती ब्याज दर नियत करें।

Shri Bibhuti Mishra : Mr. Speaker, you also come from rural area and as such you are already aware of the situation there. Since you have removed the rural indebtedness, the poor people in rural areas have to pawn their ornaments for getting loans. Previously they got loans against their physical labour. Now they are able to get loans of one-fourth of the value of their ornaments. and have to pay interest at the rate of 24 per cent. In case they fail to repay the money in time they have to loose their entire ornaments. The hon. Minister has stated that regional rural banks have been opened but the fact is that the officers in such banks are unable to understand the Bhojpuri language Spoken by the rural population there. May I know whether Government propose to take any measures to remedy this situation and if so, what are those measures ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : यही एक ऐसा क्षेत्र है जिसका माननीय सदस्य उल्लेख कर रहे हैं। वहाँ प्रादेशिक ग्रामीण बैंक स्थानीय भाषा का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे, मुझे यह मालूम नहीं है। हमने उन्हें प्रादेशिक भाषाएं प्रयोग में लाने की हिदायतें दी हुई हैं।

हम गांव गांव में अधिक से अधिक संख्या में साख समितियां और प्राथमिक समितियां खोले जाने पर जोर दे रहे हैं ताकि प्रादेशिक ग्रामीण बैंक, सहकारी साख समितियां आदि सब मिलकर इस समस्या को हल कर सकें।

जहाँ तक इस समस्या की अविलम्बनीयता का सम्बन्ध है, मैं माननीय सदस्य को बता चुका हूं कि रिपोर्ट फिलहाल में ही मिली है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई हैं, विशेषकर साख समितियों का शीघ्र विस्तार करने की भी सिफारिश की गई है।

महाराष्ट्र तथा केरल द्वारा अपनाये गये ढांचे, राज्य सरकारों द्वारा वही ढांचा शीघ्र तैयार करने की क्षमता, हमसे उन्हें किस प्रकार की सहायता की आवश्यकता होगी, इन सब बातों पर हमने मुख्य

मंत्रि-सम्मेलन में विचार किया है। इस बारे में हम उनसे फिर लिखापढ़ी कर रहे हैं और अनुरोध कर रहे हैं कि इस समस्या को तुरन्त हल किया जाये ताकि आगामी खरीफ मौसम से पहले ही हम संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण ऋण की व्यवस्था का कार्य कर सकें।

श्री डी० एन० तिवारी : सभा पटल पर रखे गये विवरण से यह स्पष्ट नहीं है कि उपभोग ऋणों के वितरण के लिए प्रत्येक राज्य में क्या-क्या व्यवस्था की गई है, क्योंकि विवरण में केवल इतना ही बताया गया है कि कौन कौन सा बैंक खोला गया है। उन क्षेत्रों में जहाँ पर प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है और लोगों को उपभोग ऋण की अत्यधिक आवश्यकता है, जैसे कि बिहार, विशेष रूप से उत्तरी बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है कि जिससे लोग इसका लाभ उठा सकें और भूख से छुटकारा पा सकें?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : माननीय सदस्य ने जो चिन्ता व्यक्त की मैं भी उसे अनुभव करता हूँ। परन्तु इसके साथ ही हमें एक बात ध्यान में रखनी होगी कि हमें उपभोग ऋण की समूची समस्या की ओर तुरन्त ध्यान देना सम्भव नहीं है क्योंकि जो संसाधन हमें ग्रामीण क्षेत्रों में लगाने पड़ेंगे वे असीमित नहीं हैं। इसके साथ ही हमें यह भी देखना पड़ेगा कि जब तक फसल की अवधि पूरी न हो जाये, तब तक किसान को गुजारा करने के लिए औषधि तथा शिक्षा के लिए उपभोग ऋण का थोड़ा सा भाग तो देना पड़ेगा। अतः अनुबन्ध क में जो उदाहरण दिये गये हैं वे केवल उदाहरणार्थ हैं और ये बैंक सीमित क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं और इनका हम विस्तार करना चाहते हैं। व्यापारिक बैंकों की शाखाएं, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक, सहकारी साख समितियां और कृषक सेवा समितियां इसकी एजेन्सी के रूप में कार्य कर रही हैं राज्य सरकार की प्रशासनिक मशीनरी जैसे कि राजस्व प्रशासन अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ा रहे हैं। इस समस्या का ध्यान रखने के लिए हम सभी ऐजेन्सियों की ताकत को इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं।

Shri Narsingh Narain Pandey : Has the hon. Minister invited any report from the rural banks, which have been opened by him, with a view to find out the amount of consumption loans distributed amongst the marginal and sub-marginal farmers? Is it also a fact that they are interested more in having deposits that in distributing loans to the farmers? Will he like to invite any statement from there regional rural banks with a view to find out the manner of their functioning? I am asking for this information as a result of the impressions gathered by me about the regional rural bank opened in my area.

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : माननीय सदस्य भी यह मानेंगे कि प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों ने हाल ही में तो काम करना आरम्भ किया है। पिछले दो सप्ताह में मैंने कम से कम तीन बैंकों का उद्घाटन किया है। अतः अभी इनमें से किसी भी बैंक से कोई रिपोर्ट मंगाने का समय नहीं है। कुछ बैंकों ने तो 2 अक्तूबर से ही कार्य आरम्भ किया है। प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों की स्थापना का एकमात्र उद्देश्य छोटे तथा सीमान्त किसानों भूमिहीन मजदूरों और गरीब दस्तकारों की मदद करना है। हम इनके काम की लगातार समीक्षा कर रहे हैं। परन्तु मैं माननीय सदस्य को यह बता देना चाहता हूँ कि इन संगठनों की भी अपनी सीमाएं हैं क्योंकि यह समस्या इतनी विशाल है और उसके हल के लिए पर्याप्त संस्थागत व्यवस्था नहीं है और इस प्रकार पूरा पूरा प्रयत्न करने के बावजूद भी हम उन तक नहीं पहुँच सकते। हमने समिति से यह देखने के लिए कहा था कि वर्तमान व्यवस्था के अनुपूरक के रूप में और कौन सी वैकल्पिक एजेन्सियां स्थापित की जा सकती हैं। यही कारण है कि हम इस कार्यकारी दल की सिफारिशों को सोचने समझने पर अपनी बुद्धि लगा रहे हैं और उसी आधार पर इस समस्या को हल करेंगे।

पूर्वी भारत में हवाई-अड्डों का निर्माण

*609. **श्री शक्तिकुमार सरकार :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागर विमानन विभाग देश में और अधिक हवाई-अड्डे बना रहा है; और

(ख) यदि हां, तो पूर्वी भारत में कितने हवाई-अड्डे बनाए जायेंगे ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में निम्न छः सिविल विमान क्षेत्रों के निर्माण की व्यवस्था की गई थी :--

1. कोचीन (केरल)
2. पोर्ट ब्लेयर (अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह)
3. पांडिचेरी (पांडिचेरी)
4. कालीकट (केरल)
5. जमशेदपुर (बिहार)
6. हुबली (कर्नाटक)

इन छः विमानक्षेत्रों में से जमशेदपुर पूर्वी भारत में स्थित है। इसके अतिरिक्त जो रहाट, तेजपुर और दीमापुर के सैनिक विमान क्षेत्रों में सिविल एन्क्लेव स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। चौथी योजना के दौरान स्वीकृत 1.34 करोड़ रुपये की लागत से बारापानी (मेघालय) में नये विमान क्षेत्र के निर्माण का कार्य प्रगति पर है । धावनपथ, टैक्सीपथ, एप्रन, तकनीकी और आवासीय भवनों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। एक छोटे टर्मिनल भवन के डिज़ाइन को अंतिम रूप दिया जा रहा है और यह कार्य शीघ्र प्रारंभ हो जायेगा।

कोचीन में विमानक्षेत्र के निर्माण के प्रस्ताव का बाद में संशोधन कर दिया गया और वहां मौजूदा नौसेना के विमानक्षेत्र के ही विकास का निर्णय किया गया जिसके अन्तर्गत विमानक्षेत्र को बोइंग-737 के परिचालन योग्य बनाने के लिये धावनपथ की मज़बूती को एल० सी० एन०-20 से एल० सी० एन-40 तथा उसकी लम्बाई को 5400 फुट से 6000 फुट कर दिया जायेगा। इस प्रायोजना के लिये 70.05 लाख रुपये का व्यय अनुमोदित किया गया है।

पोर्ट ब्लेयर के निकट एक नये विमानक्षेत्र के निर्माण के निर्णय को रोक दिया गया है क्योंकि इंडियन एयरलाइन्स एक ऐसे नये प्रकार के जेट विमान को प्राप्त करने की संभावना की जांच-पड़ताल कर रहा है जो पोर्ट ब्लेयर के वर्तमान विमानक्षेत्र को/से परिचालन के लिये उपयुक्त हो।

जहां तक अन्य विमानक्षेत्रों के निर्माण का प्रश्न है इन पर इंडियन एयरलाइंस की परिचालनात्मक योजनाओं तथा साधनों की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जायेगा।

श्री शक्ति कुमार सरकार : विवरण से इस बात का पता लगता है कि पोर्ट ब्लेयर में एक नया विमानपत्तन बनाने के लिये पांचवीं योजना में प्रावधान किया गया है। क्या मैं यह जान सकता हूँ कि वास्तव में यह विमानपत्तन कब तक बन जायेगा, क्योंकि मैं वहां गत वर्ष दो बार गया था और हमने लोगों की कठिनाइयां देखी हैं ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : पोर्ट ब्लेयर की स्थिति कुछ इसी तरह की है। पहले नागरिक विमानन विभाग ने वहां एक नया हवाई अड्डा बनाने का निर्णय किया था, परन्तु अब योजना में कुछ रूप भेद कर दिया गया है, क्योंकि इंडियन एयरलाइन्स इस लिये सर्वेक्षण कर रहा है कि क्या एक विशेष प्रकार का विमान वर्तमान हवाई अड्डे के लिये उपयोगी हो सकता है। यदि उन्हें ऐसा विमान मिल सकता है तो नये हवाई अड्डे की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

श्री शक्ति कुमार सरकार : क्या यह वर्तमान हवाई अड्डे के अलावा एक नया हवाई अड्डा बन जायेगा ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : एक नया हवाई अड्डा तभी बनाया जायेगा जबकि इंडियन एयरलाइन्स को वर्तमान हवाई अड्डे के उपयोग के लिये उपयुक्त विमान नहीं मिल सकेगा।

श्रीमती माया राय : क्या माननीय मंत्री हमें बतायेंगे कि क्या भारत सरकार ने विमान यातायात को बम्बई और दिल्ली से पूर्वी क्षेत्र के वर्तमान विमान पत्तन अर्थात् कलकत्ता पर लाने के लिये कोई विचार किया है या नहीं, क्योंकि प्रायः मैं यात्रियों से सुना करती हूं कि बम्बई और दिल्ली से होकर जाने वाला यातायात इतना अधिक होता है कि यह पर्याप्तरूप से संभल नहीं रहा है और फिर भी कलकत्ता में एक विमानपत्तन खाली और अप्रयुक्त पड़ा है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि कलकत्ता मुख्य है।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : जो प्रश्न रखा गया है, उससे यह थोड़ा भिन्न है। परन्तु कलकत्ता विमान-पत्तन के इस प्रश्न पर सभा में अनेकों बार चर्चा हुई है। हम महसूस करते हैं कि इसका प्रयोग विदेशी एयरलाइन्स नहीं कर रही है और उन्हें यह समझाने के लिये भरपूर प्रयत्न किये जा रहे हैं कि कलकत्ता में यथाशीघ्र परिचालन कार्य शुरू किया जाये।

श्री मति माया राय : मैं विदेशी एयरलाइन्स की बात नहीं कर रही हूं।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : एयर इंडिया की।

श्री जगन्नाथ राव : श्रीमती माया राय के प्रश्न के सिलसिले में क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि क्या वह भुवनेश्वर में धावनपथ को लम्बा और मजबूत बनायेंगे जिससे बोइंग वहां उतर सके। भुवनेश्वर इस राज्य की राजधानी है और राज्यों की राजधानियों को सीधे जोड़ने के लिये समय-समय पर प्रश्न उठाये गये हैं। सरकार का क्या विचार है। पांचवीं योजना में मुझे कोई उम्मीद नहीं है।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : यह प्रश्न नये हवाई अड्डों से सम्बन्धित है। फिर भी मैं यह कहता हूं कि भुवनेश्वर हवाई अड्डे में सुधार करने के लिये कतिपय कदम उठाये जा रहे हैं, जिससे बड़े और बेहतर किस्म के हवाई जहाज चलाये जा सकें।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि प्रश्न नये हवाई अड्डों के बारे में हैं न कि वर्तमान हवाई अड्डों के बारे में।

श्री जगन्नाथ राव : वर्तमान हवाई अड्डों को मजबूत बनाने का प्रश्न भी है।

श्री जगदीश भट्टाचार्य : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या पनागढ़ और जालकुंडा के वर्तमान छोटे हवाई अड्डे छोटे विमानों के लिये खोले जायेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

भारत अमरीकी आर्थिक और व्यापार उप-आयोग

*611. **श्री बी० एन० रेड्डी :**

श्री वसंत साठे :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-अमरीकी आर्थिक और व्यापार उप-आयोगों ने भारत में विदेशी पूंजी निवेश के लिये इस वर्ष मार्च में कुछ व्यावहारिक और स्पष्ट नियम बनाये थे; और

(ख) यदि हां, तो किये गये विचार-विमर्श और बनाये गये नियमों की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) जी, नहीं । भारत-अमरीकी आर्थिक और वाणिज्यिक उप-आयोग की मार्च, 1976 में नई दिल्ली में हुई बैठक के दौरान, भारत में विदेशी पूंजी लगाने के प्रश्न पर, भारत सरकार के दृष्टिकोण के बारे में आम चर्चा हुई थी । भारतीय प्रतिनिधियों ने भारत सरकार की निवेश नीति तथा उस पद्धति की विस्तृत व्याख्या की, जिसके अनुसार भारत में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम तथा उसमें बताये गये निर्देशों पर अमल किया जा रहा है। दोनों पक्षों ने इस क्षेत्र में विदेशी पूंजी लगाये जाने के बारे में व्यावहारिक तथा स्पष्ट नियमों के महत्व को स्वीकार किया। उप-आयोग ने इस संबंध में कोई नियम नहीं बनाये क्योंकि ऐसा करना उसके कार्य क्षेत्र से बाहर है।

श्री बी० एन० रेड्डी : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि अमरीकी शिष्टमंडल के अध्यक्ष श्री एरविल ने इस प्रकार का भाषण दिया था कि बहु राष्ट्रीय निगम विकासशील देशों में महत्वपूर्व भूमि निभा सकते है ? इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बहुराष्ट्रीय निगम भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये एक खतरा बन गये हैं, हमारी सरकार इस प्रकार का निर्णय क्यों नहीं लेती है कि बहुराष्ट्रीय निगम भारतीय अर्थव्यवस्था में भूमिका न निभायें ? क्या यह भी सही नहीं है कि वे अधिकतम लाभ कमाने के लिये बाजार में एकाधिकार बनाना चाहते हैं और हमारी अर्थव्यवस्था में निर्बाध रूप से भूमिका निभाना चाहते हैं ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मैं माननीय सदस्य को याद दिलाना चाहती हूं कि सभा में आज दोपहर बाद बहुराष्ट्रीय निगमों और उनके द्वारा निभायी जाने वाली भूमिका के इस विशेष प्रश्न पर खुले रूप से चर्चा होगी । क्या उनके प्रतिनिधि ने एक मधुर भाषण दिया है यह एक विभिन्न विषय हैं। परन्तु यहां यह विशेष प्रश्न स्पष्ट है और यह कहा गया है कि वे केवल यह जानना चाहते हैं कि क्या वे स्पष्ट और व्यावहारिक नियम रखे गये हैं और उन पर चर्चा की गयी है तथा क्या कोई निर्णय लिया गया । इस संबंध में, हमने स्पष्टरूप से यह कहा कि "ऐसी कोई बात नहीं हुई है।"

श्री बी०एन० रेड्डी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का स्पष्ट विचार है ?

अध्यक्ष महोदय : यह दोपहर बाद स्पष्ट किया जायेगा । (**व्यावधान**)

क्या आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं ?

श्री बी० एन० रेड्डी : मैं यह चाहता हूं कि जब भारत-अमरीका का मामला आये तो सरकार इस पर निर्णय ले। सरकार को हमारी अर्थ-व्यवस्था में बहुराष्ट्रीय निगमों को किसी तरह की भूमिका निभाने नहीं दी जानी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : यह एक सुझाव है। **(व्यवधान)**

श्री बसन्त साठे : दोपहर बाद वाणिज्य मंत्रालय पर वाद-विवाद हो रहा है। यह प्रश्न भी इस मंत्रालय से सम्बन्धित है। मैं नहीं जानता कि मंत्री महोदया कैसे आ गई हैं। अब आप इस प्रश्न का उत्तर दे रही हैं इसलिये इससे बचने की कोशिश न करिए और केवल यह कहकर छुटकारा न पाइए कि यह इसी तक सीमित है। इस प्रश्न में यह विचार निहित है कि नीति क्या है ? अमरीकी व्यापारियों और भारतीय उच्च स्तर के व्यापारियों की कुछ महीने पहले बैठक हुई थी और उन्होंने भारत में अमरीकी संस्थाओं द्वारा निवेश किये जाने सम्बन्धी नीति पर चर्चा की थी। इस संदर्भ में में फ्रीमैन ने प्रधान मंत्री से एक स्पष्ट वक्तव्य देने के लिये कहा था जिससे भारत में अमरीकी संस्थाओं के निवेश का मामला साफ हो जाये। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपने निवेश के सम्बन्ध में कोई नीति बनायी है और इस संदर्भ में भारत में अमरीकी संस्थाओं ने इस समय कितना निवेश किया है, उन्होंने कितना अपने देश में वापस भेजा है, इस समय यह निवेश किस क्षेत्र में है, क्या यह प्राथमिकता या गैर-प्राथमिकता वाला क्षेत्र है और किन क्षेत्रों में आप यह निवेश करने देने जा रहे हैं और किसके द्वारा ? क्या इनमें बहुराष्ट्रीय निगम शामिल होंगे ? कृपया इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए और इस से भागिये नहीं।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : जहां तक इस प्रश्न का वाणिज्य मंत्रालय से वित्त मंत्रालय में अन्तरित होने का सम्बन्ध है, मुझे इस प्रश्न को निपटाना है, क्योंकि वाणिज्य मंत्रालय को वही काम करना चाहिये जो कि वित्त मंत्रालय को। अब यह बात स्पष्ट हो गयी है कि मेरा इस प्रश्न से क्या सम्बन्ध है ? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह तय न करिये। उन्हें प्रश्न का उत्तर देने दीजिये। **(व्यवधान)**

आप उन्हें सुनने को तैयार नहीं हैं।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, जो इस समय देश में लागू है, इन सभी चीजों की देखभाल करती है।

माननीय सदस्य ने जो बातें यहां उठायी हैं, उनके सम्बन्ध में मैं उन्हें बता सकती हूं कि इन चर्चाओं के अन्तर्गत विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम और निवेश नीति भी आ गयी है। हमने कहा है कि हमारी निवेश नीति सभी देशों के लिये एक सी है और यह एकसी प्राथमिकताओं के अधीन है जो हमने अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर बनाने के लिये दी है। इस प्रयोजन के लिये हम अपना निर्यात बढ़ाकर के अर्थव्यवस्था सुधारना चाहते हैं। इसके साथ ही हम यहां पर कार्यरत विभिन्न वित्तीय और अन्य संस्थाओं के बीच सहयोग बढ़ाना चाहते हैं। वे यहां आकर निवेश करने के लिये स्वतन्त्र हैं, परन्तु यह हमारी निवेश नीति के अनरूप हो। इसके अतिरिक्त उन्होंने कतिपय प्रश्न और स्पष्टीकरण उठाये हैं। हमने कहा है कि ये सभी सुझाव सरकार के विचाराधीन हैं। सभा को जानकारी है कि कतिपय स्पष्टीकरण सभा के समक्ष आये हैं।

श्री वसन्त साठे : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस समय उनका निवेश कितना है, कितना उन्होंने अपने देश को लौटा दिया है और किन क्षेत्रों में निवेश किया है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने उत्तर दे दिया है । डा० रानेन सेन ।

डा० रानेन सेन : वर्तमान विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत भी कतिपय ऐसे उपबन्ध हैं जो कोका कोला जैसी अनेक बहुराष्ट्रीय कम्पनियों, पर लागू नहीं हो रहे हैं । जो ईक्विटी पूंजी को कम करने से इन्कार करती हैं ।

अध्यक्ष महोदय : विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम इसक्षेत्र से थोड़ा बाहर है ।

डा० रानेन सेन : यह इसके अन्तर्गत आता है। मेरा प्रश्न यह है। यह सर्वविदित है कि अमरीकी व्यापारियों ने भारत सरकार से भारत में अमरीकी पूंजी या विदेशी पूंजी लगाने के लिये विशेष सुविधाओं की मांग की थी । क्या यह सही है कि भारत में हुई ऐसी चर्चाओं के एक या दो महीनों के भीतर भारत सरकार इस स्थिति में पहुंच गयी है जिसमें नये मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करके विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम में और छूट दी गई है जिससे इससे पहले विद्यमान इस अधिनियम की कठोरता स्वभावतः समाप्त हो गई है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : यह सही नहीं है कि इसके एक या दो महीनों के भीतर भारत सरकार विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उपबन्धों में ढील देने लगी है। यह तो केवल एक संयोग है क्योंकि एक वर्ष से विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का पुनरीक्षण किया जा रहा है। ये सभी मामले सरकार के समक्ष पहले रहे हैं। अतः विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनयम की कठोरता में ठीक ढील देने देने का कोई प्रश्न नहीं है। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के कार्यकरण के अनुभव के आधार पर कतिपय बातों की जांच की गई है और इसलिये ये स्पष्टकारी बातें हुई हैं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उपलबन्धों में ढील देने का संयोग है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : जी, नहीं । ये तो वर्तमान नीति अथवा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के मार्गदर्शक सिद्धांतों के स्पष्टीकरण हैं । **(व्यवधान)**

डा० रानेन सेन : यह गलत है । यह तो सभा को गुमराह करने वाली बात है । पहले इस अधिनियम के अनुसार 40 प्रतिशत तक की कमी की अनुमति थी। विदेशी कम्पनियां अपनी 40 प्रतिशत ईक्विटी पूंजी रख सकती थीं। नये नियमानुसार उनको 51 प्रतिशत विदेशी ईक्विटी पूंजी रखने की अनुमति है। यही छूट है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने यहां यह पूछा कि क्या कोई छूट थी। वह कहती हैं कि कोई छूट नहीं है । **(व्यवधान)**

श्री एस० आर० दामाणी : क्या यह सही है कि कुछ छूट, जिस पर विचार किया गया है, निर्यात मदों के लिये है

श्रीमती सुशीला रोहतगी : ये तो विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के वर्तमान मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप हैं .....

अध्यक्ष महोदय : क्या अनुरूप हैं ? क्या कोई छूट है या नहीं ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : क्या मैं स्थिति स्पष्ट कर सकता हूं? वर्तमान प्रश्न निवेश के सम्बन्ध में है। इस देश में विदेशी कम्पनियों का कार्यकरण दो प्रकार से निपटाया जा रहा है। पहला वर्तमान कम्पनियों के लिये विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम है। भविष्य में किये जाने वाले निवेश के प्रश्न के बारे में भविष्य में किन क्षेत्रों में निवेश करने दिया जायेगा और इसकी शर्तें क्या होंगी --वे जब अस्तित्व में आयेंगी तब वे विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत आ जायेंगे। यह अधिनियम इस समय विद्यमान विदेशी कम्पनियों के लिये है। परन्तु यह प्रश्न एक प्रकार की निवेश नीति सम्बन्धी निर्णय से सम्बन्धित है, जो भविष्य में लिया जाने वाला है। मैं समझता हूं कि जहां तक छूट का सम्बन्ध है, ये दोनों बातें एक साथ जोड़ दी जायें।

एक माननीय सदस्य : यह इसे खराब कर रहे हैं।

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : मैं न तो इसे खराब कर रहा हूं न अच्छा। मैं तो केवल स्थिति बता रहा हूं। जहां तक निवेश नीति का सम्बन्ध है, यह तो देश के फायदे के लिये है--जहां भी आप इसे आवश्यक समझें--प्रमुख रूप से प्रौद्योगिकी के उस क्षेत्र में अन्तर पाटने के लिये जिसमें हम पीछे हैं--आप व्यक्तिगत मामलें उनके गुणदोष के आधार पर न्यायोचित ठहरायें।

इस विशेष प्रश्न के सम्बन्ध में कि क्या ईक्विटी के मामले में हमने कुछ छूट दी है तो मेरा उत्तर 'हां' है।

कतिपय क्षेत्रों के सम्बन्ध में, विशेषकर निर्यात और आधुनिक प्रौद्योगिकी के लिये, मार्गदर्शक सिद्धांतों की व्याख्या के सम्बन्ध में वर्तमान मार्गदर्शक सिद्धांत यथा व्याख्या किये गये रूप में सभा पटल पर रखे गये हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है।

श्री के० एस० चावड़ा : गैर-प्राथमिकता वाली चीजें निर्माण करने के लिये विदेशी कम्पनियों के बारे में विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के कार्यान्वयन में सरकार नरम रवैया अपना रही है . . .

अध्यक्ष महोदय : विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के कार्य की बात नहीं करिए परन्तु आप अपने को सम्मेलन में हुई चर्चाओं के परिणाम तक ही सीमित रखें। मंत्री महोदय ने वर्तमान अधिनियम के कार्य की व्याख्या कर दी है। अतः आप अपने को सम्मेलन और वहां पर हुई चर्चा तक ही सीमित रखें।

श्री के० एस० चावड़ा : मैं चाकलेट आदि जैसी गैर-प्राथमिकता वाली चीजों का उल्लेख कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह तो प्रश्न से बाहर है अब हमें अगला प्रश्न लेने दीजिए। श्री अर्जुन सेठी।

20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को ऋण

*613. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को ऋण देने के लिये अलग से एक विशेष प्रशासनिक तन्त्र का गठन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण विषयक संसदीय समिति ने सरकार को इस प्रकार की सिफारिश की है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन सिफारिशों को किस हद तक क्रियान्वित किया जा रहा है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) यद्यपि सरकार और बैंकिंग व्यवस्था की यह एक स्वीकृत नीति है कि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों सहित समाज के कमजोर वर्गों को अधिकाधिक मात्रा में बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाये, परन्तु 20-सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लोगों को ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से एक विशेष प्रशासनिक तन्त्र की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) क्योंकि राज्य-अभिकरण अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हैं, अतः राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कोई विशेष प्रशासनिक तन्त्र स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री अर्जुन सेठी : इसमें कोई शक नहीं है कि वर्तमान प्रबन्ध के अनुसार राज्य सरकार तथा बैंकिंग व्यवस्था किसी सीमा तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को ऋण देने में सक्षम है माननीय मंत्री निःसंदेह मेरे साथ सहमत होंगे कि चूंकि अब समय बदल गया है और विशेष-कर 20-सूत्रीय कार्यक्रम के लागू होने के बाद, समाज के कमजोर वर्गों को ऋण देने सम्बन्धी वर्तमान प्रक्रिया पर्याप्त नहीं है । इसके अतिरिक्त यह लोग ग्रामीण क्षेत्रों के होने के नाते अशिक्षित भी हैं । इन्हें ऋण प्राप्त करने की वास्तविक प्रक्रिया भी मालूम नहीं है। इस सन्दर्भ में मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं कि इन लोगों को बैंकों से ऋण प्राप्त करने सम्बन्धी प्रक्रिया तथा अन्य शर्तों के बारे में पूरी तरह अवगत कराया जाये ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : मैं माननीय सदस्य से इस बात से सहमत हूं कि बैंकों को अच्छी प्रकार कार्य करना चाहिये विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों के लिये कार्य करना चाहिये। पहले एक प्रश्न के उत्तर में कुछ उपायों का मैंने जिक्र भी किया है। उदाहरण के तौर पर प्रत्येक बैंक में एक ऐसा एकक है जिसका कार्य इन लोगों की सहायता करना होता है वह लोग फार्म भरने का तरीका तथा शर्तें तथा अन्य बातों के बारे में उन्हें समझाते हैं। किन्तु प्रश्न का उत्तर कि क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये एक अलग एजेंसी स्थापित की जायेगी, मैं नकारात्मक दूंगा क्योंकि यह समस्या इतनी बड़ी है कि अपनी पूरी शक्ति इकट्ठे रूप से लगा कर भी उसका समाधान नहीं कर सकते हैं । मैं एक बात विशेष तौर पर कहना चाहूंगा और माननीय सदस्य उस बात को समझेंगे । अधिकांश राज्यों में राज्य सरकारों ने संरक्षण के केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये एक वित्तीय विकास राशि की स्थापना की गई है और जिन राज्यों ने अभी इस राशि की स्थापना नहीं की उन्हें हम ऐसा करने की सलाह दे रहे हैं। एक अन्य बात जिसे माननीय सदस्य जानना चाहेंगे वह यह है कि समूचे देश में 265 जिलों में विभिन्न दर पद्धति लागू की गई है जिसके अन्तर्गत चार प्रतिशत व्याज की दर पर सहायता दी जाती है और इस प्रकार 4,65,000 लोगों में 20.6 करोड़ रुपया सहायता के रूप में बांटा गया है और इनमें से अधिकांश लोग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हैं ।

श्री अर्जुन सेठी : आप मुझ से सहमत होंगे कि यद्यपि इन प्रयासों से समाज के कमजोर वर्गों को लाभ पहुंचा है फिर भी अभी भी ऐसे कार्य हैं जिन्हें किया जाना चाहिये ताकि लोग बैंकों से तथा

अन्य वित्तीय संस्थानों से लाभ उठे सकें। इस सन्दर्भ में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों सम्बन्धी संसदीय समिति ने यह सिफारिश की है कि इन पक्षों की जांच करने के लिये एक विशेष तन्त्र की स्थापना की जाये। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सन्दर्भ में समाज के कमजोर वर्गों के लिये एक विशेष तन्त्र की स्थापना करने में सरकार को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : मैंने यह कभी नहीं कहा है कि इसकी आवश्कता नहीं है। इसकी आवश्यकता है : समूचा प्रश्न यह है कि ऐसा करने की क्या हममें क्षमता है। प्रश्न एजेन्सी की स्थापना का नहीं है प्रश्न तो धन के अभाव का है। जब हमारे पास धन का अभाव है मात्र एक अलग एजेंसी की स्थापना से किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। अतः जैसा कि मैंने अभी स्पष्ट किया है हम सभी एजेंसियों को, इकट्ठा कर रहे हैं ताकि वह ग्रामीण क्षेत्रों का ध्यान रख सकें।

श्री डी० बसु मतारी : माननीय मंत्री द्वारा दिया गया मुख्य प्रश्न का उत्तर बड़ा ही निराशाजनक है। जो भी बात हो, जो भी भावनायें हों उन्हें यह बात कदापि नहीं कहनी चाहिये कि इस देश का अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास का कोई उत्तरदायित्व नहीं है। जब प्रधान मंत्री ने 20-सूत्रीय कार्यक्रम में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को अत्यधिक महत्व दिया है तो उन्हें यह बात नहीं कहनी चाहिये। उनके पास कोई योजना अथवा तन्त्र नहीं है। यह वास्तव में बड़ा ही निराशाजनक है। दूसरी बात यह है कि ग्रामीण बैंक "आदिम जातियों के कल्याण' के नाम पर आदिवासी क्षेत्रों में स्थापित किये जाते हैं, अगर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को कोई रियायत न दी जाये तो उसका क्या लाभ है ? साथ ही वह लोग कुछ भी नहीं कहते हैं अगर केन्द्रीय सरकार भी ऐसा उत्तर देती है तो उनकी कौन सहायता करेगा। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि क्या अनुसूचित जातियों और अनूसूचित जनजातियों के विकास का उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार पर है अथवा नहीं ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : मैं माननीय सदस्य को यह सूचित करना चाहता हूं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास का हमारा उत्तरदायित्व है और माननीय सदस्य के सभापतित्व के अन्तर्गत समिति की सिफारिशों पर गम्भीरता से विचार किया गया था। प्रश्न यह है राष्ट्रीयकृत बैंकों में केवल एक अलग तन्त्र, एक अलग प्रशासनिक तन्त्र स्थापित करने से समस्या का समाधान हो जायेगा और मेरा उत्तर यह है कि वह काफी नहीं होगा। हमें वर्तमान सभी एजेंसियों को उनके लाभ के लिये इकट्ठा करना होगा। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण की बात को सरकार बहुत महत्व देती है।

श्री एन० ई० होशे : अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को ऋण न मिलने में एक यह भी बाधा है कि वाणिज्यिक बैंक बैंक से पांच मील से अधिक दूरी पर रहने वाले लोगों को ऋण नहीं देते। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह इस बाधा को दूर करने और बैंकों को यह कहने के लिये तैयार हैं कि वह पांच मील से अधिक दूरी पर रहने वाले लोगों को भी ऋण दें।

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : यह शर्त 10 किलोमीटर की है और इस सम्बन्ध में भी इतनी कड़ाई नहीं है। इस सदन में इस विषय पर पहले भी बात हो चुकी है और हमने बैंकों को निर्देश जारी किया है कि वह सीमा से दूर रहने वाले व्यक्तियों को भी ऋण दे सकते हैं किन्तु वह इसका प्रबन्ध कर सकते

हों। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि जिस क्षेत्र में वह ऋण दे रहे हैं वहां ब्रांच मैनेजर अथवा बैंक कुशलता से कार्य कर सकता है। कार्यकुशलता के अभाव में ऋण देने सम्बन्धी क्षेत्र का विस्तार करने का कोई लाभ नहीं है ।

राज्य व्यापार निगम द्वारा सिले-सिलाए कपड़े का निर्यात

*615. **श्री आर० एन० बर्मन :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य व्यापार निगम का विचार निर्यात के लिये सिले-सिलाये कपड़ों का निर्माण करने के लिये अपने स्वयं के संयंत्र लगाने का है; और

(ख) यदि हां, तो विदेशों से प्राप्त किये गये ऋयादेशों के संदर्भ में बनाई गई योजना की मुख्य बातें क्या हैं और योजना का निजी व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री आर० एन० बर्मन : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि इस व्यापार पर शुल्क नहीं लगता इसलिये अनेक एकाधिकार गृह तथा यहां तक कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियां भी सिले-सिलाये कपड़ों के निर्यात का व्यापार करने लगे हैं जिसके परिणामस्वरूप छोटे व्यापारी इस व्यापार को कर नहीं पा रहे हैं ? अगर ऐसा है तो एकाधिकार गृहों को इस व्यापार में घुसने की आज्ञा न देने के सम्बन्ध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : इन बड़े औद्योगिक गृहों को इस व्यापार की तभी आज्ञा दी जाती है अगर वह अपने उत्पादन का 100 प्रतिशत ही निर्यात करने की जिम्मेदारी निभायें क्योंकि सिले सिलाये कपड़ों के निर्यात में उत्पादन ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि उस उत्पादन के लिये बाजार की व्यवस्था करना भी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से ही बड़े औद्योगिक गृह ही विदेशी क्रेताओं के साथ बाजार सम्बन्धी सम्बन्ध रख सकते हैं। अतः उन्हें इस व्यापार में आने की अनुमति दी गई है किन्तु यह एक अथवा दो मामलों में सीमित अनुमति है और साथ ही यह भी ध्यान रखा गया है कि छोटे एककों के हितों पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा।

श्री आर० एन० बर्मन : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सत्य है कि सिले-सिलाये कपड़ों का कार्य रोजगार-मुखी हैं और अगर है तो बैंक ऋण, सस्ते दामों पर आवास व्यवस्था, डी०डी०ए० द्वारा निर्माताओं को तंग न करने सम्बन्धी किन सुविधाओं की व्यवस्था की गई है ताकि बेरोजगार युवक इस व्यापार की तरफ आकर्षित हों और अपने पांवों पर खड़े हो सकें ?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : बेरोजगार युवकों के लिये बैंकों की विभिन्न योजनायें हैं। वह इस योजना के भी पात्र हैं। हैंडलूम सामग्री अथवा दक्षिण में क्रेप और चैक की सप्लाई सम्बन्धी कुछ समस्या थी अब यह उपलब्ध करा दी गई हैं। और कुछ एककों को बिजली न मिलने की भी शिकायत थी। दिल्ली प्रशासन के साथ मिल कर इस पर ध्यान दिया गया है।

डा० रनेन सेन : मंत्री महोदय ने कहा है कि उन्हीं औद्योगिक गृहों को निर्यात की अनुमति दी गई है जो निर्यात मुखी हैं और जिनके विदेशों के साथ सम्बन्ध हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि यह

सत्य है कि अब तक तो केवल छोटे व्यापारी गृह अथवा व्यापार कम्पनियां ही सिले-सिलाये कपड़ों का उत्पादन और निर्यात करते थे किन्तु अब एकाधिकार गृह जैसे मफतलाल भी इस व्यापार में आ गये हैं और वह उन्हीं समाजवादी देशों को निर्यात कर रहे हैं जहां छोटे व्यापारी करते थे। अगर ऐसा है तो सरकार ने इन एकाधिकार गृहों को इस व्यापार में आने की अनुमति क्यों दी जिससे कि छोटे व्यापारियों को हानि होती है?

प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय : जैसा कि मैंने कहा है कि निर्यात क्षेत्र में केवल आकार ही प्रमुख नहीं है। यह महत्वपूर्ण अवश्य है किन्तु बाजार सम्बन्ध, तथा आधुनिकतम फैशन और बाजार सर्वे से परिचय उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है और छोटे एककों से ऐसा हो नहीं पाता है अगर हम उन्हें स्वतन्त्रता भी देते हैं तब भी ऐसा करना उनके लिये कठिन है। अतः इस लिये उन्हें अनुमति दी गई है। किन्तु यह सोचना बिल्कुल गलत है कि पिछले चार पांच वर्षों में जो सिले-सिलाये कपड़ों का व्यापार हुआ है वह इन बड़े व्यापार गृहों का था। वास्तव में पिछले 2-3 वर्षों में 2000-3000 एकक नये स्थापित किये गये हैं जिसके परिणामस्वरूप इन कपड़ों का निर्यात 1971 के 11 करोड़ रुपयों से बढ़कर अब 145 करोड़ रुपये हो गया है और अगले वर्ष यह 225 करोड़ रुपये हो जायगा। ऐसा बड़े व्यापारी गृहों के कारण नहीं बल्कि छोटे एककों के कारण हुआ है।

श्री एच० एन० मुखर्जी : क्या मंत्री महोदय यह स्पष्ट कर सकते हैं कि यूनियन कार्बाइड को भारतीय सिले-सिलाये कपड़े निर्यात करने की अनुमति कैसे दी गई है? क्या मैं यह समझूं कि जैसे कि माननीय मंत्री ने कहा है कि राज्य व्यापार निगम ने छोटे मजदूरों के कार्य का लाभ उठाने के लिये निर्यात बाजार प्राप्त करने के लिये न तो अभी विशेषज्ञता का ही अथवा न ही संसधानों का विकास किया है, यूनियन कार्बाइड और शेष लोगों को यह अनुमति दे दी गई है।

श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय : जैसे कि मैंने अभी कहा है कि फैशनों तथा विदेशी क्रेताओं की मांग का पता लगाने के लिये तथा बाजार का पता लगाने के लिये सम्बन्ध बनाना बड़ा ही आवश्यक है और यूनियन कार्बाइड तथा इसी प्रकार के अन्य बड़े व्यापारिक गृह इस प्रकार का प्रारम्भिक निदेश कर सकते हैं। यह एक इन्टीग्रेटेड उत्पादन कार्यक्रम है जिसे छोटे एकक नहीं चला सकते। इसके अतिरिक्त 100 प्रतिशत निर्यात का उत्तरदायित्व भी है। अतः वह हमारे देश के अन्दर के बाजार को समाप्त नहीं कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि राज्य व्यापार निगम नहीं बल्कि हैंडीक्राफ्ट्स तथा हैंडलूम निर्यात निगम यह कार्य कर रहा है उन्हें इसकी अनुमति से वंचित नहीं किया गया है। वह ऐसा कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री वेकेरिया यहां नहीं है।

श्री शशि भूषण : मेरे प्रश्न का क्या हुआ?

अध्यक्ष महोदय : इसे 12 मई के लिये रख दिया गया है। मेरे विचार से माननीय सदस्यों को सूचित कर दिया गया है, क्या आपको सूचित नहीं किया गया है। मेरे विचार से आपने अपने कागजात नहीं देखे हैं।

श्री मूल चन्द डागा : मेरे लगभग 400 प्रश्न ग्रहित नहीं किये गये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न को अस्वीकृत नहीं किया गया है। इसे 12 मई के लिये रख दिया गया है.....(**व्यवधान**) शांत रहिये, श्री राजदेव सिंह को प्रश्न पूछने दीजिये।

काफी का निर्यात

*618. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काफी का निर्यात मूल्य गत दस वर्षों में आठ गुना बढ़ा है अर्थात् वर्ष 1960-61 में 716 लाख रुपये से बढ़कर 1974-75 में 5853 लाख रुपये हो गया है; और

(ख) क्या गत 10 वर्षों और उससे बाद के वर्षों में काफी के निर्यात के मूल्य में हुई वृद्धि को अनुपातः यथावत बनाये रखा जायेगा बावजूद इसके कि काफी पीने के बारे में हाल ही में प्रतिकूल डाक्टरी राय व्यक्त की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) पिछले कुछ वर्षों के दौरान समाचार पत्रों में मानव के स्वास्थ्य का काफी पीने के प्रभाव के संबंध में डाक्टरों के परस्पर विरोधी मत छपे हैं, परन्तु शायद इनसे काफी के निर्यातों पर खास प्रभाव नहीं पड़ेगा।

श्री राजदेव सिंह : कुछ चिकित्सकों का मत है कि काफी का स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। मैं जानना चाहता हूं कि ये चिकित्सक कौन से देश के हैं ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या यह राय ऐसे अभिकरणों की जो अन्य हल्की शराब बेचते हैं, प्रेरणा पर व्यक्त की गई है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : "हिन्दुस्तान टाइम्स" में कुछ ऐसी रिपोर्टें छपी थीं। डा० वाल्टर रीड ने कहा है कि काफी हानिकारक है। जबकि डा० चार्लस हेन्नेकेन्स ने कहा है कि काफी हानिकारक नहीं है। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि हम काफी का निर्यात करना चाहते हैं और काफी एक ऐसा आकर्षक पेय है कि लोग इसका सेवन इस बात के बावजूद भी करेंगे कि उनको इससे खतरा है, हालांकि यह सही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

बम्बई क्षेत्र में उपनगरीय गाड़ियों में आग दुर्घटनाओं को रोकने का उपाय

3. **श्री धामनकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल प्रशासन बम्बई क्षेत्र में मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे दोनों की ही उपनगरीय गाड़ियों में आगजनी की बार-बार होने वाली घटनाओं को रोकने के लिये कठोर कदम उठा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

हाल की आगजनी की दुर्घटनाओं को देखते हुए आगजनी की घटनाओं की रोक-थाम और होने वाली हानि को कम करने के लिये तात्कालिक विशेष उपाय किये गये हैं। जो उपाय किये गये हैं उनमें से कुछ नीचे दिये गये हैं :—

(1) मोटर यानों की छतों पर ऊष्मारोधी व्यवस्था को सुदृढ़ करना।

(2) यानों में जहां कहीं भी ज्वलन शील सामग्री का उपयोग किया गया है उसे यथा संभव अधिकाधिक अज्वलन-शील सामग्री द्वारा बदलना।

(3) सुरक्षा उपायों की जांच के सम्बन्ध में कोई चूक न हो इसे सुनिश्चित करने के लिये अनुरक्षण सम्बन्धी सभी प्रकार की जांच-पड़ताल को और तेज करना।

(4) मोटर यान में अनधिकृत प्रवेश और उसके फलस्वरूप बदमाशों द्वारा बिजली उपस्करों के साथ छेड़-छाड़ की रोकथाम के लिये मोटर यानों के चालक कोष्ठ की खिड़कियों में इस्पात की अतिरिक्त छड़ें लगाना।

(5) रेजिस्टेंस कम्पार्टमेंट में अधिक गर्मी की रोकथाम के लिये थर्मल सेंसिंग उपकरणों की व्यवस्था की जा रही है।

(6) स्थानीय गाड़ियों में यात्रियों द्वारा ज्वलनशील सामग्री ले जायी जाने से रोकने के उद्देश्य से उपनगरीय यात्रियों द्वारा ले जायी जाने वाली सामग्री और सामान की जांच-पड़ताल करना इसके अतिरिक्त टिकट खिड़कियों और प्लेटफार्मों पर सूचनाओं आदि द्वारा तथा पोस्टरों को लगाकर भी इसके सम्बन्ध में प्रयत्न किया जाता है।

(7) प्लेटफार्मों पर अंग्रेजी, हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं में नियमित रूप से सार्वजनिक घोषनाएं की जा रही हैं।

इसके अतिरिक्त, अनुसंधान, अभिकल्प एवं मानक संगठन कार्यालय द्वारा स्वचालित आग बुझाने वाले यंत्रों की व्यावहारिकता की जांच की जा रही है।

श्री धामनकर: मैंने विवरण देख लिया है। रेलवे ने आगजनी की इन घटनाओं को रोकने के लिये जो उपाय सुझाये हैं वे सामान्यतः पर्याप्त ही हैं। परन्तु बम्बई में यह छपा है कि आगजनी की ये घटनायें तोड़फोड़ के कारण होती है और इस संदर्भ में मैं महसूस करता हूं कि ये उपाय पर्याप्त नहीं हैं। पिछले सप्ताह मैंने अपने थाना जिले का दौरा किया। मुझे यह जान कर बड़ी हैरानी हुई कि पालघर बस्सीन, थाना और कल्याण में संघर्ष समितियों ने गुप्त बैठकें संगठित की और हिदायतें जारी कीं कि सरकार का काम ठप करने और उस पर प्रभाव डालने के लिए तोड़फोड़ और हिंसा का मार्ग अपनाया जाये। इस सदर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि क्या रेल मंत्रालय ने गृह मंत्रालय की सलाह से तोड़-फोड़ की ऐसी हरकतों की जांच की है और बम्बई की उपनगरीय रेलगाड़ियों में आगजनी की बार-बार हो रही इन घटनाओं को रोकने के लिये आवश्यक उपाय किये हैं?

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी: जब कभी कोई ऐसी घटना होती है, तो रेलवे सुरक्षा सम्बन्धी अतिरिक्त आयुक्त इस सारे मामले की जांच करता है। आयुक्त (सुरक्षा) का निष्कर्ष यह है कि आग यात्रियों की कोई असावधानता और यान्त्रिक गड़बड़ के कारण लगी थी। माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या

इन मामलों में तोड़-फोड़ का सन्देह होता है। यद्यपि इस सम्बन्ध में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं अस्वीकार मिलता है, तथापि इसे बिल्कुल नहीं किया जा सकता क्योंकि पूरे मामले पर विचार करना पड़ेगा। रेलवे सुरक्षा आयुक्त द्वारा दिये गये निष्कर्षों के आधार पर यदि यह पाया जायेगा कि ऐसे मामलों में कुछ बाह्य शक्तियों का हाथ है तो इस मामले की आगे छानबीन की जायेगी।

श्री धामनकर: माटुंगा स्टेशन के निकट आगज़नी की हुई भयंकर दुर्घटना में लगभग 40 व्यक्ति जान से हाथ धो बैठे। लगभग हर सप्ताह वहां पर कोई न कोई दुर्घटना होती रहती है। पिछले सप्ताह पश्चिम रेलवे के महिम और माटुंगा स्टेशनों के बीच एक दुर्घटना हुई थी। रेलवे प्रशासन ने रेलवे स्टेशनों पर ऐसी घोषणा करने के लिये व्यवस्था की है जिसमें यात्रियों को आश्वासन दिया जायेगा कि कोई खतरा नहीं है। परन्तु अब होता यह है कि यात्री जैसे ही पैंटोग्राफ या शार्ट सर्किट से शोले देखते हैं उनमें आतंक फैल जाता है। उन्हें खतरे का भ्रम हो जाता, वे रेलगाड़ियों से छलांग लगा देते हैं और साथ वाले रेल पथ पर जा रही अन्य रेलगाड़ी से कुचले जाते हैं। क्या रेल मंत्रालय सभी रेल डिब्बों में, रेल गाड़ी में आग लगने पर क्या करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये, इस बारे में इश्तिहार लगायेगा?

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी: संसद में आने से पहले कल मैं भी बम्बई में था और मैंने वहां जले हुए डिब्बों का निरीक्षण किया और पैंटोग्राफ को नीचे उतारते और ऊपर चढ़ाते हुए देखा। पता लगा कि बिजली के उपकरण के कारण कुछ स्थानों पर कुछ शोले निकल आते हैं। परन्तु इससे कोई खतरा नहीं होता है। यत्रियों को यह बताने के लिए कि वे अशांत न हों, एक नियमित अभियान आरम्भ किया गया है। यह सच है कि निरन्तर कई घटनाओं के घट जाने के कारण रेल यात्रियों का विश्वास उठ गया है। मौतें तो इसलिये हुई हैं क्योंकि यात्री चलती रेलगाड़ियों से कूद गये थे। रेडियो, प्रेस और इश्तिहारों के माध्यम से तथा रेलवे स्टेशनों पर सार्वजनिक घोषणा द्वारा लोगों को यह बताने के लिये कि उन्हें न तो डरने की और न ही बाहर छलांग लगाने की जरूरत है क्योंकि इससे उन्हें या अन्य व्यक्तियों को कोई हानि नही होने जा रही है। इसके अतिरिक्त पैंटोग्राफ के नीचे पहले से अधिक बड़े उष्मारोधी रेशेदार कांच की व्यवस्था करने तथा उसके निचले भाग में भी ऐसी चीजों की व्यवस्था करने का एक दीर्घकालीन कार्यक्रम तैयार किया गया है। ई० एम० ई० डिब्बों का शत प्रतिशत ध्यान रखा जाता है। मुझे आशा है कि इन अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन उपायों से आगज़नी की घटनाओं में कमी हो जायेगी।

श्री बशन्त साठे: सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात तो यह है कि नियमति रूप से चलने वाले यात्रियों के विश्वास को बहाल करना है। यहां पर कुछ ऐसे नेता है जिनका पहले संघ था जो तोड़फोड़ में विश्वास रखता था। समस्तीपुर में जो कुछ हुआ उस में भी उनका हाथ था। हाल ही में बड़ौदा में विस्फोटक पदार्थ के मामले में जो कुछ हुआ उसमें भी उनका हाथ था। इनमें से कुछ व्यक्ति अभी भी छिपे हुए हैं। गृह मंत्रालय इन्हें पकड़ने में क्यों असफल रहा है इस सारे अभियान के पीछे वही लोग हैं। ये लोग न केवल तोड़फोड़ ही कर रहे हैं परन्तु आतंक भी फैला रहे हैं। लोगों में विश्वास पैदा कर के इनका कैसे मुकाबला करने का विचार है? जैसा कि हम सभी जानते हैं इन स्थानीय रेलगाड़ियों में बहुत अधिक भीड़ होती है। यह पता लगाने के लिये कि क्या किसी के पास कोई ज्वलनशील पदार्थ तो नहीं है, क्या ढंग अपनाया जाता है? क्या यात्रियों में विश्वास बहाल करने के लिये बड़े पैमाने पर कोई तुरन्त जांच पड़ताल करने का विचार है? क्या ये कदम पुलिस की सहायता से उठाये जा रहे हैं?

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी: उनका यह कहना बिल्कुल सही है कि नियमित यात्रियों में पुनः विश्वास उत्पन्न करना होगा। आजकल यही तो हम कर रहे हैं। हम जानते हैं कि कुछ लोग हैं जो सारी व्यवस्था को बिगाड़ देते हैं। हम बहुत सतर्क हैं। मैं सभा को विश्वास दिलाता हूं कि कम्पार्टमेंटों में लोग भी अब प्रशासन को अपना सहयोग दे रहे हैं। यह ठीक है और आप भी इसे स्वीकार करेंगे कि शत प्रतिशत जांच

पड़ताल सम्भव नहीं है। यात्रियों के सहयोग से हमने ज्वलनशील पदार्थों का कई बार पता लगाया और उनको रेलगाड़ियो से बाहर निकाला। हम इन मामलों में काफी सख्ती कर रहे हैं और इस प्रकार हम लोगों में विश्वास पैदा करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

Shri Narsingh Narain Pandey : The Member of Railway Board who visited the place of accident which took place between Mahim and Matunga stations, found that the pantograph was intact and there was no inflammable material. I want to know whether the commissioner (safety) has given any interim report and if so, the findings thereof and the action taken by Government thereon ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : The provisional findings of the commissioner of safety are that the fire was due to the ignition of inflammable material which was being carried below the seat level in the right hand side rear and corner of the compartment. He has attributed this accident to negligence of persons other than railway staff.

Shri Shashi Bhushan : The Chairman of Railwaymen's Federation and the Chairman Socialist Party of India is preaching violence openly. Either this Federation be suspended or that Federation be asked to suspend its Chairman. Similarly either the Socialist Party of India be banned or that party be asked to suspend its chairman. The name of George Fernandes is involved both in the dynamite case and other sabotage cases. Either the Federation be asked to suspend him or the Federation itself be suspended. May I know the opinion of the Government in this regard ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : There are two recognised unions : namely All India Railwaymen's Federation and the National Federation of India Railwaymen. Shri Fernandese is the President of one of these two unions. He had got a circular issued in which it was clearly stated that the 20 point programme of the Prime Minister should be opposed. But I congratulate the workers; who have not only rejected it but also promised that they would do every thing possible to make the 20 point Programme of the Prime Minister successful. So far as the question regarding suspension of the Chairman is concerned, it is for the Federation to do. We are, however, aware of the approach they have adopted and I am sure that the Federation has seemingly passed a motion of no-confidence against him but in spite of that he has not resigned from the chairmanship so far.

श्री अण्णासाहिब गोंटखिन्डे : विवरण में यह बताया गया है कि सुरक्षा उपायों की जांच के सम्बन्ध में कोई चूक न हो इसको सुनिश्चित करने के लिये अनुरक्षण सम्बन्धी सभी प्रकार की जांच पड़ताल को तेज कर दिया गया है। मंत्री महोदय ने डिब्बों के निरीक्षण का भी हवाला दिया है। मैं यह जानना चाहता हू कि डिब्बों का निरीक्षण कितनी देर बाद किया जाता है ?

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : प्रत्येक डिब्बे को हर चौथे रोज़ सामान्य जांच के लिये वर्कशाप भेजा जाता है ब्रेकों तथा अन्य चीजों की भी हर पन्द्रहवें दिन नियमित रूप से जांच की जाती है। हर 18 महीनों के पश्चात् डिब्बे का पुनर्नवन किया जाता है। इस प्रकार सामान्यत: हर चौथे रोज़ प्रत्येक डिब्बे की वर्कशाप में जांच होती है।

श्री बी० बी० नायक : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि ये दुर्घटनायें केवल मेरे मित्र श्री धामनकर के निर्वाचन क्षेत्र में ही क्यों होती हैं ? कलकत्ता तथा अन्य स्थानों पर उपनगरीय रेल व्यवस्था के अन्तर्गत ऐसी दुर्घटनाए क्यों नहीं होती हैं क्या इससे इस विचारधारा को, जिसका सर्वश्री माठे और शशिभूषण ने हवाला दिया है बल मिलता है कि इनका कारण इन क्षेत्रों से प्रेरणा और मार्गदर्शन के फलस्वरूप होने वाली तोड़फोड़ है ?

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : मैं पहले ही बता चुका हूं कि तोड़फोड़ को हम पूर्णतया अस्वीकार नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसकी पुष्टि केवल दुर्घटना की पूर्णरूपेण जांच करने के पश्चात् ही की जा सकती है।

जैसाकि मैं पहले बता चुका हूं, रेलवे सुरक्षा सम्बन्धी अतिरिक्त आयुक्त ने इसकी प्रारम्भिक जांच पूरी कर ली है और उसने अपने निष्कर्ष यहां भेज दिये हैं। इन निष्कर्षों पर मैं पहले ही प्रकाश डाल चुका हूं। अन्तिम प्रतिवेदन के आने पर ही दूसरे पहलू पर विचार किया जा सकता है। हमें इन सब बातों का पता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

केन्द्रीय सरकार का 'गैर-योजना व्यय'

*607. **श्री शंकरराव सावन्त**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 'गैर-योजना व्यय' की कोटि के अन्तर्गत कौन सा व्यय आता है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार का 'गैर-योजना व्यय' कितना हुआ; और

(ग) 'योजना व्यय' और 'गैर-योजना व्यय' के बीच क्या अनुपात रहा?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी): (क) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार के गैर-आयोजना व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है:

	(करोड़ रुपए)
1973-74	5927
1974-75 (संशोधित अनुमान)	6964
1975-76 (संशोधित अनुमान)	8562

(ग) कुल व्यय में गैर-आयोजना व्यय और आयोजना व्यय का अनुमान इस प्रकार है:

	आयोजना -व्यय	गैर-आयोजना व्यय
1973-74	29	71
1974-75	31	69
1975-76	32	68

विवरण

योजना आयोग द्वारा दिए गए निदेशों के अनुसार, पांचवीं आयोजना में ऐसा खर्च गैर-आयोजना खर्च के रूप में माना जायगा जो विकास स्कीमों की निम्नलिखित 4 श्रेणियों के अन्तर्गत नहीं आता।

(क) पूंजी खाते की नई विकास स्कीमें;

(ख) राजस्व खाते की नई विकास स्कीमें। (इनमें से कुछ स्कीमें वास्तव में पूंजी किस्म की हो सकती हैं);

(ग) विकास स्कीमें जो चौथी आयोजना का भाग हैं किन्तु जो 1973-74 तक पूरी नहीं हुई। खर्च का एक भाग पांचवीं आयोजना में ले जाया जायगा अर्थात् खर्च का केवल वह भाग पांचवीं आयोजना के लिए माना जाएगा जिसके 1974--75 से खर्च किए जाने की सम्भावना है ;

(घ) वे विकास स्कीमें सरकार के भावी सामान्य अनुरक्षण दायत्वों का अंग मानी जानी चाहिए जो पहले से मौजूद विकास संस्थानों अथवा प्रतिष्ठानों में वृद्धियों और सरकार के सामान्य अनुरक्षण दायित्व का अंग हों अथवा जो चौथी आयोजना के दौरान पूरी की जा रही हों। दूसरे शब्दों में, ऐसे हर मामले में, उनके अनुरक्षण पर किया गया खर्च वचनबद्ध खर्च है और उसे पांचवीं आयोजना के भाग के रूप में नहीं माना जायगा। ऐसे मामलों में केवल कार्यक्रमों अथवा प्रतिष्ठानों में वृद्धियों अथवा उनमें किए गए विस्तार का खर्च ही पांचवीं आयोजना का खर्च माना जायगा।

विदेशी कंपनियों का भारतीयकरण

*610. **श्री सोमनाथ चटर्जी**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विदेशी नियंत्रण वाली ऐसी कम्पनियों की ईक्विटी शेयु शेयर पूंजी को कम करने के प्रश्न पर पुनर्विचार करने का निर्णय किया है जो अपने उत्पादन का कुछ भाग निर्यात करेंगी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने ऐसी विदेशी कम्पनियों की ईक्विटी शेयर पूंजी को कम करने के प्रश्न पर पुनर्विचार किया है जो अपने उत्पादन का निर्यात करेंगी। इस सम्बन्ध में स्थिति की जानकारी 15 अप्रैल, 1976 को लोक सभा पटल पर रखे गए "विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 29 के प्रशासन के लिए जारी किए गए निर्देशों का स्पष्टीकरण और व्याख्या" के विवरण के अनुबन्ध के भाग (ख), (ग) और (घ) में दे दी गई हैं।

नागर विमानन क्लब

*614. **श्री छत्रपति अम्बेश**: क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के किन-किन स्थानों पर इस समय नागर विमानन क्लब कार्य कर रहे हैं ; और

(ख) गत एक वर्ष के दौरान उपरोक्त क्लबों में से प्रत्येक क्लब में कितने विमान चालकों (पाइलटों) को प्रशिक्षण मिला ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना देने वाले दो विवरण सभा-पटल पर रखे हैं।

विवरण

फलाइंग क्लबों के नाम :

1. आंध्र प्रदेश फ्लाइंग क्लब, बेगमपेट एयरपोर्ट, हैदराबाद।

2. आसाम फ्लाइंग क्लब लिमिटेड, गौहाटी।

3. बिहार फ्लाइंग क्लब लिमिटेड. पटना।

4. बम्बई फ्लाइंग क्लब, जुहु एयरोड्रोम, बम्बई।

5. दिल्ली फ्लाइंग क्लब लिमिटेड, सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली।

6. गवर्नमेंट फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल, जक्कूर एयरोड्रोम, बंगलौर।

7. गुजरात फ्लाइंग क्लब, सिविल एयरोड्रोम, बड़ौदा।

8. दी केरला फ्लाइंग क्लब लिमिटेड, सिविल एयरोड्रोम, त्रिवन्द्रम।

9. कौं-आपहिन्द फ्लाइंग क्लब लिमिटेड, लखनऊ।

10. मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब, सिविल एयरोड्रोम, इंदौर।

11. नागपुर फ्लाइंग क्लब लिमिटेड, सोनागांव एयरोड्रोम, नागपुर।

12. मद्रास फ्लाइंग क्लब लिमिटेड, मद्रास।

13. नार्दर्न इंडिया फ्लाइंग क्लब, जलंधर।

14. गवर्नमेंट एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, भुवनेश्वर।

15. राजस्थान स्टेट फ्लाइंग स्कूल, जयपुर।

16. कोयम्बत्तूर फ्लाइंग क्लब लिमिटेड, सिविल एयरोड्रोम, कोयम्बत्तूर।

17. पटियाला एविएशन क्लब, पटियाला।

18. अमृतसर एविएशन क्लब, अमृतसर।

19. बनस्थली विद्यापीठ ग्लाइडिंग एंड फ्लाइंग क्लब, बनस्थली विद्यापीठ, (राजस्थान)।

20. गवर्नमेंट फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, बेहाला, कलकत्ता।

21. हिसार एविएशन क्लब, हिसार।

22. करनाल एविएशन क्लब, करनाल।

23. जमशेदपुर को-ऑप फ्लाइंग क्लब लिमिटेड, सोनारी एयरोड्रोम. जमशेदपुर, (बिहार)।

24. इस्टर्न मध्य प्रदेश फ्लाइंग एंड ग्लाइडिंग क्लब, रायपुर।

25. लुधियाना एविएशन क्लब, सानेहवाल एयरोड्रोम, लुधियाना।

विवरण

विमानचालकों की कुल संख्या जिन्हें 1975-76 के दौरान फ्लाइंग क्लबों द्वारा विमानचालक लाइसेंस जारी किए गए हैं।

क्रम सं०	क्लब का नाम	निजि विमान चालक लाइसेंस	व्यवसायी विमान चालक लाइसेंस
1	2	3	4
1.	पटियाला एविएशन क्लब . .	6	5
2.	लुधियाना एविएशन क्लब	2	4

1	2	3	4
3.	बिहार फ्लाइंग क्लब .	2	7
4.	गुजरात फ्लाइंग क्लब	16	1
5.	मद्रास फ्लाइंग क्लब .	12	7
6.	को-आपरेटिव हिंद फ्लाइंग क्लब, लखनऊ	5	2
7.	दिल्ली फ्लाइंग क्लब	4	4
8.	करनाल एविएशन क्लब . .	3	1
9.	गवर्नमेंट एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, भुवनेश्वर	3	2
10.	आंध्र प्रदेश फ्लाइंग क्लब	4	2
11.	कोयम्बत्तूर फ्लाइंग क्लब	—	1
12.	नार्दर्न इंडिया फ्लाइंग क्लब	6	1
13.	नागपुर फ्लाइंग क्लब	2	1
14.	बम्बई फ्लाइंग क्लब	8	1
15.	को-आपरेटिव हिन्दी फ्लाइंग क्लब, वाराणसी	11	—
16.	जमशेदपुर को-आपरेटिव फ्लाइंग क्लब .	4	—
17.	गवर्नमेंट फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, बेहाला	8	—
18.	गवर्नमेंट फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल, बंगलौर	7	—
19.	मध्य प्रदेश फ्लाइंग क्लब, इंदौर	3	—
20.	केरल फ्लाइंग क्लब, त्रिवन्द्रम	3	—
21.	आसाम फ्लाइंग क्लब, गौहाटी	3	—
22.	अमृतसर एविएशन क्लब	1	—
23.	हिसार एविएशन क्लब	5	—
	योग	118	39

मूंगफली के बीजों का निर्यात

*616. **श्री एन० आर० बेकारिया :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूंगफली के बीजों का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1973-74, 1974-75 और 1975-76 में मूंगफली के बीजों का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया; और

(ग) किन देशों को निर्यात किया गया और प्रति मीटरी टन दर क्या थी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां, एच० पी० एस० (हाथ से चुनी तथा छंटी) किस्म मुख्यतः खाद्य मूंगफली के रूप में सीधे खपत के लिए प्रयोग में लाई जाती है ।

(ख) तथा (ग) एच० पी० एस० मूंगफली मुख्यतः सोवियत संघ, चैकोस्लोवाकिय, युगोस्लोवाकिया, जर्मन लोकतन्त्रीय गणराज्य, जापान तथा बिट्रेन को निर्यात की गई । आंकड़े नीचे दिये गये हैं :--

मात्रा मे० टन में

मूल्य लाख रुपये में

	गिरियां			छिलका सहित		
वर्ष	मात्रा	मूल्य	इकाई मूल्य	मात्रा	मूल्य	इकाई मूल्य
1973-74	73540	2938	3995	9145	315	3444
1974-75	47296	2218	4689	8428	338	4010
1975-76† (अप्रैल–दिसम्बर, 1975)	40050	1817	4536	1719	66	3839

† अनुमान है कि 1975-76 में कुल निर्यात 1,00,000 मे० टन तक पहुंच जायेंगे ।

गुजरात के समुद्री तट पर तस्करों की गिरफ्तारी

***619. श्री अरविन्द एम० पटेल :**

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात के समुद्री तट पर तस्करों को पकड़ने के लिए कितनी यांत्रिक नौकाएं तथा लांचें प्रयोग में लाई जा रही हैं;

(ख) वर्ष 1975 के दौरान उनके द्वारा कितने मामले पकड़े गए; और

(ग) कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा कितने मूल्य की वस्तुएं बरामद की गईं ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) गुजरात के समुद्रतटवर्ती क्षेत्रों में तस्कर-व्यापारियों को पकड़ने के लिए अनेक जब्तशुदा नौकाओं को काम में लगाने के अतिरिक्त नार्वे में बनी 6 नौकाएं भी नियमित रूप से इस कार्य में लगी हुई हैं ।

(ख) वर्ष 1975 में ऐसे 19 मामले हुए हैं जिनमें निषिद्ध मालयुक्त यांत्रीकृत जलयान पकड़े गये थे ।

(ग) उपर्युक्त 19 मामलों में हिरासत में लिये गये व्यक्तियों की कुल संख्या 127 है और पकड़े गये माल का कुल मूल्य 1,76,91,346 रु० है ।

आयकर विभाग के एक अधिकारी के मकान से नगद धनराशि का पकड़ा जाना

*620. **श्री सरोज मुखर्जी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जून, 1975 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये केन्द्रीय जांच ब्यूरो की त्रैमासिक संक्षिप्त रिपोर्ट की मद संख्या चार का मामला संख्या 1 के बारे में आगे क्या कार्यवाही की गई है जिसमें सहायक आयकर आयुक्त, बम्बई के मकान की तलाशी ली गई थी और बैंक के एक लॉकर से 1,14,690 रुपये नकद पकड़े गये थे; और

(ख) इस मामले की जांच-पड़ताल करने और मुकदमा चलाने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो इस मामले की अभी भी जांच कर रहा है; और

(ख) इस मामले में, अन्य बातों के साथ-साथ यह आरोप भी है कि उस अधिकारी के पास जितनी सम्पत्ति है, वह उसकी आय के ज्ञात स्रोतों के अनुरूप नहीं है, इसलिये जांच में लम्बी छानबीन होनी है ।

भारतीय पटसन निगम को जूट मिलों द्वारा देय राशि

*621. **श्री रानेन सेन :**

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पटसन निगम को 64 जूट मिलों से सात करोड़ रुपये से अधिक धनराशि वसूल करनी है; और

(ख) यदि हां, तो इस धनराशि को वसूल करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) जी हां ।

(ख) मिलों के खिलाफ की गई कार्यवाही में ये शामिल हैं: 1975-76 के लिए बैंक-टू-बैंक करार से अलग करना, मध्यस्थता कार्यवाही आरम्भ करना, वसूलियों के आधार पर और आगे सप्लाइयों का विनियमन, मिलों पर जोर डालना कि वे क्रमबद्ध पुनर्भुगतान कार्यक्रम अपनायें तथा उपेक्षा करने वाली मिलों पर उनके बैंकों के जरिए दबाव डालना ।

पुर्नवास स्थलों पर समाज के कमजोर वर्गों को बैंक ऋण सुविधाएं

*622. **श्री एम० कतामुत्तु :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार समाज के कमजोर वर्गों को पुनर्वास स्थलों पर मकान बनाने के लिये बैंक ऋण सुविधायें दे रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस उद्देश्य के लिए बैंकों द्वारा अब तक कुल कितनी राशि वितरित की गई है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) राष्ट्रीय आवास कार्यक्रमों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की हिस्सेदारी राज्य आवास बोर्ड के जो निम्न आय वर्गों के लिये आवास परियोजनायें बनाता है, बाण्डों और ऋणपत्रों (डिबेंचरों) में अंशदान के रूप में होती है। इसके साथ-साथ सरकारी क्षेत्र के कुछ बैंकों ने उन भूमिहीन मजदूरों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों को भी व्यक्तिगत ऋण देना शुरू कर दिया है, जिन्हें 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा आवास-स्थलों का आवंटन किया जा रहा है।

2. मार्च, 1974 के अन्त तक के ताजा उपलब्ध आंकड़े यह प्रकट करते हैं कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने राज्य आवास बोर्डों के बाण्डों और ऋणपत्रों में 30.15 करोड़ रुपये का निवेश किया है। जहां तक समाज के कमजोर वर्गों को पुनर्वास स्थलों पर मकान बनाने के लिये व्यक्तिगत ऋणों का सम्बन्ध है, वर्तमान आंकड़ा-सूचना-प्रणाली में इस प्रकार के विशिष्ट वर्गों को बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों के बारे में, आंकड़े इकट्ठा करने की व्यवस्था नहीं है।

दिल्ली हवाई अड्डे पर माल जमा हो जाना

*623. **श्री भान सिंह भोरा**: क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली हवाई अड्डे पर बहुत अधिक माल जमा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य और कारण क्या हैं;

(ग) क्या ऐसी स्थिति में माल की आवाजाही बढ़ाने के लिये एयर इण्डिया ने कोई कारगर कदम नहीं उठाये; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (घ) दिल्ली में पिछला जमा माल, जिसे विमानों द्वारा उठाया जाना है, लगभग 500 टन है। ऐसा मुख्यतया दिल्ली से तैयारशुदा वस्त्रों के निर्यात में वृद्धि होने के कारण हुआ है जबकि पहले के अनुमानों से बहुत अधिक बढ़ गयी है। एयर इण्डिया सहित समस्त एयर लाइनों के सहयोग से एकत्रित माल को क्लीयर करने तथा भविष्य में बढ़ती हुई मांग की पूर्ति करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

दिसम्बर, 1975 से मार्च, 1976 तक की अवधि के दौरान, एयर इण्डिया ने सामान्य उड़ानों के अतिरिक्त 22 और "सब चार्टरों" का परिचालन करके दिल्ली से 1566 टन माल उठाया।

बढ़ती हुई मांग की पूर्ति करने के लिए माल उठाने की क्षमता की पर्याप्त व्यवस्था करने के प्रश्न का लगातार पुनर्विलोकन किया जाता है। मुख्यतया इसी के परिणामस्वरूप दिसम्बर, 1975 से मार्च, 1976 तक की अवधि में समस्त एयर लाइनों द्वारा दिल्ली से उठाया गया कुल माल 6800 टन था।

उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य

*624. **श्री एस० सी० सामन्त :**

श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष के दौरान केवल कुछ वस्तुओं के मूल्यों में ही कमी हुई है जबकि जूतों, टूथ पेस्ट, चाय और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य अभी तक ऊंचे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन वस्तुओं के भी मूल्य कम करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख) थोक मूल्यों में गिरावट की जो प्रवृत्ति सितम्बर, 1974 से दिखाई देने लगी थी वह प्रायः पिछले वर्ष भी बराबर जारी रही । इस प्रकार, 10 अप्रैल, 1976 को समाप्त हुए सप्ताह का थोक मूल्यों का सूचक अंक (1961-62 = 100) 289.1 एक वर्ष पहले के स्तर से 6 प्रतिशत कम है । इसी तरह, फरवरी, 1976 का उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक (1960 = 100) 1975 के उसी महीने के सूचक अंक से 10.8 प्रतिशत कम है । किन्तु सभी वस्तुओं में समान गिरावट की अपेक्षा नहीं की जा सकती बल्कि वस्तुस्थिति यह है कि कुछ वस्तुओं के मूल्य चढ़ सकते हैं जबकि अन्य वस्तुओं के मूल्यों में गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई दे रही हो । इसलिए, सरकार मूल्यों की स्थिति का बराबर अध्ययन करती रहती है और जब कभी तथा जैसी आवश्यकता होती है स्थिति को सुधारने के लिए कदम उठाती रहती है । उदाहरण के लिए, राजकोषीय तथा मुद्रा सम्बन्धी अनुशासन का कड़ाई के साथ पालन किया जा रहा है जबकि नागरिक पूर्ति विभाग बहुत सी अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों, उनकी पूर्ति तथा उनके वितरण पर बराबर नजर रख रहा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वस्तुओं की झूठी कमी पैदा न की जाए जिससे उपभोक्ताओं का शोषण हो ।

Development of Hill Areas of U.P. for Tourism

*625. **Shri Nageshwar Dwivedi** : Will the **Minister of Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the main features of the scheme approved to develop hill areas of Uttar Pradesh from tourism point of view ;

(b) whether a scheme to develop the World famous valley of flowers as a tourist centre has been approved; and

(c) whether this scheme also provides for construction of motorable road to reach the valley of flowers ?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Shri Surendra Pal Singh) : (a) For the development of tourism in the hill areas of Uttar Pradesh, the Planning Commission has approved an outlay of Rs. 130 lakhs in the Fifth Plan in the State Sector. In the Central Sector, the India Tourism Development Corporation proposes to construct a motel in the hill areas of Uttar Pradesh during the Fifth Five Year Plan subject to feasibility study and availability of funds. A youth hostel has been constructed at Nainital at a cost of Rs. 3.55 lakhs. It is also proposed to develop trekking in the area to attract international tourists.

(b) and (c) For the present the Department of Tourism has no plans to provide facilities in the Valley of Flowers other than those which would promote trekking. The Department is of the view that great care should be taken in developing areas which have fragile environment in order to protect this environment as well as to maintain its ecological balance. The Department of Tourism would not, therefore, favour the construction of a motorable road right up to this valley as this would result in despoliation of this entire area.

भारत-ब्रिटिश संयुक्त समिति की लन्दन में आयोजित बैठक

*626. **श्री सी० जनार्दनन :**

श्रीमती पार्वती कृष्णन :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-ब्रिटिश संयुक्त समिति की हाल ही में लन्दन में बैठक हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसमें किन विषयों पर चर्चा हुई और इसका क्या परिणाम निकला ?

वाणिज्य मंत्री (प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय) : (क) तथा (ख) भारत-ब्रिटिश आर्थिक समिति वाणिज्य मंत्री तथा ब्रिटिश व्यापार मंत्री श्री पीटर शोरे के बीच पत्रों के आदान-प्रदान के माध्यम से इस वर्ष जनवरी में श्री पीटर शोरे की भारत यात्रा के दौरान स्थापित की गई थी। इन पत्रों के अनुसार समिति ने दो उप समितियां नियुक्त कीं जिनमें पहली द्विपक्षीय आर्थिक सम्बन्धों के मामलों से सम्बन्धित है तथा दूसरी औद्योगिक सहयोग, प्रोद्योगिकी सहयोग एवं निवेश से सम्बन्धित है।

2. जून, 1976 में मंत्रि-स्तर पर होने वाली भारत-ब्रिटिश आर्थिक समिति की पहली बैठक की तैयारी में दोनों उप-समितियों की बैठकें 5 से 8 अप्रैल, 1976 तक लन्दन में हुई।

3. द्विपक्षीय व्यापार सम्बन्धी उप-समिति की बैठक में दोनों पक्ष सहमत थे कि ब्रिटेन को भारतीय निर्यातों के तथा ब्रिटेन से भारतीय आयातों के विस्तार की गुंजाइश है। इस उद्देश्य से दोनों पक्षों ने कतिपय वस्तुओं के लिए दीर्घावधि सप्लाई प्रबन्धों की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए सहमति व्यक्त की। ब्रिटेन पक्ष ने 1976 के लिए भारतीय रेशम हथकरघों के 200,000 वर्ग गज़ का शुल्क मुक्त कोटा जारी रखने के लिए भी सहमति व्यक्त की। ब्रिटिश पक्ष चाय की खुदरा कीमत के बारे में विशेष रूप से भारत जैसे उच्च ग्रेड की चाय के सप्लायरों के लिए अधिकतम सीमायें निर्धारित करने की अन्तर्राष्ट्रीय उलझनों को भी ध्यान में रखने के लिए भी सहमत हुआ।

4. निवेश तथा प्रौद्योगिकी औद्योगिक सहयोग सम्बन्धी उप-समिति में वे क्षेत्र अभिज्ञात किये गये जिनमें भारत तथा ब्रिटिश फर्में तीसरे देशों में संयुक्त रूप से परियोजनाएं आरम्भ कर सकते हैं। यह महसूस किया गया कि जानकारी के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाने के लिए एक संस्थागत प्रबन्ध की व्यवस्था होनी चाहिए। दोनों देशों में निवेश नीतियों पर सामान्य विचार विमर्श भी हुआ।

5. दो तरफा व्यापार के विस्तार एवं विविधीकरण के लिए कार्यक्रम तैयार करने तथा औद्योगिक एवं प्रौद्योगिकीय क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग सुदृढ़ करने के उद्देश्य से दोनों उप-समितियों की सिफारिशों के निष्कर्षों पर मुख्य समिति द्वारा जून की अपनी बैठक में विचार किया जायेगा।

विदेशी पूंजी निवेश

*627. **श्री प्रबोध चन्द्र :**

श्री पो० गंगा रेड्डी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कुछ चुने हुए क्षेत्रों में विदेशी पूंजी लगाये जाने की अनुमति देने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो विदेशी पूंजी निवेश किन क्षेत्रों तक सीमित रहेगा ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : विदेशी पूंजी लगाए जाने के बारे में सरकार की नीति यह रही है कि केवल खास-खास चुने हुए मामलों में इसकी इजाजत दी जाए और इस नीति का मुख्य उद्देश्य टेक्नालाजी के क्षेत्र की कमियों को पूरा करना और निर्यात बढ़ाना है। सरकार चाहती है कि विदेशी पूंजी ऐसी टेक्नालाजी के आयात का माध्यम बने जो सीधे ही खरीदी नहीं जा सकती या जिसे सीमित अवधि के रायल्टी करार के आधार पर प्राप्त नहीं किया जा सकता।

सरकारी क्षेत्र में क्रय संगठनों की क्रय-व्यवस्था में सुधार किया जाना

2946. **श्री मधु दंडवते :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्रय संगठनों तथा सम्भरण कर्ताओं की समस्याओं का समाधान करने के लिये सरकारी क्षेत्र के सभी क्रय संगठनों के ढांचे, कृत्यों और प्रक्रियाओं में सुधार करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) सरकारी क्षेत्र के सभी क्रय संगठनों द्वारा अपनाए गए ढांचे, कार्यों और प्रक्रियाओं का ओवरहाल करने का इस समय कोई विशेष प्रस्ताव नहीं है । किन्तु कुछ चुने हुए उद्यमों में सरकारी उद्यम कार्यालय के महानिदेशक की अध्यक्षता में मालसूची नियंत्रण सम्बन्धी दो उच्च स्तरीय समितियों द्वारा गहराई से अध्ययन किए जाते हैं तथा उनके किसी तरह के पुनर्गठन एवं कार्यविधिक परिवर्तनों के विषय में इन समितियों की सिफारिशें स्वीकृत हो जाने पर सम्बन्धित सरकारी उद्यमों में लागू की जाती हैं । इसके अलावा सरकारी उद्यमों के क्रय संगठनों द्वारा अपनाए जाने के लिए विभिन्न संगठनात्मक पहलुओं, कार्यों और प्रक्रियाओं के विषय में सरकारी उद्यम कार्यालय द्वारा समय-समय पर मार्ग-निर्देश/अनुदेश जारी किए जाते हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Requirements and Consumption of Standard Cloth

2947. **Dr. Laxminarayan Pandeya**

Will the Minister of **Co mmerce** be pleased to state :

(a) the per capita minimum requirement and consumption of standard cloth at present and the consumption thereof during 1975-76 ;

b) the extent to which production of standard cloth fall short of its per capita requirement add what was the production of Standard cloth during 1975-76; and

(c) the steps taken to meet the shortage.

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwa Nath Pratap Singh)

(a) to (c) : Production of controlled cloth is meant to meet, by and large, the cloth requirements of weaker sections of the population. At the same time their requirements are not confined only to controlled varieties as consumption pattern covers other products like are silk fabrics, blanded fabrics and hosiery goods. The current levels of production of controlled cloth appear adequate to meet the requirements of weaker section of the population for controlled varieties of cloth.

ब्रिटेन द्वारा अपनी विदेश सहायता नीति के बारे में श्वेत पत्र

2948. **श्री नुरुल हुडा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि ब्रिटिश सरकार ने एक श्वेत पत्र जारी किया है जिसमें अपनी विदेश सहायता नीति का उल्लेख है और भारत एवं बंगलादेश जैसे "सर्वाधिक गरीब" देशों को सहायता देने का आश्वासन दिया गया है जिनमें प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 200 डालर से कम है; और

(ख) क्या ब्रिटेन की सरकार ने हाल ही में हमारी सरकार को भी इस प्रकार की कोई सहायता देने की पेशकश की है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी हां । 12 जून, 1975 से ब्रिटेन द्वारा 200 डालर से कम के प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद वाले विकासशील देशों को दी जाने वाली सहायता

अनुदान के रूप में होती है । ब्रिटेन की सहायता नीति में हुए इस परिवर्तन को 29 अक्टूबर, 1975 को ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रकाशित श्वेत पत्र में भी शामिल कर लिया गया है ।

(ख) इस नीति की घोषणा किए जाने के बाद भारत को ब्रिटेन द्वारा 12 करोड़ 68 लाख पौण्ड के अनुदान दिए गए हैं । इसमें 5 करोड़ 56 लाख पौण्ड की परियोजना सहायता, 6 करोड़ पौण्ड की परियोजना भिन्न सहायता और 1 करोड़ 12 लाख पौण्ड की ऋण राहत शामिल है ।

Setting up of Powerlooms in Rural Areas

2949. **Shri Bhagirath Bhanwar :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state whether Government have chalked out any scheme to set up powerlooms for cloth production in the rural areas with a view to providing employment to the workers from rural areas and making these areas self-sufficient and to achieve the objective of decentralisation of industries ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : No, Sir. Government have no such scheme.

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कृषि ऋण के बारे में नियुक्ति विशेषज्ञ ग्रुप द्वारा सुझाये गये प्रशासकीय उपाय

2950. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गठित विशेषज्ञ ग्रूप ने अपने प्रतिवेदन में कृषि ऋण के सम्बन्ध में प्रशासकीय उपायों का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो किसानों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये उनके मंत्रालय ने अब तक कौन-कौन सी सिफारिशें स्वीकार की हैं; और

(ग) इस बारे में उनके मंत्रालय ने क्या उपाय किये हैं और वाणिज्यिक बैंकों को क्या अनुदेश जारी किये गये हैं ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये जाने वाले कृषि ऋणों पर प्रभाव डालने वाले राज्य सरकार के नियमों आदि का अध्ययन करने के लिये भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ दल ने, वैधानिक उपायों के अलावा, राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किये जाने वाले विभिन्न प्रशासनिक उपायों सम्बन्धी कुछ सिफारिशें की हैं । ये प्रशासनिक उपाय, भूमि के हिसाब-किताब को अद्यतन बनाने, फसल पैदा करने वालों और राजस्व-रिकार्डों में दर्ज अन्य अनौपचारिक भागीदारों के हिस्सों का रिकार्ड रखने, कृषकों को पास बुक जारी करने, स्टाम्प शुल्क पंजीकरण फीस, ऋण हीनता के प्रमाणन के प्रभार और एक्वीटेबिल बन्धकों के उत्पत्ति के लिये केन्द्रों की संख्या में वृद्धि से सम्बन्धित हैं । भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक के बार-बार अनुरोध करने पर, अधिकांश राज्य सरकारों ने वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि ऋणों के प्रसार में सुगमता लाने के विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक उपायों को कार्यान्वित करने की कार्रवाई की है ।

मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम का क्रियान्वयन

2951. **श्री मार्तण्ड सिंह :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ख) राज्य में जिलेवार इसकी योजनाओं की क्रियान्वित में क्या प्रगति हुई है ।

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि उसने अन्य क्षेत्रों की तरह मध्य प्रदेश में स्थित अपनी शाखाओं को सलाह दी है कि वे उन व्यक्तियों की, जो सस्ते मूल्य की दुकानें स्थापित करना और चलाना चाहते हैं, दीर्घावधिक वित्तीय आवश्यकतायें पूरी करें और उन भूमिहीन मजदूरों की अत्यावधिक वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करें, जिन्हें सरकार द्वारा भूमि आवंटित की गई है । वे उन मजदूरों को जो बन्धुवा मजदूरी से मुक्त हुए हैं, कृषि से सम्बन्धित उत्पादक गतिविधियों के लिए भी सहायता दें । मध्य प्रदेश स्थित इस बैंक की शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में सोने और चांदी के जेवरों पर ऋण के प्रसार में वृद्धि करने का प्रयास कर रहे हैं, वे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के उनके उत्पादक प्रयासों के वास्ते रियायती दर पर ऋण दे रही हैं । "5 लाख लोगों के लिए रोजगार कार्यक्रम" और ग्रामीण उद्योग परियोजना और इस प्रकार की अन्य योजनाओं के अधीन, छोटे रोजगार के उद्यमों की, इन क्षेत्रों की ऋण की आवश्यकताओं को अधिकाधिक रूप में पूरा करने का प्रयास भी ये शाखाएं कर रही हैं । बैंक ने यह भी सूचित किया है कि उसने मध्य प्रदेश में अपनी कृषि विकास शाखाओं द्वारा कार्यान्वयन के लिये लघु सिंचाई विकास योजनाएं तैयार की हैं । बैंक ने कोसा बुनकरों के वित्त पोषण के लिए मध्य प्रदेश सूती वस्त्र निगम से प्रबन्ध किये हैं । इसके साथ ही साथ हथकरघा बुनकरों के लिए प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता भी शुरू की गई है ।

विभिन्न क्षेत्रों में 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के लाभान्वितों का पता लगाने और उन्हें सहायता पहुंचाने के लिए भी बैंक राज्य जिला अधिकारियों से निकट का सम्पर्क रख रहा है ।

(ख) यथा सम्भव सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

पंजाब में होटलों का निर्माण

2952. **सरदार मोहिन्दर सिंह गिल** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में सम्पूर्ण देश में ऐसे होटल बड़ी संख्या में बनाये जायेंगे जो विदेशी पर्यटकों के ठहरने के लिए उपयुक्त होंगे; और

(ख) यदि हां, तो पंजाब में ऐसे कितने होटल कहां-कहां बनाये जायेंगे ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी, हां । भारत पर्यटन विकास निगम, जो कि एक सरकारी उद्यम है, की पांचवीं पंचवर्षीय योजना में, देश में पर्यटक महत्व के कई स्थानों पर विदेशी पर्यटकों के लिये उपयुक्त होटलों, मोटलों तथा कुटीरों के निर्माण की व्यवस्था सम्मिलित है । निजी क्षेत्र को भी इस वर्ग के और अधिक होटल बनाने के लिये कर-सम्बन्धी राहतों, संस्थागत ऋण के रूप में वित्तीय सहायता, अनिवार्य आवश्यकताओं के मामले में प्राथमिकता, आदि के रूप में कई प्रकार के प्रेरणाप्रद प्रोत्साहन दिये जाते हैं ।

(ख) भारत पर्यटन विकास निगम की आवास परियोजनाओं में, पंजाब में अमृतसर में एक 50 कमरों वाले 2-स्टार मोटल के बनाने की योजना है । किन्तु परियोजना के कार्यान्वयन का कार्य, निधियों के उपलब्ध होने तथा सन्तोषजनक व्यवहार्यता अध्ययन हो जाने की अवस्था में ही, हाथ में लिया जाएगा ।

फिल्म उद्योग में काम करने वाले व्यक्तियों के पास काला धन और आभूषण

2953. **श्री प्रियरन्जन दास मुंशी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय फिल्म उद्योग में काम करने वाले कुछ व्यक्तियों, जैसे स्टुडियो-मालिकों या निर्माताओं अथवा निदेशकों और वितरकों के पास काला धन और आभूषण मिले हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) विनिर्दिष्ट वर्गों के व्यक्तियों के सम्बन्ध में पूरे ब्यौरे तत्काल उपलब्ध नहीं हैं । वर्तमान सूचना के अनुसार बम्बई सिटी, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के आयकर आयुक्तों के अधिकार-क्षेत्रों में वित्तीय वर्ष 1973-74, 1974-75 और 1975-76 में आयकर प्राधिकारियों ने फिल्म उद्योग से सम्बन्धित व्यक्तियों के 12 मामलों में, तलाशियां लेने और माल पकड़ने की कार्यवाहियां कीं । इनमें नकदी, जेवर-जवाहिरात, चांदी के बर्तन और बही-खाते आदि पकड़े गये हैं । विधि सम्मत अपेक्षित कार्यवाही की गयी है अथवा की जा रही है ।

31 मार्च, 1976 को समाप्त हुए गत चार वित्तीय वर्षों में फिल्म उद्योग से सम्बन्धित 13 मामलों में, आय छिपाने अथवा भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराधों के लिये अभियोग चलाये गये हैं ।

अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर उड़ानों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए समिति

2954. **चौधरी राम प्रकाश :**
श्री पी० गंगारेड्डी

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने विदेशी विमान सेवाओं की समय सारणी में उपयुक्त सामंजस्य की सिफ़ारिश करने के लिए एक स्थायी समिति नियुक्त की है ताकि दिल्ली और बम्बई जैसे अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर अधिक विमान एक साथ एकत्र न हों;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के सदस्य कौन हैं और उनके कृत्य क्या हैं; और

(ग) विशेषकर दिल्ली और बम्बई में उड़ानों के समय में फेर-बदल किया जाने वाला है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां । अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर उड़ानों की एक साथ भीड़ हो जाने की समस्या का अध्ययन करने के लिए सरकार ने एक स्थायी केन्द्रीय समयावली निर्धारण समिति का गठन किया है ।

(ख) समिति का गठन एवं कार्य इस प्रकार हैं :—

गठन :

नागर विमानन का उपमहानिदेशक, नई दिल्ली	—अध्यक्ष
परिचालन प्रमुख, भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली	—सदस्य
समयावली समन्वयकर्ता, एयर इण्डिया, बम्बई	—सदस्य
उप निदेशक, विनियम एवं सूचना, नागर विमानन विभाग	—सदस्य सचिव

कार्य :

इस दृष्टि से कि प्रस्तावित समयावली विमान क्षेत्रों की क्षमता सीमाओं के अन्तर्गत ही है, बम्बई और दिल्ली में अनुसूचित अन्तर्राष्ट्रीय बिमान सेवाओं का परिचालन करने वाली समस्त एयरलाइनों की समयावलियों के प्रारूप की जांच करना ।

ऐसा पता लगाने के परिणामस्वरूप कि किसी अवधि विशेष में भूमि पर एक साथ विमानों की संख्या इतनी अधिक होगी कि वह सम्बन्धित विमानक्षेत्र की क्षमता की सीमाओं से कहीं बढ़ जायेगी, समिति में एयर इण्डिया के प्रतिनिधि को परामर्श देना कि वह एयरलाइनों को अपनी-अपनी समयावलियों में उचित परिवर्तन करने के लिये राजी करें ।

बम्बई तथा दिल्ली की विमानक्षेत्र उपयोग समिति द्वारा प्रस्तुत की गयी सिफारिशों पर की गयी कार्यवाही की यथावश्यक रूप से समीक्षा करना ।

(ग) समस्त विमान वाहक अपनी समयावलियों पर विचार-विमर्श करने के लिए वर्ष में दो बार अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संगठन के तत्वावधान में बैठक करते हैं । एयर इण्डिया का प्रतिनिधि, जो समयावलियों को क्लीयर करने के लिए इन बैठकों में भाग लेता है, समन्वय कार्य करता है तथा नागर विमानन के महानिदेशक तथा भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण से प्राप्त अनुदेशों के आधार पर समयावलियों में यथोचित परिवर्तनों एवं रद्दोबदल का सुझाव देता है । वर्ष 1976-77 की शीतकालीन समयावलि पर आई०ए०टी०ए० की आगामी समयावलि विषयक बैठक में 1 से 4 जून, 1976 तक विचार-विमर्श किया जाएगा । भारत से होकर जाने वाले वाहक अपनी समयावलियां बैठक से दो सप्ताह पूर्व एयर इण्डिया के प्रतिनिधि को प्रस्तुत करेंगे जो इन समयावलियों पर नागर विमानन के महानिदेशक तथा भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ विचार-विमर्श करेगा और भारत में किसी भी विमानक्षेत्र पर, जहां किसी निर्दिष्ट समय पर उड़ानों की भीड़ की सम्भावना हो, यथावश्यक परिवर्तनों की आवश्यकता के बारे में वाहक को सूचित करेगा ।

Export of powerloom cloth from Madhya Pradesh

2955. **Shri Hukam Chand Kachwai :**

Shri G.C. Dixit :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether powerloom cloth from various towns in Madhya Pradesh was exported during 1974, 1975 and 1976 (upto March) and if so, the quantity exported and the value thereof, yearwise; and

(b) whether Government propose to evaluate any export policy to ensure increased export of powerloom cloth, and if so, when this is likely to be finalised ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : (a) Powerloom cloth is produced in some towns of Madhya Pradesh and part of this production is exported. As export figures for cotton textile items are maintained on all India basis, separate figures in respect of powerloom cloth exported from Madhya Pradesh are not available.

(b) No separate scheme exclusively for export of powerloom cloth is under consideration as schemes for export promotion of mill-made cotton textiles are applicable to powerloom cotton textiles as well. A separate panel for powerlooms has been recently constituted by the Cotton Textile Export Promotion Council to evolve the strategy for export promotion of cotton powerloom textiles.

Request made by Madhya Pradesh Government for funds to implement 20-point Economic Programme

†2956. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether Madhya Pradesh Government have made any request for funds for speedy implementation of 20-point economic programme in the State; and

(b) if so, the reaction of this Ministry thereto ?

The Minister of Finance (Shri C. Subramaniam) : (a) and (b) The State Government had asked for assistance to cover a resource shortfall in 1975-76 occassioned by expenditure on the 20-point programme and other factors. The entire resource position of the State Government for 1975-76 and 1976-77 has been taken into account while finalising the financing of the annual Plan of the State.

बम्बई-कोल्हापुर वायु मार्ग पर वायु सेवा प्रारंभ करना

2957. **श्रीमती प्रेमला बाई :**
दाजी साहेब चव्हाण :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बम्बई-कोल्हापुर मार्ग को गैर-सरकारी चालकों को देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो वायु सेवा किस तारीख तक प्रारम्भ की जायेगी और गैर-सरकारी चालकों द्वारा कितने-कितने समय पर वायुयान सेवा उपलब्ध की जायेगी?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) बम्बई कोल्हापुर उन नौ मार्गों में से एक नहीं है जिनको निजी चालकों द्वारा विमान सेवा परिचालन के लिये पेश किया गया था। तथापि, क्योंकि इंडियन एयरलाइंस इस मार्ग पर अपनी सेवा का परिचालन नहीं करती, इस मार्ग पर किसी निजी चालक द्वारा विमान सेवा परिचालित किये जाने के बारे में कोई आपत्ति नहीं है।

एयर वर्क्स (इंडिया) बम्बई को 26-1-1976 से बम्बई और कोल्हापुर के बीच दैनदिन कार्गो सेवा परिचालित करने की अनुमति दी गई थी, किन्तु उन्होंने वास्तव में कोई भी सेवा परिचालित नहीं की।

बिहार में पर्यटक केन्द्रों का विकास

2958. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1974-75 के दौरान बिहार में पर्यटन आकर्षण के जिन महत्वपूर्ण केन्द्रों का विकास किया उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) उन पर्यटन केन्द्रों के नाम क्या हैं जिनका विकास किया जा सकता है; और

(ग) सरकार का उनके विकास के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग) केन्द्रीय क्षेत्र में उन पर्यटक केन्द्रों के विकास पर बल दिया गया है जो भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक

यातायात को आकृष्ट करते हैं। इसे दृष्टि में रखते हुए, बिहार में विकसित किए जा रहे पर्यटक केन्द्र हैं पटना तथा कुछ चुने हुए बौद्ध केन्द्र जैसे बोध गया, राजगिर तथा नालन्दा जोकि बौद्ध केन्द्रों से काफी अधिक संख्या में तीर्थ यात्रियों को आकृष्ट करते हैं।

1974-75 में पर्यटन विभाग ने राजगिर तथा नालंदा की मास्टर प्लान (भू-प्रयोग योजनाएं) तैयार करना प्रारंभ कर दिया क्योंकि इन स्थानों में सुविधाओं के नियमित विकास के लिए यह एक पूर्वापेक्षा है। ये मास्टर प्लान 1976-77 के दौरान पूरी हो जाएंगी।

भारत पर्यटन विकास निगम ने पटना में अपने स्वागत केन्द्र-व-होटल के निर्माण पर 13.70 लाख रुपए खर्च किए जोकि लगभग 63 लाख रुपए की लागत से 1976-77 में पूरा हो जायेगा। भारत पर्यटन विकास निगम का पांचवीं योजना के दौरान बोध गया में अपने यात्री लॉज का भी विस्तार करने का प्रस्ताव है।

राज्यों में केन्द्रीय ऋण की बकाया राशि वसूल करना

2959. **श्री समर गुह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों पर केन्द्रीय ऋण या उनके ओवरड्राफ्ट में 1973-75 के वर्षों में जो वृद्धि या कमी हुई है, उसके बारे में तथ्य क्या हैं; और

(ख) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से ऐसा ऋण वसूल करने या ओवरड्राफ्ट लेना समाप्त करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ख) पहली मई, 1972 से लागू की गई ओवरड्राफ्ट रेग्युलेशन स्कीम के अधीन रिजर्व बैंक से लिए गए ओवरड्राफ्टों को बजट सम्बन्धी साधन नहीं माना जाता और यदि किसी राज्य का, बैंक के साथ लगातार सात दिन से अधिक समय तक ओवरड्राफ्ट रहता है तो उसके भुगतानों को रोका जा सकता है।

विवरण

निम्नलिखित तारीखों को राज्यों के ओवरड्राफ्टों की स्थिति का विवरण

(करोड़ रुपये)

राज्य	31-3-74	31-3-75
1	2	3
1. असम	13.83	—
2. बिहार	49.14	96.49
3. गुजरात	—	2.81
4. हरियाणा	4.17	10.09
5. हिमाचल प्रदेश	—	7.39
6. कर्नाटक	11.67	—
7. केरल	23.48	5.26

1	2	3
8. मध्य प्रदेश	0.60	8.47
9. मणिपुर	2.05	0.91
10. मेघालय	0.28	—
11. उड़ीसा	—	5.83
12. पंजाब	19.54	22.93
13. राजस्थान	1.02	11.54
14. उत्तर प्रदेश	20.75	99.55
15. पश्चिम बंगाल	12.22	—
जोड़	158.75	271.27

मछली का निर्यात

2960. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

भारत के विभिन्न पत्तनों से वर्ष 1975–76 के दौरान, पत्तन-वार, कितने मूल्य की मछली निर्यात की गई?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : 1975–76 के दौरान भारत से निर्यात किये गये समुद्री उत्पादों का मूल्य पत्तनवार निम्नोक्त प्रकार है :

पत्तन का नाम	(मूल्य लाख रुपये में)
कोचीन	6759
बम्बई	1595
मद्रास	1595
मंगलौर	941
कलकत्ता	646
रत्नगिरी	233
विशाखापतनम	185
बीरबल	227
पारादीप	157
तूतीकोरीन	63
कालीकट	3
काकीनादा	बहुत कम
नागपतिनम्	11
योग	12,416

राजस्थान में अफीम की खेती

2961. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजस्थान में आम तौर पर अफीम की खेती करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान कितने रकबे में अफीम की खेती की गई है?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) अफीम पोस्त, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश राज्यों के अलावा राजस्थान में, सरकारी लाइसेंस प्रणाली के अन्तर्गत, परम्परागत रूप से उगाई जाती रही है । तथापि, विश्व में भारतीय अफीम की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए सरकार उपर्युक्त तीन राज्यों में पोस्त की खेती के रकबे को बढ़ाने के लिए कुछ प्रयत्न कर रही है ।

(ख) राजस्थान में चालू वर्ष के दौरान लगभग 15,856 हैक्टेयर जमीन के रकबे पर अफीम की खेती की गई है ।

भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम

2962. **श्री राम सहाय पांडे :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम के पास धन का अभाव है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) जी नहीं । सरकार द्वारा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के परामर्श से इस निगम के कार्यचालन के लिये कोष की आवश्यकताओं की निरंतर समीक्षा की जाती है । सरकार ने इस निगम को बजट में सहायता प्रदान की है क्योंकि यह अपने साधनों को, अपनी पूंजी बढ़ाकर या बाजार से ऋणों द्वारा नहीं बढ़ा सकता है ।

इस निगम की 31-3-1976 तक की कोष-स्थिति यह है कि इसके पास 31 करोड़ रुपये के संसाधन हैं जिनमें से कुल 30.84 करोड़ रुपये के वायदे हैं (24.32 करोड़ रुपये के वास्तविक वितरणों सहित) केन्द्रीय सरकार ने 1976-77 के बजट में इसे 2.50 करोड़ रुपये की राशि केन्द्रीय ऋण के रूप में प्रदान की है ।

Outstanding amount of Bank Loans against Public Sector undertakings

2963. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state;

(a) whether industrial units in public sector have been suffering heavy losses as a result of which they are unable to repay bank loans;

(b) if so, the number of such units and the amount outstanding against each; and

(c) the measures proposed by Government to run these units on sound lines ?

The Minister of State in charge of Deptt. of Rev. & Banking (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) and (b) Central Government public sector undertakings generally take loans from commercial banks to finance their working capital requirements on cash-credit basis, by hypothecating their current assets, with or without the backing of Government guarantee. Under the cash-credit system, the borrowers are authorised to draw loan-funds from banks up to a certain limit, without being called upon to repay them, in any pre-determined manner. Certain public sector units enjoying such cash-credit facilities, have been suffering losses. However, there is no instance where any unit has failed to meet its commitments to the banks.

(c) Government has already taken a number of steps to run, on sound lines, undertakings which are making losses by aiming at :

(i) increase in productivity;

(ii) reduction in idle time and cost of production;

(iii) reduction in rejections ; and

(iv) better industrial relations.

Development of Silk Worm

2964. **Shri K.M. Madhukar :**

Shri Shankar Rao Savant :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the success achieved by Central Tusser Research Centre, Ranchi in producing hybrid silk worms which has opened avenues for great success in silk industry;

(b) if so, whether any action has so far been taken by Government for the development of this silk worm of a new variety; and

(c) if so, the facts thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The Central Tasar Research Station, Ranchi, has evolved a special hybrid strain of silk worm which can be fed on oak plants. These plants are available in abundance in the Sub-Himalayan belt streching from Jammu & Kashmir in the west to Manipur in the east. The strain is of great importance, as it has paved way for commercial exploitation of oak plantation which was hitherto left unutilised.

2. In order to speed up the developmental activities in the Sub-Himalayan belt and also to solve local problems that may crop in at the developmental stages, the Central Silk Board has taken the following steps :—

(i) Three Regional Research Stations at Imphal (Manipur), Bhimtal (U.P.) and Batote (Jammu) have been set up. These regional stations started functioning in the year 1970.

(ii) 120 matriculates and 60 graduates, sponsored by the State Governments have been trained so far, to take up tasar culture in the States.

3. The Government of Manipur has taken up a project of considerable magnitude for exploitation of the oak plantation in the State on the recommendations of the Central Silk Board. The State Government has fixed a production target of 1 lakh kgs. of oak tasar silk by the end of the Fifth Plan.

4. The State Governments of Uttar Pradesh, Himachal Pradesh and Jammu & Kashmir are contemplating to set up similar projects in their respective States.

दोषी कपड़ा मिलें

2955. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी कपड़ा मिलों की संख्या कितनी हैं और उनके नाम क्या हैं जो गत वर्ष के दौरान कन्ट्रोल का कपड़ा तैयार करने के अपने दायित्व को पूरा न करने की दोषी पाई गई हैं;

(ख) क्या किन्हीं मिलों ने कन्ट्रोल के कपड़े के लिये निर्धारित विनिर्देश से कम स्तर का कपड़ा तैयार किया है और यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं; और

(ग) ऐसी दोषी मिलों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

सरकारी उपक्रमों का उत्पादन

2966. **श्री बालकृष्ण वेन्कन्ना नायक** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के उन औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उपक्रमों के नाम क्या हैं जिन में एक हजार करोड़ रुपये प्रतिवर्ष से अधिक मूल्य का उत्पादन होता है;

(ख) क्या उनका विकेन्द्रीकरण का विचार है;

(ग) क्या इन सरकारी उपक्रमों के कार्य-क्षेत्र और लाभप्रदता एवं उपयोगिता तथा सेवा के सम्बन्ध में सरकारी उद्यम ब्यूरो ने कोई अध्ययन आरम्भ किया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) 1975-76 के कार्य-निष्पादन के अनन्तिम अनुमानों के अनुसार 1000 करोड़ रुपये से अधिक की कुल वार्षिक बिक्री सरकारी क्षेत्र के निम्नलिखित उद्यमों की रही :—

(क) भारतीय तेल निगम लिमिटेड तथा भारतीय खाद्य निगम।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

अमृतसर में छापे

2967. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) उन व्यक्तियों और फर्मों के नाम क्या हैं, जिनके कार्यालयों और आवासों पर मार्च, 1976 में अमृतसर में छापे मारे गये थे;

(ख) कितना मात्रा में विदेशी और भारतीय मुद्रा बरामद की गई और विदेशों में उनकी सम्पत्ति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) अमृतसर में मैसर्स ज्यूअल हाउस और 'ऐवरीबडीज़ कार्नर' के व्यापारिक परिसरों और श्री हीरालाल के आवासीय परिसरों में, सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा मार्च, 1976 में छापे मारे गये।

अमृतसर में श्री मोहनलाल के पुत्र श्री मनोहर लाल के व्यापारिक तथा आवासीय परिसरों में भी मार्च, 1976 में सीमाशुल्क अधिनियम और स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम के अधीन छापे मारे गये ।

श्री पवन कुमार के आवासीय परिसरों में मार्च, 1976 में विदेशी मुद्रा प्रवर्तन प्राधिकारियों द्वारा छापा मारा गया था ।

आय कर विभाग ने मार्च 1976 में अमृतसर में कोई छापा नहीं मारा है ।

(ख) तथा (ग) सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा अमृतसर में मारे गये छापों के कारण मैसर्स ज्यूअल हाउस व्यापारिक परिसर से 4,800 रु० मूल्य का और 'ऐवरीबडीज़ कार्नर' के व्यापारिक परिसर से 4,600 रु० मूल्य का संश्लिष्ट कपड़ा, इलैक्ट्रानिक का सामान और सौंदर्य-प्रसाधन सामग्री जैसा निषिद्ध माल पकड़ा गया । उपर्युक्त दोनों फर्मों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है । श्री हीरालाल और श्री मोहनलाल के पुत्र श्री मनोहरलाल के निवास स्थान पर मारे गये छापों में कोई माल नहीं पकड़ा गया ।

विदेशी मुद्रा प्रवर्तन प्राधिकारियों द्वारा श्री पवन कुमार के आवासीय परिसरों पर मारे गये छापे में कोई विदेशी अथवा भारतीय मुद्रा नहीं पकड़ी गयी । किन्तु, मामले की अभी भी जांच हो रही है और यदि प्रथमदृष्ट्या, अधिनियम का किसी प्रकार से उल्लंघन सिद्ध होता है तो विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत यथा अपेक्षित कार्यवाही की जायेगी ।

खनिज धातु व्यापार निगम द्वारा उर्वरकों की खरीद

2968. **श्री नरसिंह नारायण पांडे** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज और धातु व्यापार निगम भारत सरकार के एक निर्णय के अनुसार प्रथम अगस्त, 1975 से पूर्व यूरोपीय देशों के अलावा, अन्य देशों से उर्वरकों की खरीद कर रहा है;

(ख) क्या उर्वरकों की खरीद सीधे ही विदेशी निर्माताओं से करने का कोई निर्णय सरकार द्वारा किया गया है ताकि बिचौलियों, एजेंटों तथा सलाहकारों को बीच में से हटाया जा सके; और

(ग) क्या भारत द्वारा वर्ष 1976 में उर्वरकों की खरीद वुड वार्ड डिकर्सन, अमरीका, प्लांट एण्ड फूड इन्टरनेशनल इन्क, अमरीका, और एग्रीकल्चरल एण्ड इन्डस्ट्रीयल (लक्शमवर्ग) तथा अन्य कम्पनियों के माध्यम से की गई थी; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और भारत में इसके लिये अलग-अलग लागत बीमा और भाड़े सहित कितना मूल्य अदा किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हाँ ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) जी हां । इन पार्टियों से उर्वरकों की खरीद यथासम्भव सर्वोत्तम कीमतों पर की गई है । उनको दी गई कीमतों को बताना निगम के व्यापारिक हित में नहीं होगा ।

कपड़ों पर उसका मूल्य छापना

2969. **श्री के० प्रधानी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाजार में बिकने वाले सभी किस्मों के कपड़े के प्रत्येक मीटर पर 1 अप्रैल, 1976 में उसका मूल्य छपा होता है;

(ख) कपड़े के मूल्य पर नियन्त्रण रखने के लिये क्या-क्या मार्गदर्शी सिद्धान्त हैं; और

(ग) क्या दोषी व्यक्तियों के लिये किसी दण्ड की व्यवस्था है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) बजट के भाग के रूप में इस विनिश्चय की घोषणा की गई है कि वस्त्र मिलों को कपड़े के प्रत्येक मीटर पर उपभोक्ता कीमतें छापना जरूरी होगा। इस विनिश्चय को अमल में लाने के लिये परिचालन प्रबन्धों को उचित रूप से संगठित करना जरूरी है। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

कृषिजन्य माल और औद्योगिक माल के मूल्यों में फुटकर गिरावट

2970. **श्री भोगेन्द्र झा :**

चौधरी नीतिराज सिंह :

श्री समर गुह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976-77 के बजट पेश किये जाने के बाद, उसमें व्यापारियों और उद्योगपतियों को दी गई रियायतों और राहतों के परिणामस्वरूप विभिन्न आवश्यक वस्तुओं विशेषकर कृषि उत्पादों और औद्योगिक उत्पादों के खुदरा मूल्यों में वास्तव में कितनी गिरावट आई है; और

(ख) कृषि-माल और औद्योगिक माल के मूल्यों में संतुलन सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) 1976-77 के बजट में जो राहतें दी गई हैं, उनका मुख्य उद्देश्य रोजगार को बनाए रखना और स्थापित क्षमता का अधिक-से-अधिक उपयोग करना है। ऐसी सूचना मिली है कि साबुनों और डिटेर्जेंटों, एल्युमीनियम के बर्तनों, प्रेशर कुकरों और कुछ किस्मों के ड्राई सेलों, सिगरेटों, बिजली के पंखों, रेफ्रीजरेटरों और टेलीविज़नों की कीमतें कम हो गई हैं।

(ख) 1972-73 और 1973-74 के दौरान कृषि वस्तुओं और औद्योगिक वस्तुओं के बीच संतुलन गंभीर रूप से बिगड़ गया था। लेकिन अक्तूबर, 1974 से कृषि की वस्तुओं की कीमतों में कमी होने से अब यह संतुलन फिर ठीक हो गया है। तथापि सहायक मूल्यों/वसूली मूल्यों द्वारा तथा उर्वरकों जैसी खेती के काम आने वाली वस्तुओं की कीमतों में कमी करके किसानों के हितों की रक्षा की जा रही है।

तेल की खोज के लिए विश्व बैंक से सहायता

2971. **श्री के० लकप्पा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक का विचार विकासशील देशों को तेल की खोज करने के लिये सहायता देने का है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित सहायता से हमारे देश को कितना लाभ होने की सम्भावना है?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) हमें ऐसे किसी निर्णय की जानकारी नहीं है।

(ख) यह सवाल पैदा नहीं होता।

युगोस्लाविया द्वारा रेल वैगनों की खरीद

2972. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूगोस्लाविया सरकार रेल वैगनों की खरीद के लिये भारत सरकार के साथ बातचीत कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

"Weavers' Village" in Delhi

2973. **Shri Chandra Shailani** : Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up a "weavers' village" for weavers in Delhi;

(b) if so, the main features of the scheme in this regard; and

(c) the action so far taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : (a) and (b) A scheme to set up a Weavers' Village for handloom weavers in Delhi has been received from the Delhi Administration. The main features of the scheme are as under:—

In the first phase residential-cum-work facilities are to be provided to 200 selected weaver families and in the second phase another 300 families will be provided similar facilities. 50% of the cost of construction of these buildings are to be subsidised. Low economic rent worked out after 50% subsidy would be charged for these residential-cum-workhouses. It is proposed to provide residential accommodation in the ground floor and the workshop on the first floor. The weavers will be provided with common facilities like dye-house, training-cum-design centre, raw material depot and sales depot/show-room and also assistance to modernise their looms. The Weavers' Village will be provided with a school, a hospital and Post Office by respective departments who will be provided land in the adjoining area under the scheme. The whole cost of the 1st phase of the project is estimated to be Rs. 62.5 lakhs.

(c) The above scheme received from the Delhi Administration is under consideration.

सस्ते वस्त्रों का उत्पादन

2974. **श्री वयालार रवि** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सस्ते वस्त्रों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिये कोई प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : जी नहीं।

Export of Rock Phosphate

2975. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) the amount of foreign exchange earned from the export of rock phosphate during the last three years, year-wise; and

(b) whether for certain reasons Government propose to ban its export ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : (a) There were no exports of rock phosphate in 1972-73 and 1973-74. Export earnings during 1974-75 amounted to Rs. 37,000.

(b) There is no such proposal under consideration.

संयुक्त उपक्रमों के बारे में युगोस्लाविया के साथ समझौता

2976. **श्री जगन्नाथ मिश्र** :

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में संयुक्त उपक्रमों के बारे में युगोस्लाविया के साथ कोई समझौता किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) यूगोस्लाविया के साथ संयुक्त उद्यमों सम्बन्धी किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं। तथापि, तीसरे देशों में भारत युगोस्लाविया सहयोग की संभावनाओं पर कुछ समय से द्विपक्षीय विचार-विमर्श चलता रहा है । भारत युगोस्लाविया संयुक्त समिति की जो बैठक हाल ही में बैलग्रेड में (29 फरवरी से 4 मार्च, 1976 तक) हुई थी, उसमें तीसरे देशों में भारत-युगोस्लाविया सहयोग के लिये कतिपय परियोजनाओं को चुना गया था । ये परियोजनाएं मुख्यत: डाकयार्ड निर्माण, सीमेंट तथा बुलडोज़र/ट्रैकटरों के विनिमार्ण के क्षेत्रों में थी।

एयर इण्डिया की 'सुपरसॉनिक' विमान यात्रा के क्षेत्र में प्रवेश करने की योजना

2977. **श्री ब्रजराज सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया की 'सुपरसॉनिक' विमान यात्रा के क्षेत्र में प्रवेश करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो एयर इंडिया को, 'सब-सॉनिक' उड़ानों की तुलना में, विशेषकर जिनकी भारत में वर्तमान सीमाशुल्क निकासी प्रक्रियायें बहुत कष्टप्रद हैं, सुपरसॉनिक यात्रा को तरजीह देने वाले विशिष्ट वर्ग के यात्री मिलने की क्या संभावनाएं हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उन देशों के साथ 'ज्वाइंट एम्बार्केशन एण्ड डिस-एम्पार्केशन कस्टम क्लियरेंस' प्रणाली के लिये बातचीत करने का है जहां से अधिकांश यात्री भारत को आते हैं, जिससे गन्तव्य स्थान वाले हवाई अड्डे पर पहुंचने पर पर्यटक सीमा शुल्क निकासी कूपन देकर, यदि उसने यात्रा के दौरान शुल्क दिये जाने वाली कोई वस्तु नहीं खरीदी हो, सीमा शुल्क जांच स्थल से बाहर जा सकता है; और

(घ) यदि इस प्रणाली को लागू किया जाये तो भारत को आने वाले पर्यटकों के यातायात में वृद्धि की क्या संभावनाएं हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री रोज बहादुर) : (क) और (ख) एयर इंडिया का फिलहाल सुपरसॉनिक विमान प्राप्त करने का कोई विचार नहीं है ।

(ग) और (घ) उचित प्राधिकारियों के साथ परामर्श कर के "कस्टम्स क्लीयरेंस प्रोसीजर" को सरल एवं सुव्यस्थित बनाने के निरंतर प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

प्राकृतिक रबड़ का मूल्य

2978. **श्री सी० एच० मोहम्मद कोया :**

श्री वरके जार्ज :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राकृतिक रबड़ के लिये समर्थन मूल्य को बनाये रखने के बारे में सरकार का कोई दीर्घावधि कार्यक्रम है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) रबड़ की कीमतें स्थिर करने की समस्या से सरकार अवगत है तथा मामले पर निरन्तर विचार किया जा रहा है ।

New Export Policy

2979. **Shri Ramavatar Shastri :**
Shri K. M. Madhukar :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Government have formulated any new export policy;

(b) if so, the salient features thereof; and

(c) the benefit likely to accrue to the export trade as a result thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : (a) to (c) The country's export policy is continuously kept under review and suitable changes are made from time to time in accordance with the prevailing internal and international conditions. Among the recent measures taken mention may be made of the liberalisation of export controls in respect of a number of items, strengthening the production base of export oriented industries, identification of areas and items with export potential, simplification of procedures for issue of import licences, abolition of export duty on jute manufactures, refund of excise and customs duty through commercial banks, waiver of customs duty on advance import licences, announcement of an export oriented import policy for 1976-77, etc. These measures are expected to help the country to realise the export target set for the year.

सोने के आभूषणों का निर्यात

2980. **श्री भाउसाहेब धामनकर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों से सोने के आभूषणों के लिये बहुत बड़ी संख्या में क्रयादेश प्राप्त हो रहे हैं हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इन क्रयादेशों में सोने के आभूषणों में सोने का कितना तत्व होता है और गत दो वर्षों की तुलना में वर्ष 1976 में इससे कितनी विदेशी मुद्रा की आय होगी; और

(ग) भारत में आरक्षित स्वर्ण का मूल्य क्या है और क्या सोने के आभूषणों के निर्यात-आदेशों से देश की आरक्षित स्वर्ण निधि पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) सोने के गहनों के निर्यात पर भारतीय रिजर्व बैंक का नियंत्रण रहता है। और ऐसी निर्यात के लिए सीमित आधार पर ही मंजूर दी जाती है । वर्ष 1974 और 1975 के दौरान सोने के गहनो के निर्यात से प्रत्येक वर्ष 20 लाख रुपए से अधिक की विदेशी मुद्रा की आमदनी हुई । निर्यात किए गए गहनों में सोने का अंश गहनों के मूल्य के 50 प्रतिशत से अधिक होता है । आशा है कि 1976 में गत दो वर्षों की तुलना में अधिक आर्डर प्राप्त होंगे लेकिन इस समय इनका ठीक-ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता ।

(ग) देश की प्रारक्षित विदेशी मुद्रा के भाग के रूप में रखे गए सोने का मूल्य 182.53 करोड़ रुपये बैठता है । निर्यात के लिए सोने के गहने तैयार करने के काम में इस्तेमाल किए जाने वाले सोने के प्रारक्षित भंडार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि इस प्रयोजन के लिए बाजार में उपलब्ध सोने को ही काम में लाया जाता है ।

कपड़े का निर्यात लक्ष्य

2981. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वित्तीय वर्ष के लिये 400 करोड़ रुपये मूल्य के कपड़े का निर्यात लक्ष्य रखा गया है;

(ख) क्या इस बारे में कपड़ा उद्योग का एक शिष्टमण्डल उनसे मिला था; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

आयकर निपटान आयोग

2982. **श्री के० मालन्ना :**

श्री एस० आर० दामाणी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मामले निपटाने के लिये तथा कर निर्धारण कार्यवाही के किसी भी स्तर पर कर निर्धारण के लिये करदाताओं के आवेदन पत्रों पर निर्णय करने हेतु आयकर निपटान आयोग स्थापित करने का निर्णय किया है; और

(ख) य.दे हां, तो इस उच्च शक्ति प्राप्त आयोग के गठन तथा कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां ।

(ख) समझौता आयोग में एक अध्यक्ष और दो अन्य सदस्य होंगे । आयोग का एक पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है । आयोग के सदस्यों की नियुक्ति होने तक, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के दो सदस्यों को, अपने स्वयं के कार्य के अतिरिक्त, आयोग के सदस्यों के रूप में काम करने के लिए नियुक्त किया गया है ।

आय कर/धन कर समझौता आयोग का कार्य, आय कर अधिनियम 1961 के अध्याय XIX-ए और धन कर अधिनियम 1957 के अध्याय V-ए के अधीन मामलों का निपटान करना होगा ।

जमा हुए भण्डार का निपटान करने के लिए व्यापार को धन की उपलब्धता

2983. **चौधरी नीतिराज सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापार में मंदी और व्यापारिक क्षेत्रों में भारी मात्रा में भण्डार जमा हो जाने को ध्यान में रखते हुए, जमा हुए भण्डार का निपटान करने के लिए सामान के निर्यात को बढ़ावा देने और व्यापार के लिये धन उपलब्ध करने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उद्योगों को नष्ट होने से बचाव के लिए सरकार का क्या अन्य उपाय करने का विचार है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) अर्थव्यवस्था में कोई सामान्य (आम) मन्दी नहीं है। लेकिन, उद्योग के केवल कुछ क्षेत्रों में मांग कम हो जाने की प्रवृत्ति देखने में आई है। जहां भी आवश्यकता प्रतीत हुई है, रिजर्व बैंक ने बैंक-ऋण विषयक वस्तु-सूची (इन्वैन्टरी) सिद्धान्तों को उदार बना दिया है। "इन्वैन्टरी" सिद्धान्तों में ही दी गई छूट के परिणामस्वरूप, प्रभावित क्षेत्रों में अधिकाधिक बैंक-ऋण प्रसार की संभावना है। लेकिन, बैंकों के सीमित साधनों एवं उनकी विभिन्न प्रतिस्पर्धी मांगों को ध्यान में रखते हुए, वाणिज्यिक बैंकों के लिये संचित स्टाकों (भंडारों) पर एक अनिश्चित अवधि के वास्ते भारी मात्रा में रकम जुटाना संभव नहीं है। केवल बैंकों द्वारा दी जाने वाली सहायता ही उस उद्योग की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती जिसके समक्ष मांग की कमी की समस्या है।

Payment of overtime allowance to Government employees during 1975

2984. **Shri M. C. Daga :**
Ch. Ram Prakash :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount paid as overtime allowance to Government employees in 1975-76, department-wise; and

(b) the amount, Government have saved as a result thereof during the above period as compared to previous year ?

The Minister of Finance (Shri C. Subramaniam) : (a) and (b) The information is not readily available. It is being collected, and will be laid on the Table of the House as soon as possible.

Opening of branches of Nationalised Banks in rural areas

†2985. **Shri B. S. Chowhan** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of branches of the nationalised banks proposed to be opened in the rural areas during the current year;

(b) the total amount of assistance proposed to be provided to the small farmers and to persons setting up cottage industries by these new branches;

(c) whether a direct and easy scheme for loans will be started with a view to ensure upliftment of the weaker sections of society during the coming years; and

(d) if so, the salient features of the scheme ?

The Minister of State in charge of Deptt. of Rev. and Banking (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) Reserve Bank of India have reported that public sector banks, including the 14 nation alised banks, have opened 29 branches at rural centres during the first two months of the current year. They have also reported that their scrutiny of the branch expansion plans submitted by the banks is not yet complete in respect of all the States and Union Territories. However, as on April 24, 1976 the public sector banks had on hand 637 licences/ allotments for opening branches at rural centres.

(b), (c) and (d) Although no specific branchwise/sectorwise earmarking of funds is undertaken by the banks, in keeping with the national policies and priorities, all the branches of the public sector banks are devoting special attention to the task of meeting the credit needs of small borrowers in the neglected sectors. In the context of 20-Point Programme, public sector banks have evolved and are implementing several schemes to assist the beneficiaries of the Programme such as landless labourers, persons released from

bonded labour and handloom weavers who belong to the eweaker sections of the society. The public sector banks are also sponsoring Regional Rural Banks which are being set up to facilitate flow of credit to small and marginal farmers and rural artisans.

नियंत्रित किस्म के कपड़े का उत्पादन करने के दायित्व से कपड़ा मिलों को छूट देना

2986. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रित किस्म के कपड़े का उत्पादन करने के दायित्व से सभी कपड़ा मिलों को छूट देने का सरकार ने निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी तथ्य और कारण क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र में उन मिलों को एक वर्ष की अवधि के लिए कन्ट्रोल के कपड़े के उत्पादन से छूट दी गई है जिन्होंने अपने अद्यतन तुलन पत्र में रिजर्व का हिसाब लगाने के बाद संचित घाटे दर्शाए है।

(ख) चूंकि कन्ट्रोल के कपड़े के उत्पादन में कुछ घाटा होता है और गैर-कन्ट्रोल के कपड़े का उत्पादन करके ऐसे घाटे को पूरा करने की कमजोर मिलों की क्षमता सीमित है इसलिए एक वर्ष की सीमित अवधि के लिए जो छूट दी गई है वह औचित्य-पूर्ण है ।

पश्चिम बंगाल में कपड़ा मिलों का बन्द होना

2988. **श्री टुना ऊरांव** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में अनेक कपड़ा मिलों के बन्द हो जाने का खतरा है ; और

(ख) यदि हां, तो इन मिलों की स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) : बिजली की अपर्याप्त सप्लाई की वजह से पश्चिम बंगाल में मिलों को हर हफ्ते काम की दो पालियों को बंद करना पड़ता है, किन्तु उनके बंद होने का खतरा नहीं है।

बैंकिंग के लिये राज्य स्तरीय समन्वय समितियां

2989. **श्री नारायण चन्द्र पराशर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें बैंकिंग के लिये राज्य स्तरीय समन्वय समितियां स्थापित की गई हैं और उनमें से उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां पर इन समितियों में संसद सदस्य शामिल किये गये हैं ; और

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं (एक) जिनमें ये समितियां अब तक स्थापित नहीं की गयी हैं अथवा (दो) जहां पर गठित की गयी समितियों में संसद सदस्यों को शामिल नहीं किया गया है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उनके पास उपलब्ध सूचना के अनुसार मणीपुर, त्रिपुरा और नागालैण्ड को छोड़ कर सभी राज्यों में राज्य स्तरीय समन्वय समितियों का गठन किया जा चुका है और इन समितियों के वर्तमान गठन में, जोकि संबंधित राज्य सरकारों द्वारा तय किय. जाता है, संसद सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता हैं।

भारतीय काजू निगम के प्रबन्ध निदेशक द्वारा मोजाम्बीक की यात्रा

2990. **श्री ए० के० गोपालन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काजू के आयात मूल्य के बारे में बातचीत करने के लिये भारतीय काजू निगम के प्रबंध निदेशक के अभी हाल में मोजाम्बीक की यात्रा की थी ; और

(ख) यदि हां, तो प्राप्त हुए परिणामों की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां। एक दो सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने, जिसमें भारतीय काजू निगम के प्रबंध निदेशक तथा मुख्य वित्त प्रबंधक थे, मापुतु, में तंजानिया व मोजाम्बीक के संयुक्त प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत की तथा मार्च, 1976 में दार-ए-सलाम में और आगे विचार विमर्श किया गया।

(ख) प्रतिनिधिमंडल इस धारणा को लेकर वापस लौटा कि कीमतों के संबंध में अन्तर काफी कम हो गया है तथा जो अन्तिम पेशकश उसके बाद प्राप्त होगी वह इतनी उचित होगी जिससे पक्की संविदाएं सम्पन्न की जा सकें। प्रतिनिधिमंडल के भारत लौट आने के पश्चात् बाद में जो पेशकश वास्तव में प्राप्त हुई वह अन्यथा साबित हुई जिससे और आगे बातचीत करना आवश्यक हो गया।

विदेशी पूंजी

2991. **श्री राम भगत पासवान** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी विनियोजकों ने हमारे देश में विनियोजन की सुरक्षा के बारे में सरकार से आश्वासन मांगा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) सरकार को अन्य देशों से गैर-सरकारी विदेशी पूंजी के लिए गारंटियों के प्रस्ताव समय-समय पर मिलते रहते हैं। किन्तु आमतौर पर सरकार ऐसे द्विपक्षीय प्रबंधों के पक्ष में नहीं है।

बिहार में विभिन्न ऐतिहासिक स्थानों को पर्यटक केन्द्रों के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव

2992. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में दरभंगा जिले में आहिल्या स्थान और गौतमकुण्ड, वलिराजगढ़, बिस्फी, गिरिजास्थान तथा बिसौल (जहां विश्वामित्र के साथ राम ने विश्राम किया था) जैसे ऐतिहासिक स्थानों को पर्यटक केन्द्रों के रूप में बिकसित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार राज्य पर्यटन विभाग को उक्त स्थानों को पर्यटक केन्द्रों के रूप में विकसित करने के लिए परामर्श देने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यह काम राज्य सरकार का है कि वह इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध साधनों के अंतर्गत पर्यटक केन्द्रों के विकास के लिए अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करे। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में

50 लाख रूपये के अनुमोदित परिव्यय में से, 1976-77 में राज्यीय क्षेत्र में पर्यटन स्कीमों के लिए 10 लाख रुपए के परिव्यय का अनुमोदन किया गया है।

समुद्री खाद्य उत्पादों का निर्यात

2993. **श्री वसन्त साठे** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हमारे समुद्री खाद्य उत्पादों के निर्यात व्यापार में अन्तर को नोट किया है तथा आगामी तीन वर्षों में समुद्री खाद्य उत्पादों के निर्यात के त्रिविधीकरण तथा विस्तार के लिये 'वैकेज' योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) इस समय श्रिम्प के निर्यात पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। टयूना, सार्डीन, मैकेरल्स, स्किबड कटाइल मछली, झींगा आदि के निर्यात के लिए विदेशों में बहुत लाभप्रद बाजार हैं । सरकार ने एक योजना अधिसूचित की है जिसमें टयूना मत्स्य परियोजनाओं में भारतीय मछली उद्यमों से विदेशी मछली कम्पनियों के साथ संयुक्त उद्यमों में शामिल होने के लिए जबाब मांगे गए हैं। सार्डीन, मैकैरल आदि पकड़ने के लिए पर्स सीनिंग शुरू करने के लिए यंत्रीकृत मछियारी नौकाओं को बढ़ावा देने के लिए भी उपाय किए गए हैं। सरकार ने 14 भारतीय उद्यमों को बाटन स्डर्न ट्रालिंग के लिए मैक्सिको से 30 मछियारी ट्रालर और इसके अतिरिक्त आउटरिगर वाले ट्रालिंग आयात करने की अनुमति दे दी है ताकि न केवल श्रिम्प बल्कि निर्यात होने वाली अन्य किस्मों की भी मछली पकड़ी जा सके। 40 फाथम से आगे मत्स्य सर्वेक्षण सघन बनाने के लिए उपाय किए जा रहे हैं ताकि नए मछली स्रोतों का पता लगाया जा सके। केन्द्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान, कोचीन तथा एकीकृत मत्स्य परियोजना, कोचीन में विभिन्न प्रकार के समुद्री उत्पादों को साबित करने की नई विधियों के निरन्तर प्रयोग किए जा रहे हैं और उन्हें विकसित किया जा रहा है।

एम० पी० ई० डी० ए० आधुनिकीकरण, आधुनिक छिलाई एककों की स्थापना, निरीक्षण योजनाओं प्रशिक्षण कार्यक्रमों, समन्वित अनुसंधान कार्यक्रमों, पत्तनों पर कोल्ड स्टोरेजों की स्थापना, बाजार सर्वेक्षणों आदि के लिए सहायता द्वारा समुद्री उत्पादों के निर्यातों का विकास करने में निरन्तर जुटा हुआ है।

सैकरीन का निर्यात

2994. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

विदेशी मुद्रा अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय उत्पादकों को सैकरीन का निर्यात करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : सरकार सैकरीन के निर्यात पर सामान्य प्रोत्साहन देती है तथा जहां आवश्यक होता है वहां उद्योग को अन्य सहायता प्रदान करती है।

भारत बंगला देश में कोयला का व्यापारिक सौदा

2995. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत बंगलादेश में कोयले के व्यापारिक सौदे को अंतिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) : बंगलादेश सरकार के साथ 3.90 लाख मे० टन नान-कोकिंग कोयले तथा 10 से 15 हजार मे० टन बीहाइव कोक को सप्लाई के लिए एक संविदा संपन्न की गई है, जिनकी सप्लाई 1976–77 के दौरान की जायेगी।

एशिया का कृषि संबंधी सर्वेक्षण

2996. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई विकास बैंक ने एशिया का कृषि संबंधी सर्वेक्षण करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) एशियाई बैंक ने, "एशियन एग्रिकल्चरल सर्वे" अर्थात् का कृषि संबंधी सर्वेक्षण 1968 में पूरा कर लिया था और उसे 1969 में प्रकाशित कर दिया था। अब बैंक का विचार है कि इस क्षेत्र की उन्नत खेती के बारे में जानकारी प्रदान करने और कृषि के मामले में बैंक के कार्यों का पहले से बेहतर मार्गदर्शन करने के प्रयोजन से इस सर्वेक्षण में सब से हाल की सूचना भी दे दी जाए।

Purchase of wheat from France

†2997. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether an agreement was concluded with French Government in March, 1976 for the purchase of 30,000 tonnes of wheat;

(b) if so, the time by which the wheat is likely to arrive in India;

(c) terms and conditions of the agreement including the rate at which the wheat has been purchased and its overall cost after its arrival in India; and

(d) excess price per tonne of wheat to be paid to the French Government as compared to the procurement price fixed by Government for indigenous wheat ?

The Minister in the Ministry of Finance (Shri C. Subramaniam) : (a) to (c) An agreement was concluded in March, 1976 between the Government of India and the French Government under which the latter Government would supply 30,000 tonnes of wheat as a grant. The Government of India will, however, pay freight charges. The supplies are expected to be delivered in May, 1976 for shipment to India.

(d) Does not arise.

औद्योगिक विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संगठन से ऋण

2998. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में औद्योगिक विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संगठन ने कितना ऋण दिया है ;

(ख) क्या यह ऋण राशि केवल चुने गये प्राथमिकता प्राप्त बड़े और मध्यम दर्ज उपक्रमों के लिए ही सीमित रहेगी या इससे लघु उद्योग भी लाभान्वित होंगे; और

(ग) यदि हां, तो किस हद तक ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) संभवतः इस प्रश्न का संबंध अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से प्राप्त औद्योगिक आयात ऋण से है । अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ, भारत को इस प्रकार के ऋण दे रहा है। सबसे हाल का ऐसा ऋण 2000 लाख अमरीकी डालर का है। इस ऋण का उपयोग तकनीकी विकास महानिदेशालय में पंजीकृत मध्यम और बड़े उद्यमों या अधिसूचित उद्योगों के लिए कच्चे माल, संघटकों और स्पेयर पुर्जो के आयात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने अलग से 250 लाख अमरीकी डालरों का एक ऋण मंजूर किया है जो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की मार्फ्त है और जिसका उपयोग अन्यों के साथ-साथ लघु उद्योगों द्वारा भी किया जा सकता है।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम के प्रबन्ध के अधीन मिलों में छंटनी

2999. **श्री हरी सिंह** :

श्री राम भगत पासवान :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कपड़ा निगम के प्रबंध के अधीन मिलों से लगभग 25,000 श्रमिकों को नौकारी से हटा दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उनको अन्य मिलों में खपाने के लिये क्या कार्यवाही की है।

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

क्रोमाइट अयस्क का निर्यात

3000. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से क्रोमाइट अयस्क का निर्यात न करके सीधी निर्यात की अनुमति मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) क्रोमाइट अयस्क के तदर्थ निर्यातों को छोड़कर, जिनके लिए विशिष्ट रूप से प्राधिकृत किया जा सकता है, इस समय इसके निर्यात पर रोक है।

पश्चिम बंगाल में चाय बागानों का बन्द होना

3001. **श्री नूरूल हुडा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल) में सात चाय बागान बन्द हो गये हैं और कई अन्यों के बन्द हो जाने की आशंका है ; और

(ख) चाय बागानों के बन्द होने की इन असामान्य घटनाओं के क्या कारण हैं और कितने श्रमिकों की छटनी एंव जबरन छुट्टी हुई है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) वर्ष 1975 में लगाये गये अनुमान के अनुसार दार्जिलिंग जिले में लगभग 13 चाय बागान संकटग्रस्त/बन्द पड़े हैं।

(ख) चाय बागानों की अलाभकर/संकटग्रस्त दशा के लिए उत्तरदायी कुछ बाते ये हैं : अधिक पूंजी निवेश, अस्वस्थ श्रमिक प्रबंधक संबंध, धन का गलत इस्तेमाल, अवैज्ञानिक कृषि पद्धतियां, कुप्रबंध आदि। प्रभावित हुए कर्मचारियों से संबंधित कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

आसाम में बीमार चाय बागान

3002. **श्री नूरूल हुडा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम राज्य में और कछार जिले में कितने बीमार चाय बागान हैं ; और

(ख) उक्त चाय बागानों में काम कर रहे श्रमिकों और कर्मचारियों की संख्या क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) 1975 में लगाये गये अनुमान के अनुसार, असम राज्य में लगभग 17 संकटग्रस्त/बन्द चाय बागान हैं, जिनमें से 6 चाय बागान कछार जिले में हैं।

(ख) इस संबंध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

सिले-सिलाये कपड़ों के निर्यात की प्रक्रिया

3003. **सरदार मोहिन्दर सिंह गिल** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय निर्यातकों ने उन्हें यह बताया है कि सिले सिलाये कपड़ों के निर्यात में उन्हें भारत में जिस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है उसमें निर्यात-वृद्धि हेतु तत्काल सुधार की आवश्यकता है और इंडियन गार्मेन्टस फेयर (भारतीय वस्त्र मेला) में आने वाले विदेशी क्रेताओं ने भी यह शिकायत की है कि क्रयादेशों के उत्तर में माल भेजने में विलम्ब होता है ; और

(ख) यदि हां, तो निर्यात मंडी में वृद्धि करने के लिये इस मामले में सुधार हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) परिधानों के निर्यातों में आने वाली बाधायों को दूर करने के लिए निम्नोक्त कदम उठाए गए हैं / उठाए जा रहे हैं :—

(1) परिधानों पर उत्पादन शुल्क समाप्त कर दिया गया है।

(2) जहाजों में अपर्याप्त स्थान, पर्याप्त मात्राओं में सही किस्म के वस्त्रों का उपलब्ध न होना, जिनके फलस्वरूप सुपुर्दगियों में विलम्ब होता है, जैसी समस्याओं को ऐसे वस्त्रों का उत्पादन बढ़ाकर क्या माल के अत्यधिक मात्रा में इकट्ठा हो जाने पर उसे हवाई जहाज से उठाने के लिए चार्टर्ड उड़ानों की व्यवस्था करके हल किया जा रहा है।

भारत-अमरीकी व्यापार परिषद् द्वारा आयोजित बैंक

3004. **सरदार मोहिन्दर सिंह गिल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-अमरीकी आर्थिक तथा व्यापार उप-आयोग के पश्चात् जारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों के बीच संयुक्त उद्यमों का क्षेत्र बढ़ाने के लिये तत्काल कुछ व्यावहारिक उपाय किये जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) दोनों देश इस बात पर सहमत हैं कि अन्य देशों में संयुक्त उद्यम लगाने को बढ़ावा देने के प्रयोजन से निम्नलिखित दिशाओं में कार्य किया जाए:-

(1) विभिन्न क्षेत्रों में भारत की तकनीकी क्षमता के बारे में अमरीकी व्यापारियों को अधिक जानकारी उपलब्ध कराना और उनका ध्यान सहयोग संबंधी ऐसे प्रबंधों की भारी गुंजाइश की ओर आकृष्ट करना ;

(2) संयुक्त व्यापार परिषद के तत्वावधान में अमरीकी व्यापारियों के लिए भारत-यात्रा की व्यवस्था करना ताकि भारतीय टेक्नालाजी और उसकी क्षमता को स्वयं देख सकें।

किसानों, शिल्पियों, श्रमिकों तथा समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण सुविधायें

3005. **चौधरी राम प्रकाश**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों को दिए गये ऋण देने संबंधी सूझावों के परिणामस्वरूप राज्यों में पंजाब नेशनल बैंक जैसे कुछ बैंकों ने किसानों, शिल्पियों, श्रमिकों तथा समाज के कमजोर वर्ग के अन्य लोगों को आसान शर्तों पर ऋण सुविधाएं देने में पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे ऋण किन राज्यों में दिये गये हैं ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्यमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) 14 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों ने छोटे और सीमान्तिक किसानों, कृषि मजदूरों, कारीगरों, छोटे उद्योगपतियों और छोटे व्यवसायिकों, खुदरा व्यापारियों आदि जैसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को ऋण-सुविधाएं बढ़ा दी है बिभेदी ब्याज दर योजना भी लागू की गई है जिसके अधीन सरकारी क्षेत्र के बैंक कमजोर से कमजोर वर्गों को उत्पादक प्रयोजनों के लिये बहुत ही कम ब्याज दर अर्थात 4 प्रतिशत वार्षिक, पर ऋण प्रदान कर रहे हैं। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम के कार्यान्वियन के अनुसरण में, सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए, जो उक्त कार्यक्रम में शामिल किए गये हैं, अतिरिक्त बैंक-ऋण प्रदान करने की कई अन्य योजनायें भी तैयार की हैं। बैंक इन योजनाओं के अन्तर्गत सभी राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों में ऋण प्रदान कर रहे हैं।

हिमाचल प्रदेश की 'हस्तशिल्प' वस्तुओं का निर्यात

3006. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में हिमाचल प्रदेश की हस्तशिल्प वस्तुओं के निर्यात से वर्ष-वार विदेशी मुद्रा की कितनी आय हुई ; और

(ख) ये हस्तशिल्प वस्तुएं किन देशों में अधिक लोकप्रिय है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) चूंकि हस्तशिल्प की वस्तुओं के निर्यात आंकड़े राज्यवार आधार पर संकलित नहीं किये जाते अतः गत तीन वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश हस्तशिल्प की वस्तुओं के निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा की राशि बताना कठिन है।

हवाई अड्डों का निर्माण

3007. **श्री नारायण चन्द पराशर : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पांचवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान नये हवाई अड्डों का विकास करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के क्या नाम हैं ; जहां वे हवाई अड्डे बनाये जाने हैं और वे किन राज्यों में हैं; और

(ग) प्रत्येक हवाई अड्डे को वायु यातायात के लिए कब तक खोला जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग) नागर विमानन विभाग की पांचवीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित स्थानों पर नए विमानक्षेत्रों के निर्माण के प्रस्तावों को सम्मिलित किया गया था :--

(1) केरल में कोचीन
(2) अंदमान व निकोबार द्वीपसमूह में पोर्ट ब्लेयर
(3) पांडिचेरी में पांडिचेरी
(4) बिहार में जमशेदपुर
(5) केरल में कालीकट
(6) कर्नाटक में हुबली

इन प्रस्तावों में विभिन्न कारणों की वजह से बाद में परिवर्तन किए गए हैं और वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार है :--

कोचीन : नए विमानक्षेत्र के निर्माण के प्रस्ताव को त्याग दिया गया है। इसके स्थान पर, बोइंग 737 परिचालनों के लिए वर्तमान सैनिक विमानक्षेत्र का विकास करने के लिए मंजूरी जारी कर दी गयी है।

पोर्ट ब्लेयर : एक नये सिविल विमानक्षेत्र का निर्माण करने की आवश्यकता संबंधी निर्णय को इंडियन एयरलाइंस द्वारा पोर्ट ब्लेयर के वर्तमान विमानक्षेत्र के लिए परिचालान करने योग्य नए प्रकार के एक जेट विमान के प्राप्त करने का अंतिम चुनाव करने तक रोक लिया गया है।

पांडिचेरी : प्रस्ताव को इंडियन एयरलाइंस के परिचालनात्मक ढांचे में किए गए परिवर्तन तथा निधियों की तंग वित्तीय स्थिति को दृष्टि में रखते हुए रद्द कर दिया गया है।

जमशेदपुर : अभी प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है।

कालीकट : इंडियन एयरलाइंस के परिचालनात्मक ढांचे में किए गए परिवर्तन को दृष्टि में रखते हुए, प्रस्ताव में इस प्रकार से परिवर्तन किया जा रहा है जिससे कि अनुसूचित परिचालनों के लिए अपेक्षित न्यूनतम सुविधाओं की व्यवस्था की जा सके।

हुबली : प्रायोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है परन्तु कार्य को निधियो की उपलब्धता में सुधार होने पर ही प्रारंभ किया जाएगा।

तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों को कार्यन्वित करना

3008. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के कोई ऐसे वर्ग हैं जिनके मामले में तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशें स्वीकार तो कर ली गई हैं परन्तु अभी तक कार्यान्वित नहीं की गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन वर्गों के नाम क्या हैं ;

(ग) इस प्रकार के प्रत्येक वर्ग के कर्मचारियों के मामले में सिफारिशें कार्यान्वित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) इनके मामले में कार्यान्वयन किन तारीखों तक सुनिश्चित किया जाएगा ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (घ) सम्भवतः प्रश्न का सम्बन्ध वेतनमानों के संशोधन के विषय में तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन से है। इन सिफारिशों में से अधिकांश को क्रियान्वित किया जा चुका है। परन्तु कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनके सम्बन्ध में सिफारिशों को क्रियान्वित करना सम्भव नहीं हो पाया है क्योंकि सम्बद्ध मंत्रालय वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों से अधिक ऊंचे वेतनमानों के लिए इस तरह के कारणों से मांग कर रहे हैं जैसे पदों से सम्बद्ध कार्यों के स्वरूप और जिम्मेदारियां. वेतन आयोग की सिफारिशों के पश्चात कुछ घटनाओं का होना आदि। इस प्रकार के वर्गों के उदाहरण हैं, नागर विमानन विभाग में टेलीप्रिंटर आपरेटर, भारतीय सर्वेक्षण के प्रभाग II संस्थापन के ग्रेड II और III, और नियोजन तथा प्रशिक्षण महानिदेशक के अंतर्गत प्रशिक्षण संस्थानों में शिक्षण-सम्बन्धी स्टाफ। चूंकि इसमें वेतन आयोग की सिफारिशों से अलगाव की बात आ जाती है इसलिए इसकी गहराई से जांच करने की जरूरत है। इन मामलों को शीघ्र ही अन्तिम रूप देने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं।

विश्व बैंक से सहायता

3009. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकारों द्वारा प्रारम्भ की गई ऐसी परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है, जिनके लिए विश्व बैंक से ऋण वित्तीय सहायता प्राप्त की गई और प्रत्येक मामले में ऋणों/वित्तीय सहायता की सही राशि क्या है ;

(ख) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य सरकारों की कुछ अन्य परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता/ऋण प्राप्त करने हेतु विश्व बैंक से अनुरोध किया गया है. और

(ग) यदि हां, तो उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) एक विवरण (सूची क) संलग्न है [ग्रन्थालय में रखी गई/**देखिए** संख्या एल० टी० 10749/76] जिसमें विश्व बैंक और आसान शर्तों पर ऋण देने वाले इससे संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं का ब्यौरा दिया गया है।

(ख) और (ग) उन परियोजनाओं के नाम सूची 'ख' में दिखाए गए हैं [ग्रन्थालय में रखी गई/**देखिए** संख्या एल० टी० 10749/76] जिनके लिए हम चालू वित्त वर्ष में विश्व बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से सहायता का अनुरोध कर रहे हैं।

Air Service to Andaman and Nicobar Islands

3010. **Shri Bhagirath Bhanwar** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether the present air service to Andaman and Nicobar Islands is not adequate :

(b) whether a direct air service from Calcutta to Andaman and Nicobar Islands is proposed to be introduced and if so, when it is likely to be started; and

(c) whether the present air service to the islands is running in loss, if so. the reasons therefor ?

The Minister of Tourism and civil aviation (Shri Raj Bahadur) : (a) Yes, Sir. The traffic demand between Calcutta and Port Blair is high.

(b) Indian Airlines are not in a position to start a direct air service between Calcutta and Andaman and Nicobar Islands, for the present. However, the Corporation are evaluating various types of aircraft for replacement of their turbo-prop fleet and are bearing in mind the need for an adequate air link with the Islands.

(c) Yes, Sir. The reasons for this service operating at a loss are high cost of fuel and such technical factors like circuitons flying *via* Rangoon.

Quantity of gold in the names of big religious trusts

3011. **Shri Bhagirath Bhanwar :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the quantity of gold in the names of big religious trusts (Devasthanams) in the country, particularly in the names of Tirupati and Chhidambaram in South India and the arrangements made for its safety;

(b) whether the Devasthanam department of the Tirupati temples has given some gold to the Central Government; and

(c) whether some of its gold has also been sold recently and if so, the quantity and value thereof ?

The Minister of State in charge of Deptt. of Revenue and Banking (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) to (c) The information is being collected and wil be laid on the Table of the House.

प्राकृतिक रबड़ के लिये भण्डागार

3012. **श्री वयालार रवि :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को छोटे रबड़ उत्पादकों को अपने उत्पादों के सुरक्षित भण्डारण में होने वाली कठिनाइयों का पता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या रबड़ बोर्ड का विचार प्राकृतिक रबड़ के भण्डारण हेतु उनके लिए भण्डागारों की व्यवस्था करने का है ।

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) रबड़ बोर्ड ने बताया है कि खपत के मुकाबले बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन होने के कारण लघु उपज कर्त्ताओं को इस वर्ष भारी मात्रा में स्टाक रखने पड़े । तथापि, यह नियमित बात नहीं है और रबड़ बोर्ड के पास इस समय गोदामों की व्यवस्था करने की कोई योजना नहीं है ।

एशियाई विकास बैंक की परियोजनाओं में भारत का हिस्सा

3013. **श्री वयालार रवि :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान एशियाई विकास बैंक की सहायता प्राप्त परियोजनाओं तथा ठेकों में भारत का हिस्सा बढ़ गया है ;

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक ; और

(ग) एशियाई विकास बैंक से प्राप्त होने वाले लाभ का अधिक अच्छा उपयोग करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हां ।

(ख) एशियाई विकास बैंक ने जिन परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान की है उनके लिए 30 जून, 1972 को कुल मिलाकर 25.76 लाख डालर का सामान और सेवाएं भारत से प्राप्त की गई और 30 जून 1975 को यह राशि बढ़ कर 389.97 लाख डालर हो गई।

(ग) बैंक जिन परियोजनाओं के लिए सहायता देता है उनके बारे में जानकारी का समय पर प्रचार करने की सुनिश्चित व्यवस्था करने के लिए और हमारे निर्यातकों को सहायता देने के लिए भी कदम उठाए गए हैं ताकि वे इन परियोजनाओं में जोर-शोर तरीके से भाग ले सके।

बुनकरों को क्षतिपूर्ति

3014. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हैन्डलूम धोतियों और साड़ियों के बुनकरों को, उनके द्वारा नई कपड़ा नीति के अन्तर्गत उठायी गयी हानि के लिए, क्षतिपूर्ति देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) हैण्डलूम धोतियों एवं साड़ियों के बुनकरों को क्षतिपूर्ति देने के लिए इस प्रकार का कोई विनिश्चय नहीं किया गया है। तथापि, हैण्डलूम क्षेत्र को नियंत्रित विशिष्टियों की धोतियों तथा साड़ियों का उत्पादन सौंपने का निश्चय किया गया है। ये धोतियां तथा साड़ियां नियंत्रित किस्मों के लिए निर्धारित कीमतों पर बेची जायेंगी। हैण्डलूम बुनकरों को उतनी क्षतिपूर्ति देनी पड़ सकती है जितनी क्षतिपूर्ति देना इस व्यवस्था से आवश्यक हो गया है।

रुई के निर्यात के कारण इसके मूल्य में वृद्धि

3015. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वर्ष 1975-76 की अपेक्षा इस वर्ष रुई के अधिक निर्यात की आशा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या इन निर्यात आर्डरों के परिणामस्वरूप रूई के मूल्य बढ़ गए हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

Raids in Ujjain

3016. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of raids conducted in Ujjain (M.P.) by customs officials, income tax officials and others on shops, firms, ndustries and premises of individuals after the proclamation of emergency; and

(b) the particulars of valuable articles and incriminating documents recovered from them ?

The Minister of State In Charge of Deptt. of Revenue and Banking (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) and (b) Eight raids were conducted under Customs Act alone since the declaration of emergency. Out of these seven raids were infructuous and in one raid conducted on a shop premises cloves weighing 3.5 Kgs. valued at Rs. 1207/- were seized.

One raid conducted under both the Gold Control Act and Customs Act at the premises of shop/firm in Ujjain since the declaration of emergency resulted in the seizure of 12 gold biscuits of foreign origin, 137 gold mohars, 1655 gms. gold ornaments, Indian currency of Rs. 1,04,000/- and other sundry goods alongwith silver ornaments and diamonds totally valued at Rs. 2.9 lakhs.

Four raids were conducted by Customs officials under Gold Control Act alone since the proclamation of emergency; two raids were on the premises of individuals, one raid on the premises of a shop/firm and one raid on a bank locker. Out of the above four raids, one was infructuous. As a result of other raids primary gold weighing 35 gms. valued at Rs. 1830/-, gold ornaments and articles weighing 4665 gms. valued at Rs. 65,245/- were seized.

No raids were conducted under Central Excise & Salt Act in Ujjain since the proclamation of emergency.

Income Tax authorities conduct only one raid in Ujjain since the proclamation of emergency. No article were seized in the above raid.

Foreign Exchange Enforcement authorities conducted one raid in Ujjain since the proclamation of emergency. As a result of this raid documents relating to receipt of payment of Rs. 1000/- by order of a person resident outside India in violation of Foreign Exchange Regulation Act were seized.

Export of Handloom Cloth from Madhya Pradesh

3017. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) the figures of handloom cloth exported by Madhya Pradesh during the last three years and the variety thereof;

(b) the value of the handloom cloth exported in each year and whether the profit earned was also shared with handloom cloth manufacturers if so, the share of profit given to them each year; and

(c) whether the middlemen purchase cloth from the manufacturers at low price and earn hugs profits thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : (a) to (c) Production of handloom cloth is in the decentralised sector and the merchant-exporters place their orders for handloom cloth on master weavers. Under the above circumstances, no State-wise figures of export of handloom cloth are available. There is no profit sharing arrangement between the manufacturers of cloth and the exporters but the wages of weavers have gone up in important export production centres i.e. part of the benefits of higher unit realisation in exports is passed on to the weavers in the form of higher wages. In a situation where exports are booming and profitable, the benefits are shared by the actual weavers, by the middlemen and the exporters.

Air Companies Transporting Passengers

3018. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the number of companies in the country at present whose aircraft are transporting passengers from one place to another; and

(b) the number and types of aircraft they are having as also the amount of tax Government are receiving from them ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur): (a) Besides Air India and Indian Airlines, amongst the 12 private operators who hold non-scheduled operator's permits to operate air services for carriage of passengers from one place to another in India, Jamair are presently operating twice a weekly service on the following routes :—

1. Calcutta-Agartala-Aijal/Agartala-Calcutta.
2. Calcutta-Agartala-Gauhati-Shillong/Gauhati-Agartala-Calcutta.

(b) Jamair are having three DC-3 aircraft. The information regarding the amount of tax Government are receiving from them is being collected and will be placed on the Table of the Sabha.

Loans to Farmers, Artisans and S.S.I. by branches of State Bank of India in Burhanpur City of Madhya Pradesh

3019. **Shri G.C. Dixit** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the figures of loans advanced to the farmers, artisans and to the new small scale industries by the nationalised banks particularly by the branches of the State Bank of India in Burhanpur city of Madhya Pradesh in 1974 and 1975; and

(b) the number of loan applications pending in the banks and when these are likely to be disposed of ?

The Minister of State In Charge of Deptt. of Rev. and Banking (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) According to the latest information available as at the end of March, 1974, the public sector banks advances including State Bank of India's to agriculture, small scale industries, transport operators, retail traders, etc. at Burhanpur are indicated below :

(Rs. in lakhs)

Agriculture		Small scale industries	
No. of A/Cs	Amount Outstanding	No. of A/Cs	Amount Outstanding
69	10.88	290	15.78

Transport operators		Retail Traders, Self Employed/Professionals Small business etc.	
No. of A/Cs.	Amount Outstanding	No. of A/Cs.	Amount Outstanding
19	0.60	92	3.07

(b) Data regarding number of loan applications pending are not available, as the same are not compiled in the manner asked for.

Opening of regional Rural Banks in Madhya Pradesh under 20-point Economic Programme

3020. **Shri G.C. Dixit** :

Dr. Laxminarayan Pandeya :

Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the number of regional rural banks opened in Madhya Pradesh so far under the 20-point economic programme indicating their locations; and

(b) whether a branch of regional rural bank is proposed to be opened in East Nimar district in near future ?

The Minister of State In Charge of Deptt. of Rev. & Banking (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) One Regional Rural Bank has been established at Hoshangabad in Madhya Pradesh with its area of operation confined to the districts of Hoshangabad and Raisen.

(b) No decision for establishment in the immediate future of a Regional Rural Bank for the district of East Nimar, has been taken.

विश्व बैंक के ऋण का वितरण

3021. **श्री लक्ष्मीनारायण पांडेय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक द्वारा दिए गए ऋण में से कितना-कितना ऋण 1975-76 के दौरान राज्यों को, राज्य वार, सिंचाई सुविधाएं बढ़ाने के लिए दिया गया.

(ख) क्या यह ऋण सीधे राज्यों के सहकारी बैंकों अथवा भूमि विकास बैंकों द्वारा वितरित किया गया अथवा राज्य द्वारा अन्य एजेन्सियों के माध्यम से वितरित किया गया था; और

(ग) क्या इस बीच ऋण की सम्पूर्ण राशि वितरित कर दी गई है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) सिंचाई की सुविधाओं में वृद्धि करने या राज्यों की अन्य आयोजनागत परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से मिलने वाली सहायता भारत सरकार को प्राप्त होती है । राज्यों को आयोजनागत सहायता इकट्ठे उधारों और इकठ्ठे अनुदानों के रूप में दी जाती है जिससे राज्य सरकारें अपनी आयोजनाओं के खर्च का प्रबंध करती हैं जिसमें विश्व बैंक की सहायता से चलने वाली स्कीमों के लिए आवश्यक खर्च शामिल है । जहां तक ऐसी स्कीमों का संबंध है जिन्हें कृषि पुनर्वित और विकास निगम जैसी संस्थाओं के माध्यम से खर्च दिया जाता है। वार्षिक आयोजन के लिए साधन निर्धारित करते समय विश्व बैंक की सहायता से चलने वाली स्कीमों के लिए इन संस्थाओं की वित्तीय आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है ।

Amount of premium received by L.I.C. in Rajasthan and Madhya Pradesh

3022. **Dr. Laxminarayana Pandeya** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state;

(a) the amount of premium received by the Life Insurance Corporation in Rajasthan and Madhya Pradesh;

(b) the amount provided by the Corporation for housing schemes in these States; and

(c) the name of the cities for which the same has been given ?

The Minister of Finance (Shri C. Subramaniam) : (a) The premium income received by the LIC in Rajasthan and Madhya Pradesh during the years 1973-74 and 1974-75 is as under :—

	(Rupees in crores) 1973-74	1974-75
Rajasthan	13.99	15.59
Madhya Pradesh	15.81	17.84

(b) The amounts sanctioned by the L.I.C. in Rajasthan and Madhya Pradesh under Mortgage Schemes upto 31-12-1975 and loans disbursed for housing to the above state governments and the Apex Cooperative Housing Finance Societies in those states during 1975-76 are as under—

	Mortgage Loans sanctioned upto 31-12-1975	Loans disbursed to State Govts. for their Housing Schemes during 1975-76	Loans dsibursed to Apex Coop Housing Finance Societies during 1975-76
Rajasthan	3.15	1.22	1.00
Madhya Pradesh	3.89	1.16	0.50

(c) The names of the cities where LIC has *sanctioned mortgage loans* under its various schemes upto 31-12-1975 are as under :—

Rajasthan	. Ajmer, Alwar, Banswara, Beawar, Bhilwara, Bharatpur, Bikaner, Churu, Chittorgarh, Hanumangarh, Jaipur, Jodhpur, Kishangarh, Kota, Mount Abu, Pali, Sriganganagar and Udaipur.
Madhya Pradesh	. Ambikapur, Bhilai, Bhopal, Bilaspur, Chhindwara, Dewas, Dhar, Durg, Gwalior, Guna, Hoshangabad, Indore, Jaora, Jabalpur, Jagdalpur, Khandwa, Khargone, Raigarh, Katni, Nandsaur, Nagda, Neemuch, Piparia, Raipur, Rewa, Ratlam, Sagar, Sehore, Seoni, Satna and Ujjain.

दिल्ली और फरीदाबाद में कर की चोरी

3023. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और फरीदाबाद में इस्पात की लीफ स्प्रिंग तथा कल पुर्जे बनाने वाली फर्मों से एक करोड़ से अधिक रुपयों की करों की चोरी का पता लगाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) तथा (ख) आयकर अधिकारियों ने अप्रैल 1976 में मैसर्स आटो पिन्स फर्म के, उसके भागीदारों तथा उनके निकट सहयोगियों के दिल्ली, फरीदाबाद और 13 अन्य स्थानों पर स्थित परिसरों की तलाशियां लीं और माल पकड़ा । जिन परिसरों की तलाशियां ली गई उन की संख्या 50 से अधिक थी । फिलहाल उपलब्ध सूचना के अनुसार, लगभग 4 लाख रु० मूल्य की नकदी, जेवर-जवाहिरात तथा सोने के अलावा, कई खाताबहियां तथा दस्तावेज आदि पकड़े गए हैं । स्वर्ण नियंत्रण अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है । 30 बैंक-लाकरों को भी सील कर दिया गया है।

बड़ी मात्रा में कर अपवंचन का संकेत मिला है। पकड़ी गयी सामग्री की छानबीन तथा इस संबंध में आगे जांच-पड़ताल की जा रही है ।

हैन्डलूम के तैयार शुदा वस्त्रों का निर्यात

3024. **श्री छत्रपति अम्बेश** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष हैन्डलूम के तैयार शुदा वस्त्रों के निर्यात से देश ने कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : वर्ष 1973-74, 1974-75 और 1975-76 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान हैन्डलूम के सिले सिलाए परिधानों के निर्यात से क्रमशः लगभग 50.78 करोड़ रु०, 74.14 करोड़ रु० तथा 71.78 करोड़ रु० की आय हुई है ।

अरब देशों से पूंजी निवेश

3025. **श्री नूरूल हुडा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ अरब देश भारत में गैर-सरकारी पूंजी-निवेश करने की योजना बना रहे हैं और यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे पूंजी निवेशों के लिए अनुमति प्रदान कर दी है और यदि हां, तो इसमें कौन कौन से औद्योगिक क्षेत्र अन्तर्ग्रस्त हैं; और

(ग) ऐसे पूंजी निवेशों के साथ भारतीय फर्मों का कहां तक सहयोग है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) तक भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल संघ के एक शिष्टमंडल ने, जिसने जनवरी, 1975 में पश्चिम एशिया के कुछ देशों का दौरा किया था, भारत में संयुक्त उद्यमों में अरब देशों द्वारा पूंजी लगाए जाने की कुछ संभावनाओं पर विचार किया था। जब ऐसे प्रस्ताव प्राप्त होंगे तब उन पर सरकार की विदेशी पूंजी संबंधी नीति के अनुरूप विचार किया जायगा और इन संयुक्त उद्यमों में भारतीय फर्मों के सहयोग से संबंधित पहलू पर भी उचित ध्यान दिया जायगा।

नार्वे से वित्तीय सहायता

3226. **श्री नूरुल हुडा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नार्वे की सरकार ने हाल ही में भारत को अनुदानों के रूप में वित्तीय सहायता देने का निर्णय किया है;

(ख) उक्त सहायता संबंधी शर्तें क्या हैं तथा वह कितनी मात्रा में होंगी, और

(ग) क्या उक्त सहायता किन्हीं विशिष्ट परियोजनाओं के लिए हैं और यदि हां, तो किन परियोजनाओं के लिए ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) नार्वे सरकार भारत को 20 वर्षों से अनुदान के रूप में प्रक्रियात्मक सहायता देती है। यह सहायता बिना किसी विशेष शर्त के सीधे अनुदान के रूप में दी जाती है। वर्ष 1976 के लिए 6 करोड़ 30 लाख नार्वे कोन (लगभग 10 करोड़ 30 लाख रुपए) के सहायता अनुदान की पेशकश की गई है।

(ग) नार्वे की सहायता का इस्तेमाल मीन उद्योग और नौकानिर्माण, परिवार नियोजन, विज्ञान और टेकनालाजी तथा वनविज्ञान जैसे क्षेत्रों में परस्पर सम्मत परियोजनाओं और कार्यक्रमों के लिए और उर्वरकों और कागज जैसी वस्तुओं की सप्लाई के लिए किया जाता है।

सहकारी मत्स्य उद्योग योजनाओं को सहायता

3027. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि पुनर्वित और विकास निगम ने वर्ष 1975 में प्रत्येक राज्य में सहकारी मत्स्य उद्योग योजनाओं के वित्तपोषण के लिए कितनी राशि दी है; और

(ख) ये सहकारी मत्स्य उद्योग योजनाएं किस हद तक सफल रहीं ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ने अभी तक विभिन्न राज्यों में सहकारी समितियों द्वारा कार्यान्वित की जाने

वाली मछली-पालन विकास की 17 योजनायें स्वीकृत की हैं । इन योजनाओं की 29 फरवरी, 1976 की स्थिति निम्न प्रकार है:--

(लाख रुपयों में)

राज्य	योजनाओं की संख्या	कुल वित्तीय सहायता	कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम की वचनबद्धता	फरवरी 1976 तक लिये गये ऋण
1. उड़ीसा	1	39	35	--
2. गोवा	1	40	36	—
3. गुजरात	2	198	179	--
4. महाराष्ट्र .	3	180	84	78
5. आन्ध्र प्रदेश .	1	58	39	—
6. कर्नाटक	2	208	143	137
7. केरल	3	204	154	48
8. पांडिचेरी	2	47	34	15
9. तामिलनाडू .	2	104	74	46
जोड़ . . .	17	1078	778	324

(ख) सहकारी मछली—पालन योजनायें मुख्य रूप से प्रबंधकीय और अन्य विभिन्न समस्याओं के कारण आमतौर से आशानुकूल साबित नहीं हुई हैं । कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम अपने स्तर पर इन समस्याओं के समाधान का उपाय कर रहा है ।

नियंत्रित कपड़े का उत्पादन

3028. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नियंत्रित कपड़े का उत्पादन पूर्णतया हथकरघा और विद्युतकरघा क्षेत्र को देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इन क्षेत्रों के इस कार्य के सक्षम बनाने हेतु क्या उपाय किए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

रक्षा कर्मचारियों की विधवाओं को पेंशन की अदायगी

3029. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1965 तथा 1971 के संघर्षों के दौरान शहीद हुए रक्षा कर्मचारियों की विधवाओं को पेंशन की अदायगी अभी तक नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त दोनों वर्षों में से प्रत्येक से संबंधित ऐसे मामलों की संख्या कितनी है; और

(ग) अदायगी संबंधी मामलों को अन्तिम रूप से निपटाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) वर्ष 1965 तथा 1971 के संघर्षों के दौरान शहीद हुए रक्षा कर्मचारियों की विधवाओं को पेंशन देने के सभी दावों को मंजूरी दे दी गई है और पेंशन-भोगियों की पसन्द के पेंशन वितरण अधिकारियों के माध्यम से पेंशन के भुगतान को अधिसूचित कर दिया गया था । किसी भी पेंशन वितरण अधिकारी द्वारा पेंशन का भुगतान न करने के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा औद्योगिक एककों को दिया गया ऋण

3030. **श्री नाथूराम अहिरवार : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कितने औद्योगिक एककों को ऋण दिया गया;

(ख) प्रत्येक औद्योगिक एकक को कितनी ऋण राशि दी गयी तथा उस ऋण से कितने औद्योगिक एकक शुरू किए गए; और

(ग) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है कि जिस उद्योग के लिए ऋण दिया गया था उससे वही उद्योग चालू किया गया है अथवा कोई अन्य ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्यमंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) रिजर्व बैंक द्वारा आधारभूत आंकड़ों के विवरणों के तैयार करने की वर्तमान व्यवस्था के अधीन, जो केवल दिसम्बर, 1972 से शुरू की गई है, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बकाया ऋणों का वर्गीकरण व्यवसाय और बैंक समूहवार है, न कि एककवार ।

ये आंकड़े खातों की संख्या, ऋण-सीमा और बकाया राशि के बारे में संबंधित वर्ष के जून और दिसम्बर के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति को प्रकट करते हैं । उद्योगों को दिये गये ऋणों के विषय में जून, 1973, दिसम्बर, 1973 और जून, 1974 के अन्तिम शुक्रवारों को ताजा उपलब्ध सूचना क्रमशः संलग्न अनुबन्ध I, II और III में दी जा रही है । [ग्रन्थालय में रखे गये / देखिए संख्या एल० टी०-10758/76]

(ग) रिजर्व बैंक द्वारा मार्च, 1971 में सभी वाणिज्यिक बैंकों को उनकी विशिष्ट ऋण योजनाओं के विषय में जारी किये गये मार्ग दर्शक सिद्धांतों के अधीन बैंकों को यह सलाह की गई है कि वे अपने द्वारा दिये गये ऋणों की राशि के अन्तिम-उपयोग पर नजर रखने के पर्याप्त अनुवर्ती और पर्यवेक्षी प्रबंधों की व्यवस्था करें और बैंक इसका भी सुनिश्चिय करें कि उनके द्वारा दिया गया ऋण उसी उद्देश्य के लिये इस्तेमाल किया गया है जिसके लिये वह लिया गया था न कि किसी और उद्देश्य के लिये ।

सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के उत्पादों का मूल्य निर्धारण

3031. **श्री बालकृष्ण वेनकन्ना नायक : क्या वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के उत्पादों के मूल्य निर्धारित करने के बारे में पुनः विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो नए मूल्य निर्धारित करते समय किन-किन बातों को ध्यान में रखा जा रहा है;

(ग) घड़ियों जैसे उत्पादों, जिनके उत्पादन में सरकारी क्षेत्र को राष्ट्रीय एकाधिकार प्राप्त है, के मूल्य किस आधार पर निर्धारित किए जायेंगे; और

(घ) क्या कुछ उत्पादों के मामले में मूल्यो को अस्थिर रहने दिया जायेगा; और यदि हां, तो वे उत्पाद कौन-कौन से हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) राष्ट्रीय महत्व के कुछ बुनियादी उत्पादों जैसे कोयला तेल, उर्वरक, इस्पात आदि के मूल्य तय करने पर निरंतर ध्यान रखा जाता है और उनका पुनरीक्षण किया जाता है । इस समय अन्तर्मन्त्रालयिक समितियों द्वारा कोयला और उर्वरक के मूल्यों पर पूरी सावधानी से पुनर्विचार किया जा रहा है ।

(ख) उपर्युक्त उत्पादों के मूल्य निश्चित करने में सामान्यतः निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाता है :

(1) सही ढंग से प्राप्त की जा सकने वाली क्षमता के अनुसार उत्पादन लागत ।

(2) उपभोक्ता कितना मूल्य दे सकते हैं;

(3) उत्पादकों के लिए समुचित लाभ; और

(4) विदेशी उत्पादों की जहाज से उतरने तक की लागत ।

(ग) जिन उत्पादों पर सरकारी क्षेत्र के किसी उद्यम का एकाधिकार हो अथवा उससे मिलती-जुलती स्थिति हो, उनके मामले में सामान्यतः उन जैसे आयतित उत्पादों की जहाज से उतरने तक की लागत को अधिकतम मूल्य-सीमा मानकर उससे नीचे उचित मूल्य निश्चित किया जाता है ।

(घ) यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के कुछ उत्पादों जैसे फोटोफिल्म, एक्सरे फिल्म, गलनरोधी ईंटें, कुछ दवाइयां, कीटनाशक दवायें, भारी रसायन, संरचनात्मक ढांचे, भारी इंजीनियरी का सामान, इलेक्ट्रानिक उपस्कर, केबल, ट्रेक्टर, मशीनी औजार आदि का मूल्य बाजार-मांग और पूर्ति के सामान्य सिद्धान्त के आधार पर निश्चित किया जाता है ।

Training to Weavers in preparing Carpets

3032. **Shri K.M. Madhukar** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that carpets and durries of superior quality used to be produced in a place named Mehsi in eastern Champaran District in Bihar and without Government assistance this industry has virtually collapsed there; and

(b) if so, whether Government propose to give training for preparing carpets of superior quality to the weavers of Mehsi also ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

विदेशों में संयुक्त प्रकम

3033. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में संयुक्त उपक्रम हमारे देश के लिए लाभप्रद सिद्ध हुए हैं, और

(ख) यदि हां, तो इन उपक्रमों के कारण अब तक कुल कितनी विदेशी मुद्रा स्वदेश प्रत्यावर्तित हुई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) विदेशों में भारतीय संयुक्त उद्यमों में भाग लेने वालो से प्राप्त सूचना के अनुसार अब तक लाभांश, तकनीकी जानकारी के शुल्कों तथा अन्य प्राप्तियों से विदेशी मुद्रा की आय 4.43 करोड़ रुपये है । इन उद्यमों से उत्पन्न मुक्त विदेशी मुद्रा में भुगतान पर अतिरिक्त निर्यात 18.30 करोड़ रुपये के थे ।

जाली करेंसी नोटों को बनाना

3034. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में, विशेषकर बिहार में जाली करेंसी नोट बनाने के अनेक मामलों की सूचना मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो गत नौ महीनों के दौरान ऐसे कितने मामलों की सूचना मिली है ; और

(ग) इस प्रकार अवैध रूप से करेंसी नोट बनाने के काम को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) हमारे देश के कानून में जाली करेंसी और जाली बैंक नोट बनाने वालों के लिए सख्त से सख्त सजा की व्यवस्था है । राज्यों के पुलिस अधिकारी इस संबंध में बराबर नजर रखते हैं और किसी व्यक्ति के बारे में ऐसी जालसाजी की सूचना मिलते ही वहां छापा मारते हैं । केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो भी जाली करेंसी तैयार करने में अपनाए जाने वाले विभिन्न तकनीकों का रिकार्ड रखकर और बाजार में आने वाली जाली भारतीय करेंसी की समय-समय पर समीक्षा करके इस समस्या का लगातार अध्ययन करता रहता है । जाली करेंसी बनाने के गंभीर अपराधों की जांच करने और इस सम्बन्ध में राज्यों में किए जाने वाले जांच कार्यों में तालमेल बिठाने के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के आर्थिक अपराध स्कंध में एक 'सेल' की स्थापना भी की गई है ।

विदेशों को धन भेजा जाना

3035. **श्री प्रबोध चन्द्र** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विदेशी कम्पनियों द्वारा घोषित लाभांश के रूप में बहुत अधिक धनराशि विदेशों को भेजी जाती है; और

(ख) यदि हां, तो इसको रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) सरकारी नीतियों के अनुसार विदेशी कम्पनियों द्वारा भारत में लगाई गई पूंजी पर अर्जित लाभों और लाभांशों की रकमें बाहर भेजी जा सकती हैं बशर्ते कि उन पर लगने वाले भारतीय कर अदा कर दिए गए हों । अनुमान है कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धाराओं के लागू कर दिए जाने से ऐसी रकमों में बराबर कमी होती जाएगी ।

भारत में विदेशी पूंजी निवेश

3036. **श्री वयालार रवि** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में देश में विदेशी पूंजी निवेश में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक के जुलाई, 1975 के बुलेटिन में प्रकाशित सब से हाल के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार जिसमें मार्च 1972 को समाप्त होने वाली अवधि का उल्लेख किया गया है निगमित औद्योगिक और वाणिज्यिक उद्यमों में लम्बी अवधि के लिए लगाई गई विदेशी पूंजी में 1971-72 और 1970-71 को समाप्त हुए वित्त वर्षों के दौरान क्रमशः 13.6 करोड़ रुपए और 8.9 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई । इस बुलेटिन से 1969-70 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के दौरान 3.2 करोड़ रुपए की कमी का पता चलता था । ये आंकड़े विदेशी कम्पनियों की अपनी शाखाओं में लगाई गई निवल पूंजी और भारत में निगमित विदेश. नियंत्रित कम्पनियों और भारत में निगमित अन्य विदेशी कम्पनियों के इक्विटी शेयरों में लगाई गई विदेशी पूंजी के द्योतक है ।

पोलिएस्टर फाइबर के निर्माण के बारे में विश्व बैंक मिशन की सिफारिशें

3037. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक मिशन ने भारत में चालू दशाब्दी के अन्त तक पोलिएस्टर फाइबर की निर्माण क्षमता में 12 गुनी वृद्धि करने का समर्थन किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) विश्व बैंक के एक मिशन ने अपने उपयोग के लिए एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें इस दशाब्दी के अन्त तक के लिए पोलिएस्टर रेशे की मांग का जितना अनुमान लगाया है वह उत्पादन की मौजूदा क्षमता से काफी अधिक है ।

(ख) सरकार ने इसे नोट कर लिया है और पोलिएस्टर रेशे के उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित करते समय इस बात का उचित ध्यान रखा जाएगा ।

केरल के लिए हथकरघा योजनाएं

3038. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री ने त्रिवेन्द्रम में कहा है कि केरल के लिये दो नई हथकरघा योजनाओं की मंजूरी की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) केरल राज्य के लिए दो नई हथकरघा विकास योजनाए मंजूर की गई हैं जिनमें एक महन विकास परियोजना है और दूसरी निर्यात उत्पादन परियोजना है । पहली परियोजना में 10,000 करघे लिए गए हैं । परियोजना का उद्देश्य उन बुनकरों की सहायता करना है जो सरकारी क्षेत्र में नहीं हैं जिससे वे अपनी उत्पादकता और मजूरी के स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकें । इस परियोजना की

लागत 1.85 करोड़ रु० है जो पांच वर्ष की अवधि में खर्च की जानी है। इस राशि में संस्थागत वित्त शामिल नहीं है जो 3 करोड़ रु० से भी अधिक है। इस योजना के मुख्य घटक हथकरघों का आधुनिकीकरण, डिजाइन व प्रशिक्षण केन्द्र की व्यवस्था बुनकरों का प्रशिक्षण, बुनाई-पूर्व तथा बुनाई उपरांत प्रोसेसिंग सुविधाओं की व्यवस्था, कच्चे माल की सफाई और तैयार उत्पादों की बिक्री की व्यवस्था है।

निर्यात अभिमुख परियोजना का उद्देश्य वस्त्रों की निर्यात योग्य किस्मों का उत्पादन बढ़ाना है। यह परियोजना ऐसे क्षेत्रों में शुरू की जानी है जहां पहले से निर्यात योग्य किस्मों का विनिर्माण हो रहा है या उनके विनिर्माण की संभाव्यता है। इस परियोजना की लागत 40 लाख रु० होगी और यह राशि 5 वर्ष में खर्च की जाएगी। इसमें संस्थागत वित्त शामिल नहीं है जो लगभग 50 लाख रु० है। इस योजना के घटक भी गहन विकास परियोजना के घटकों से मिलते-जुलते हैं और अन्तर केवल इतना है कि इस परियोजना में विनिर्मित होने वाली हथकरघे की शत प्रतिशत मदें निर्यात के लिए हैं। इन परियोजनाओं से उत्पादन का परिमाण तथा विदेशी मुद्रा की आय बढ़ने के अलावा बुनकरों की मजूरी के स्तर भी सुधरेंगे।

'हीराकुड लेक' का पर्यटन स्थल के रूप में विकास

3039. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हीराकुंड से देवगढ़ तक राष्ट्रीय राजपथ संख्या 6 को मिलाकर तथा वन्य जीवों का शिकार करने के लिये विकसित शरण-स्थलों, मोटलों और बारह महीने चलने वाले झरने की व्यवस्था कर के 'हीराकुंड लेक' की पर्यटन स्थल काम्प्लक्स के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि उपरोक्त पर्यटन स्थल काम्प्लैक्स हीराकुंड और राउरकेला के उद्योग समूह के भीतर होगा; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का निकट भविष्य में इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) फिलहाल हीराकुंड लेक का केन्द्रीय क्षेत्र में पर्यटक विहार-स्थल काम्प्लैक्स के रूप में विकास करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

अभ्रक का निर्यात

3040. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व के अभ्रक के व्यापार में भारत का व्यापार कितने प्रतिशत है; और

(ख) क्या गत कुछ वर्षों में अभ्रक के निर्यात में कमी होती रही है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) लगभग 80 प्रतिशत।

(ख) जी नहीं। विगत कुछ वर्षों के दौरान अभ्रक के निर्यातों का स्तर सामान्यतः बनाए रखा गया।

परिचालन में करेंसी नोटों का मूल्य

3041. **श्री शंकर राव सावंत** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (एक) मार्च, 1974, (दो) मार्च, 1975 और (तीन) मार्च, 1976 के अन्त में परिचालन में करेंसी नोटों का मूल्य कितना था; और

(ख) परिचालन में करेंसी नोटों की संख्या को कम करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जनता के पास करेंसी के मूल्य का ब्योरा इस प्रकार है :—

निम्नलिखित के अन्त में	मूल्य-करोड़ रुपए
मार्च, 1974	6349
मार्च, 1975	6378
मार्च, 1976	6733 (अनन्तिम)

(ख) जनता में मुद्रा के प्रसार को, बाजार में चल रहे नोट जिसका एक हिस्सा होते हैं, नियंत्रण में रखने के लिए मुद्रा विषयक और राजकोषीय कई प्रतिबन्धात्मक उपाय किए गए हैं । इनमें अतिरिक्त महंगाई भत्ते और मजदूरी पर रोक लगाना, आयकर दाताओं द्वारा अनिवार्य रूप में जमा कराना, काले धन पर प्रतिबंध लगाना आदि जैसे उपाए शामिल हैं । इन उपायों के बावजूद, 1975-76 में जनता के पास उपलब्ध करेंसी के मूल्य में वृद्धि हुई है, जिसका मुख्य कारण बैंकों के पास विदेशी मुद्रा परसम्पत्तियों में वृद्धि होना तथा सरकारी अनाज वसूली कार्यों सहित वाणिज्यिक क्षेत्र को भारी मात्रा में ऋणों का दिया जाना है ।

पेंशनभोगियों को अन्तरिम राहत

3042. **श्री शंकर राव सावंत** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे पेंशनभोगियों को अन्तरिम राहत देने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है जिनके मामले तीन महीनों से अधिक समय से अनिर्णीत पड़े हैं; और

(ख) यदि हां, तो उस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) हाल ही में, फरवरी, 1976 में आदेश जारी किए गए हैं जिनके अनुसार सेवा-निवृत्ति की तारीख से कम से कम एक महीने पहले पेंशन अदायगी आदेश जारी करना होता है तथा जिन मामलों में किसी कारण से ऐसा करना सम्भव नहीं हो पाया हो उनमें सेवा-निवृत्त होने वाले कर्मचारी के कार्यालयाध्यक्ष को उस महीने की पहली तारीख तक अन्तिम पेंशन की अदायगी को प्राधिकृत करना होता है जिसमें वह देय होती है । अतः कोई भी मामला ऐसा नहीं होना चाहिए जहां कोई कर्मचारी सेवा-निवृत्ति के पश्चात् एक महीने से ऊपर बिना पेंशन (इसमें अनन्तिम पेंशन शामिल है) के रह जाए ।

आर्थिक संकट ग्रस्त कपड़ा और पटसन मिलें

3043. **श्री शंकर राव सावंत** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक राज्य में कपड़े और पटसन की कितनी मिलें आर्थिक दृष्टि से संकटग्रस्त हुई हैं;

(ख) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों ने क्रमशः उनमें से कितनी मिलें अपने नियंत्रण में ले ली हैं; और

(ग) दोनों सरकारों ने कितनी मिलों की ओर अभी तक ध्यान नहीं दिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) विगत तीन वर्षों के दौरान किसी वस्त्र/पटसन मिल को संकटग्रस्त घोषित नहीं किया गया । तथापि, नवम्बर 1974 में उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन एक सूती वस्त्र मिल को अधिकार में लिया गया था और उसका प्रबन्ध राज्य सरकार को सौंप दिया गया था । यह मिल बंद पड़ी हुई थी और न्यायालय की देखरेख में मिल कम्पनी समाप्त की जा रही थी । कुछ मिलें बंद पड़ी हैं और उनमें से ऐसी मिलों को पुनः चालू करने की ओर ध्यान दिया जा रहा है जिन्हें जीवन क्षम आधार पर चलाया जा सकता है।

बिहार में पर्यटन केन्द्रों का विकास

3044. **श्री नवल किशोर सिंह** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में और विशेषकर बिहार में ऐसे विभिन्न स्थानों के नाम क्या हैं जिनका वर्ष 1976-77 में पर्यटन केन्द्रों के रूप में विकास करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : पर्यटन का विकास एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है । 1976-77 के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र में पर्यटन के आधारभूत उपक्रमों (आवास तथा परिवहन सुविधाओं) के निर्माण, भारत को लक्ष्य बनाकर आने वाले पर्यटकों को अधिक मात्रा में आकर्षित करने के लिए चुने हुए क्षेत्रों के पर्वतीय तथा समुद्र-तटीय विहारस्थलों के रूप में विकास, पुरातात्विक तथा ऐतिहासिक स्मारकों की यात्रा के रूप में सांस्कृतिक पर्यटन के विकास, और वन्य जीव पर्यटन के विकास पर बल दिया गया है । इस प्रयोजन के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में 1976-77 के बजट प्राक्कलनों में 667.64 लाख रुपए की व्यवस्था का अनुमोदन किया गया है । इस राशि में से, भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा पटना में स्वागत केन्द्र-व-होटल को पूरा करने तथा बोध गया में वर्तमान यात्री लाज का विस्तार करने के लिए 9.50 लाख रुपए की राशि निर्धारित की गयी है । पर्यटन विभाग द्वारा प्रारंभ किये गये राजगिर तथा नालंदा के मास्टर प्लान (भू-प्रयोग योजनाएं) तैयार करने का कार्य भी 1976-77 के दौरान पूरा हो जाएगा । इनका तैयार किया जाना इन स्थानों के योजनाबद्ध विकास के लिए एक पूर्वापेक्षा है ।

Payment of overtime allowance in nationalised banks

3045. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of Finance be pleased to state the amount paid as overtime allowance in various nationalised banks after the proclamation of emergency and upto March, 1976 and the amount paid as overtime allowance during the corresponding period in the last three years ?

The Minister of State in charge of Deptt. of Revenue & Banking (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : The information collected from the 14 nationalised banks regarding overtime paid during the years 1973, 1974 and 1975 is detailed in the statement attached. [Placed in Library *see* No. L.T.—10751/76].

Complaints in respect of hotels run by I.T.D.C. in Delhi

3046. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of Tourism and Civil Aviation be pleased to state :

(a) The number of complaints made by Indian and foreign tourists during the last one year with respect to the hotels being run by India Tourism Development Corporation in Delhi and the names of those hotels;

(b) the nature of those complaints or suggestions and the action taken by Government thereon; and

(c) whether the standard of day-to-day service in these hotels, particularly in Janpath hotel, has been deteriorating which is causing great discontentment among visitors ?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Shri Surendra Pal Singh) : (a) The number of complaints received by the India Tourism Development Corporation from Indian and foreign tourists during the year 1975-76 with respect to the hotels being run by them in Delhi was 358. The names of the hotels along with the number of complaints received in respect of each is given below

Name of the Hotel	No. of Complaints received
Ashoka Hotel	119
Akbar Hotel	43
Janpath Hotel	61
Ranjit Hotel	72
Lodhi Hotel	60
Qutab Hotel	3
Total :	358

(b) The complaints/suggestions varied from hotel to hotel, but were mainly in regard to various services in the hotels and lack of certain facilities like chilled water, swimming pool, etc. All complaints/suggestions are carefully looked into by the hotel management and prompt remedial action is taken. In order to ensure prompt handling of complaints/ suggestions and to improve the services, Complaint/Inspection Cells have been set up in the Hotels Division of the India Tourism Development Corporation.

(c) No, Sir. The standard of day-to-day services in all the ITDC hotels have shown considerable improvement. The hotels have received many appreciative letters from the guests. In the case of the Janpath Hotel the services have improved as will be seen from the drop in the number of complaints received from 91 in 1974-75 to 61 in 1975-76, and the number of appreciative letters having increased from 30 to 41 during the same period.

Expenditure on Items served to passengers by Indian Airlines

3047. Shri Shankar Dayal Singh : Will the Minister of Tourism and Civil Aviation be pleased to state :

(a) whether toffees, cotton and re-freshners are supplied to the passengers during flights by the Indian Airlines;

(b) if so, the expenditure incurred thereon during the last three years, year-wise; and

(c) the names of the establishments who supplied these items to the Indian Airlines and the payment made to them every year ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) Details of expenditure incurred on toffees, cotton ear plugs and air fresheners, together with the names of suppliers during the last three years, year-wise, are given in the attached statement.

Statement

Description of Item	Year	Payment made	Name of Supplier
		Rs.	
Freshener (Air-Freshener)	1973-74	3.71 lakhs	M/s. Orient Enterprises, Calcutta.
	1974-75	3.85 lakhs	Do.
	1975-76	4.28 lakhs	Do.
		1.58 lakhs	M/s. Deepak, Bomby.
Assorted Sweets	1973-74	2.53 lakhs	M/s. Nutrine Confectionery Ltd. Chittore (A.P.)
	1974-75	3.36 lakhs	Do.
	1975-76	4.11 lakhs	M/s. Parry's Confectionaries, Madras.
Cotton Ear Plugs	1973-74	0.15 lakhs	M/s. Raja Trading Co., Calcutta.
		0.06 lakhs	East India Stationery Co., Bombay.
	1974-75	0.14 lakhs	Raja Trading Co., Calcutta.
		0.03 lakh	East India Stationery Mfg. Co., Bombay.
		0.05 lakhs	Sion Wadala Kurla Chembur Mahila Mandal, Bombay.
		0.005 lakhs	Standard Envelope Mfg. Co. Bombay.
	1975-76	0.29 lakhs	M/s. Raja Trdg. Co. Calcutta.
		0.04 lakhs	M/s. Singh Packing & Printing, Bombay.
		0.03 lakh	M/s. Mahila Udyog Kala Kendra, Bombay.

उड़ीसा के लिये विश्व बैंक की सहायता

3048. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने राज्य में विशेष कर आदिवासी क्षेत्रों में कुओं की खुदाई का खर्च वहन करने के लिए केन्द्र सरकार के माध्यम से विश्व बैंक से सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार उड़ीसा में खेती की एक सघन परियोजना के लिए विश्व बैंक से सहायता मांग रही है। इस परियोजना में अन्य बातों के साथ-साथ छोटी सिंचाई का विकास तथा आदिवासी क्षेत्रों सहित राज्य के विभिन्न भागों में खेती के विकास का कार्य भी शामिल होगा।

मध्य-पूर्वी देशों को निर्यात

3050. श्री अरविन्द एम० पटेल :
श्री एन० आर० बेकारिया :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य-पूर्वी देशों को कौन-कौन सी वस्तुओं का निर्यात किया जा रहा है; और

(ख) वर्ष 1974-75 तथा 1975-76 के दौरान निर्यात की गई इन वस्तुओं का मूल्य कितना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) मध्य-पूर्वी देशों को भारत के निर्यात की प्रमुख मदें निम्नोक्त प्रकार हैं :—

1. चाय
2. काफी
3. मसाले
4. चावल
5. चीनी
6. पटसन निर्मित माल
7. रुई निर्मित माल
8. लोहा तथा इस्पात
9. इंजीनियरी माल—बिजली की मशीनें
10. मांस तथा मांस से बनी वस्तुएं
11. हस्तशिल्प की वस्तुएं
    (क) रत्न तथा आभूषण
    (ख) हाथ से बने कालीन तथा ड्रगेट
12. काजू गिरी
13. जूते
14. कांच तथा कांच के बर्तन
15. रासायनिक पदार्थ तथा संबद्ध उत्पाद
16. प्लास्टिक तथा प्लास्टिक से बनी वस्तुएं
17. तम्बाकू तथा तम्बाकू से बनी वस्तुएं
18. रबड़ से बनी वस्तुएं
19. सीमेंट
20. कागज तथा गत्ता
21. अन्य सामान

(ख) इन देशों को भारत के निर्यात 1975 में 639.71 करोड़ रुपये तथा अप्रैल-दिसम्बर 1975 अवधि के दौरान 508.15 करोड़ रुपये के हुए । 1975-76 के पूरे वर्ष के लिए आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

राज्यों की राजधानियों में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को नगर प्रतिपूर्ति भत्ता देना

3051. **श्री शशि भूषण** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा तीसरे वेतन आयोग की स्वीकार की गई सिफारिश के अनुसार राज्यों की राजधानियों में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को नगर प्रतिपूर्ति भत्ता देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ;

(ख) कितने राज्यों में राजधानियों में कर्मचारियों को नगर प्रतिपूर्ति भत्ता दिया जा रहा है; और

(ग) कितने राज्यों में वह नहीं दिया जा रहा है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) तीसरे वतन आयोग ने सिफारिश की है कि राज्यों की राजधानियों तथा अन्य स्थान जो अपनी जनसंख्या के आधार पर अर्हक नहीं हैं तथा जो असाधारण रूप से खर्चीले हैं उनके मामले में नगर प्रतिपूर्ति भत्ते की मजूरी देने के संबंध में उनके गुणावुण के आधार पर विचार किया जाए । उन राज्यों की राजधानियों में जहां पर इस समय प्रतिपूर्ति भत्ता नहीं दिया जा रहा है उनके मामलों में इस सिफारिश को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है।

(ख) और (ग) वर्तमान में नगर प्रतिपूर्ति भत्ता तथा अन्य इसके समान भत्ता अठारह राज्यों की राजधानियों में दिया जा रहा है और यह तीन राजधानियों अर्थात भोपाल, इम्फाल और भुवनेश्वर में नहीं दिया जा रहा है।

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के अन्तर्राष्ट्रीय विकास संगठन (आई० डी० ए०) से ऋण

3052. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय विकास संगठन आई०डी०ए० ने ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को विकास कार्यों के और अधिक विस्तार का ऋण मंजूर किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस ऋण की शर्तें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ एक करार किया है जिसके अधीन संघ ने भारत में लघु सिंचाई के लिए कुओं के लिए बिजली देने पर जोर देने के साथ-साथ गांवों में बिजली लगाने के काम को तेजी करने के लिए 570 लाख अमरीकी डालर का ऋण देना मंजूर किया है।

(ख) यह ऋण 10 वर्षों की रियायती अवधि सहित 50 वर्षों में चुकाया जाएगा तथा इस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा लेकिन इस पर केवल एक प्रतिशत के 3/4 की दर से वार्षिक सेवा प्रभार लगेगा ।

सोवियत संघ के एक व्यापार दल द्वारा भारत की यात्रा

3053. **श्री राजदेव सिंह** :

श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ का एक पांच सदस्यीय व्यापार दल अभी हाल में दिल्ली आया था ;

(ख) क्या 1976-80 की अवधि के पांच वर्षों के लिए एक व्यापार करार सफलतापूर्वक सम्पन्न किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो करार की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) 1976-80 के लिए दीर्घावधि व्यापार करार को अन्तिम रूप देने के लिए अप्रैल, 1976 में सोवियत संघ के विदेश व्यापार मंत्री महामहिम श्री एन०एस० पटोलिचेत के नेतृत्व में एक सोवियत व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने भारत का दौरा किया। 1976-80 के लिए व्यापार करार की मुख्य विशेषताएं ये हैं :—

(1) व्यापार समानता एवं पारस्परिक लाभ के आधार पर किया जायेगा ।

(2) वाणिज्यिक तथा गैर-वाणिज्यिक लेन-देन के लिए भुगतान भारतीय रुपये में किये जाते रहेंगे ।

(3) दोनों सरकारें माल के आयात व निर्यात के लिए, आयातों तथा निर्यातों पर लगाए गए किसी प्रकार के सीमा शुल्कों तथा प्रभारों, एक दूसरे के राज्यक्षेत्र में वाणिज्यिक कार्य कलापों में लगे होने पर व्यक्तिगत सुरक्षा व सम्पत्ति की सुरक्षा के सम्बन्ध में और एक दूसरे के राज्य क्षेत्र में दोनों में से किसी भी देश के जहाजों के लिए परम मित्र राष्ट्र व्यवहार प्रदान करेंगे।

2. दोनों सरकारें व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेने में एक दूसरे को सुविधा प्रदान करेंगी।

3. दोनों सरकारें दोनों देशों के व्यापारिक तथा औद्योगिक संगठनों के बीच व्यापारिक सम्बन्ध को सुदृढ़ बनाने में तथा व्यापार का विस्तार करने में सुविधा प्रदान करेंगी ।

4. दोनों सरकारें पारस्परिक लाभ के आधार पर तीसरे देशों में उत्पादन सहयोग तथा संयुक्त उद्यमों के नए अवसरों का पता लगाएंगी ।

राज्य व्यापार निगम के निर्यात में वृद्धि

3054. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने वर्ष 1975-76 के पहले अर्द्ध-भाग में ही समूचे वर्ष में निर्यात में वृद्धि का लगभग 90 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या वृद्धि की यह गति आगामी महीनों तथा वर्षों के दौरान भी बनाई रखी जाएगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) लगभग 80 प्रतिशत।

(ख) निर्यातों में यह वृद्धि बाजारों का विविधीकरण करके, बहतर इकाई मूल्य प्राप्त करके, मात्रा बढ़ा कर तथा विदेशी बाजारों में नए गैर-परम्परागत उत्पादों का प्रचलन करके प्राप्त की गई है।

(ग) जी हां । निर्यात वृद्धि की गति को बनाए रखने के लिए भरसक प्रयास किया जा रहा है।

बढ़िया चाय बागानों का बेचा जाना

3055. **श्री रानेन सेन :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक बढ़िया (स्टर्लिंग) चाय बागानों को बेचा जायेगा;

(ख) यदि हां तो उसके बारे में क्या तथ्य हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) विदेशी कम्पनियों के स्वामित्व वाले चाय बागानों को बेचने की अनुमति विदेशी मुद्रा अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत अन्य बातों के साथ-साथ कीमत के औचित्य तथा अन्य सम्बद्ध मापदण्ड के बारे में चाय बोर्ड के माध्यम से जांच करने के पश्चात् ही दी जाती है। 9 स्टर्लिंग चाय कम्पनियों के आवेदन पत्रों पर विचार किया जा रहा है जिनमें 72 चाय बागान आते हैं।

बैंकों की कार्य कुशलता तथा लाभप्रदता की जांच करने के लिए कार्यकारी दल का गठन

3054. **श्री रानेन सेन :**
श्री जगन्नाथ मिश्र :
श्री राम भगत पासवान :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक ने बैंकों की कार्यकुशलता तथा लाभप्रदता के प्रश्न की जांच करने के लिए एक कार्यकारी दल का गठन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कार्यकारी दल के क्या निष्कर्ष हैं ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्यमंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2 अप्रैल, 1976 को अपने कार्यकारी निदेशक श्री जे० सी० लूथर की अध्यक्षता में एक कार्यकारी दल गठित किया गया है, जो बैंकों की कार्य कुशलता और लाभार्जकता के प्रश्न की जांच करेगा । आशा है कि यह दल सितम्बर, 1976 के अन्त तक अपनी रिपोर्ट दे देगा ।

सैनीटरी के ढले हुए सामान का निर्यात

3057. **श्री रानेन सेन :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम एशिया और खाड़ी के देशों में सैनीटरी के ढले हुए सामान के निर्यात के लिए बहुत बड़ी मण्डी उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) सैनीटरी के ढले हुए सामान का निर्यात करने वालों ने उनके लिए नियत किए गए लक्ष्य को कहां तक प्राप्त किया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) पश्चिम एशिया तथा खाड़ी के देशों को सेनीटरी के ढले हुए सामान के निर्यात के लिए कोई अलग लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है । लेकिन इन देशों को 1974-75 में लगभग 1.83 करोड़ रु० के तथा 1975-76 के पहले नौ महीनों में 1.68 करोड़ रु० मूल्य के निर्यात हुए थे।

भारत पर्यटन विकास निगम कर्मचारी संघ के साथ समझौता

3058. **श्री भान सिंह भौरा :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम के प्रबंध तथा अखिल भारतीय पर्यटन विकास निगम कर्मचारी संघ के बीच 23 अगस्त, 1974 को किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) किए गए समझौते की मुख्य-मुख्य बातें संलग्न विवरण में दी गई हैं ।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी०-10752/76]

हथकरघा निर्यात केन्द्रों की स्थापना

3059. **श्री प्रबोध चन्द्र :**

सरदार महेन्द्र सिंह गिल :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में हथकरघा निर्यात केन्द्रों की स्थापना की गई है; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर ये केन्द्र काम कर रहे हैं अथवा उनके इस वर्ष खोले जाने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) अभी तक देश के विभिन्न भागों में हथकरघा निर्यात उत्पादन केन्द्र स्थापित करने की 12 योजनाएं अनुमोदित की जा चुकी हैं जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है । आठ और हथकरघा निर्यात उत्पादन केन्द्रों के शीघ्र ही अनुमोदित किए जाने का प्रस्ताव है ।

विवरण

निम्नलिखित राज्यों के संबंध में एक-एक निर्यात उत्पादन केन्द्र अनुमोदित किया गया है जो चालू वर्ष के दौरान स्थापित किए जाएंगे :—

क्रमांक	राज्य का नाम	केन्द्र का स्थान
1.	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद और जनगांव
2.	कर्नाटक	बंगलौर
3.	केरल	कन्ननूर
4.	तमिलनाडु	करूर
5.	उत्तर प्रदेश	फरूखाबाद तथा इटावा
6.	हरियाणा	पानीपत
7.	राजस्थान	बीकानेर, चुरू, जैसलमेर तथा जयपुर
8.	पश्चिम बंगाल	बर्करा, नादिया, पश्चिम दीनाजपुर, बिराजपुर, मुरशिदाबाद तथा पुरुलिया

1.	2	3
9.	मध्यप्रदेश	स्थान राज्य सरकार द्वारा दर्शाया जाना है
10.	उड़ीसा	जगतसिंहपुर, नौपटना, वारापल्ली, हिंजीसीकाटु तथा खुर्दा
11.	महाराष्ट्र	सोलापुर
12.	बिहार	भागलपुर

आर्थिक संकटग्रस्त कपड़ा कारखानों के आधुनिकीकरण के बारे में सरकार को सलाह देने के लिए पैनल गठित करने का प्रस्ताव

3060. **श्री बसन्त साठे :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक संकटग्रस्त कपड़ा कारखानों के आधुनिकीकरण के बारे में सरकार को सलाह देने के लिए जनप्रतिनिधियों और तकनीकी विशेषज्ञों का पैनल गठित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) चालू वर्ष और पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अगले दो वर्षों के परिव्यय के वर्षवार चरणों सहित निर्धारित आधुनिकीकरण नीति का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) संकटग्रस्त कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण के बारे में सरकार को सलाह देने के लिए जन प्रतिनिधियों तथा तकनीकी विशेषज्ञों का पैनल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । 1-4-74 से 103 संकटग्रस्त कपड़ा मिलों का राष्ट्रीयकरण किया गया है । इन मिलों में से 87 मिलों के बारे में 57.13 करोड़ रुपए तक का आधुनिकीकरण कार्यक्रम पहले ही मंजूर किया जा चुका है तथा इसमें से 23.14 करोड़ रुपए का कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा चुका है ।

विदेशों में संयुक्त उपक्रम

3061. **श्री बसन्त साठे**
सरदार महेन्द्र सिंह गिल :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चयनात्मक आधार पर भारतीय उद्यमियों को विदेशों में भारतीय संयुक्त उपक्रमों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए नकद राशियों के अन्तरण की अनुमति देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) और (ख) विदेशों में संयुक्त उद्यमों में भारतीय भागीदारी के सामान्य मार्गदेर्शी सिद्धान्तों के अनुसार, विदेशों में कंपनी स्थापित करने के लिए प्रारंभिक व्यय के संबंध में अपेक्षित छोटी राशियों को छोड़कर के नकद राशि भेजने की अनुमति नहीं है । मार्गदर्शी सिद्धांत अभी भी लागू है । तथापि, जहां भारतीय संयुक्त उद्यम नकद राशि भेजने के अलावा दूसरे तरीकों से इक्विटि प्राप्त करने की स्थिति में नहीं होते, वहां सरकार अलग-अलग मामले पर, परिस्थिति के गुणावगुण के आधार पर, नकद राशि भेजने के अनुरोधों पर अनुकूल दृष्टि से विचार करती है ।

दस्तकारी की वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए एक संगठन स्थापित करने का प्रस्ताव

3062. **श्री वसन्त साठे** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सम्पन्न बाजारों में दस्तकारी की वस्तुओं को बढ़ावा देने तथा उनके विपणन के लिए एक विस्तृत संगठन स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है, और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं तथा इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Aircraft Impounded by Customs Authorities at Santa Cruz Airport

3063. **Shri Ramavatar Shastri :**

Shri K.M. Madhukar :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether customs officials impounded a Boeing 707 of the Trans-Mediterranian airways on the 2nd April, 1976 at Santa Cruz airport in Bombay;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the action taken by Government in this regard?

The Minister of State in Charge of Deptt. of Rev. & Banking (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) to (c) On 2-4-1976, a Boeing 707 of the Trans-Mediterranian Airways was impounded by the Customs authorities at Santa Cruz Airport for transportation of contraband goods, on its earlier flight of 27-2-1976. The aircraft was relseased on 7-4-1976 on a bond with bank surety of Rs. 5 lakhs. In this connection goods valued Rs. 30 lakhs have been seized and 15 persons have been arrested.. Further investigations are in progress.

Dacoity in Bank of India, Patna, Bihar

3064. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether a gang of armed dacoits committed a dacoity in broad day light in Bank of India in Patna city on the 26th March, 1976;

(b) if so, the amount looted from the bank;

(c) whether Government have found out the causes and the persons involved in this dacoity;

(d) if so, the facts thereof; and

(e) the action taken by Government to check the recurrence of such incidents?

The Minister of State in Charge of Deptt. of Rev. & Banking (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) to (d) Bank of India has reported that on 26th March, 1976 at about 5.15 P.M., some armed persons entered the premises of its Patna City Branch and looted a sum of Rs. 3.55 lakhs. The branch has lodged a complaint with the police and police investigations have not yet concluded.

(e) As all criminal offences including dacoity relate to the subject of law and order, a subject dealt with by the State Government; it is for the State Government concerned to take appropriate measures to check re-occurrence of such incidents.

Theft cases in branches of State Bank of India, Bihar

3065. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether cases of cash being found short or of theft often take place in various branches of the State Bank of India in Bihar;

(b) whether cash to the tune of rupees ten thousands has thus been found short in these banks;

(c) if so, whether a Member of Parliament has written a letter to him in this connection; and

(d) if so, the action taken to check such cases and apprehend the persons responsible therefor ?

The Minister of State in Charge of Deptt. of Rev. & Banking (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) and (b) The State Bank of India has reported that there has been shortage of cash in three of its branches at Patna, as indicated below :—

Sl. No.	Name of the Branch	Amount of Shortage	Date on which shortage occurred
1.	Patna Main Branch	Rs. 10,000	28-10-1975
2.	Rajendra Nagar Branch	Rs. 7,805	2-9-1975
3.	J.C. Road Branch	Rs. 10,000	12-3-1976

In all the three cases mentioned above, the Cashiers concerned made good the shortage on the very same day, the shortage occurred.

(c) Yes Sir.

(d) In all the three cases mentioned above, the Bank has initiated departmental action against the Cashiers concerned for negligence. The bank has referred the case of shortage of cash in Patna Main Branch to the Central Bureau of Investigation for investigation. The bank has also reiterated its instructions for ensuring the safety of drawer and cages and enjoined upon the Cashiers to be more vigilant in this regard.

Rules for overdrafts from banks by depositors

3066. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of Finance be pleased to state;

(a) whether there are rules which allow overdraft facility to the depositors from banks;

(b) if so, the main terms therefor;

(c) whether the Danapur (Patna, Bihar) branch of the State Bank allowed overdraft facility to the people, violating the prescribed rules; and

(d) the action taken against the officers who violated the rules ?

The Minister of State in Charge of Deptt. of Revenue and Banking (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) and (b) Reserve Bank of India have reported that they have not issued any direction to banks in connection with the overdraft facilities to be allowed to depositors. Banks have discretion to grant such facilities subject to the stipulation of interest chargeable on these advances/loans.

(c) and (d) State Bank of India have reported to have received a complaint about irregular advances granted by the Danapur branch. Their preliminary investigations revealed that certain overdraft facilities allowed by their branch Manager, Danapur were irregular and in excess of his diseretionary power. Pending further investigations, the branch Manager has been removed from the charge of that branch.

तिरुचिरापल्लि के निकट आश्रम पर छापा मारा जाना

3067. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उत्पादन शुल्क एवं सीमाशुल्क के अधिकारियों ने मद्रास में तिरुचिरापल्लि के निकट किसी आश्रम पर मार्च, 1976 में छापा मारा था, और

(ख) यदि हां, तो छापे का क्या परिणाम निकला ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) तथा (ख) जी, हां । 19-3-1976 से तिरुचिरापल्लि के निकट मैवाझिसलै आश्रम और कुछ अन्य स्थानों पर अनेक छापे मारे गये हैं । 26-4-1976 की सूचना के अनुसार छापे अभी भी मारे जा रहे थे ।

इन छापों के परिणामत: मैवाझिसलै परिसर के अन्तर्गत और बाहर दोनों स्थानों से, 26-4-76 तक, सोने के बिस्कुट, शुद्ध सोना, सोने की वस्तुएं, सोने के आभूषण, चांदी की छड़ें और बहुमूल्य रत्न पकड़े गये हैं जिनका मूल्य लगभग 26.697 लाख रुपय है ।

पंजाब में पर्यटन को बढ़ावा देने सम्बन्धी योजना

3068. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में पर्यटन को लोकप्रिय बनाने और इस बारे में समन्वय करने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है ;

(ख) क्या पंजाब में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा कोई नई योजना प्रारंभ की जा रही है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग) पर्यटन विभाग अपने विदेशों में स्थित कार्यालयों के माध्यम से भारत में पर्यटक रुचि के स्थानों का प्रचार अखिल भारतीय आधार पर करता है न कि राज्यवार आधार पर । पंजाब में ऐसे पर्यटक रुचि के स्थानों का जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिये लोकप्रिय हैं और जो सड़क द्वारा यात्रा करने वाले पर्यटकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, केन्द्रीय क्षेत्र में विकास किया जा रहा है । पंजाब में प्रदान की गयी सुविधाओं में अमृतसर में एक युवा होस्टल तथा लुधियाना में एक पर्यटक बंगला सम्मिलित हैं । सड़क द्वारा यात्रा करने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिये अमृतसर में एक शिविर स्थल स्थापित करने का भी प्रस्ताव है । उत्तरी भारत के बारे में प्रकाशित ऐसी विवरणिकाओं (ब्रोश्यूर्स) में जैसे "डिस्कवर इंडिया", "फेस्टीवल्स आफ इंडिया" इत्यादि में पंजाब के आकर्षण स्थलों तथा त्यौहारों का भी समावेश किया गया है । इन विवरणिकाओं का भारत और विदेशों में व्यापक रूप से प्रसारण एवं वितरण किया जाता है ।

वाणिज्यिक बैंकों में उपभोक्ता सेवा

2069. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्य बैंकों में उपभोक्ता-सेवा में सुधार लाने के लिए कोई उपाय किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) सरकार के अनुरोध पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा हाल ही में, अपनी ग्राहक सेवा के स्वरूप और गुण में सुनिश्चित सुधार के निम्नलिखित विशेष उपाय किये गये हैं :

(क) समय की पाबन्दी, अनुशासन, सतर्कता प्रक्रियाओं को चालू करने, बेहतर कर्मचारी संबंध और रवैये द्वारा प्रशासकीय कुशलता में सुधार;

(ख) बकाया काम निपटाने के विशेष अभियानों, अधिकारों के प्रत्यायोजन के बेहतर संरचना, और विशेषतः छोटे ऋण कर्ताओं के ऋणों का जायजा लेने के वास्ते सुधरे हुए तंत्र द्वारा काम को तेजी से निपटान, और

(ग) स्टेट बैंक आफ इंडिया के अध्यक्ष श्री आर० के० तलवार की अध्यक्षता में गठित ग्राहक सेवा विषयक कार्यकारी दल की अन्तमि रिपोर्ट में की गयी अधिकांश सिफारिशों का कार्यान्वियन।

. भावनगर के समीप पकड़ी गई मछली पकड़ने वाली पाकिस्तानी नौका

3070. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमाशुल्क अधिकारियों ने भावनगर के समीप वेरावल पत्तन से मछली पकड़ने वाली एक पाकिस्तानी नौका, 'सेविन स्टार' 24 मार्च, 1976 को जब्त की थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई गिरफ्तारियां की गई हैं ; और

(ग) इस मामले में आगे क्या कार्यवाही की गई है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) सीमाशुल्क अधिकारियों ने पाकिस्तान में पंजीकृत एम०एफ०वी० 'सेविन स्टार' नाम की मछली पकड़ने की एक नौका को, जाल, मछली आदि सहित वैरावल के नजदीक सुतरपाडा पत्तन के परे रोक लिया और बाद में उसे 23-3-76 को पकड़ लिया।

(ख) और (ग) जलयान पर स्थित कर्मीदल के 17 सदस्यों को पास पोर्ट नियम और विदेशियों विषयक अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही के लिए सुतरपाडा (वेरावल) में पुलिस अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया गया। कर्मीदल के सदस्यों को न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी वेरावल, के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने उनके खिलाफ विदेशियों विषयक अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के उल्लंघन के कारण एक मामला दर्ज किया है। वर्तमान में कर्मीदल के सभी सदस्य जूनागढ़ में न्यायिक हिरासत में हैं।

कर्मीदल के सदस्यों को सीमाशुल्क अधिनियम 1962 के अन्तर्गत 22-4-1976 को एक कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया गया है।

राज्य व्यापार निगम द्वारा केप्रोलेक्टम के मूल्य कम करना

3071. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बाताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम ने आयातित केप्रोलेक्टम के मूल्य कम कर दिए हैं ;

(ख) क्या इससे नाइलोन के निर्माताओं को लाभ होगा; और

(ग) क्या यह लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाएगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

बैंक ऋण अधिक मात्रा में दिया जाना

3072. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आगामी महीनों में बैंक ऋण अधिक मात्रा में दिए जाने की आशा है और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस स्थिति का किस प्रकार सामाना करने का विचार है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) : भारत सरकार को आगामी महीने में बैंक-ऋण अधिक मात्रा में दिए जाने की कोई आशा नहीं है ।

(ख) इस समय, बैंकों के जमा जुटाने के साधन पिछले वर्ष की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ रहे हैं । इसके साथ ही साथ, आगामी महीनों में मौसमी उद्योगों को दी गई राशि से कुछ वापसी की भी आशा है, जिससे बैंक ऋणों को अतिरिक्त संभावित मांगों को पूरा करने में सहायता मिलेगी ।

भारतीय रिजर्व बैंक देश में ऋण स्थिति पर बराबर नजर रख रहा है ।

सरकारी उद्यम ब्यूरो को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रस्ताव

3073. **श्री शशि भूषण** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उद्यम ब्यूरो को सुदृढ़ बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है ताकि वह सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों, वर्कशाप और विचार-गोष्ठियों का आयोजन कर सके; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रक्रिया में कितना समय लगेगा ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) : प्रत्येक सरकारी उद्यम अपने विशेषज्ञों और प्रविधिज्ञों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण की व्यवस्था सामान्यतः स्वयं करता है । किन्तु प्रबंध विकास से सम्बन्धित प्रशिक्षण कार्यक्रम कुछ बाह्य प्रशिक्षण संस्थानों जैसे भारतीय प्रबंध संस्थान, भारतीय प्रशासनिक कर्मचारी कालेज आदि की सहायता से पूरे किए जाते हैं । सरकारी उद्यम कार्यालय प्रतिवर्ष उद्यमों को देश के प्रमुख प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा आयोजित प्रबंधकीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सूचीपत्र भेजता है ताकि सरकारी उद्यम अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजना समय से तैयार कर सकें । उपक्रमों के प्रबंध विकास में सहायता देने के लिए सरकारी उद्यम कार्यालय अभी भी सरकारी उद्यमों के प्रबंधकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं एवं संगोष्ठियां आयोजित करता है । सरकारी उद्यम कार्यालय अन्य निकायों जैसे सरकारी

उद्यमों के स्थाई सम्मेलन, प्रबंध-प्रशिक्षण संस्थाओं आदि को भी इस समय में यथावश्यक सहयोग देता है। उपर्युक्त कार्यों को अपने हाथ में लेने के उद्देश्य से सरकारी उद्यम कार्यालय को सुदृढ़ बनाने का फिलहाल कोई विशेष प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कर्नाटक में 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अधीन बटाईदारों, ग्रामीण दस्तकारों और छोटे किसानों को दिए गए ऋण

3074. **श्री के० मालन्ना** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों की वे योजनाएं क्या हैं जिसके अन्तर्गत कर्नाटक राज्य के बटाईदारों, ग्रामीण दस्तकारों तथा छोटे किसानों का बीस-सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम के अधीन ऋण दिए गए हैं; और

(ख) लघु सिंचाई, डेरी विकास, मुर्गी पालन योजनाओं और ऐसी ही अन्य योजनाओं के लिए वित्त देने हेतु सहकारी समितियों को दिए गए ऋणों सम्बन्धी आंकड़े क्या हैं ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित सभी सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत कमजोर वर्गों को जैसे कृषि मजदूरों, छोटे किसानों, ग्रामीण कारीगरों आदि को जो इस कार्यक्रम में शामिल हैं, सहायता देने के लिए विशेष ऋण योजनाएं तैयार की हैं। इन योजनाओं के अधीन उदार शर्तों और रियायती, ब्याज दरों पर वित्तीय सहायता दी जाती है। विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत पात्र ऋणकर्त्ताओं को बहुत कम ब्याज दर, अर्थात् 4 प्रतिशत पर, ऋण दिया जाता है। जहां विभेदी ब्याज दर योजना लागू नहीं हैं उन जिलों में, ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को जो कि अन्यथा विभेदी ब्याज दर योजना के अधीन सहायता के पात्र होते, दिए गए ऋणों पर, राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को अपनी सामान्य ऋण-दर और 4 प्रतिशत ब्याज दर के बीच के अन्तर की राशि, राज्य सरकारों द्वारा साहाय्य (सब्सिडी) के रूप में प्राप्त होती है।

कर्नाटक राज्य में, 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत दिए गए ऋणों के सम्बन्ध में आंकड़े जिस रूप में मांगे गए हैं उस रूप में वे उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन कर्नाटक में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र को दिए गए ऋणों और बकाया राशि के विषय में जून, 1975 के अन्त की स्थिति नीचे दी जा रही है।

(राशि लाख रुपयों में)

	प्रत्यक्ष ऋण		अप्रत्यक्ष ऋण	
	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि
भारतीय स्टेट बैंक समूह	47066	1511.93	47579	841.41
राष्ट्रीयकृत बैंक .	152202	3574.03	46488	1753.92
अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	11441	845.39	3453	89.02
जोड़ . .	210709	5931.35	97520	2684.35

(ख) कर्नाटक में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा सहकारी समितियों को दी गई वित्तीय सहायता के विषय में सम्बंधित आंकड़े नीचे दिए जा रहे हैं :—

1. 30 जून, 1975 को वाणिज्यिक बैंकों द्वारा वित्त पोषित प्राथमिक कृषि ऋण समितियों की संख्या 619

2. 30 जून, 1975 को उनके विषय में बकाया राशि :

अत्यावधिक ऋण :	731.60 लाख रुपए
मध्यावधिक ऋण —	78.29 लाख रुपए
नकद ऋण —	15.90 लाख रुपए

लेकिन उद्देश्यवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है ।

नियंत्रित कपड़े का उत्पादन

3075. **श्री के० मालन्ना** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में वर्ष-वार सरकार द्वारा नियंत्रित और निजी कपड़ा मिलों में कितने मीटर नियंत्रित कपड़े का उत्पादन हुआ ;

(ख) इस अवधि में नियंत्रित कपड़े का प्रति मीटर औसत मूल्य क्या रहा; और

(ग) क्या नियंत्रित कपड़े के सम्बन्ध में गत 6 महीनों में सरकार की नीति में कोई परिवर्तन आया है यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) कंट्रोल के कपड़े के उत्पादन-आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

अवधि	उत्पादन (लाख वर्ग मीटर में)
जनवरी-दिसम्बर, 1973	4290.0
जनवरी-दिसम्बर, 1974	6903.9
जनवरी-दिसम्बर, 1975	7029.1

(ख) विभिन्न किस्मों के लिए कंट्रोल के कपड़े की कीमतें गुणक सुत्रों के रूप में निर्धारित की जाती हैं जो अधिसूचित किए जा चुके हैं।

(ग) निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं :—

(i) सरकारी तथा प्राइवेट क्षेत्र की उन मिलों को एक वर्ष की अवधि के लिए कंट्रोल के कपड़े के उत्पादन से छूट दी गई है जिन्होंने अपने नवीनतम तुलनपत्र में आरक्षित निधि का हिसाब दिखाने के बाद, संचित हानि प्रकट की है।

(ii) ऐसी मिलों को उनके निर्यातों के सम्बन्ध में कटौती दी जाती है जो अपने उत्पादन के 80 प्रतिशत से अधिक का निर्यात करती हैं।

(iii) कंट्रोल की धोतियां तथा साड़ियां हथकरघा क्षेत्र के लिए आरक्षित करने का निर्णय लिया गया है परिवर्तन संबंधी व्यवस्थाओं को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद यह निर्णय कार्यान्वित किया जाएगा।

हीरों का निर्यात

3076. **चौधरी नीतिराज सिंह :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार हीरों के निर्यात को, विशेषरूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भारत में तराशे गये हीरे विदेशों में उनके यहां तराशे गये हीरों की तरह बिक रहे हैं, सहायता करने का है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : सरकार द्वारा रत्न निर्यात व्यापार को सहायता देने के लिए अपेक्षित सभी संभव कदम उठाये जा रहे हैं। पालिश किए हुए रत्न, जिनमें हीरे भी शामिल हैं, मुख्यत: थोक आभूषण विक्रेताओं को बेचे जाते हैं और खरीदारों के पास आभूषणों के अंग बन कर पहुंचते हैं। भारत ने छोटे आकार के रत्नों को तराशने में विशेषज्ञता प्राप्त कर रखी है जो रत्न उद्योग के अन्य प्रमुख केन्द्रों में प्रोसेस नहीं किए जाते अत: इस संबंध में गलत बात कहकर माल बेचने की संभावना बहुत गंभीर नहीं है।

ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों के माध्यम से ऋण दिया जाना

3077. **चौधरी राम प्रकाश :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में धन के अधिक प्रवाह को सुनिश्चित करने की दृष्टि से बैंकों के माध्यम से ऋण देने के लिए सरकार ने कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1974-75 के दौरान बैंकों के माध्यम से विशेष रूप से हरियाणा राज्य में बैंकों के माध्यम से दिये गये धन के बारे में आंकड़े क्या हैं और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितना धन दिये जाने का प्रस्ताव है?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद से वाणिज्यिक बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में काफी मात्रा में ऋण प्रदान कर रहे हैं। केन्द्रीय सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की है जो मुख्य रूप से ग्रामीण समाज की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हैं।

(ख) हरियाणा में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि एवं अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को दिये गये ऋणों की जून, 1975 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति नीचे दी जा रही है:—

(अनन्तिम)

(राशि लाख रुपयों में)

	खातों की संख्या	स्वीकृत सीमायें	बकाया राशि
1	2	3	4
कृषि . . .	60620	5046.49	2467.29
छोटे पैमाने के उद्योग . .	4826	5221.27	3127.17
सड़क और जल परिवहन चालक . . .	1473	301.42	223.22
खुदरा व्यापार	5215	327.44	233.60

1	2	3	4
छोटे व्यवसाय . . .	2483	68.68	57.04
व्यावसायिक और स्वनियोजित व्यक्ति . .	2668	62.93	43.16
शिक्षा . .	42	1.57	1.29
जोड़ .	77327	11029.80	6152.77

ताजा उपलब्ध सूचना के अनुसार हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जो हरियाणा के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से एक है, द्वारा दी गई कुल राशि मार्च, 1976 के अन्त तक 10.48 लाख रुपये थी। अभी हाल ही में गुड़गांव जिले में एक और बैंक की स्थापना हुई है। चालू वर्ष के दौरान, बैंकों द्वारा दिये जाने वाले प्रस्तावित अग्रिमों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं हैं।

भारतीय हस्तकला तथा हथकरघा निर्यात निगम की भूमिका

3078. **चौधरी राम प्रकाश :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन राज्यों के क्या नाम हैं जिनमें भारतीय हस्तकला तथा हथकरघा निर्यात निगम की भूमिका बहुत सक्रिय रही है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम देश के लगभग सभी राज्यों से हस्तशिल्प तथा हथकरघा वस्तुओं के निर्यात के विकास के लिए सक्रिय भूमिका अदा कर रहा है।

कपड़ा बाजार में कपड़े की बहुतायत

3080. **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि बजट पेश करने के बाद कपड़ा बाजार में कपड़े की बहुतायत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) कपड़ा बाजार की वर्तमान स्थिति से ऐसा संकेत नहीं मिलता कि माल की कोई भरमार है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली में एक बैंक के काउंटर पर से नकदी का गुम हो जाना

3081. **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे :**
श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पार्लियामेन्ट स्ट्रीट के एक बैंक के एक काउन्टर पर से 5 अप्रैल, 1976 को 30.000 रु० की राशि गुम पाई गई थी; और

(ख) यदि हां, तो मामले के तथ्य क्या हैं ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) बैंक ऑफ बड़ौदा ने सूचित किया है कि नयी दिल्ली पार्लियामेन्ट स्ट्रीट स्थित उसकी शाखा के एक खजांची ने 6 अप्रैल, 1976 को 30,030 रु० की राशि के कम होने की सूचना दी थी। बैंक ने इस मामले को, पुलिस को सूचित कर दिया है और पुलिस जांच जारी है। बैंक ने संबंधित खजांची को भी निलम्बित कर रखा है।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निर्यात ऋण के बारे में बैंकों को निदेश

3082. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने निर्यात ऋण के बारे में बैंकों को जो निदेश दिए हैं उन पर अब तक क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : वाणिज्यिक बैंक निर्यात क्षेत्र को कम ब्याज-दर पर बैंक ऋण देने के विषय में उच्च प्राथमिकता प्रदान कर रहे हैं। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये गये निर्यात ऋणों की राशि भी पिछले 5 वर्षों में काफी हद तक बढ़ गई है। 1 मार्च, 1970 के अन्त की 322 करोड़ रुपये की बकाया राशि जनवरी 1976 के अन्त में बढ़कर 870 करोड़ रुपये हो गई।

दिल्ली में रात्रि-सेवा वाले बैंक

3083. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ बैंकों ने दिल्ली में रात्रि-सेवायें शुरू की हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी सेवाओं के क्या परिणाम निकले हैं ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) रात्रि/सायंकालीन सेवाओं के परिणाम सन्तोषजनक बताये जाते हैं।

भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार करार

3084. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के बीच एक व्यापार-करार पर जनवरी, 1976 में हस्ताक्षर किये गये थे; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) भारत तथा पाकिस्तान के बीच जनवरी, 1976 में किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं। तथापि 1975 के पहले करार के अनुसरण में राज्य व्यापार निगम के एक प्रतिनिधिमंडल ने जनवरी, 1976 के दौरान इस्लामाबाद तथा कराची में पाकिस्तानी व्यापार निगम के साथ विचार विमर्श करने के लिए दौरा किया। व्यापार सम्भाव्यताओं का पता लगाया गया तथा कुछ निलम्बित सौदों को बातचीत द्वारा तय किया गया।

वर्ष 1975 के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की शाखायें खोलना

3085. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975 में प्रत्येक राज्य में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने कुल कितनी नई शाखाएं खोलीं;

(ख) औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुये घोषित किये गये जिलों और क्षेत्रों में स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया और सहायक बैंकों 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा अन्य वाणिज्यिक बैंकों ने कुल कितनी नई शाखाएं खोलीं; और

(ग) आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुये राज्यों तथा औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए जिलों और क्षेत्रों में धीमी गति से बैंक की शाखाएं खोले जाने के क्या कारण हैं ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) सूचना अनुबन्ध में दी जा रही है।

(ख) भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूचित किया है कि इस वर्ष के दौरान वाणिज्यिक बैंकों द्वारा खोली जाने वाली कुल शाखाओं में से 1006 शाखायें उन स्थानों पर खोली गई हैं जिन्हें औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए जिले घोषित कर दिया गया है।

(ग) औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों में उपलब्ध अपर्याप्त आधारभूत सुविधाओं और बहुत ही कम विकास संभाव्यताओं की पाबन्दियों के बाद भी, बैंकों ने इन पिछड़े क्षेत्रों/जिलों में अपने शाखाजाल का विस्तार का करने प्रयास किया है। उपलब्ध आंकड़ों से यह पता चलता है कि राष्ट्रीयकरण के बाद की अवधि में पिछड़े/कम बैंक वाले राज्यों और जिलों में विकास-दर अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा बहुत ऊंची रही है।

विवरण

1975 के दौरान भारत में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा खोली गयी शाखाओं की संख्या

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	शाखाओं की संख्या
1. आंध्र प्रदेश	157
2. असम	53
3. बिहार	135
4. गुजरात	143
5. हरियाणा	67
6. हिमाचल प्रदेश	22
7. जम्मू तथा काश्मीर	53

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	शाखाओं की संख्या
8 कर्नाटक	186
9. केरल	168
10. मध्य प्रदेश	118
11. महाराष्ट्र	208
12. मणिपुर	1
13. मेघालय	7
14. नागालैण्ड	5
15. उड़ीसा	65
16. पंजाब	126
17. राजस्थान	77
18. तमिलनाडु	179
19. त्रिपुरा	2
20. उत्तर प्रदेश	274
21. पश्चिम बंगाल	184
22. अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	---
23. अरुणाचल प्रदेश	2
24. चंडीगढ़	5
25. दादरा तथा नगर हवेली	---
26. दिल्ली	58
27. गोआ, दमन तथा द्वीव	14
28. लक्षद्वीप	---
29. मिजोरम	---
30. पांडिचेरी	4
कुल	2313

वर्ष 1975 के दौरान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को दिये गए ऋण

3086. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय**: क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष के 1975 अन्त में स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया तथा उसके अधीनस्थ बैंकों ने और चौदह राष्ट्रीयकृत बैंकों ने लघु उद्योगों को कुल कितनी राशि दी;

(ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने इन बकों को कुल कितनी राशि का पुनर्वित्त-पोषण किया; और

(ग) इन बैंकों द्वारा वर्ष 1975 के अन्त में कुल कितनी राशि दी गई ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) भारतीय स्टेट बैंक और उसके अनुषंगी बैंकों, तथा 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा छोटे पैमाने के उद्योगों को दिये गये ऋणों की राशि सितम्बर, 1975 के अन्त में 954.70 करोड़ रुपये थी।

(ख) 1970-71 से 1975-76 (जुलाई-दिसम्बर) के दौरान भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा छोटे पैमाने के उद्योगों को दी गयी कुल पुनर्वित्त सहायता 1335.12 करोड़ रुपये थी।

(ग) इन बैंकों के कुल ऋण (अन्तः बैंक अग्रिमों को छोड़ कर) दिसम्बर, 1975 के अन्त तक 8328.76 करोड़ रुपये थे)।

कच्चे काजू का आयात

3087. **श्री वयालार रवि** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अफ्रीकी देशों से किये गये करार के अन्तर्गत भारतीय काजू निगम कच्चे काजू का आयात किस मूल्य पर करेगा; और

(ख) उक्त मूल्य गत तीन वर्षों के दौरान आयात मूल्य की तुलना में कितना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) 1975-76 की फसल के मौसम के लिए भारतीय काजू निगम अब तक केवल कीनिया से उस कीमत पर क्रय संविदा कर सका है जो 1974-75 में दी गई कीमत से कम है लेकिन 1972-73 तथा 1973-74 की कीमतों से अधिक है। तंजानिया तथा मौजम्बीक से खरीदारियों के बारे में अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

पर्यटक होस्टलों का निर्माण

3088. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विदेशियों के लिए राज्यवार कितने पर्यटक होस्टलों का निर्माण किया जाना है; और

(ख) उनका लागत संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन होस्टलों में किन-किन सुविधाओं की व्यवस्था होगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) पर्यटन विभाग की विदेशी तथा देशीय युवकों और मध्य आय वर्ग वाले पर्यटकों के प्रयोग के लिए युवा होस्टलों तथा पर्यटक बंगलों की व्यवस्था करने की एक स्कीम है। इस स्कीम के अन्तर्गत, 1976-77 के दौरान दो युवा होस्टलों पांडिचेरी तथा मैसूर में एक-एक, तथा दो पर्यटक बंगलों, सेवाग्राम तथा गोरखपुर/अजमेर में एक-एक का निर्माण प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है।

(ख) यूनिटों की अनुमानित लागत के ब्यौरे तथा उपलब्ध की गयी सुविधाएं निम्न प्रकार हैं :—

(क) यूनिट का नाम	अनुमानित लागत	सुविधाएं
(क) युवा होस्टल	7 लाख रुपए प्रत्यक पर	शयन शालाओं में 44-47 शय्याएं; सांझी शौचालय सुविधाएं; एक लौंज, सस्ती खान-पान व्यवस्था सहित भोजन-कक्ष। एक पृथक् किचन खाना बनाने के लिए बर्तन किराए पर उपलब्ध कराए जाएंगे। वार्डन तथा सहायक वार्डन के लिए रिहायशी स्थान की व्यवस्था होगी।
(ख) पर्यटक बंगले	15 लाख रुपए प्रत्यक पर।	डबल कमरों तथा शयन शालाओं में 64-100 शय्याएं तथा संलग्न शौचालय; एक लौंज, तथा खान-पान सुविधाओं सहित एक भोजन कक्ष।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बिहार के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए दी गई राशि

3089. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए मार्च 1975 तक राष्ट्रीकृत बैंकों द्वारा दी गई राशि के आंकड़े क्या हैं ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : बिहार के अपेक्षाकृत पिछड़े जिलों में चौदहों राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिये गय ऋणों की बकाया राशि की दिसम्बर, 1974 के अन्त की स्थिति के उपलब्ध आंकड़े अनुबन्ध में दिये जा रहे हैं। **[ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी०-10753/76]**

ब्रिटेन को कपड़े का निर्यात

3090. **श्री पी० गंगा रेड्डी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन को भारत से किये जाने वाले कपड़े के निर्यात में गत वर्ष कमी हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारत-अमरीका संयुक्त आयोग

3091. **श्री भोगेन्द्र झा : डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-अमरीका संयुक्त आयोग की बैठक इस वर्ष हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसमें किये गये निर्णयों की मुख्य बातें क्या हैं?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) भारत-संयुक्त राज्य अमरीका संयुक्त आयोग के अन्तर्गत गठित आर्थिक और वाणिज्यिक उप-आयोग की बैठक नई दिल्ली में 24 और 25 मार्च, 1976 को हुई थी। इसमें किए गए निश्चयों की जानकारी, बठक के अन्त में जारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति में दी गई है, जिसकी प्रति संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल०टी०-10754/76]

जनता वैयक्तिक दुर्घटना बीमा योजना का ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार

3092. श्री के० एम० मधुकर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार जनता वैयक्तिक दुर्घटना बीमा योजना का ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) तथा (ख) साधारण बीमा कम्पनियों द्वारा चालू की गयी जनता वैयक्तिक दुर्घटना बीमा योजना उनके उन सभी कार्यालयों में पहले ही लागू है, जिनके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र भी आते हैं।

तमिलनाडु में कपड़ा मिलों में धागे का जमा हो जाना

3093. श्रीमती पार्वती कृष्णन् : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु में 90 कपड़ा मिलों में अब तक सबसे अधिक धागा जमा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अनेक मिलों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और चार मिलें बन्द हो गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रक्रितिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तमिलनाडु की वस्त्र मिलों में मार्च 1976 के अन्त में जमा पड़े यार्न का परिमाण कुल मिलाकर पिछले दो महीनों के परिमाण के मुकाबले कहीं अधिक था।

(ख) यार्न जमा हो जाने का कारण विकेन्द्रित क्षेत्र में कपड़े के भंडार जमा हो जाने के फल-स्वरूप यार्न की मांग का अभाव है।

(ग) जी हां।

(घ) उपचार के उपाय निकाले जा रहे हैं।

पर्यटन विभाग में टेलीफोन आपरेटर

3094. **श्रीमती पार्वती कृष्णन् : क्या पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकारी कार्यालयों में कार्य कर रहे टेलीफ़ोन आपरेटरों को 20 रुपये प्रतिमास का विशेष वेतन देने की मंजूरी दी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त आदेशों की पर्यटन विभाग (मुख्यालयों) में क्रियान्वित की गई हैं?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां। इस विषय पर सरकार के सामान्य आदेश दिनांक 20-9-74 के वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं० एफ० 6(15)-ई III(बी)/73 में दिये गये हैं।

(ख) परन्तु ये आदेश पर्यटन विभाग (मख्यालय) में दो टेलीफोन आपरेटरों पर स्वतः लागू नहीं होते क्योंकि उनका संबंध अवर श्रेणी लिपिक संवर्ग से नहीं है। दो टेलीफोन आपरेटरों को, जिससे कि उन्हें विशेष वेतन मंजूरी का पात्र बनाया जा सके अवर श्रेणी लिपिकों के संवर्ग में सम्मिलित करने का प्रश्न पहले ही उठाया जा चुका है तथा उस पर कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

एशियाई विकास बैंक से आसान शर्तों पर ऋण

3095. **श्री के० लकप्पा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान एशियाई विकास बैंक द्वारा दिये जाने वाले आसान शर्तों वाले ऋण में कथित कमी की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जो, हां।

(ख) यद्यपि भारत एशियाई विकास बैंक से उधार नहीं लेता है फिर भी, हमने इस क्षेत्र के विकासशील सदस्य देशों की विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रिआयती दरों पर उधार दिए जाने की जरूरत की ओर हमेशा ध्याद खींचा है।

वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि ऋणों का दिया जाना

3096. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ ग्रुप द्वारा तैयार आदर्श विधेयक राज्य सरकारों को विचार करने तथा आवश्यक विधान पारित करने के लिए भेजा है जिससे वाणिज्यिक बैंकों द्वारा सुचारु रूप से और तेजी से कृषि ऋण दिये जा सकें;

(ख) यदि हां, तो विशेषज्ञ ग्रुप ने विधेयक में किन मुख्य सिफारिशों और संशोधनों का सुझाव दिया है;

(ग) क्या सब राज्यों ने सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं और विधान पारित कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने अब तक सिफारिशों को क्रियान्वित किया है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां ।

(ख) विशेषज्ञ दल ने कृषि ऋणों की गति में अवरोध पैदा करने वाले राज्य सरकारों के नियमों के कुछ उपबन्धों में संशोधन करने का सुझाव दिया है। यह महसूस किया गया है कि रिपोर्ट में सुझाये गये विभिन्न प्रकार के संशोधनों को व्याप्त करने वाला कोई एक समेकित विधान बनाया जाना चाहिए। इस प्रयोजन के लिये उन्होंने एक आदर्श विधेयक (माडल बिल) का प्रारूप तैयार किया है। इस आदर्श विधेयक में अन्य बातों के साथ-साथ, वाणिज्यिक बैंकों के पक्ष में कृषकों के भूमि अन्तरण अधकारों; संस्थागत ऋण अभिकरणों के वास्ते प्रभारी (चार्जिज) की प्राथमिकता; वसूली और अन्य कार्यचालन कठिनाइयों को दूर करना और कृषि ऋण समितियों द्वारा कृषि का वित्त पोषण करना भी शामिल है।

(ग) और (घ) अभी तक 11 राज्य सरकारों ने अर्थात् हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, उड़ीसा और त्रिपुरा ने विशेषज्ञ दल की इस सिफारिश के अनुसरण में विधान बना लिये हैं/बना रहे हैं। अन्य राज्य सरकारों के साथ इस मसले पर बातचीत जारी है।

Construction of Hotels at places of Budhist Pilgrimage

3097. **Shri Chandra Shailani** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether any agreement has been reached or is likely to be reached for the construction of hotels for the convenience of tourists at Budhist places of pilgrimage in India with the cooperation of certain organisation of Japan; and

(b) if so, the main features thereof?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Shri Surendra Pal Singh) : (a) and (b) The proposal to construct hotels for the convenience of tourists at Budhist places of pilgrimage in India with the cooperation of a Japanese Organisation is at an exploratory stage.

Economic offenders

3098. **Shri Chandra Shailani** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of economic offenders declared as absconders by Government so far;

(b) the State-wise list of their names; and

(c) the concrete steps proposed to be taken by Government to arrest them ?

The Minister of State In Charge of Deptt. of Revenue and Banking (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) As on 24-4-1976, the number of persons who had been declared as absconders under section 7(1)(b) of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974, by the Central Government, was 51, out of which 11 had been detained.

(b) State-wise list of such persons declared as absconders is annexed. [Placed in Library. *See* No. L.T.-10755/76].

(c) The names of absconders are published in the Official Gazette. Government have also announced reward up to a maximum of Rs. 5,000/- per case to persons who furnish specific information leading to the apprehension of the absconders. Particulars of properties held by absconders are ascertained on a priority basis and action is taken under section 7(1)(a) of the above-mentioned Act for the attachment of properties. The apprehension of the absconders as well as the attachment of property is to be done by the State Governments, and the cases are being pursued with them vigorously, in addition to all help being rendered to them by the Central Government officers, in this regard.

पर्यटक केन्द्र

3100. **श्री बालकृष्ण बेंकन्ना नायक** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के सभी भावी पर्यटक केन्द्रों की एक सूची तैयार कर ली है जिनको अगर समग्र रूप से देखा जाये तो वह स्वदेशी एवं विदेशी किसी भी पर्यटक के लिए भारत की विरासत, संस्कृति तथा भूगोल की एक आदर्श तस्वीर प्रस्तुत करेंगी;

(ख) यदि हां, तो उनके राज्य-वार नाम क्या हैं; और

(ग) वास्तव में प्रशंसनीय पर्यटक केन्द्रों को प्रकाश में लाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है जो कि आज बड़े शहरों में विद्यमान प्रैसों के कारण अज्ञात हैं?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सूरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (ग) हमारे देश में पर्यटक आकर्षण के विविध एवं अनेकानेक केन्द्रों का बाहुल्य है। अतः पर्यटकों के लिये अपनी अपनी रुचि एवं लगाव के अनुसार देखने के बहुत सारे स्थान हैं। ऐसे आकर्षण स्थलों की एक सूची संलग्न है जहां कि अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। इन केन्द्रों का विदेशों में विज्ञापन, प्रचार आदि द्वारा पर्यटन के प्रोत्साहन की दृष्टि से प्रचार-प्रसार किया जाता है। ऐसे पर्यटन केन्द्रों की सूची, जहां कि स्वदेशी पर्यटक जाते हैं, राज्य सरकारों के पास उपलब्ध होनी चाहिए क्योंकि स्वदेशी पर्यटकों के लिये सुविधायें प्रदान करने की मुख्यतया जिम्मेदारी उन्हीं की है। प्रत्येक राज्य स्वदेशी पर्यटन स्थानों का चुने हुए प्रचार माध्यमों एवं जन सम्पर्क से प्रचार व प्रसार करता है।

विवरण

उन पर्यटन केन्द्रों की सूची जहां अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं

1. आगरा
2. अमृतसर
3. औरंगाबाद
4. अहमदाबाद
5. बम्बई
6. वाराणसी
7. बंगलौर
8. भोपाल
9. कलकत्ता

10. कोचीन
11. चंडीगढ़
12. दिल्ली
13. दार्जिलिंग
14. गोआ
15. गया-बौधगया
16. हैदराबाद
17. हरिद्वार/ऋषिकेश
18. जयपुर
19. जम्मू
20. खजुराहो
21. कन्या कुमारी
22. लखनऊ
23. मद्रास
24. मदुर
25. मैसूर
26. महाबलीपुरम
27. ऊटी/नीलगिरि
28. पटना
29. पांडिचेरी
30. पुरी
31. रामेश्वरम्
32. श्रीनगर
33. शिमला
34. तिरुचिरापल्ली
35. त्रिवेन्द्रम
36. उदयपुर

राज्य व्यापार निगम और खनिज और धातु व्यापार निगम द्वारा प्रयोगकर्ताओं और उपभोक्ताओं को शामिल करने के लिए कार्यवाही

3101. श्री बालकृष्ण बैंकन्ना नायक : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र में स्थित राज्य व्यापार निगम और खनिज और धातु व्यापार निगम जैसी आयात-निर्यात व्यापार एजेंसियों द्वारा माल की प्रमुख खरीद अथवा बिक्री सम्बन्धी निर्णय में प्रयोगकर्ताओं और अपभोक्ताओं को शामिल करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ख) क्या उक्त प्रयोजन के लिए गैर नौकरशाही और विशेषज्ञों वाली प्रतिनिधि स्वरूप की समितियों का गठन किया गया है; और

(ग) भ्रष्टाचार को रोकने तथा जनता में विश्वास पैदा करने के लिए अनेक बार जांच पड़ताल करने हेतु क्या व्यवस्था की गई है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग) राज्य व्यापार निगम तथा खनिज और धातु व्यापार निगम दोनों की पहले से ही कई सलाहकार समितियां हैं जिन में उद्योग तथा व्यापार के साथ-साथ अधिकारिक संगठनों और सरकारी विभागों के प्रतिनिधि लिए गए हैं। इसके अतिरिक्त समय-समय पर औद्योगिक एसोसिएशनों, निर्यात संवर्धन परिषदों और वस्तु बोर्डों आदि के साथ परामर्श तथा वार्ताएं आयोजित की जाती हैं। इन संगठनों में खरीद, बिक्री तथा नीति विषयक निर्णयों के सम्बन्ध में निम्नलिखित नियंत्रणों तथा प्रतिनियंत्रणों की व्यवस्था की गई है:—

(1) आयात संविदाओं के लिए सामान्यतः निविदाओं द्वारा पूछताछ की जाती हैं।

(2) खरीदारियों तथा अन्य प्रमुख कार्यों के सम्बन्ध में निर्णय लेने के लिए समितियां बनाई गई हैं जिनमें प्रबन्धकों तथा सरकारी विभागों के प्रतिनिधि लिए गए हैं।

(3) वास्तविक प्रयोक्ताओं को वितरण के लिए मार्गीकृत मदों की बिक्री कीमतों का निर्धारण कीमत समिति करती है जिसके अध्यक्ष आयात तथा निर्यात के मुख्य नियंत्रक हैं।

(4) मार्गीकरण अभिकरणों के विभिन्न प्रभाग के कार्य की मुख्य आन्तरिक लेखा परीक्षक तथा सरकारी लेखा परीक्षा दलों द्वारा समय जांच की जाती है।

(5) मार्गीकरण अभिकरणों द्वारा कच्चे माल की पूर्ति से सम्बन्धित व्यवस्थाओं के कार्यचालन की समीक्षा के लिए और 1976-77 की आयात नीति में घोषित नई प्रणाली के सफल कार्यान्वयन से उठने वाली संभावित समस्याओं के हल निकालने के लिए एक मानिटरिंग समिति स्थापित की गई है जिसमें विभिन्न सरकारी विभागों और मार्गीकरण अभिकरणों के प्रतिनिधि लिए गए हैं और इसके अध्यक्ष आयात तथा निर्यात के मुख्य नियंत्रक हैं।

इंडियन एयर लाइन्स के विमानों द्वारा कीटानाशक औषधियां छिड़कना

3102. **श्री बालकृष्णन वेंकन्ना नायक** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयर लाइन्स पौधों के संरक्षण के लिए विमानों द्वारा कीटनाशक औषधियां छिड़कने के लिए तकनीकी दृष्टि से समर्थ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य को अन्य एजेंसियों अथवा प्रयोजन के लिए विशेष रूप से गठित और निगमित निगमों को सौंपे जाने के क्या कारण हैं?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) जी, नहीं। कार्पोरेशन के विमान बेड़े के विमान इस प्रकार के परिचालन के लिए डिज़ाइन नहीं किये गये हैं।

कलकत्ता-जमशेदपुर विमान मार्ग पर निजी आपरेटरों द्वारा विमान चलाना

3103. **श्री स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

कलकत्ता-जमशेदपुर विमान मार्ग पर निजी आपरेटरों द्वारा कब से विमान चलाये जायेंगे?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : नागर विमानन के महानिदेशक ने नौ मार्गों पर जिनमें कलकत्ता-जमशेदपुर रुरकेला-राजगिर मार्ग भी सम्मिलित है विमान सेवाएं परिचालित करने के लिए इच्छुक पार्टियों से आवेदन-पत्र आमंत्रित किए थे।

भारत एयर, कलकत्ता तथा एग्रिकल्चरल एविएशन एंड जनरल को-आपरेटिव सोसाइटी, हैदराबाद ने, जिनके पास अनुसूचित परमिट हैं, इस मार्ग पर परिचालन करने में रुचि दिखाई है । अभी तक कोई तारीख निश्चित नहीं की गयी है।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, 1944 राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध तथा प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) स्कीम, 1976 सहायक बैंक (कर्मचारी निदेशकों की नियुक्ति) (संशोधन) नियम, 1976 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :—

(1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा सां० नि० 300 (ङ) जो दिनांक 22 अप्रैल, 1976 के भारत राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० सां० नि० 303 (ङ) जो दिनांक 26 अप्रैल, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल० टी०—10740/76]

(2) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियम; 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 297 (ङ) और 298 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति, जो दिनांक 21 अप्रैल, 1976 के भारत राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल०टी० 10741/76]

(3) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा (5) के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध तथा प्रकीर्ण उपबन्ध) (संशोधन) स्कीम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 20 मार्च, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 1088 में प्रकाशित हुई थी।

(4) भारतीय स्टेट बैंक (सहायक बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 62 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सहायक बैंक (कर्मचारी निदेशकों की नियुक्ति) (संशोधन) नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 20 मार्च, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 1090 में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 10743/76]

भारतीय सामान्य बीमा निगम, बम्बई का 1974 का वार्षिक प्रतिवेदन, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का संघ सरकार (डाक और तार), 1974-75 और (वाणिज्यिक) भाग 2, 1974-75 के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन और विनियोग लेखे (डाक और तार), 1974-75

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री **(श्रीमती सुशीला रोहतगी)** : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखती हूं :--

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत भारतीय सामान्य बीमा निगम, बम्बई के 31 दिसम्बर, 1974 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक--महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । **देखिए** संख्या एल टी० 10744/76]

(2) संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :--

(एक) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का वर्ष 1974-75 का प्रतिवेदन, संघ सरकार (डाक और तार)

[ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी० 10745/76]

(दो) भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक का वर्ष 1975 का प्रतिवेदन--संघ सरकार (वाणिज्यिक)--भाग 2--गार्डन रीच वर्कशाप लिमिटेड के कार्यकरण का मूल्यांकन ।)

[ग्रन्थालय में रखा गया । **देखिए** संख्या एल० टी० 10746/76]

(3) वर्ष 1974-75 के विनियोग लेखे, डाक और तार (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति

[ग्रन्थालय में रखे गये । **देखिए** संख्या एल० टी० 10747/76]

केन्द्रीय रेशम बोर्ड के 1973-74 के लेखा परीक्षित लेखे **वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)** : मैं केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 12 की उपधारा (4) के अन्तर्गत केन्द्रीय रेशम बोर्ड के वर्ष 1973-74 के लेखापरीक्षित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखे गये । **देखिए** संख्या एल० टी० 10748/76]

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

71वें प्रतिवेदन के बारे में पत्र

श्री राम सूरत प्रसाद (बंसगांव) : मैं भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड (विपणन तथा वितरण) पर सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के 50 वें प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति के 71वें प्रतिवेदन के अध्याय 5 में सम्मिलित सिफारिशों के उत्तर, जो प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिये सरकार द्वारा समय पर नहीं भेजे गये थे, दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

विधेयकों पर अनुमति

ASSENT TO BILLS

महासचिव : श्रीमान्, मैं राज्य सभा के महासचिव द्वारा विधिवत् प्रमाणित निम्नलिखित नौ विधेयकों की प्रति जो चालू संत्र के दौरान संसद को दोनों सभाओं द्वारा पारित किये गये और जिन पर सभा को 15 अप्रैल, 1976 को सूचना देने के बाद राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) भारतीय प्रकाश स्तम्भ (संशोधन) विधेयक, 1976

(2) भांडागारण निगम (संशोधन) विधेयक, 1976

(3) पटना उच्च न्यायालय (रांची में स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) विधेयक, 1976

(4) नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्ति तथा सेवा–शर्त) संशोधन विधेयक, 1976

(5) संघ लेखाओं का विभागीकरण (कार्मिक स्थानान्तरण) विधेयक, 1976

(6) बाट और नाप मानक विधेयक, 1976

(7) लौह अवस्क खान और मैंगनीज अवस्क खान श्रम कल्याण विधि विधेयक, 1976

(8) बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि विधेयक, 1976

(9) बेतवा नदी बोर्ड विधेयक, 1976

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

174वां, 178वां, 194वां, 219वां, 221 वां, 222 वां, और 223 वां, प्रतिवेदन

श्री एच० एन० मुकर्जी : (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :—

(1) वाणिज्य मंत्रालय के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के वर्ष 1972-73 के प्रतिवेदन, संघ सरकार (सिविल) के पैराग्राफ 30 और 31 नकद सहायता पर 174वां प्रतिवेदन।

(2) वाणिज्य मंत्रालय के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक के वर्ष 1972-73 के प्रतिवेदन, संघ सरकार (सिविल) के पैराग्राफ 29 मानव निर्मित वस्त्रों के निर्यात के लिए नकद सहायता पर 178वां प्रतिवेदन।

(3) वाणिज्य मंत्रालय के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक-महालेखा-परीक्षक के वर्ष 1973-74 के प्रतिवेदन, संघ सरकार (सिविल) के पैराग्राफ 31 टैक्सटाइल मशीनों के आयात पर 194वां प्रतिवेदन।

(4) सीमा शुल्क के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक –महालेखा परीक्षक के वर्ष 1973-74 के प्रतिवेदन संघ सरकार (सिविल), राजस्व प्राप्तियां 'खण्ड 1, अप्रत्यक्ष कर के पैराग्राफों––सीमा शुल्क प्राप्तियां पर 219वां प्रतिवेदन।

(5) इलैक्ट्रानिक्स विभाग––सरकारी विभागों में कम्प्यूटरों के लगाये जाने पर 221 वां प्रतिवेदन।

(6) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग)–आकस्मिकता निधि से दी गई अग्रिम राशियों के नियमितकरण पर 222वां प्रतिवेदन।

(7) वाणिज्य मंत्रालय के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक–महालेखा-परीक्षक के वर्ष 1973-74 के प्रतिवेदन, संघ सरकार (सिविल) के पैराग्राफ 30 नियंत्रित कपड़े पर 223 वां प्रतिवेदन।

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTEE

97वां, 93वां, 94वां, तथा 96वां प्रतिवेदन

श्री आर० के० सिन्हा (फैज़ाबाद) : मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं:—

(1) निर्माण और आवास मंत्रालय —गन्दी बस्तियां हटाना तथा आवास योजनाओं पर 97वां प्रतिवेदन।

(2) कृषि और सिंचाई मंत्रालय (कृषि विभाग)––खाद्यान्नों के उत्पादन पर समिति के 67वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 93 वां प्रतिवेदन।

(3) नौवहन और परिवहन मंत्रालय—परिवहन समन्वय पर समिति के 75वें प्रतिवेदनों में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 94वां प्रतिवेदन।

(4) इस्पात और खान मंत्रालय (इस्पात विभाग) ––लोहा और इस्पात तथा लोह मिश्रित धातुओं का आयोजन, विकास उत्पादन, वितरण आदि पर समिति के 78वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 96वां प्रतिवेदन।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

89वां और 90वां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही-सारांश

श्री राम सूरत प्रसाद : मैं सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं :—

(1) (एक) सरकारी उपक्रमों में विदेशी सहयोग पर 89वां प्रतिवेदन।
(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन से संबंध के समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश।

(2) भारतीय सीमेन्ट निगम लिमिटेड पर समिति के 69 वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 90 वां प्रतिवेदन।

(3) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड पर 88 वें प्रतिवेदन के संबंध में समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश।

(4) हिन्दुस्तान कागज निगम पर 85वे प्रतिवेदन के संबंध में समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश।

(5) प्रक्रिया तथा प्रकीर्ण मामलों के संबंध में समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश ।

(6) समिति के प्रतिवेदनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदनों पर समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश ।

सदस्यों की सभा की बैठकों से अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM SITTINGS OF THE HOUSE

27वां प्रतिवेदन

श्री एस० सिद्दय्या : (चामराजनगर) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का सत्ताईसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

अनुदानों की मांगें, 1976-77

DEMANDS FOR GRANTS, 1976-77

ऊर्जा मंत्रालय--जारी

अध्यक्ष महोदय : अब हम ऊर्जा मंत्रालय की अनुदानों की मागों पर आगे चर्चा शुरू करेंगे ।

ऊर्जा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : माननीय सदस्यों ने ऊर्जा मंत्रालय के प्रयत्नों के बारे में जो प्रशंसात्मक बातें कहीं हैं, उससे मुझे बहुत खुशी हुई है । मैं तो केवल इतना कह सकता हूं कि कोयला और विद्युत क्षेत्रों के मजदूर, इंजीनियर और प्रबन्धक सभा द्वारा व्यक्त की गई इस सराहना के पात्र हैं और उनकी तरफ से मैं माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं । इस तरह की सराहना से सभी संबंधित लोगों को भविष्य में और अधिक प्रत्यन करने के लिये प्रोत्साहन मिलेगा ।

श्री मोदक ने कहा है कि विद्युत क्षेत्र में कोई सुधार नहीं हुआ है । मुझे विश्वास है कि वह 1973, 1974 और 1975 के शुरू के समय की बात करते हैं, जबकि इस देश के अनेक हिस्सों में बिजली की कमी थी । इस सभा में प्रतिदिन इसका उल्लेख होता था । परन्तु जुलाई, 1975 से स्थिति बदल गयी है । देश के सभी भागों में इस क्षेत्र में काफी सुधार हुआ है।

उत्तरी क्षेत्र में 1975-76 में पहले के वर्षों की अपेक्षा ऊर्जा उपलब्धि में लगभग 25 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है । दक्षिणी क्षेत्र में यह 11 प्रतिशत बढ़ी है । पश्चिमी क्षेत्र में 6 प्रतिशत और पूर्वी क्षेत्र में 12 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है । जुलाई, 1975 और मार्च, 1976 के बीच स्थिति में और भी सुधार हुआ है । 12 मार्च को 2610 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ जो एक रिकार्ड है । 1973-74 में 466 मेगावाट और 1974-75 में 1720 मेगावाट की नई क्षमता स्थापित की गई थी जबकि गत वर्ष 1800 मेगावाट की गई क्षमता स्थापित की नई । इससे हर राज्य में इस क्षेत्र में इसमें सुधार हुआ है। उर्जा के उपयोग पर लगे प्रतिबन्ध हटा लिये गये हैं। जुलाई 1975-76 के बाद पंजाब और हरियाणा में बिजली में कटौती नहीं की गई है। उत्तर प्रदेश में बहुत कम कटौती की गई है। राजस्थान की स्थिति अ.च्छी है। उत्तरी क्षेत्र की यही स्थिति है।

पूर्वी क्षेत्र में दामोदर घाटी निगम में गत वर्ष बिजली के उत्पादन में काफी सुधार हुआ। पूर्वी क्षेत्र में स्थिति संतोषजनक है। बंगाल और बिहार में भी सुधार हुआ है

श्री डी० बसुमतारी (कोकराझार) : आसाम में भी।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : आसाम पूर्वोत्तर क्षेत्र में है। पूर्वी क्षेत्र में इतना सुधार होते हुए भी यह सही है कि कलकत्ता में अभी भी कुछ कटौती हो रही है, क्योंकि इसकी आवश्यकता अधिक है।

दक्षिणी क्षेत्र में कर्नाटक को छोड़कर सभी राज्यों में स्थिति संतोषजनक है। कर्नाटक में कालीनदी परियोजना चल रही है। हम इसकी यथासंभव सहायता कर रहे हैं। कर्नाटक में बिजली की कटौती के सम्बन्ध में घटबढ़ होती रहती है। इसके लिये मेरे पास अभी कोई उपचार नहीं हैं। तमिलनाडु में जुलाई 1975-76 के बाद बिजली में कोई कटौती नहीं गयी है।

पश्चिमी क्षेत्र में गुजरात की स्थिति अच्छी है। महाराष्ट्र में तापीय विद्युत के उत्पादन में 16 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। इसके बावजूद वहां बिजली में कटौती की गयी है। मध्य प्रदेश में भी बिजली की कमी है। समूचे देश में बिजली की स्थिति यह है कि 1976-77 के बारे में मैं तो यही कहूंगा कि स्थिति संतोषजनक बनी रहेगी। इस वर्ष 2000-2200 मेगावाट की और नई क्षमता बढ़ाई जायेगी और इसमें से लगभग 800 मेगावाट पहले 6 महीनों में आ जायेगी। यदि मानसून सामान्य रहा..

श्री दिनेश जोरदर (माल्दा) : मंत्री जी ने 1973-74 और 1974-75 वर्षों का उल्लेख किया। हमें याद है कि इन वर्षों में इस सभा में यह बताया गया था कि लगातार वर्षों से सूखे की स्थिति रहने के कारण पन बिजली केन्द्रों में बिजली का उत्पादन नहीं हो सका। यदि निकट भविष्य में इसी तरह की सूखे की स्थिति पैदा हो जाये, तो क्या पुन: इसी तरह की स्थिति आ जायगी ? इस प्रश्न का उत्तर दिया जायें।

अध्यक्ष महोदय : पहले मंत्री जी को सुन लीजिए और इसके बाद आप प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री दिनेश जोरदर : मैंने उनके भाषण को शान्ति के साथ सुना है। वह विषय बदल रहे थे।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : पन बिजली और तापीय दोनों प्रकार की बिजली के उत्पादन में सुधार हुआ है। 1976-77 में सामान्य मानसून की स्थिति में ऊर्जा के उत्पादन में लगभग 10-12 प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए और अधिकांश राज्यों में बिजली की कमी नहीं होनी चाहिए। फिर भी कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश में तो हो सकता है कि बिजली की कमी बनी रहे जिन राज्यों में बिजली को कमी हो उन्हें बिजली की अधिकता वाले राज्यों से बिजली प्राप्त करनी चाहिए इस सम्बन्ध में मैंने हाल ही में राज्यों से अपील भी की है। फिर भी इतना सुधार होने के बावजूद बिजली के क्षेत्र में हमें आत्मसंतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि गत वर्षों में हमने बिजली की कमी के बुरे प्रभावों को देखा है और हम इसे भूल नहीं सकते। दूसरे विद्युत परियोजनाओं में काफी समय लगता है। मेरे माननीय मित्र ने पूछा है कि यदि सूखे की स्थिति आ जाये और पनबिजली का उत्पादन कम हो तो हम क्या करें तब हमें तापीय विद्युत उत्पादन पर निर्भर रहना होगा। और इसके लिये यह भी आवश्यक है कि हम इस वर्ष बिजली की मांग को पूरा करने के लिये अनेक परियोजनाएं शुरू करें। इसके लिये केवल केन्द्र को ही प्रयास नहीं करना है अपितु राज्यों को भी प्रयत्न करना चाहिए और यदि राज्य बिजली के लिये अधिक धनराशि निर्धारित नहीं करेंगे तो मुझे आशंका है कि केन्द्र के सभी प्रयास बेकार होंगे, क्योंकि वर्तमान स्थिति में विद्युत उत्पादन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्यों को है और इसलिए उन्हें विद्युत क्षेत्र के महत्व को स्वीकार करना चाहिए।

मुझे खुशी है कि डा० के० एल० राव ने जो इस विषय में माहिर हैं, कल इस वाद विवाद में भाग लिया और उन्होंने अमूल्य सुझाव दिये। उनका एक सुझाव दीर्घविधि लक्ष्य निर्धारित करने और

एक राष्ट्रीय विद्युत नीति बनाने के बारे में है। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि विद्युत परियोजनाओं में समय लगता है और इसलिए इसके लिये कम से कम 10 वर्ष की अवधि के लिये सोचना होगा। पांच वर्ष का समय पर्याप्त नहीं है।

यद्यपि ईन्धन नीति समिति तथा 9वीं विद्युत सर्वेक्षण समिति ने 1991 तक की विद्युत सम्बन्धी मांगों में प्रश्न पर विचार किया है किन्तु जब धनराशि का वास्तविक आवटंन तथा लक्ष्य निर्धारित करने की बात होती है तो उस समय पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत कार्य करना होता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि अब तो निश्चित आवंटन पांच वर्षों के लिये भी नहीं किया जाता अपितु मात्र एक वर्ष के लिये किया जाता है। यदि हम दस वर्ष की अवधि के बारे में सोच सकें तो मुझे प्रसन्नता होगी। किन्तु यदि मैं यह भी जान जाऊं कि अगले पांच वर्षों के लिये कितनी धनराशि प्राप्त होगी तो मैं स्वंय को भाग्यशाली समझूंगा। माननीय सदस्यों ने तारापुर परियोजना के बारे में कहा है कि वह सही प्रकार से कार्य नहीं कर रहा है । वास्तव में तारापुर में 1975-76 में तो बहुत सुधार हुआ है अगर आप विद्युत उत्पादन सम्बन्धी आंकड़े देखेंगे तो पता चलेगा कि पिछले वर्ष विद्युत उत्पादन 14580 लाख यूनिट से बढ़कर 20940 लाख यूनिट हो गया है। 1976-77 में राना प्रताप सागर में कार्य आरम्भ हो जायेगा। जहां तक फास्ट ब्रीडर रियेक्टर का सम्बन्ध है माननीय सदस्यों को पता है कि हम कलपक्कम में "टैस्ट फास्ट ब्रीडर" स्थापित करने जा रहे हैं और हम इसके निर्माण में तेजी लाने के लिये हर सम्भव प्रयत्न कर रहें हैं। इससे हमें तभी सफलता मिलेगी जब हम अन्ततः थोरियम के भारी निक्षेपों का उपयोग करने के लिये वाणिज्यिक बिजली घर स्थापित करेगे। किन्तु हमें प्रयोगात्मक फास्ट ब्रीडर रियेक्टर की परीक्षण क्षमता देखनी है जिसे हम मद्रास में बना रहे हैं। हम दूसरे देशों में हो रहे विकास को देख रहे हैं और हम उनके इस प्रयोग से लाभ प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे क्योंकि यह ऐसा क्षेत्र हैं जहां तथ्यों का जानना सरल नहीं है।

तारापुर बिजलीघर के लिये अमरीका से ईंधन सप्लाई की बात कही गई है। यह सच है कि अमरीकी अणु नियंत्रण आयोग के समक्ष दायर की गई कुछ याचिकाओं के कारण यह सप्लाई स्थगित हो गई है। अमरीकी सरकार ने ईंधन की सप्लाई के बारे में किये गये करारों सम्बन्धी अपनी जिम्मेदारी निभाने और इसका जहाज में लदान करने में विलम्ब होने के कारण होने वाले प्रतिकूल परिणामों के बारे में आयोग के समक्ष बार बार उल्लेख किया है । आयोग के समक्ष पेशियां पड़ रही हैं और हम स्थिति पर पूरी तरह नजर रख रहे हैं।

जहां तक अति-तापीय बिजली घरों की स्थापना का सम्बन्ध है 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण में ऐसे अतितापीय बिजली घरों की स्थापना की जायेगी और हमारा विचार इन्हें खानों के मुहानों पर बनाने का है। इससे मात्र एक राज्य को ही नहीं बल्कि सारे क्षेत्र को लाभ पहुंचेगा और आरम्भ में ऐसे बिजलीघर प्रत्येक क्षेत्र में स्थापित होंगे। एक 1000 से 1200 मेगावाट क्षमता वाले बिजली घर की स्थापना पर 400 से 800 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है और इसलिये अभी एक दम अनेक ऐसे बिजली घरों की स्थापना करना सम्भव नहीं है । जिन अतितापीय बिजली घरों के निर्माण स्थल का निर्धारण करने के लिये एक समिति गठित की गई है उसने अपनी सिफारिशे दे दी हैं। इन सिफारिशों पर निर्णय दे देने के बाद हमने पांच निर्माण स्थल चुने हैं। एक उत्तर प्रदेश में सिंगरौली में, दूसरा मध्य प्रदेश में कोरबा, तीसरा पश्चिम बंगाल में फरक्का में चौथा तमिलनाडु में नेवेली में और पांचवा आंध्र प्रदेश में रामागुडाम में है। इन बिजली घरों के निर्माण के बारे में विश्व बैंक भी रुचि ल रहा है।

सदन को यह भी पता है कि एक राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम की स्थापना की गई है जो केन्द्रीय क्षेत्र में तपीय घरों की स्थापना करेगी और उन्हें चलायेगी तथा केन्द्रीय जल परियोजनाओं के लिये एक राष्ट्रीय पन बिजली विद्युत निगम ही की भी स्थापना की गई है। केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण के लिये अब पूरे समय के सदस्यों की नियुक्ति की जायेगी। मैंने यह सब इसलिए बताया क्योंकि बिजली उत्पादन अपने हाथ में ले लेना चाहिए। हमने इस सुझाव पर बिजली उद्योग को पुनर्संरचना पर करने सम्बन्धी अपनी योजना के सन्दर्भ में विचार किया है गम्भीरता पूर्वक चर्चा करने और सभी कारणों पर विचार करने के बाद हमने यह निश्चय किया है कि केन्द्र को देश में बिजली उत्पादन में सहायता देनी चाहिए। यदि अतितापीय बिजली घरों की स्थापना हो जायेगी तो हम राज्यों द्वारा बिजली उत्पादन कार्य में भली प्रकार सहायता दे सकते हैं।

बिजली बोर्डों के कार्यकरण का भी उल्लेख किया गया है। कहा गया है कि उनमें कार्यक्षमता नहीं है। कई वर्ष पहले बिजली उद्योग की पुनर्संरचना के सभी पक्षों पर विचार करते समय हमने राज्यों को सलाह दी थी कि वह अपनी प्रबन्ध क्षमता को सुदृढ़ करे तथा अपने बोर्डों को व्यवसायिक बनाये उन्हें क्रियाशील बना कर उनमें आधुनिक प्रबन्ध प्राणाली लागू करे। अनेक राज्यों ने इनमें से अनेक सिफारिशों का कार्यान्वयन कर दिया है और कुल बिजली बोर्डों को अच्छी प्रकार चलाया जा रहा है। लेकिन दूसरे बोर्डों में सुधार की बहुत गुंजाइश है। 1975-76 में इस दिशा में और सुधार होने की सम्भावना है और विशेषकर राज्य बिजली बोर्डों के वाणिज्यिक कार्यकरण में अधिक सुधार होगा।

विदेशी सहायता का भी उल्लेख किया गया है। विश्व बैंक द्वारा 1500 लाख डालर का ऋण का भी जिक्र आया। एक और ऋण भी है इसे कुवैत विकास निधि से कालिन्दी परियोजना के लिये लिया गया है। यह राशि 46 करोड़ रुपये की है। अन्य परियोजनाओं के लिये भी विदेशी, सहायता की भी सम्भावना है।

इस चर्चा के दौरान ऊर्जा में अत्यधिक रुचि दिखाई गई है। इस वर्ष ईंधन नीति सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन की हमने पूरी जांच पूरी कर ली है। इस प्रतिवेदन की सिफारिशों तथा जब यह प्रतिवेदन लिखा गया था और प्रस्तुत किया गया था तब से होने वाली घटनाओं के आधार पर एक व्यापक ऊर्जा नीति के लिये प्रस्ताव तैयार कर लिए गये है और उन्हें हम शीघ्र ही सभा पटल पर प्रस्तुत कर देंगे। उर्जा के क्षेत्र में अनेक एजेसियों कार्य कर रही हैं। लेकिन फिर भी यह आवश्यक है कि देश में किसी को तो अनुसन्धान और विकास का तालमेल मिलाना होगा और उस प्रयास में निर्माता उद्योगों को भी शामिल होना आवश्यक है ताकि यह उपकरण निर्माण करने की स्थिति में पहुंच जाये ताकि इनकी लागत को ध्यान में रखते हुए इनका देश में प्रयोग किया जाये।

कुछ सदस्य सूर्य ऊर्जा के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं। ऊर्जा अनुसन्धान और विकास समिति ने सूर्य ऊर्जा कार्यक्रम में विनिर्माता उद्योगों का समन्वय सुनिश्चित करने हेतु प्राथिमिकताओं और प्रबंधों को अन्तिम रूप दे दिया हैं हमने उन क्षेत्रों का भी पता लगाया है जहां हम समग्र रूप से अर्थ व्यवस्था का अधिक कतम लाभ उठाने के लिये अपना ध्यान केन्द्रित कर सकें। जो कृषि का क्षेत्र है उसमें भी इसके प्रयोग की व्यवस्था की जायेगी।

इस ऊर्जा को एकत्रित करने के साधनों पर अनुसन्धान पर हम अधिक जोर दे रहे हैं अत: इस समय सूर्य ऊर्जा सम्बन्धी पम्पों पर 8 संस्थान कार्य कर रहे हैं।

श्री रणबहादुर सिंह (सिधी) : क्या यह सत्य है कि पांडेचेरी में एक पम्प सूर्य ऊर्जा की सहायता से चलाया जा रहा है?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : पांडिचेरी उन स्थानों में एक स्थान है जहां ऐसा कार्य हो रहा है। कुछ संस्थान इस सम्बन्ध में कार्य कर रहे हैं और अगले छ: महीनों में इस सम्बन्ध में परीक्षण किये जाने की सम्भावना है। जहां तक सूर्य ऊर्जा से गर्म करने का सम्बन्ध है इस ऊर्जा का उपयोग न केवल घरेलू उद्देश्यों के लिये बल्कि औद्योगिक उद्देश्यों में भी किया जायेगा अत: जब अनुसन्धान और विकास अपना कार्य समाप्त कर देगें तब उपकरणों का निर्माण आरम्भ किया जा सकता है

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने हरिद्वार में एक वर्कशाप शैड में एक सौर तापन संस्थान स्थापित किया है और मुझे प्रसन्नता है कि वहां अच्छा कार्य हो रहा है । वहां पर संग्राहकों पर विभिन्न प्रकार के अवरणों तथा ऊर्जा धारेषण के लिये विभिन्न द्रवों का पता लगाया जा रहा है । घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय उपयोग के लिये अधिक जल तापन एवं अन्तरिक्ष तापन उपकरण के बारे में भी परीक्षण जारी है सौर ऊर्जा यूनिटों के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य में क्रमिक प्रगति हो रही है। इस संबंध में विदेशों में हो रहे विकास कार्यों का भी अध्ययन किया जा रहा है । जर्मनी के सहयोग से मद्रास में 10 किलोवाट का एक सौर ऊर्जा स्टेशन स्थापित करने की योजना के बारे में शीघ्र ही एक समझौते पर हस्ताक्षर होने वाले हैं । इस केन्द्र से हुए अनुभव के आधार पर ऐसे अन्य केन्द्र स्थापित किये जायेंगे । सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में परिवर्तित करने का कार्य सैन्ट्रल इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड को सौंप दिया गया है ।

इस समय देश में 25 मुख्य सौर ऊर्जा अनुसंधान केन्द्र हैं। इसके अतिरिक्त इस समय सौर ऊर्जा के क्षेत्र में 12 परियोजनाएं चल रही हैं । भारत में चार सौर उपकरण निर्माता हैं जिन में से तीन निर्माता सौर जल तापक (सोलर वाटर हीटर) तैयार कर रहे हैं। अत: इस क्षेत्र में अधिक एकीकृत और समन्वित तरीका अपनाने की जरूरत है।

कोयले को तेल में बदलने की आवश्यकता का उल्लेख किया गया है। हमने कोयले को तेल में बदलने की संभावना का पता लगाने के लिये एक विशेषज्ञ दल नियुक्त किया है । यह दल जून के अन्त तक अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर देगा । परन्तु यदि हमें बम्बई हाई और अन्य क्षेत्रों से तेल प्राप्त करने में सफलता मिल गई, तो हमें कोयले को तेल में परिवर्तित करने की जरूरत हो नहीं पड़ेगी। इसके बावजूद हम इस संबंध में तकनीकी संभावनाओं तथा आर्थिक स्थिति का पता अवश्य लगायेंगे। यह अभी केवल दक्षिणी अफ्रीका में किया जा रहा है और जैसा कि सर्वविदित है, वहां से इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने की कम ही संभावना है।

बायो-गैस संयंत्रों के बारे में मेरे साथी श्री सिद्धेश्वर प्रसाद विस्तारपूर्वक प्रकाश डाल चुके हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि विशेषज्ञों का मत है कि इस विधि से प्राप्त खाद से लाभ हो सकता है क्योंकि बाइओ-गैस ऐसा उप-उत्पाद है जो आसानी से मिल सकता है। इसका उत्पादन करने के लिये अधिकाधिक संयंत्र स्थापित करने होंगे। 1974-75 में इनकी संख्या 10,711 थी जबकि 1975-76 में यह बढ़ कर 18,229 हो गई । 1976-77 में हमारा विचार 25,000 संयंत्र स्थापित करने का है। हमें प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में और ऐसे संयंत्र स्थापित करने होंगे ।

हिमाचल प्रदेश तथा लद्दाख में भू-तापीय ऊर्जा की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया गया है। इस संबंध में प्रगति हो रही है ।

ज्वारीय ऊर्जा का पता लगाने के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ से एक विशेषज्ञ आया था । उसने पश्चिमी तट तथा बंगाल की खाड़ी में कुछ क्षेत्रों का पता लगाया है परन्तु यह ऊर्जा बहुत मंहगी पड़ेगी । इसी प्रकार वायु ऊर्जा के क्षेत्र में भी कुछ कार्य हुआ है । परन्तु इस के पैदा करने की संभावनाएं कुछ कम ही है अभी कार्यक्रम चल रहा है।

कोयले का उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ा है चौथी योजना में इसका उत्पादन लगभग 750 से 780 लाख मीट्रिक टन था । 1974-75 में यह बढ़ कर 780 से 880 लाख मीट्रिक टन और 1975-76 में 880 से 990 लाख मीट्रिक टन हो गया । कोयले के उत्पादन में हुई यह वृद्धि हमारी सफलता की परिचायक है। इस वर्ष तो इस मामले में हम पश्चिमी जर्मनी से भी आगे निकल गये है । अब कोयले के उत्पादन के मामले में भारत ने विश्व में छटा स्थान प्राप्त कर लिया है। इस समय देश में 800,000 लाख मीट्रिक टन कोयले के निक्षेप विद्यमान हैं जो 400 वर्षों के लिये पर्याप्त रहेंगे। 1976-77 में हमारा लक्ष्य 1080 लाख मीट्रिक टन कोयला निकालने का है और हम उसे पूरा करने का प्रयत्न करेंगे ।

कोयला ढोने के लिये माल डिब्बे भी आसानी से मिल रहे हैं । 1974-75 में 789.6 लाख मीट्रिक टन और 1975-76 में 857.8 लाख मीट्रिक टन कोयला ढोया गया । इस प्रकार इसमें 68.2 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि हुई । कोयले की मांग में भी कोई कमी नहीं हुई है । इस्पात कारखानों के पास भी अब 18 दिन का भंडार है । इस समय कोयले का लगभग 27 से 37 दिन का स्टाक है जो कि लगभग 119.7 लाख मीट्रिक टन है जबकि पहले यह 74.8 लाख मीट्रिक टन था । यह ठीक है कि कोयला जमा हो गया है क्योंकि बिजली घरों इस्पात कारखानों और कुछ उद्योगों ने उतना कोयला नहीं उठाया है जितने को उनकी मांग थी । कोयले की खपत में वृद्धि करने के लिये यह जरूरी है कि ये सभी उद्योग अधिक कोयला उठायें और ईंटों के भट्ठों को कोयला दिया जाये तथा तेल की जगह कोयला प्रयोग में लाया जाये । इसके अतिरिक्त कोल इण्डिया लिमिटेड अपने विपणन संगठन की कार्य प्रणाली में सुधार कर रहा है । अभी तक तो कोयले की कमी थी, परन्तु अब हमारे पास फालतू कोयला है । इसे निकालने के लिये अब यही तरीका है कि इसकी बिक्री को बढ़ाने के लिये अपने विपणन तंत्र, को अधिक कुशल बनाया जाये । इसीलिये उन्होंने पांच विपणन ज़ोन, शाखा बिक्री कार्यालय आदि स्थापित किये हैं जिससे छोटे छोटे उपभोक्ताओं को कोयला उठाने के लिये प्रेरित किया जा सके ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

जहां तक कोयले की किस्म में सुधार करने का प्रश्न है, चूंकि अब कोयले की कमी दूर हो गई है, इसलिए अब किस्म की ओर भी ध्यान दिया जाएगा । सभा को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि कोल इण्डिया लिमिटेड ने एक व्यापक कोयला परिष्करण कार्यक्रम तैयार किया है। इसके अन्तर्गत कई परिष्करण संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव भी है । इसके अतिरिक्त कोयला उत्पादक अभिकरणों ने भी कोयले की किस्म सुधारने के लिए कई कदम उठाए हैं । इन के अन्तर्गत अनुवीक्षण करना, आकार देना, किस्म नियंत्रण विभागों तथा शिकायत सैलों की स्थापना और बोनस-एवं-शास्ति खण्डों को ठेकों सम्बन्धी समझौतों में शामिल करना है । इन सभी उपायों के फलस्वरूप किस्म के बारे में आने वाली शिकायतों में निश्चित रूप से कमी हुई है । विभिन्न उपभोक्ताओं को अपेक्षित किस्म का कोयला देने के लिए तथा इसके उत्पादन से सम्बन्धित समस्याओं को हल करने के लिए कोयला विभाग के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति भी बनाई गई है ।

यह सही नहीं है कि हम कोयले का निर्यात घाटे पर कर रहे हैं । कुछ समय पहले जब अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य अधिक था, तब हमें बहुत अच्छा मुनाफा हो रहा था । यद्यपि अब मूल्य कुछ गिर गए हैं तथापि निर्यातकों को अच्छा मुनाफा हो रहा है। श्री मोडक ने कहा कि न ही कोयले का अधिक उत्पादन किया जाए और न ही उसका निर्यात किया जाए। इस सुझाव का कोई औचित्य नहीं है । क्योंकि उन्होंने यह भी बताया कि लगभग 40,000 कर्मचारी अपेक्षित संख्या से अधिक हैं। क्या इनकी छंटनी कर दी जाए या उत्पादन बढ़ा

कर उन्हें वहीं कार्य पर लगे रहने दिया जाए ? मेरे विचार से उन्हें वहीं खपाने के लिए उत्पादन बढ़ाया जाए और कोयले का निर्यात किया जाए जिससे कोयला इकठ्ठा भी न होने पाए । इसीलिए कोयला उद्योग में कोई छंटनी नहीं की गई है ।

गत वर्ष लगभग 4.5 लाख मीट्रिक टन कोयले का निर्यात किया गया था । आशा है, इस वर्ष हम 14 लाख मीट्रिक टन कोयला बाहर भेज सकेंगे । निर्यात में और वृद्धि करने के लिए हमारा एक दल जिसमें कोयला विभाग का एक अधिकारी कोल इण्डिया लिमिटेड तथा एम० एम० टी० सी० के प्रतिनिधी भी है, विदेशों में गया हुआ है और उन्हें इस कार्य में काफी सफलता मिली है । आशा है कि 1978-79 तक हम 50 लाख मीट्रिक टन कोयले का निर्यात कर सकेंगे । परन्तु समस्या पत्तनों की है जिनके कारण गतिरोध उत्पन्न हो जाता है । यदि हम भारी मात्रा में कोयले का निर्यात करना चाहते हैं, तो हमें ऐसी मशीनें लानी होंगी जिनकी सहायता से कोयला बड़े बड़े जलपोतों में शीघ्र भरा जा सके । हल्दिया में ऐसी सुविधाएं उपलब्ध की जाएंगी जिससे वहां पर एक वर्ष में 30 लाख मोट्रिक टन कोयला जलपोतों में लादा जा सकेगा ।

जहां तक श्रमिकों की सुरक्षा का सम्बन्ध है सरकारी क्षेत्र में कोयला कम्पनियों का यह कर्तव्य है कि वे श्रमिकों की सुरक्षा का पूरा पूरा ध्यान रखें । यद्यपि दुर्घटनाएं विश्व भर में होती हैं, तथापि इनकी संख्या इतनी नहीं बढ़ने देनी चाहिए । इसीलिए कम्पनियों को हमने लिख दिया है कि वे इस संबंध में किसी कानून या हिदायतों की प्रतीक्षा न करें बल्कि ऐसे कदम उठाए जिनसे दुर्घटनाओं की संभावनाएं बहुत ही कम हो जाएं । इस सम्बन्ध में हमने सरकारी क्षेत्र की कोयला कम्पनियों में एक आन्तरिक सुरक्षा संगठन स्थापित किया है और चासनाला दुर्घटना के पश्चात् 13 सदस्यों की एक समिति भी बनाई है । यह समिति सुरक्षा सम्बन्धी सभी पहलुओं पर विचार करेगी । इस समिति के साथ खान सुरक्षा महा निदेशक, श्रम मंत्रालय तथा खनन अनुसंधान स्टेशन को भी सहयोजित किया गया है ।

श्रमिकों के कल्याण के बारे में श्री दामोदर पाण्डे ने बहुत कुछ कहा है । इसमें कोई संदेह नहीं है कि राष्ट्रीयकरण के पश्चात् श्रमिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए कई उपाय किए गए हैं । दिसम्बर, 1974 में हुए राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौते से श्रमिकों को बहुत लाभ पहुंचा है । इस समझौते के अन्तर्गत अब आवास पर प्रति वर्ष 5 करोड़ रुपए खर्च किए जाया करेंगे । इसी प्रकार जल प्रदाय के बारे में कई योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है । आशा है कि थोड़े ही समय में सभी लोगों को पर्याप्त मात्रा में जल मिलने लगेगा ।

जहां तक श्रमिकों को प्रबंधकों के साथ सहयोजित करने की बात का सम्बन्ध है, हमने एक संयुक्त द्विपक्षीय समिति बनाई है । ऐसी समितियां सभी कम्पनियों में खान स्तर पर बनाई जायेंगी ।

श्रमिकों को बोनस देने का सुझाव दिया गया है । इस पर सम्बन्धित निकायों से विचार विमर्श किया जायगा । हां, सरकार ने उत्पादन और उत्पादिकता के आधार पर प्रसादतः भुगतान करने का निश्चय कर लिया है । चूंकि कोयला उद्योग एक अप्रतियोगी उद्योग है, इसलिए यहां पर बोनस का आधार मुनाफे की बजाय उत्पादन रखा गया है ।

सामाजिक सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय निधि स्थापित करने के सुझाव पर हम विचार कर रहे हैं । यह निर्णय किया गया है कि दुर्घटनाओं के मामले में श्रमिकों को प्रतिकर तथा राहत देने के लिए एक राष्ट्रीय निधि बनाई जाए । इस सम्बन्ध में हम कोल इण्डिया लिमिटेड की सिफारिशों की प्रतीक्षा कर रहें हैं ।

नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन में उत्पादन में कुछ वृद्धि हुई है। इस निगम की कार्यप्रणाली में सुधार करने के उद्देश्य से एक समिति बनाई गई थी। वहां पर क्षमता से कम कार्य हो रहा है। इसीलिए समिति ने कुछ सुझाव दिए हैं जिससे वहां पर प्रति वर्ष 65 लाख मीट्रिक टन लिग्नाइट पैदा किया जा सके इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 99 करोड़ रुपए की योजनाएं बनाई गई है। आशा है कि इन योजनाओं के पूरा होने पर वहां पर प्रतिवर्ष 65 लाख मीट्रिक टन लिग्नाइट का उत्पादन हो सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

All the cutmotions were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा ऊर्जा मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगे मतदान के लिये रखी गयी तथा स्वीकृत हुई :

The following Demands for Grants in respect of the Ministry of Energy were put and adopted :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		(रुपए)
29	उर्जा मंत्रालय	44,35,000
30	विद्युत विकास	136,99,55,000
31	कोयला और लिग्नाइट	347,57,21,000

वाणिज्य मंत्रालय

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम वाणिज्य मंत्रालय की निम्नलिखित मांगों पर चर्चा तथा मतदान करेंगे :—

वर्ष 1976-77 के लिए वाणिज्य मंत्रालय की अनुदानों की निम्नलिखित मांगे प्रस्तुत की गई :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		(रुपए)
13	वाणिज्य मंत्रालय	83,67,000
14	विदेश व्यापार और निर्यात उत्पादन	495,29,76,000

श्री दिनेश जोरदर (माल्दा) : वाणिज्य मंत्रालय की इस बार की रिपोर्ट पिछले वर्ष की रिपोर्ट से काफी मोटी है क्योंकि इस मंत्रालय की कुछ अतिरिक्त गतिविधियां हुई है या कुछ दिशाओं में उसकी गतिविधियां बढ़ी हैं। वाणिज्य मंत्रालय का सम्बन्ध मुख्य रूप से विदेश व्यापार और निर्यात प्रधान कुछ

उद्योगों से है जो विदेशों में बेचे जाने के लिए माल का उत्पादन करते हैं। हमारे विचार से निर्यात आमदनी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की सहायक है, पूरक नहीं तथा उसे देश की आर्थिक प्रगति और विकास के कुछ पहलुओं में सहायता पहुंचानी चाहिए । विदेशी मुद्रा की आवश्यकता दो कामों के लिए होती है--एक तो अन्य देशों के साथ सम्बन्ध बनाए रखने की कुछ प्रसाशनिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए और दूसरे देश के भीतर औद्योगिक विकास हेतु आवश्यक मशीनरी का आयात करने के लिए । परन्तु आज हम देखते क्या हैं कि हमारे देश की सारी अर्थ-व्यवस्था निर्यात व्यापार की वृद्धि पर निर्भर करती है। हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था ऐसी है कि हमें विदेशी सहायता या ऋणों अथवा निर्यात आय पर निर्भर करना पड़ता है । हमें अपनी अर्थ-व्यवस्था और उद्योगों के विकास के लिए अपनी अत्यावश्यक वस्तुएं भी निर्यात करनी पड़ती हैं। यहां तक कि हमें आलू, प्याज, चावल, कोयला आदि भी निर्यात करना पड़ रहा है । हमें देश में जो हर वस्तु का आधिक्य दिखाई देता है उसका कारण लोगों की क्रय शक्ति घट जाना है।

1975-76 की 'आर्थिक समीक्षा' में व्यापार खाते में हुए भारी घाटे पर बड़ी चिन्ता व्यक्त की गई है । जैसा कि उस समीक्षा की सारणियों में दिखाया गया है, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य उर्वरक, तेल आदि वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाने के कारण हमारे देश के लिए इन वस्तुओं के आयात पर इतना अधिक मूल्य देना पड़ता है कि अब आयात लागत को अपनी निर्यात आय से पूरा नहीं कर पाता । वैसे देखा जाए तो गत वर्षों की तुलना में इस वर्ष हमारा आयात घटा है परन्तु कीमतें बढ़ जाने के कारण आयात की लागत बढ़ गई है और इस कमी को पूरा करने के लिए हम हर वस्तु का निर्यात करने का प्रयास कर रहे हैं।

मंत्रालय की रिपोर्ट में बताया गया है कि विकसित देश हमारे देश से कम से कम आयात कर रहे हैं । उत्तरी अमरीका, विशेष कर संयुक्त राज्य अमरीका, पूर्वी यूरोप के देशों और यूरोपीय साझा बाजार को हमारा निर्यात कम होता जा रहा है और इस कारण हमें अफ्रीकी--एशियाई देशों और लातिन अमरीकी देशों में नए बाजार ढूढ़ने का प्रयत्न करना पड़ रहा है । इस प्रकार हम अच्छा बाजार तैयार नहीं कर सकते और अपने निर्यात को ठोस आधार प्रदान नहीं कर सकते ।

सरकार की नीति वर्तमान संकट को किसी प्रकार टालने की रहती है। वह देश की अर्थ-व्यवस्था का विकास करने वाली व्यापक नीति नहीं होती। हमें देश में ही अपने सभी उत्पादों के लिए बाजार बनाना चाहिए। आर्थिक समीक्षा में बताया गया है कि यद्यपि देश का बाजार गिरता जा रहा है परन्तु निर्यात पर अधिक जोर दिया जा रहा है।

यह कहा गया है कि विदेशी बाजार में जूट के सामान की मांग कम हो जाने के कारण जूट उद्योग पर संकट आ गया है। अतः मंत्रालय ने इस उद्योग को कुछ सुविधाएं प्रदान की हैं परन्तु इन उद्योग पतियों ने कई वर्षों तक भरपूर लाभ कमाया है। अब यह उद्योग संकट में है। सरकार उसे सभी प्रकार की मदद दे रही है, परन्तु हमें इनका कोई विकल्प खोजना चाहिए। यदि हम अपने देश में ही जूट का बाजार तैयार नहीं कर सकते, तो जूट धागे को किसी अन्य उपयोग में लाने की खोज की जाए और जूट उद्योग भी अपने उत्पादन में विविधता लाए। यही स्थिति कपड़ा, रबड़, काफी और चाय उद्योग की है। इनमें से अधिकतर में उत्पादन तो अधिक है परन्तु विदेशों में इनके लिए हमें बाजार नहीं मिल रहा है।

इस्पात की समस्या फिर से हमारे सामने है। कुछ समय पहले इसकी कमी थी परन्तु अब यह हमारे पास आवश्यकता से अधिक है। इसका कारण देश और विदेशों में इसके लिए स्थाई बाजार का न होना है।

यह कहा गया है कि विदेशों में बाजार पाने के लिए निर्यातकर्ता को खुली परमिट सुविधाएं दी गई हैं परन्तु उनका दुरुपयोग किया गया है।

ज्ञात हुआ है कि कर्मचारियों के एक दल को बरहामपुर स्थित केन्द्रीय अनुसन्धान संस्थान से बिना किसी बात के निकाला जा रहा है। अतः इस सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठाए जायें।

वाणिज्य मंत्रालय के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
13	3	श्री सी० के० चन्द्रप्पन	हथकरघा उद्योग को स्थायित्व प्रदान करने के लिए उसे पर्याप्त वित्तीय सहायता देने में असफलता।	राशि में 100 रुपए कम किए जाएं।
13	8	श्री एस० एम० बनर्जी	लक्ष्मी रत्न काटन मिल्स और अथर्टन वैस्ट मिल्स, कानपुर को अपने हाथ में लेने की आवश्यकता।	राशि में 100 रुपए घटा दिए जाएं।
13	9	"	राष्ट्रीय कपड़ा निगम का कार्यकरण।	"
13	10	"	कावेरी मिल्स, पुदुकोटै, तमिल नाडु को अपने हाथ में लेने की आवश्यकता।	"
13	11	"	भारतीय रुई निगम के माध्यम स राष्ट्रीय कपड़ा निगम के सभी मिलों को रुई का क्रय तथा वितरण न लाभ न हानि के आधार पर करने की आवश्यकता।	"
13	12	"	धागे के निर्यात के लिए विदेशी मंडियों की खोज करने की आवश्यकता।	"
13	13	"	राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों में कार्य की दशा में सुधार करने की आवश्यकता।	"
13	14	श्री पार्वती कृष्णन	सूती कपड़े का निर्यात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से करने की आवश्यकता।	"
13	15	"	पटसन उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता।	"
13	16	"	तिरुपुर, तमिलनाडु, स्थित हौजरी उद्योग को राहत देने की आवश्यकता।	"
13	17.	"	सूती कपड़ा उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता।	"
13	18	"	विग (इंडिया) लिमिटेड के छंटनी शुदा कर्मचारियों को वैकल्पिक रोजगार देने की आवश्यकता।	"

1	2	3	4	5
13	19	"	चाय बागानों में पुनर्रोपण सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय करने की आवश्यकता।	राशि में 100 रुपए घटा दिए जाएं।
13	20	"	प्राकृतिक रबड़ का निर्यात बढ़ाने की आवश्यकता	"
13	21	"	टायर निर्माता बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों का राष्ट्रीय-करण करने की आवश्यकता।	"
13	22	"	काजू उद्योग, जिसे अब मौसमी उद्योग समझा जाता है, की समस्याएं हल करने की आवश्यकता।	"
13	23	"	केरल राज्य काजू विकास निगम को वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता।	"
13	24	"	काजू का निर्यात और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता।	"
13	25	"	आयात और निर्यात व्यापार का राष्ट्रीयकरण करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता।	"
13	26	"	कपड़े की कुछ किस्मों को हथकरघा उद्योग के लिए रक्षित करने की आवश्यकता।	"
13	27	"	जमा पड़े हथकरघे उत्पादों का निपटान सुनिश्चित करने की आवश्यकता	"
13	28	"	ऋण नीतियों द्वारा हथकरघा उद्योग को सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता।	"
13	29	"	हथकरघा उत्पादों के निर्यात की ओर सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता।	"
13	30	"	हथकरघा वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने की आवश्यकता।	"
13	31	"	रबड़ उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करने की आवश्यकता।	"
13	38	श्रीमती भार्गवी तनकप्पन	काजू उद्योग को बार-बार बन्द होने से बचाने की आवश्यकता।	"
13	39	"	काजू उद्योग को बचाने के लिए कच्चे काजुओं का आयात करने की आवश्यकता।	"

उपाध्यक्ष महोदय : ये कटौती प्रस्ताव भी सभा के समक्ष हैं।

श्री एम० सुदर्शनम (नरसराव्पेट) : वाणिज्य मंत्री अपने मंत्रालय के अन्तर्गत सभी क्षेत्रों में सराहनीय काम करने के लिए बधाई के पात्र हैं। इस वर्ष व्यापार में सबसे अधिक कमी हुई है।

यह कमी लगभग 1400 करोड़ रुपए की है। यह ईंधन, खाद्य और उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि होने के कारण हुई है। संसार के बड़े-बड़े औद्योगिक देशों में मन्दी और मुद्रास्फीति आने पर भी हमारा निर्यात लगातार बढ़ा है। सरकार निर्यात प्रधान नीति बनाने के लिए प्रयत्नशील रही है। ऐसी आशा है कि इस वर्ष निर्यात किया जाने वाला माल मूल्य में बढ़ेगा और बढ़ कर 4400 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। इस समय तैयार माल और अर्ध तैयार माल के निर्यात करने का सबसे उत्तम समय है तथा इस पर जोर दिया जाना चाहिए। कच्चे माल के बजाय तैयार माल के निर्यात को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। और इस दिशा में राज्य व्यापार निगम, आदि सरकारी उपक्रमों को हर प्रयत्न करना चाहिए। इससे औद्योगीकरण और विदेशी मुद्रा के अर्जन में संवृद्धि होगी। हमें नौवहन क्षमता को भी बढ़ाना चाहिए, विशेषकर चावल भूसी से तैयार माल, मवेशी खाद्य, खली आदि के निर्यात के लिए। हमें निर्यात हेतु अधिक माल सुलभ कराना चाहिए और देश में ऐसे माल की मांग पर नियंत्रण रखना चाहिए।

तीसरे, निर्यात सहायता उपायों पर आमूल ढंग से पुनर्विचार करना बहुत आवश्यक हो गया है। नकद सहायता देना और आयात आपूर्ति की वर्तमान पद्धतियों के स्थान पर अधिक स्थाई पद्धति अपनाई जाए जैसे कि निर्यात से होने वाले लाभ पर रियायती दर से कर लगाना आरम्भ किया जाए। कर साख प्रमाणपत्र जारी करना भी आरम्भ किया जा सकता है। इस प्रयोजन के लिए एक ऐसी उच्च स्तरीय समिति बनाई जानी चाहिए जिसमें गैर सरकारी विशेषज्ञ शामिल किए जाएं।

चौथे, निर्यात लेनदेनों पर बिक्री-कर की चिरंतन समस्या को हल किया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने पिछले वर्ष ही अपने एक निर्णय में राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्यात की श्रृंखला बद्ध संविदाओं पर बिक्री-कर की छूट को समाप्त कर दिया है। वाणिज्य मंत्रालय इस समस्या को हल करने में लगा हुआ है, परन्तु इस दिशा में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। पांचवें, निर्यात वित्त की समस्या का नए सिरे से अध्ययन किया जाए ताकि भारतीय निर्यातकर्त्ताओं को कम से कम अपने प्रतिस्पद्धियों के समकक्ष लाया जा सके। उन्हें जहाज सम्बन्धी पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की जाएं। मेरा विश्वास है कि भारत सूती कपड़ा, तैयार वस्त्रों, चीनी परिष्कृत वनस्पति तेलों, चमड़े के सामान और इंजीनियरी माल के निर्यात में संसार का अग्रणी देश हो सकता है, परन्तु इसके लिए कपास, गन्ना, तिलहन, इस्पात आदि का उत्पादन बढ़ाने की दिशा में साहसी कार्यक्रम अमल में लाना होगा। नीतियों तथा प्रक्रियाओं सभी मामलों में पूरा पूरा तालमेल स्थापित किया जाना चाहिए और सरकारी संगठनों तथा सरकार के बीच नियमित रूप से बार बार चर्चा होती रहनी चाहिए।

केन्द्र, राज्य तथा जिला स्तर पर अनेकों संस्थाएं हैं। इस मामले में हर पहलू से विचार किया जाना चाहिए ताकि ऐसी अखिल भारतीय संस्थाओं का चयन किया जा सके जो पूरी जानकारी के साथ कुछ कह सकें और जो निर्यात संवर्द्धन तथा औद्योगिक विकास सम्बन्धी मामलों का अध्ययन कर सकें।

कपड़ा विभाग के नाम से जो एक नया विभाग बनाया जा रहा है मैं उसका स्वागत करता हूं। इस उद्योग का आधुनिकीकरण, नवीकरण और पुनर्विकास करने की नितान्त आवश्यकता थी। वाणिज्य मंत्रालय कपड़ा उद्योग को स्वस्थ बनाने में सहायता करे। गत वर्ष घोषित की गई नीति का पुनरीक्षण किया जाए जिससे कताई के क्षेत्र में विकास करने के कार्यक्रम को अविलम्ब लागू किया जा सके। यह सच है कि विदेशों में संयुक्त रूप से कारखाना स्थापित करने के इच्छुक उद्यमियों को सरकार ने उचित सहायता दी है। इस सम्मन्ध में भारत की क्षमता से अन्य देशों को पूरी तरह अवगत कराया जाए। हमें अन्य देशों में उद्योगों की स्थापना करने में सोवियत संघ या जापान का अवश्य सहयोग करना चाहिए। इस सहयोग से सभी संबंधित देशों को लाभ होगा।

वाणिज्य मंत्रालय, भारतीय उद्यमियों को देश में निहित संभावनाओं से अवगत कराने में अधिक रुचि ले क्योंकि भारत में निर्माण, भवन-निर्माण, नगर आयोजना, बांध यांत्रिकी, खनन, तेल निकालने,

बिजली यांत्रिकी, प्रबन्धन और आर्थिक परामर्श सेवा, आमूल परियोजनाओं की स्थापना आदि के क्षेत्र में सुविकसित क्षमताएं उपलब्ध हैं। भारत में उपलब्ध जनशक्ति का उपयोग इस तरह से किया जाना चाहिए ताकि अन्य देशों को हम अपनी सेवाएं बड़ी सस्ती दर पर देने और अपना शोषण कराने के लिए मजबूर न हों।

निर्यात नीतियों और प्रक्रियाओं को सरल बनाना बहुत आवश्यक है। निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर से नियंत्रण हटाया जाना चाहिए और इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

हमारे निर्यात में सुधार की बहुत सम्भावनाएं हैं। विएतनाम में युद्ध के परिणामस्वरूप छिन्न भिन्न हुई उसकी अर्थ-व्यवस्था के पुनर्निर्माण कार्यक्रम में हमें सहयोग करना चाहिए क्योंकि अब विएतनाम सफलतापूर्वक चुनाव सम्पन्न हो चुके हैं। सरकारी और गैर-सरकारी सदस्यों वाला एक दल विएतनाम में अध्ययन करने के लिए भेजा जाए। अब समय आ गया है जब हमें बड़ी सावधानी और होशियारी से चीन के साथ व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न करें। आशा है वाणिज्य मंत्री इस सम्बन्ध में हमें सरकार के विचारों से अवगत कराएंगे। यह बड़े संतोष की बात है कि तम्बाकू बोर्ड की स्थापना की गई है।

श्री के० एस० चावड़ा (पाटन) : छोटे निर्माताओं को उनकी अधिष्ठापित क्षमता के अनुसार बर्तन बनाने के लिए स्टेनलेस स्टील और अन्य रासायनिक पदार्थ देने की सरकार की नीति है। यह नीति बहुत ही अच्छी नीति है। किन्तु यह बहुत खेद की बात है कि 1974-75 और 1975-76 के बहुत से मामले अभी तक विचाराधीन पड़े हैं। इन मामलों को निपटाने में बहुत समय लग जाता है। अतः जो मामले दो वर्षों से अधिक समय से अनिर्णीत पड़े हैं उन्हें तुरन्त निपटाया जाना चाहिए।

सीधे औषधियां न मंगाने और बिचौलियों के माध्यम से मंगाने का निर्णय कुछ बुराइयों को दूर करने के लिए किया गया था किन्तु सीधे औषधियां न मंगाने तथा बिचौलियों के कारण औषधि उद्योग को तथा उपभोक्ताओं को बहुत हानि हुई है। सीधे औषधियां न मंगाने का निर्णय इसलिए किया गया था क्योंकि विदेशी कम्पनियां औषधियां अपनी मुख्य कम्पनियों से बहुत अधिक मूल्य पर आयात किया करती थीं। ये कम्पनियां औषधियों का निर्माण करने में गड़बड़ किया करती थीं। यह तो देखा ही जा सकता है कि राज्य व्यापार निगम औषधियों के थोक मूल्य को बढ़ा कर लाभ कमा रहा है। अतः मेरा तो यह सुझाव है कि औषधियों को सीधे ही मंगवाया जाए। औषधियां किसी के माध्यम से नहीं मंगाई जानी चाहिए वास्तविक उपभोक्ताओं को ही औषधियां आयात करने के लिए लाइसेंस दिए जाने चाहिए। कोई भी आयात निश्चित मूल्य से अधिक मूल्य पर करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसके दो लाभ होंगे। एक तो औषधियां आराम से मिलने लग जाएंगी और दूसरे उनकी कीमत कम हो जाएगी। इसके अलावा सरकारी अस्पताल भी अधिक औषधियां खरीद सकेंगे। इस सम्बन्ध में मैं एक बात और पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस बात पर विचार किया है कि राज्य व्यापार निगम अधिक मूल्य क्यों ले रहा है। सरकार को राज्य व्यापार निगम द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने के बारे में अवश्य जांच करनी चाहिए। इस की जांच करने के लिए लोक सभा और राज्य सभा दोनों सदनों के संसद सदस्यों की एक समिति नियुक्त की जानी चाहिए। समिति को इस सारे मामले की जांच करके अपने निष्कर्ष संसद को देने चाहिए।

जहां तक क्लोरमफोनिकोल और एल-एमीनोडियोल का सम्बन्ध है सरकार की नीति इन दोनों औषधियों का आयात करने की बजाए लघु उद्योग क्षेत्र को प्रोत्साहन देने की होनी चाहिए। लघु उद्योग क्षेत्र के एककों को एल-एमीनोडियोल को क्लोरमफोनिकोल में बदलने की अनुमति दी जानी चाहिए। जान वीथ ने 175 लाख रुपए के प्रोडनीसोलोन की तस्करी की। परन्तु जब यह बात सरकार के ध्यान में लाई गई तो उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। यह बात मेरी समझ में नहीं

आई कि इस कम्पनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई है। सरकार को कोका कोला निर्यात निगम को भी संरक्षण नहीं देना चाहिए। पता नहीं सरकार उसे क्यों संरक्षण दे रही है। इस समय इस निगम के शत प्रतिशत इक्वीटी अंश विदेशी हैं तथा इसके लिए उसका विचार एक और कम्पनी स्थापित करने का है जिसमें 40 प्रतिशत इक्वीटी अंश विदेशी होंगे। अतः सरकार को इस बहुराष्ट्रीय निगमों की अवैध कार्यवाहियों को रोकने के लिए कुछ कदम अवश्य उठाने चाहिएं।

अतः मैं सरकार के विचारार्थ कुछ सुझाव देना चाहूंगा। अनुज्ञा पत्र जारी किए जाने के 30 दिन की अवधि के भीतर जिन औषधियों का नियतन नहीं किया जाता उनके लिए प्राधिकारपत्र देना अनिवार्य होना चाहिए। औद्योगिक लाइसेंस क्षमता से अधिक कच्चे माल का नियतन नहीं किया जाना चाहिए। चाहे प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा इसकी सिफारिश भी की गई हो। विदेशी सप्लायरों को 6 महीने के लिए ऋण पर दिए गए माल का भुगतान भारतीय निर्माताओं से कराया जाना चाहिए। राज्य व्यापार निगम द्वारा गत चार वर्षों में औषधि पर लिए गए अधिक मूल्य को संबंधित व्यक्तियों या फर्मों को वापस लौटाया जाना चाहिए। निर्यात शर्तों को पूरा न करने वाली कम्पनियों को दण्ड दिया जाना चाहिए। चोरी छिपे लाए गए कच्चे माल को प्रयोग में लाने वाली देशी तथा विदेशी कम्पनियों को दण्ड दिया जाना चाहिए और काली सूची में रखना चाहिए।

श्री वसन्त साठे (अकोला) : पिछले कुछ वर्षों में हमारे निर्यात में काफी वृद्धि हुई है। इसके लिए मंत्री महोदय तथा मंत्रालय के अधिकारी बधाई के पात्र हैं। मैं उन्हें एक और कारण से भी बधाई देना चाहता हूं। हम प्रायः गैर-तैयार माल का निर्यात कर रहे हैं। परन्तु अब तैयार माल की मात्रा भी काफी बढ़ी है। हम 1960–61 में 7.2 प्रतिशत तैयार माल का निर्यात किया करते थे जो अब बढ़कर 1974–75 में 36 प्रतिशत हो गया है। अतः मुझे विश्वास है कि हम न केवल अपना लक्ष्य ही प्राप्त कर लेंगें बल्कि लक्ष्य से भी अधिक निर्यात कर लेंगें।

इसके साथ ही साथ हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि घाटे का व्यापार अभी भी बढ़ रहा है। यह लगभग 1,400 करोड़ रुपए का है। यह खाद्य, उर्वरक और ईंधन के कारण हुआ है। अब जब खाद्य सामग्री के सम्बन्ध में हमारी स्थिति में सुधार हुआ है तो इसका आयात प्रतिदिन अवश्य गिरेगा। बम्बई से मिलने वाले क्रूड के कारण उर्वरक के अभाव में भी अवश्य कमी हो जाएगी। जब आयात में कमी हो जाएगी तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि व्यापार संतुलन हमारे पक्ष में हो जाएगा।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि विश्व के बाजार में निर्यात के लिए बहुत गुंजाईश है। आप एक ही देश का उदाहरण ले लीजिए। हमारा अमेरिका में लगभग 15–16 प्रतिशत निर्यात होता है। परन्तु हैरानी की बात यह है कि जब अन्य देशों का अमेरिका में निर्यात बढ़ा है हमारा अमेरिका में निर्यात एक प्रतिशत से भी कम हो गया है। इससे पता चलता है कि इस दिशा में काफी सुधार किया जा सकता है।

जापान का उदाहरण ही ले लीजिए। जापान के पास कच्चा माल नहीं होता है। यह लौह अयस्क तथा अन्य चीजें बाहर से मंगवाता है। फिर यह उसे निर्माण कार्य में लाता है। उसके बाद यह निर्मित माल का निर्यात करता है। इस प्रकार यह विश्व में समृद्ध देशों में गिना जाने लगा है। भारत में कच्चा माल बहुत उपलब्ध है तथा हर क्षेत्र में खनिज संसाधन भी हैं। परन्तु जब भी हमारे उत्पादन में कुछ वृद्धि हो जाती है तो हम कहने लग जाते हैं कि हमारे पास आवश्यकता से अधिक माल है। हमें इस बात पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए कि हमारी इस समय अर्थव्यवस्था देश में खपत के लिए उन्मुख है। इसलिए हमें अपना उत्पादन स्वयं खपाने के लिए देश की क्षमता का विकास करना चाहिए। वाणिज्य मंत्रालय का उद्देश्य देश में वाणिज्य को इस तरह से विनियमित करने का होना चाहिए कि माल का उत्पादन भिन्न-भिन्न स्थानों पर हो। हथकरघा उद्योग एक बहुत बड़ा उद्योग

है। इसमें बीस लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला हुआ है। हम हथकरघा वस्तुओं का भारी मात्रा में निर्यात कर सकते हैं। आज जिन कपड़ों की भारी मांग है उनके लिए जिस कपड़े की आवश्यकता होती है वह उपलब्ध नहीं होता है। इसलिए हमें कपड़ा उद्योग के सम्बन्ध में रुई के मूल्य से लेकर कपड़ा मूल्य तक एक व्यापक नीति बनानी चाहिए। मुझे अब पता चला है कि इसका अध्ययन करने के लिए एक अलग विभाग बनाया गया है। यह बहुत ही खुशी की बात है। परन्तु यदि विभाग नहीं बनाया गया है तो अब अवश्य बना दिया जाना चाहिए क्योंकि कृषि के बाद देश का यह सबसे बड़ा उद्योग है।

हथकरघा उद्योग को प्रोत्साहन देने संबंधी नीति के बारे में एक प्रतिवेदन है। उसकी क्या स्थिति है? धागे का मूल्य पुनः बढ़ गया है और उसकी अब फिर चोर बाजारी हो रही है। धागे के व्यापारी उचित मूल्य पर धागा नहीं बेचते। वे धागे का मूल्य भी नहीं दर्शाते। हथकरघा बुनकरों को उनकी दया पर निर्भर करना पड़ता है। कपास के मूल्य, कपड़े के मूल्य और धागे के मूल्य में कोई समानता नहीं है। अतः मूल्यों की समानता सम्बन्धी नीति अवश्य बनाई जानी चाहिए। यदि ऐसी नीति तैयार हो जाती है तो वाणिज्य मंत्रालय न केवल देश के भीतर उत्पादन लक्ष्य प्राप्त कर लेगा बल्कि विदेशों के बाजार में भी अपनी स्थिति बना लेगा।

श्री एस० आर० दामाणी (शोलापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस मंत्रालय का प्रमुख उत्तरदायित्व यह है कि वह देश के बाहरी और आन्तरिक व्यापार की देखभाल करे जिसमें निर्यात और आयात की नीतियां बनानी भी शामिल हैं। दूसरे देशों के साथ वाणिज्यिक सम्बन्ध बनाना, व्यापार सम्बन्धी समझौते करना, निर्यातोन्मुखी उद्योगों का विकास करना, अपने उद्योगों की सुरक्षा के लिए आयात का नियमन करने आदि की भी इस मंत्रालय को देखभाल करनी पड़ती है। इसके अतिरिक्त भी इस मंत्रालय को अन्य उद्योगों का जैसे रबर, चाय, काफी, बादाम, जूट, ऊनी और सिल्क उद्योग आदि की देखभाल करनी पड़ती है।

यह बड़े संतोष की बात है कि इस वर्ष हमारे निर्यात में वृद्धि हुई है। इस वर्ष निर्यात लक्ष्य 3,500 करोड़ रुपये रखा गया था और यह कहा गया है कि 3,800 करोड़ रुपये अथवा उससे भी अधिक का हो सकता है। इसमें न केवल मंत्रालय ही प्रयास कर रहे हैं बल्कि इस दिशा में निर्माता तथा लोग भी प्रयास कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में इन निर्माताओं में बड़ा उत्साह है। बड़ी बड़ी वस्तुओं की तो मांग है ही यहां तक कि यहां की लाल मिर्च और अगरबत्ती की भी विश्व के देशों में बेहद मांग है। मुझे आशा है कि निर्यात सम्बन्धी यह उत्साह बना रहेगा और निर्यात में निरन्तर वृद्धि होती रहेगी क्योंकि इस सम्बन्ध में सभी प्रयास कर रहे हैं जब हजारों लोग प्रयास करते हैं तो सफलता मिलनी स्वाभाविक ही है। मैं उन लोगों की यह बात नहीं समझ पाता जब वह यह कहते हैं कि निर्यात से हम उस वस्तु विशेष से देश में वंचित रह जाते हैं। बात ऐसी नहीं है। जो कुछ हमारे पास हमारी आवश्यकता से अधिक है उसका निर्यात किया जाता है। इसके बदले में प्राप्त हुई राशि से हम रोजगार के अवसर उपलब्ध कर सकते हैं, अधिक उद्योगों की स्थापना कर सकते हैं और अपने देश का अधिक विकास कर सकते हैं। निर्यात की आय से ही जापान और अमेरिका बड़े बन सके हैं अमीर बन सके हैं। अतः यह हमारे ही हित में है कि हम सभी प्रकार की वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहित करें और विदेशी मुद्रा अर्जित करके देश की खुशहाली बढ़ायें।

देश में आपात स्थिति लागू करने से अनेक उद्योगों की कार्यकुशलता बढ़ गई है हम स्टील का आयात करते थे किन्तु पिछले वर्ष हमने 20 करोड़ रुपये का स्टील निर्यात किया और इस वर्ष यही निर्यात 200 करोड़ रुपये का और अगले वर्ष 350 करोड़ रुपये का हो जाने का अनुमान है। इसी प्रकार हम 39 लाख टन चीनी का उत्पादन करते थे अब यह 49 लाख टन है हम अतिरिक्त चीनी का निर्यात करते

हैं यह सब उत्पादन में वृद्धि के कारण हुआ और वृद्धि आपातस्थिति लागू किए जाने के परिणामस्वरूप हुई।

मन्त्रालय को यह उपलब्धि तब प्राप्त हुई जबकि विश्व मंदी का शिकार बना हुआ था। ऐसे समय में निर्यात में वृद्धि करना एक सुगम कार्य नहीं है और किन्तु मंत्रालय के परिश्रम और जनता के समर्थन से यह सब सम्भव हो सका। अतः यह मंत्रालय बधाई का पात्र है।

यह भी सत्य है कि निर्यात आय में वृद्धि होने के बावजूद भी हमारा व्यापार संतुलन घाटे में चल रहा है क्योंकि ये निर्यात से अधिक आयात कर रहे हैं। सबसे अधिक व्यय हमें पेट्रोल के आयात पर करना पड़ता है इसमें यह मंत्रालय कुछ नहीं कर सकता है। हमें उर्वरक तथा खाद्यान्न भी आयात करना पड़ता है। इसके कारण हमें 5,200 करोड़ रुपये इस आयात पर व्यय करने होते हैं इस प्रकार हमें 1,450 करोड़ रुपये का घाटा रहता है। मुझे आशा है भविश्य में उर्वरक खाद्यान्न और अन्य वस्तुओं का कम आयात करके विदेशी मुद्रा की बचत की जायेगी। तब हमें घाटे के स्थान पर लाभ रहेगा।

इंजीनियरी वस्तुओं के निर्यात के मामले में सहायता देने हेतु मंत्रालय ने एक नीति बनाई है। यदि एक निर्यातक 100 रुपए की मूल्य की वस्तुएं निर्यात करता है तो उसे 15 रुपये की नकद सहायता अथवा नकद प्रोत्साहन दिया जायेगा इस योजना से छोटे उद्यमकर्ताओं को लाभ होगा, इससे पहले केवल बड़े उद्यमकर्त्ता ही निर्यात कर सकते थे किन्तु इस नकद प्रोत्साहन योजना से छोटे उद्यमकर्ताओं को बड़ा लाभ हुआ है। इस योजना को और मजबूत बनाया जाना चाहिए तथा अन्य मदों के सम्बन्ध में भी लागू किया जाये ताकि हमारे निर्यात में वृद्धि हो।

पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष जूट की वस्तुओं के निर्यात में कमी आई है। इसका कारण यह है कि जूट की वस्तुओं पर लगे निर्यात शुल्क ने इसे अंतर्राष्ट्रीय मंडी में प्रतिस्पर्द्धाहीन बना दिया है। मंत्रालय ने इन शुल्कों को हटाने में छः महीने का समय लिया इसके परिणामस्वरूप जूट वस्तुओं के निर्यात में अब वृद्धि हुई है।

मैं मंत्री महोदय से हमेशा अनुरोध करता रहा हूं कि कंट्रोल के कपड़े की नीति में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इस योजना के अन्तर्गत बनाया जाने वाला कपड़ा जनसाधारण के लिये उपयोगी नहीं है तथा साथ ही यह अन्य कपड़ों की कीमतों को भी बढ़ा रहा है। एक निर्णय लिया गया था कि कंट्रोल का कपड़ा विद्युत करघों द्वारा 40 करोड़ मीटर प्रति वर्ष बनाया जायेगा लेकिन यह योजना केवल कागजी कार्यवाही बन कर रह गई है। विद्युत करघे वाले अधिक व्यापार प्राप्त करने के लिये उत्सुक हैं अतः इस निर्णय को शीघ्रातिशीघ्र क्रियान्वित किया जाए।

दूसरी बात यह है कि उन्होंने यह भी निर्णय लिया है कि हथकरघा उद्योग द्वारा प्रतिवर्ष 22 करोड़ 50 लाख मीटर कपड़ा साड़ियों और धोतियों के लिये तैयार किया जायेगा। बुनकर धोतियों और साड़ियों के लिये उत्सुकता से आर्डर का इन्तजार कर रहे हैं। मंत्रालय को यह निर्णय भी शीघ्र ही क्रियान्वित करना चाहिए।

हमारे निर्यात में वृद्धि हुई है और इस सम्बन्ध में राज्य व्यापार निगम अच्छा कार्य कर रहा है किन्तु खनिज धातु व्यापार निगम का कार्य बहुत संतोषजनक नहीं है। वह केवल लौह अयस्क का आयात कर रहे हैं। लौह अयस्क का आयात अन्य मदों की तुलना में बहुत कम है। अन्य मदों में 20-25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

अब खनिज धातु व्यापार निगम की अलौह धातुओं उर्वरकों और अन्य वस्तुओं के निर्यात पर एकाधिकार है। खनिज धातु व्यापार निगम ने 1973-74 में 124 करोड़ रुपये के मूल्य की अलौह धातुएं खरीदी। स्टाक होने के बावजूद भी उन्होंने फिर 157 करोड़ रुपये के मूल्य की भी अलौह धातुएं खरीदी। फिर मूल्यों में कमी हो गई उन्हें भारी मात्रा में ब्याज देना पड़ा और उन
मंत्री महोदय को इसकी जांच करानी चाहिये।

उर्वरकों के मामले में भी खनिज धातु व्यापार निगम द्वारा उर्वरक खरीद लिए जाने के बाद उनके मूल्यों में भी कमी आई है। इन बातों में मंत्री महोदय को विशेष ध्यान देना चाहिये और उन्हें सुनिश्चित करना चाहिये कि विदेशी मुद्रा का अपव्यय न हो।

श्री एन० ई० होरो (खुन्टी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान लाख उत्पादक की स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं। सरकार ने लाख का न्यूनतम मूल्य 3 रुपए प्रति किलो निर्धारित किया है। यह मूल्य बहुत ही कम है। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया था कि राज्य व्यापार निगम द्वारा लाख खरीदी जायेगी किन्तु स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी कारखाना स्वामी अथवा बिचौलिये उत्पादकों से लाख खरीद रहे हैं यद्यपि वह तीन रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीद रहे हैं किन्तु उनका किलो 1600 से 1800 ग्राम तक का होता है इस प्रकार लाख उत्पादकों का शोषण जारी है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये। चूंकि इस व्यापार में अधिकांश लोग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियां के हैं मेरी यह मांग है कि इस व्यापार का राष्ट्रीकरण कर दिया जाये। लाख का निर्यात किया जाता है पहले भारत ही एक ऐसा देश था जो इसका निर्यात कर रहा था। अब थाइलैंड भी इसका निर्यात कर रहा है अतः मेरी आप से प्रार्थना है कि आप लाख के उत्पादन से निर्यात तक सभी बातों का ख्याल रखें और इसका मूल्य बढ़ाकर 15 से 20 रुपये प्रति किलो कर दिया जाये। उत्पादकों को प्रोत्साहन देकर उनकी सहायता की जाये।

सरकार को कोकीन का भी न्यूनतम मूल्य निर्धारित करना चाहिए। सिल्क उत्पादकों को भी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इसी प्रकार कपड़ा, हस्तकला आदि वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं जिनका निर्यात भी होता है। इन सबको प्रोत्साहन देना चाहिये, यह निर्यात सरकार के प्रयास से नहीं बल्कि निजी एजेन्सियां इसके लिये प्रयास करती हैं। सरकार को इन मदों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिये और विशेषकर वन क्षेत्रों में रहने वाले लोंगों की सहायता हेतु इनके उत्पादन और निर्यात को प्रोत्साहन देना चाहिये। कई वन उत्पाद ऐसे हैं जो कि छोटे और बड़े उद्योगों के लिये कच्चे माल के रूप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। सरकार इन मदों के बारे में जानकारी प्राप्त करे और उत्पादकों को यथासंभव सहायता दी जाए ताकि विदेशों में इन वस्तुओं को बेचकर अमूल्य विदेशी मुद्रा कमाई जा सके।

श्री बयालार रवि (चिरयिकील) : देश के निर्यात में वृद्धि पर मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूं। जिस कठिन समय में यह वृद्धि हुई ऐसे कठिन समय में ऐसी वृद्धि करना बड़ा कठिन कार्य है। यह स्वाभाविक बात है कि जितना आयात हमें करना पड़ता है वह हमारे बस की बाहर की बात है। अतः हमें निर्यात इतना बढ़ाना चाहिये व्यापार सन्तुलन का घाटा जो कि लगभग 1100 करोड़ है समाप्त हो जाये। हम अमेरिका से 850 करोड़ रुपये की मूल्य की वस्तुओं का आयात करते हैं और बदले में 256 करोड़ रुपये के मूल्य की वस्तुओं का निर्यात करते हैं। यह एक बहुत बड़ा घाटा है। मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिये तथा आयात और निर्यात के अन्तर को दूर करना चाहिये।

अभी हाल में ही अंकटाड सम्मेलन होने जा रहा है जिसमें मन्त्री महोदय जायेंगे। इस सम्मेलन के अवसर पर गुट-निरपेक्ष देशों के लाभ के लिये अधिक सहयोग और प्रौद्योगिकी के अदान प्रदान का प्रयास किया जाना चाहिये ताकि हम और सभी देश इसका लाभ उठा सकें।

लातीनी अमरीकी देशों को हम 100 करोड़ रुपये के मूल्य से भी कम मूल्य की वस्तुओं का निर्यात करते हैं। अफ्रीका को किये जाने वाले निर्यात की स्थिति भी अच्छी नहीं है। खाड़ी के देशों में हमारा निर्यात 800 करोड़ रुपये तक बढ़ गया है। हमें खाड़ी के देशों से अधिकाधिक पैट्रोडालर प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिये। हमारी नीति इस प्रकार की होनी चाहिये कि जिसमें हम अधिक नये क्षेत्रों की खोज करके अपनी वस्तुओं का निर्यात कर सकें।

जहाँ तक निर्यात सुविधा का सम्बन्ध है बैंक निर्यातकों को ऋण तो दे रहे हैं किन्तु ब्याज की दर अधिक है। इस सम्बन्ध में अनेक शिकायतें आई हैं कि ब्याज की दर ऊंची है और सहायता भी पर्याप्त नहीं दी जा रही है। निर्यातकों को बैंक सुविधाएं चाहियें विशेषकर उन्हें यह सुविधा काजू आदि निर्यात के लिये चाहिये किन्तु उद्योग मंत्रालय तथा अन्य मंत्रालयों के बीच कोई समन्वय नहीं है। एक निर्यातक और निर्यात गृह को पुनः पूर्ति लाइसेंस देने के मामले में बड़ा भेदभाव किया जाता है। निर्यात गृहों द्वारा लाइसेंसों का दुरुपयोग भी किया जाता है सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिये तथा पुनः पूर्ति लाइसेंस देने की पद्धति ही समाप्त कर दी जानी चाहिए।

केरल से निर्यात होने वाली मुख्य मदों में रबड़ प्रमुख है। रबड़ का मूल्य 1,000 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है किन्तु टायर निर्माता रबड़ उत्पादकों को केवल 600 रुपये अथवा 620 रुपये प्रति क्विंटल का मूल्य चुका रहे हैं और इस प्रकार भारी मुनाफा कमा रहे हैं। मन्त्री महोदय ने इन एककों को रबड़ के मूल्य बढ़ाने के लिये कहा है लेकिन अभी तक इस दिशा में कुछ नहीं हुआ है। केरल में 1.14 लाख छोटे उत्पादक तथा 1.16 लाख कर्मचारी हैं रबड़ के मूल्यों में वृद्धि न किये जाने से इन लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस ओर तत्काल ध्यान दिया जाये। राज्य व्यापार निगम की भूमिका इस सम्बन्ध में बड़ी ही हानिकारक है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इस निगम का क्षेत्राधिकार निर्धारित कर दे क्योंकि इससे सरकार का उद्देश्य ही बेकार हो जाता है जिस प्रकार की भूमिका राज्य व्यापार निगम निभा रहा है। रबड़ की अतिरिक्त मात्रा है तो उस का निर्यात किया जाना चाहिये। टायर एकक भारी मुनाफा कमा रहे हैं। आप उत्पादकों को अधिक मूल्य दीजिये। एककों द्वारा कमाये जा रहे मुनाफा को भी सीमित करिये।

काजू का उत्पादन केरल, कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में होता है। यह 3 से 4 रुपये प्रति किलो तक बिकता है। हाल ही में केरल सरकार ने इस आशय का एक कानून बनाया है कि उत्पादक 2.50 रुपये प्रति किलो से अधिक मूल्य वसूल नहीं कर सकते जिसके परिणामस्वरूप उत्पादकों ने काजू के पौधों को काटना शुरू कर दिया है। मन्त्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिये और इस बात को सुनिश्चित किया जाये कि काजू के पौधे नष्ट न किये जायें।

[श्री भागवत झा आजाद पीठासीन हुए
Shri Bhagwat Jha Azad in the Chair]

केरल सरकार ने एक श्रमिक कल्याण निधि विधेयक पास किया है। इस विधेयक के अनुसार नियोक्ता को कल्याण निधि के लिये प्रति वर्ष कर्मचारियों के हित हेतु 2 रुपये प्रति कर्मचारी देने पड़ेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने इस विधेयक पर आपत्ति की है और कहा है कि इस तरह बागानों पर असर पड़ेगा। इसी प्रकार केरल में एक भूमि विधेयक पारित किया गया है जिसमें बागानों को छूट दी गई है ताकि उनके छोटे-छोटे खंड न कर दिये जायें। लेकिन जब बागान मालिकों ने बागानों को टुकड़ों में विभाजित कर बेचना शुरू कर दिया तब केरल सरकार ने यह अध्यादेश जारी किया कि बागानों को टुकड़ों में विभाजित कर बेचने की अनुमति नहीं है। किन्तु वाणिज्य मंत्रालय ने एक आदेश द्वारा बागानों को टुकड़ों में विभाजित करने की अनुमति दे दी है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह ऐसे अधिकारियों के प्रति कड़ी कार्यवाही करे जिसने ऐसा आदेश दिया है।

कई बड़ी कम्पनियों ने जिसमें एक बहुराष्ट्रीय निगम भी शामिल है अपने निर्यात उत्तरदायित्वों को पूरा नहीं किया है। फिलिप्स कम्पनी की उत्पादन क्षमता 60,000 है किन्तु वह 6 लाख रेडियो का उत्पादन कर रहे हैं। अब विदेशी मुद्रा अधिनियम में भी एक छूट दे दी गई और इस सम्बन्ध में विदेशी कम्पनियां निर्यात दायित्व के लिये सामने आ रहीं हैं। मन्त्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि यह कम्पनियां अपने निर्यात दायित्व को पूरा करें।

अन्त में मैं समुद्री उत्पादों का उल्लेख करना चाहूँगा इससे 124 करोड़ रुपये की आय हुई है। समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने बहुत अच्छा कार्य किया है । मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप इस निगम को थोड़ा सा और अधिकार दीजिये। समुद्री उत्पादों में पारा भी है जिसके बारे में बम्बई में अनुसन्धान हो रहा है। मैंने सुना है कि इस परियोजना को समाप्त किया जा रहा है उन्हें हर बात के लिये कोचीन से दिल्ली जाना होता है। मन्त्रालय में बड़ा विलम्ब होता है। अतः समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण को थोड़े और अधिकार दिये जायें।

इन शब्दों के साथ मैं मांगों का पूरा समर्थन करता हूँ।

श्री के० जो० देशमुख (अमरावती) : सभापति महोदय, 1975-76 में वाणिज्य मंत्रालय ने जो अद्भुत कार्य किया है, उसके लिये मैं इस मंत्रालय को बधाई देता हूं । निर्यात के क्षेत्र में इसने आश्चर्य-जनक काम किया है। मैं अपने माननीय मित्र श्री माठे की इस बात से सहमत नहीं हूं कि वाणिज्य मंत्रालय को केवल उसी माल का निर्यात करना चाहिए जो यहां फालतू हो। मैं नहीं जानता कि आयात को कैसे संतुलित किया जा सकता है। आखिरकार भारत जैसे अविकसित देश को विदेशों से अनेक वस्तुएं आयात करनी पड़ती हैं और इसका संतुलन बनाये रखने तथा विदेशी मुद्रा कमाने के लिये हमें निर्यात करना पड़ता है।

अब मैं कपास के सम्बन्ध में उल्लेख करता हूं। कपास से संबंधित मामले दो मंत्रालय निपटाते हैं--कपास का उत्पादन कृषि मंत्रालय से सम्बन्धित है और दूसरी इसकी बिक्री आदि का मामला वाणिज्य मंत्रालय का है। जहां यह मंत्रालय निर्यात, आयात और उद्योगों जैसी अनेक बड़ी चीजें निपटाता है वहां गरीब किसानों द्वारा पैदा की जाने वाली कच्ची कपास जैसी छोटी चीजों की उपेक्षा की जाती है। कृषि मंत्रालय ने पिछले वर्षों में कपास उत्पादकों को अधिक कपास पैदा करने के लिये प्रोत्साहन दिया था। 1972 तक यह मंत्रालय सूडान, मिश्र और अमरीका से लम्बे रेशे वाली कपास का काफी मात्रा में आयात करता था और इसके आयात पर हम काफी अधिक विदेशी मुद्रा खर्च कर रहे थे । अतः कृषि मंत्रालय ने कपास उत्पादकों से अधिक कपास उगाने के लिये जो अपील की थी, उसका परिणाम अच्छा निकला है। परन्तु उत्पादकों को अपनी कपास का उचित मूल्य नहीं मिलता है। इस समय व्यापारियों को पैसा मिलता है, परन्तु उत्पादकों को नहीं। अब ऐसे उपाय किये जायें जिससे उत्पादकों को कपास का समुचित मूल्य मिले। यदि ऐसा नहीं किया जायेगा तो कपास का उत्पादन गिर जायेगा और इसका पुनः आयात किया जायेगा। मूल्य को कम से कम उत्पादन से जोड़ा जाना चाहिए। इसके लिये महाराष्ट्र ने एक योजना बनायी है । योजना यह है कि समूची कपास राज्य सरकार खरीद लेती है और उत्पादकों को न्यूनतम मूल्य की गारंटी दी जाती है। बाजार में कपास बेचने के बाद जो कुछ भी लाभ मिलता है, वह बोनस के रूप में उत्पादकों को बांट दिया जाता है। इस स्कीम की समूचे देश में आवश्यकता है। भारतीय कपास निगम की स्थापना से भी समस्या हल नहीं हुई। पर्याप्त धनराशि के अभाव में यह असफल रहा है। मेरा सुझाव तो यह है कि भारतीय कपास निगम महाराष्ट्र सरकार की योजना को अपनायें। देश में पैदा होने वाली समूची कपास इस निगम की हो और वह सारी कपास को खरीद सके तथा महाराष्ट्र सरकार की भांति लाभ को उत्पादकों में बांटा जाये।

मैं यह कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र सरकार को इस स्कीम को चलाने के लिये कम से कम 200 से 300 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। इसके लिये महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र से 100 करोड़ रुपये की मांग की है। इतनी धनराशि उसे नहीं दी गयी है। केवल 20 करोड़ रुपये दिये गए हैं। यह बहुत ही कम है। कुछ ही सप्ताह पूर्व मुझे यह जानकारी मिली है कि वाणिज्य मंत्री महाराष्ट्र सरकार को 40 करोड़ रुपये देंगे। मैं इसके लिये उनका बड़ा आभारी हूं। शेष धनराशि भी उचित समय पर मंजूर की जायेगी। यदि यह धनराशि मंजूर की जायेगी तो यह योजना सफल होगी। यह एक आदर्श योजना है

श्री धामनकर (भिवंडी) : महोदय, गत वर्ष अच्छे कार्य करने और हाल ही में आयात नीति की घोषणा करने के लिये मैं मंत्री जी को हार्दिक बधाई देता हूं। हमें निर्यात अधिकाधिक और आयात कम से कम करना चाहिए। इससे देश को लाभ होगा। चीनी के मामले में हम खण्डसारी का प्रयोग करके सारी चीनी का निर्यात करें और इस तरह अधिक विदेशी मुद्रा कमाएं।

मैं इस बात से सहमत हूं कि हथकरघा क्षेत्र में लाखों लोगों को रोजगार मिला हुआ है और इसे प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए परन्तु विद्युत चालित करघा क्षेत्र को नुकसान नहीं होना चाहिए। देश में लाखों विद्युत चालित करघे हैं जिनमें 1000 करोड़ रुपये का सूती कपड़ा तैयार होता है और वे 100 करोड़ रुपये से भी अधिक उत्पादशुल्क देते हैं।

महाराष्ट्र सरकार से कहा गया है कि रंगीन साड़ियां तैयार करने वाले विद्युत चालित करघों को सील कर दिया जाए, जिससे रंगीन साड़ियों का उत्पादन न हो सके। सस्ती साड़ियां केवल हथकरघा द्वारा ही तैयार नहीं की जा सकतीं। अतः 30 या 40 काउंट की मोटे कपड़े की साड़ियां विद्युत चालित करघों द्वारा भी तैयार की जा सकती हैं। निर्यात की जाने वाली साड़ियां भी विद्युत चालित करघों द्वारा तैयार की हुई अच्छी रहती हैं।

मैं समझता हूं कि सरकार शिवरामन समिति के प्रतिवेदन को पूर्णतया स्वीकार कर रही है। ये विद्युत चालित करघे क्षेत्र में कभी नहीं गये हैं। हथकरघे क्षेत्र का अवलोकन करके ही सुझाव दे दिये गये हैं। मेरी समझ में शिवरामन समिति के प्रतिवेदन को तब तक पूर्णतया स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए जब तक सरकार विद्युत चालित करघों के हित में इस प्रतिवेदन पर गौर नहीं कर लेती है।

[श्री बसन्त साठे पीठासीन हुए
Shri Vasant Sathe in the Chair]

इस क्षेत्र में लगभग 2 लाख बुनकर हैं। सरकार को इस तरह की नीति अपनानी चाहिए जो मिलों, विद्युतचालित करघों और हथकरघों के साथ न्याय करे।

अनधिकृत विद्युत चालित करघों के बारे में एक प्रश्न के उत्तर में हमें कुछ समय पहले यह बताया गया था कि इन करघों को चलने नहीं दिया जायेगा परन्तु वे प्रतिवर्ष प्रतिकरघा 400 रुपये जुर्माने के रूप में देंगे। मैं वाणिज्य मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि वह वित्त मंत्रालय से इस बात का पता लगाये कि क्या उन्हें इतना जुर्माना मिल रहा है। यह तो वास्तव में भ्रष्ट अधिकारियों की जेब में जाता है। इससे तो सरकार को घाटा होता है। इस प्रश्न पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

जहां तक कृत्रिम रेशम उद्योग का सम्बन्ध है, विस्कोस निर्माता उद्योगों ने अमृतसर, गुजरात और महाराष्ट्र के विद्युत करघा बुनकरों से धागे की सप्लाई के लिये एक समझौता किया है। परन्तु वास्तव में ऐसा होता है कि वे विद्युतचालित करघों को धागा तभी सप्लाई करते हैं जबकि वे चाहते हैं और जब बाजार में मंदी हो। इस तरह से वे समझौतों का पालन नहीं करते हैं और इसे खुले बाजार में ऊंची कीमत पर बेच देते हैं। अतः सूती वस्त्र आयुक्त को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समझौते का पूरी तरह से पालन किया जाये।

नायलन धागे के सम्बन्ध में स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। यद्यपि नायलन की कताई करने वालों को शुल्क में कुछ राहत दी गयी है परन्तु यह राहत उपभोक्ता को नहीं मिलती है। अतः विस्कोस के साथ-साथ उपभोक्ताओं के लिये नायलन का कोटा भी निर्धारित किया जाना चाहिए और शेष को खुले बाजार में बेचने की अनुमति होनी चहिए।

सरकार ने 100 से अधिक सूती कपड़ा मिलें अपने हाथ में ले ली हैं। मेरी समझ में उनसे सस्ता, टिकाऊ और सस्ती दर का कपड़ा तैयार करने के लिये कहा जाना चाहिए। ऐसा करने पर आम आदमी की समस्या हल हो जायेगी।

जलगांव में खंडेश कताई और बुनाई मिलें हैं जो घाटे में चल रही हैं। प्रतिवर्ष इस मिल को स्टैण्डर्ड कपड़ा तैयार करने से छूट दे दी जाती है। इससे लाभ हानि का लेखा और तुलनपत्र पहले पेश करने के लिये भी कहा जाये। यदि मिल के लिये यह संभव न हो और यह प्रतिवर्ष घाटे में चल रही हो तो मेरी समझ में उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाये और इसे स्टैंडर्ड का कपड़ा बनाने से छूट दी जाये।

इन शब्दों के साथ मैं इस मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

63वां प्रतिवेदन

श्री दलीप सिंह (बाह्य दिल्ली) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयको तथा संकल्पों समबन्धी समिति के 63वें प्रतिवेदन से, जो 28 अप्रैल, 1976 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 63वें प्रतिवेदन से, जो 28 अप्रैल 1976 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

बहुराष्ट्रीय निगमों के बारे में संकल्प

RESOLUTION RE: MULTINATIONAL CORPORATIONS

सभापति महोदय : अब हम श्री एच० एन० मुकर्जी के बहुराष्ट्रीय निगमों सम्बन्धी संकल्प पर आगे चर्चा शुरू करते हैं। नियत समय 3 घंटे। 2 घंटे 20 मिनट तक चर्चा हो चुकी। शेष 28 मिनट।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : यह एक महत्वपूर्ण संकल्प है। हम बहुराष्ट्रीय निगमों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं। मेरा सुझाव है कि समय और बढ़ाया जाये।

निर्माण, आवास और संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया) : मेरा सुझाव है कि समय में वृद्धि इस प्रकार से की जाये कि यह 6 बजने से 5 मिनट पूर्व समाप्त हो जाये जिससे अगला संकल्प पेश किया जा सके।

सभापति महोदय : क्या सभा का यही विचार है ?

माननीय सदस्यगण : हां।

सभापति महोदय : डा० रानेन सेन भाषण जारी रखें।

डा० रानेन सेन (बारसाट) : हिन्दुस्तान लीवर द्वारा लक्स साबुन और अनिक घी जैसी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है । जिसके लिये अपेक्षित तकनीकी ज्ञान देश में उपलब्ध है । कोका कोला निर्यात निगम पेय पदार्थ का उत्पादन कर रहा है । यद्यपि इसी तरह के पेय पदार्थ इस देश में उपलब्ध हैं फिर भी सरकार उनको इसकी अनुमति लाइसेंस और सभी तरह की सुविधायें दे रही है जिससे वे इस देश में लूट खसोट का कार्य करते रहें ।

1975 के दौरान ईक्विटी सम्बन्धी 40 मामलों समेत सहयोग के लिये 271 प्रस्ताव भारत सरकार ने स्वीकार किये थे । ऐसी अनेक बहुराष्ट्रीय फर्में हैं जिन्हें यहां कार्य करने के लिये अनुमति दी गई है जो केवल हमारे देश के लोगों को यह सिखाती हैं कि इन चीजों को कैसे तैयार किया जाये । यह तो केवल हमारे देश का शोषण है और भ्रष्टाचार फैलता है ।

ये फर्में देश में कोई नई तकनीक शुरू नहीं करती हैं परन्तु ये तो हमारे वैज्ञानिकों की पहल को भी समाप्त कर रही हैं । हाथी समिति ने इस बात पर विचार किया था और वह इस निष्कर्ष पर पहुंची कि इन निगमों ने भारत की औषध उद्योग में कोई मदद नहीं की अपितु इसका खराब प्रभाव ही पड़ा है ।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्बन्धी राष्ट्रीय समिति ने मई, 1973 में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था । उसमें यह कहा गया है कि प्रौद्योगिकी की उपलब्धि के लिये ईक्विटी सहभागिता आवश्यक नहीं है । इस सहभागिता से निर्भरता आती है और इससे प्रबन्ध नीति पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। जब तक कोई विशेष स्थिति न हो, तब तक इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए । दूसरे समिति ने यह भी कहा है कि केवल ऐसे मामलों में तकनीकी सहयोग दिया जाये जिससे इन निगमों द्वारा प्रबन्ध नीति पर असर न पड़े और तकनीकी आत्मनिर्भरता प्राप्त हो । अतः हाथी समिति ने इन निगमों को अपने हाथ में लेने के लिए सिफारिश की थी ।

यह कहा गया है कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम इस पर नियंत्रण रखने के लिए पर्याप्त है । पहले मैं तो यह कहता हूं कि इस तरह इनपर नियंत्रण रखना असंभव है दूसरे यह सर्वविदित है कि कोका कोला निर्यात निगम अपनी शत प्रतिशत ईक्विटी पूंजी को कम करने से इन्कार कर रहा है । सरकार उससे ऐसा करने के लिये दबाव क्यों नहीं डालती है ?

हाथी समिति द्वारा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की जांच करने पर यह पता लगा कि औषध उद्योग में लगभग 2,500 एकक ऐसे हैं जिनमें से 36 पूर्णतया विदेशी कम्पनियां हैं और उनका लगभग 70 प्रतिशत उत्पादन पर नियंत्रण है । ये कुछ, टी० बी०, मलेरिया आदि जैसे रोगों के लिये औषधियां तैयार नहीं करती हैं, जो कि भारत के लिये आवश्यक है क्योंकि उनका विश्व बाजार नहीं है । उनके भारत में अनुसंधान केन्द्र भी नहीं हैं ।

ये कंपनियां यहां कोई धन नहीं लाती हैं और न ये भारत में किसी प्रौद्योगिकी को शुरू करती हैं । वे भारतीय प्रौद्योगिकीविदों को प्रशिक्षण नहीं देती हैं । वे देश में भ्रष्टाचार की स्रोत हैं । ये करोड़ों रुपये कमाती हैं और इस देश का शोषण करती हैं । उनका निर्यात कम है और आयात अधिक है ।

हाथी समिति ने इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को हाथ में लेने की सिफारिश की है। इनमें भारतीय वैज्ञानिक काम कर रहे हैं । वे देश के लिये चीजों का निर्माण करेंगे और जो भी प्रौद्योगिकी नहीं होगी, वह बाहर से खरीद ली जायेगी ।

मैं प्रो० एच० एन० मुकर्जी के संकल्प का पूरा-पूरा समर्थन करता हूं और यह कहता हूं कि भारत को इनसे बचाने का केवल यही रास्ता है कि इनको सरकार अपने हाथ में ले। यह कहा जाएगा कि हमें करोड़ों रुपये देने होंगे। मैं कहता हूं कि एक पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। हमारा देश स्वतंत्र है। और हम ऐसा कर सकते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : यह पूर्णतः सिद्ध हो चुका है कि आज बहुराष्ट्रीय निगम विकासशील और अर्ध-विकसित देशों के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं। अब तो संयुक्त राज्य अमरीका तक ने, जहां से इन बहुराष्ट्रीय निगमों का उदय हुआ है, अमरीकी सीनेट की एक समिति नियुक्त की है। इस समिति का कहना है कि ये बहुराष्ट्रीय निगम अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के लिए सबसे अधिक हानि पहुंचा रहे हैं। ये निगम अन्य देशों में जाकर वहां के कल-कारखानों और विक्रय-व्यापार आदि पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं और तत्पश्चात् उस देश को ही अपने कब्जे में कर लेते हैं। चिली इसका एक उदाहरण है जहां पर इन्टरनेशनल टेलीफोन कम्पनी नाम के एक बहुराष्ट्रीय निगम ने वहां के राष्ट्रपति को सत्ता से निकलवा दिया। इन निगमों ने अपने देश तक को शोषण से नहीं छोड़ा। अमरीका में भेषज निर्माताओं के विरुद्ध वहां के न्यायालयों में मुकदमा चल रहा है। इन बहुराष्ट्रीय निगमों ने दवाइयों की बहुत अधिक कीमत ली है परन्तु अब वे मुकदमा लाने वालों को चुप करना चाहते हैं और अपने उपभोक्ताओं को मुआवजा देने के लिए तैयार हैं। हमारे देश में ये निगम औषधियों की कीमत यूरोप या अन्य देशों की तुलना में हजारों गुना अधिक लेते हैं। इन निगमों में बहुत ही चालाक लोग शामिल हैं। इन्होंने भारी रकमें देकर बुद्धिजीवियों को अपने हाथ में कर रखा है जो इन निगमों की प्रशंसा करते रहते हैं कि ये निगम विकास में सहायक हैं। परन्तु समाजवादी विचारकों का भी ग्रुप है जो यह बताते रहते हैं कि ये निगम विश्व में मनुष्य के सबसे बड़े शोषक हैं। इससे ये लोग रुष्ट हैं और इनका कहना है कि अर्ध-विकसित या विकासशील देशों में बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा धन-विनियोजित करना सार्थक नहीं है क्योंकि हम देख रहे हैं कि भारत या अफ्रीकी या अरबी देशों में बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा अत्यधिक पूंजी लगाये जाने के बावजूद भी वहां पर लाखों लोग भूखे और नंगे हैं और उनकी आधारभूत आवश्यकताएं ये निगम पूरी नहीं करते। जो वे उत्पादन करते हैं वह एक छोटे से वर्ग के मनोरंजन के लिए होता है और यह वर्ग भारी कीमत अदा करता है। इसलिए भारी पूंजी विनियोजन के बारे में उनकी यह दलील झूठी है कि वे इन देशों में बहुत अधिक पूंजी लगाते हैं। यहाँ तक कि ये बहुराष्ट्रीय कम्पनियां अपनी ही वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती, बल्कि वे अपने शक्तिशाली संगठन तथा भारी पूंजी विनियोजन की सहायता से अपने ही देश में छोटे पैमाने के उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं को खरीद लेते हैं और उन्हें एक बड़ा ब्रांड नाम देकर बेचते हैं। इस प्रकार वे विकासशील देशों में लघु उद्योगों के आधार को कमजोर बनाते हैं और हानि पहुंचाते हैं। श्री के० डी० मालवीय और श्रीमती गांधी के नेतृत्व में ही हम इस योग्य हुए कि इन बहुराष्ट्रीय निगमों के नियंत्रणपाश को अपने देश में ढीला कर पाये हैं।

अमरीकी सीनेट समिति की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का न केवल औद्योगिक क्षेत्र में वरन् राजनैतिक क्षेत्रों में भी शक्तिशाली हस्तक्षेप है। झा समिति ने बताया है कि 1965 में ये बहुराष्ट्रीय कम्पनियां विभिन्न देशों में एक डालर के विनियोजन के बदले 2.4 डालर का लाभ और 1970 में 3.3 डालर का लाभ निर्यात कर रही थीं। इससे बड़ा अमानवीय तथा क्रूरतापूर्ण शोषण क्या हो सकता है ? इन्हें अपने लाभ पर मिलने वाला प्रतिफल एशिया में 34.7, अफ्रीका में 22.3 है जबकि यूरोप में 7.1 है। इससे पता चलता है कि ये कम्पनियां अफ्रीकी तथा एशियाई देशों की अर्थ-व्यवस्था तथा राजनैतिक ढांचे को छिन्न-भिन्न करने का कैसे प्रयास कर रही हैं। एक फ्रांसीसी समाजवादी लेखक शर्मन स्क्राइबर ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि अगर यूरोप की आंखें आगामी दस वर्षों

तक नहीं खुलीं, तो वह अमरीका का उपनिवेश बन जायेगा । अतः अफ्रीकी तथा एशियाई देशों का अस्तित्व इस बात पर निर्भर करता है कि वे अमरीका की इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रति एक गुट होकर कितना संघर्ष कर पाते हैं ।

अमरीकी सीनेट समिति, झा समिति और हाथी समिति ने स्पष्ट कर दिया है कि इन कम्पनियों से इस देश की भलाई नहीं हो सकती । इन कम्पनियों की दिलचस्पी विकास या पूंजी के विनियोजन में नहीं वरन् शोषण में है। वे कच्चे माल और कारखानों पर नियंत्रण करना चाहते हैं । स्वाधीनता मिलने के समय हमारी भारतीय अर्थ-व्यवस्था के पास छोटा पूंजी आधार और उद्यम आधार मौजूद था परन्तु टैक्नोलाजी उपलब्ध न थी । हमारे देश के उद्योगपति और उद्यमी उद्योगों का विकास कर सकने में सक्षम थे, परन्तु टैक्नोलाजी की कमी होने के कारण इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को हमारी राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में हस्तक्षेप करने का मौका मिल गया ।

हमारे देश की भुगतान स्थिति का पूर्णतः प्रतिकूल है जो इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के कारण ही है। हमें बताया जा रहा है कि ये कम्पनियां निर्यात उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक हैं । कुल आयात का 1/5वां हिस्सा इन्हीं कम्पनियों द्वारा किया जाता है । उनका निर्यात कुल निर्यात का 1/8वां हिस्सा रहा है। अतः यह कहना सर्वथा गलत है कि ये कम्पनियां निर्यात में सहायता दे रही हैं ।

कहा गया है कि ये बहुराष्ट्रीय निगम साथ-साथ अनुसंधान और विकास कार्य भी करते हैं । 197 में से केवल 80 निगमों के अपने स्वतंत्र अनुसंधान विभाग हैं । टैक्नोलाजी के नाम पर वे ब्रांड नाम प्रयोग में लाते हैं । बाकी वे कुछ नहीं करते। लघु उद्योगों के लाखों कर्मकारों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है ।

साम्राज्यवादी जहां कहीं भी गये हैं उन्होंने उस देश के लोगों पर अपनी संस्कृति ठूंस दी है । जब ब्रिटिश लोग हमारे देश में आये थे तो ऐसा ही हुआ था । ये बहुराष्ट्रीय निगम अपनी संस्कृति थोप देते हैं और इस कार्य में वे उस देश की संस्कृति को नष्ट कर देते हैं जहां वे अपना कार्य चला रहे होते हैं ।

भारत सरकार तथा भारतवासियों के लिए यह उचित समय है कि वे एशियाई तथा अफ्रीकी देशों के साथ मिलकर एक संयुक्त मोर्चा तैयार करे और इन बहुराष्ट्रीय निगमों के विरुद्ध संघर्ष करे ताकि हम मानव के हितार्थ इनसे छुटकारा पा सकें । आशा है कि भारत सरकार इन बहुराष्ट्रीय निगमों के विरुद्ध शक्तिशाली ढंग से लड़कर हमारी अर्थ-व्यवस्था को शोषित होने से बचायेगी ।

श्री त्रिदिव चौधरी (बरहामपुर) : श्रीमन्, इन निगमों को बहुराष्ट्रीय नाम देना गलत है । इन निगमों के स्वामित्व में सबसे बड़ा हिस्सा अमरीका का है और उसके बाद ब्रिटेन तथा पश्चिमी यूरोप के अन्य उन्नत देशों का स्थान है जैसे पश्चिमी जर्मनी, इटली आदि । मैं तो इन्हें साम्राज्यवादी निगम कहूंगा और इनकी गतिविधियां स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी रुकी नहीं हैं बल्कि बहुत बढ़ गई हैं ।

मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा । यदि इस समय सदन में श्री पाई उपस्थित हैं, तो सरकार की ओर से उत्तर देंगे परन्तु अच्छा होता कि यदि इस विषय से सम्बन्धित अन्य मंत्रिगण भी उपस्थित रहते । आज सुबह उप वित्त मंत्री ने कुछ ऐसे क्षेत्रों में, जो हमारे अपने देशवासियों के लिये आरक्षित होने चाहियें थे, इन बहुराष्ट्रीय निगमों के क्रियाकलापों सम्बधी प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा था कि हमने विदेशी मुद्रा नियंत्रण अधिनियम और इन निगमों पर नियंत्रण को शिथिल नहीं किया है । वाणिज्य मंत्री ने उठकर बहुराष्ट्रीय निगमों को दी गई छूट को उचित बताया । हम सब जानते हैं कि 'यूनियन कार्बाइड' को एक विशिष्ट उत्पादन में विशेषज्ञता प्राप्त है और इस क्षेत्र में उसका लगभग एकाधिकार है । अब वे कपड़ों

का निर्यात कर रहे हैं । इसी प्रकार इंडिया टोबेको कम्पनी को जो ब्रिटेन की सबसे बड़ी बहुराष्ट्रीय 'इम्पीरियल टोबेको कम्पनी' की सहायक कम्पनी है, समुद्री उत्पादों व साइकिलों के पुर्जों के निर्यात तथा होटल व्यवसाय करने की अनुमति दी गई है । इसी प्रकार अन्य कम्पनियां भी ऐसे क्षेत्रों पर छाती जा रही हैं, जो हमारे नागरिकों के लिए आरक्षित किये जाने चाहियें थे । सरकार की ओर से श्री चट्टोपाध्याय ने दलील पेश की कि कपड़ों के निर्यात के लिये अंतर्राष्ट्रीय फैशनों की जानकारी आवश्यक है, जिसमें हमें विशेषज्ञता प्राप्त नहीं है । यूनियन कार्बाइड को यह विशेषज्ञता एकदम कैसे प्राप्त हो गई ? क्या साइकिलों के पुर्जों और समुद्री उत्पादों में भी उन्हें अचानक विशेषज्ञता प्राप्त हो गई ?

जहां तक विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का सम्बन्ध है, 16 या 17 अप्रैल के टाइम्स आफ इंडिया में ऐक समाचार प्रकाशित हुआ था जिसमें कहा गया था कि विदेशी मुद्रा के लेन-देन, विदेशों को लाभ की राशि प्रेषित करने आदि पर लगाई गई पाबन्दियों और साम्य पूंजी के भारतीयकरण में ढील दी जा रही है ताकि बहुराष्ट्रीय उद्योगों को देश में पूंजी लगाने के लिये प्रोत्साहन मिले । श्री औरविल्ले फ्रीमैन का भी उल्लेख था, श्री फ्रीमैन ने प्रधान मंत्री और सरकार के नेताओं से मिलने के बाद सन्तोष व्यक्त किया कि भारत सरकार की नीति वास्तव में विदेशी पूंजी विनियोजन और बहुराष्ट्रीय निगमों के कार्यकरण के लिये उपयुक्त है । इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार सभा को बताये कि सरकार की नीति क्या है और वह क्या करना चाहती है ।

श्री आजाद ने चिली में बहुराष्ट्रीय निगमों के क्रियाकलापों का उल्लेख किया । वहां पर सबसे अधिक सक्रिय निगम आई०टी०टी० था । भारत भी इसकी गतिविधियों से मुक्त नहीं है । इसकी अमरीका में सहायक कम्पनी शेरेटन्स होटल व्यवसाय में लगी हुई है । इस कम्पनी ने भारत में बम्बई में अपने क्रियाकलाप आरंभ कर दिये हैं । भारत में शेरेटन्स के सहयोगियों को राजनीति में भाग लेने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है । आई०टी०टी० की एक और सहायक कम्पनी है बेल्जियम की बैल टैलीफोन्स जिसने हमें क्रास बार उपकरण सप्लाई किये थे, जो हमारे संचार मंत्री के लिये सिर दर्द बन गये हैं । सभी बड़े बहुराष्ट्रीय निगमों की आंखें भारत पर लगी हुई हैं और वे भारत में सक्रिय हैं । परन्तु सबसे अधिक चिन्ता की बात सरकारी दृष्टिकोण है । अमरीका का सबसे बड़े राष्ट्रीय निगम जनरल मोटर्स के साथ बिड़लाओं के हिन्द मोटर्स के साथ सहयोग है । जब जनरल मोटर्स के अध्यक्ष भारत आये, तो बम्बई में राज्यपाल महोदय स्वयं उनकी अगवानी करने के लिये हवाई अड्डे गये और सभी मंत्रियों ने भी पहुंचकर उनका स्वागत किया । जब वे कुछ घंटों के लिये दिल्ली में रुके, तो भारत के राष्ट्रपति ने उन्हें मुलाकात की स्वीकृति प्रदान की । ये निगम सरकार के सहयोग और सहमति से देश में सक्रिय हैं । श्री पाई उत्तर दें कि ये चीजें बन्द की जायेंगी या नहीं । सारे राष्ट्र की ओर इस संसद की यह मांग है कि इन्हें रोका जाये ।

Shri M. C. Daga (Pali): Mr. Chairman, Sir, my learned friend Prof. Hiren Mukherjee has moved in the House a good resolution but I feel it would have been better if it had been brought forward in the form of a codified legislation suggestions and the steps proposed to be taken.

Many instances were quoted and Mr. Azad also delivered a very good speech but I fail to understand how Government is against it. The spirit behind the resolution is to be appreciated but why U.S.A. is particularly referred.

During the deliberations in the Select Committee on Foreign Exchange Regulations Bill Mr. Gokhale had early stated that companies not registered in India would not be allowed to operate and their activities would be watched and if their operations were considered not desirable they would not be allowed to carry on their activities. If some technology attracts the attention of a country and they want to use it, what can be the purpose behind it. We should see that there is proper control over the multi-nationals.

I am happy if they are exposed for their objectionable operations. The Lokheed Scandal rocked the world and many world personalities were involved in it. But we must admire U.S.A. for exposing itself the corruption in the country. There the issue is how to get foreign investment on the terms that are best for our national goal. Foreign Exchange Regulation Act and other laws have been passed during the last three years to keep a proper control over the operations of multi-nationals. No of persons to be employed, permissible number of foreigners, share in equity capital, etc. all these things have been taken case of in F.E.R.A.

An advocate of Costa Rica had said in 1917 the same things which I am now saying. He said that the big foreign companies had been giving large sums of money to politicians and Government officials in consideration of gaining undesirable business favours and thus unprincipled politicians became millionaires over night while these companies gained monopolistic control over industry and trade. My plea is that multi-nationals whose past history is full of corrupt activities should be barred from operating in the country and I have moved an amendment also to this effect. The mover of the resolution should have specified the measures to be taken in the form of amendment to the existing laws to check the unfair activities of these multi-nationals.

श्री वयालार रवि (चिरयिकील) : मैं आदरणीय प्रो० मुकर्जी द्वारा प्रस्तुत किए गए संकल्प का समर्थन करता हूं। आज सारा विश्व यह जानता ही है कि बहु-राष्ट्रीय निगम गरीबों का शोषण कर रहे हैं और लाभ अपने-अपने देश को पहुंचा रहे हैं। यही कारण है कि इन निगमों की सारे संसार में आलोचना हो रही है।

[**श्री भागवत झा आजाद पीठासीन हुए।**
Shri Bhagwat Jha Azad in the Chair]

ये निगम ज्यादातर निर्वाचित सरकारों के विरुद्ध अपनी गतिविधियां चला रहे हैं। ये सी०आई०ए० जैसे संगठनों के लिए हथियार का काम कर रहे हैं। मैं धन संबंधी वे आंकड़े नहीं बताना चाहता जो उन्होंने विश्व के भिन्न भागों में व्यय किया है। मैं एक उदाहरण देकर स्थिति को स्पष्ट करना चाहूंगा। कुछ निगमों ने यह तर्क देकर लाभ उठाया है कि वे कुछ वस्तुओं का निर्यात करेंगे तथा इस बिना पर उन्होंने लाइसेंस प्राप्त कर लिए। डी०जी०टी०डी० को उनके विरुद्ध अवश्य कार्यवाही करनी चाहिए। संबंधित अधिकारियों को सरकार से कार्यवाही करने के लिए कहना चाहिए। किन्तु जसा कि आपको मालूम ही है इन निगमों की शरारतपूर्ण कार्यवाहियां अधिकारियों को कोई भी कार्यवाही करने नहीं देतीं।

एक प्रश्न के उत्तर में यह कहा गया था कि विदेशी कम्पनियां भारत में 2.2 मिलियन रेडियो बना रही हैं। यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि रेडियो में ऐसी कौन सी चीज है कि ये केवल बहुराष्ट्रीय निगम द्वारा ही बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा विदेशी कंपनियों ने यह आश्वासन दिया था कि वे 20 प्रतिशत रेडियो का निर्यात भी किया करेंगे। मंत्रालय इस बात का पता नहीं लगा सका है कि इन कम्पनियों ने कहां तक अपने निर्यात दायित्व को निभाया है। इस संबंध में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालयों को आगे कार्यवाही करनी चाहिए।

टाइम्स आफ इंडिया में यह समाचार छपा है कि बहुराष्ट्रीय निगम समूचे विश्व में सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देते हैं। मुझे यह तो मालूम नहीं कि भारत में इसकी स्थिति क्या हैं। संसद् में एक प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया है कि डनलप, सीएट, गुडइयर और फायरस्टोन इन चारों रबड़ कम्पनियों का गत वर्ष का लाभ 1170 लाख रुपए था। ये कंपनियां ऐसी हैं जिनका 80 प्रतिशत रबड़ के उत्पादन पर नियंत्रण है। ये रदड़ उत्पादकों को 600 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से दाम चुकाती हैं और स्वयं 1000 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बेचती हैं। इस प्रकार से उन्होंने 1770 लाख रुपए का

लाभ कमाया है। ये कम्पनियां इस प्रकार से हमारे देश में काम कर रही हैं। ये हमारे देश के लोगों का शोषण कर रही हैं। वे उन्हें उतना लाभ नहीं दे रही हैं जितना उन्हें देना चाहिए। इसके अलावा ये कम्पनियां जन विरोधी गतिविधियों में लगी हुई हैं और आर्थिक अपराध भी कर रही हैं।

डनलप और फिलिप्स कम्पनियां अधिकारियों के हाथ गरम कर उनसे मनमाने ढंग से काम करवा रही हैं। इन कम्पनियों की गतिविधियों के कारण हमारे देश के रेडियो और रबड़ के उद्योगपतियों को बहुत हानि उठानी पड़ती है। हमारे देश में ऐसे उद्योगपतियों की संख्या लाखों में हैं। इन कंपनियों पर अधिक नियंत्रण रखने की जरूरत है। इन की गतिविधियों को समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए।

Shri Satpal Kapur (Patiala) : It is true that the resources needed by the developing countries are possessed by the developed countries. These countries should therefore make contribution and develop the under-developed countries. But it has been proved in the world that multinational companies have only one principle before them and is it to corrupt the local leadership and make as much exploitation as they can. None of the authorities or multi-national companies has indicated in its research that it is going to develop the under-developed countries. They purchase raw material in under-developed countries and sell the finished goods. Wherever they go they try to establish puppet Government there. Soudi Arabia, Italy, Japan, etc. are the examples. Therefore if we want to destroy our culture, economy we can welcome these multi-national companies. This is true that under-developed countries have certain problems. They have raw material and labour but they do not have resources. In order to solve this problem the under-developed countries can also help each other in their development. Our Companies are also working in Nepal, Algeria. But we have never tried to topple any Government, nor did we try to exploit or corrupt the local leadership there. We have man power and material. It is therefore in our interest that we do not make ourselves dependent on others.

A mention has been made of the C.I.A. activities. They have been sending retired personnel as Directors, experts etc. in multi-national countries. We have to be very cautious in taking help from outside countries. In so far as the agricultural field is concerned people say that help should be taken from U.S.A. But while amending the law we have to keep all these things into consideration.

श्री बसंत साठे (अकोला) : आपने जो कुछ कहा है उससे मैं कुछ कहने के लिए प्रोत्साहित हुआ हूं। वास्तव में जो दोष है वह इस सारी पद्धति में है। अभिप्राय में कोई दोष नहीं है। जब तक कतिपय लोगों के हाथ में पूंजी रहेगी तब तक देश के अन्दर अथवा विश्व में कहीं भी शोषण चलता रहेगा। बहु-राष्ट्रीय कौन है ? किसी भी देश में कोई पूंजीपति अथवा एकाधिकारी इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वह तमाम विश्व में जाना चाहता है। साम्राज्यवाद का आरंभ भी यहीं से हुआ है। यह एक नये प्रकार का उपनिवेशवाद है। इसे आर्थिक साम्राज्यवाद भी कहा गया है। जब तक यह चलेगा इसके दोष भी बने रहेंगे। इस नव-साम्राज्यवाद को रोकना संभव नहीं है। क्योंकि देश में ही कोई न कोई ऐसा व्यक्ति अथवा संस्था होगी जो शोषण में विश्वास करती है। अतः किसी कम्पनी पर दोषारोपण करने से कोई लाभ नहीं है। यह हमारी वर्तमान विचारधारा है जो उपभोग-समाज को इसके लिए प्रोत्साहित करती है अतः हमारे चिल्लाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

इस देश में जो ये कुछ थोड़े से व्यक्ति हैं वे जानते हैं कि संकल्प पास करने से कोई बात नहीं बनती है।

इन बहु-राष्ट्रीय निगमों की आय इस देश के समूचे बजट से अधिक है। शायद यह इस देश की समूची राष्ट्रीय आय से भी अधिक है। उन्होंने पहले ही सब कुछ खरीद लिया है। हम तो केवल चिल्ला ही सकते हैं ये लोग जो वास्तव में शासक हैं, अपने ढंग से नीति निर्धारित करते हैं। देखना यह है

सरकार इसका किस प्रकार सामना करती है। इसमें कोई संदेह नहीं है सरकार इसमें अवश्य सफल होगी।

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री टी०ए० पाई) : सभापति महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि यह कहना कि सरकार बहु-राष्ट्रीय निगमों को प्रोत्साहन दे रही है और सरकार की नीति उन्हें देश में आमंत्रित करने की रही है, सत्य नहीं है।

एक माननीय सदस्य : हम इसका कार्यान्वयन चाहते हैं केवल बातें नहीं।

श्री टी० ए० पाई : हम इसे कार्यान्वित कर रहे हैं। मैं इस देश में होने वाली किसी भी अनियमितता का समर्थन नहीं कर रहा हूं और न ही ऐसी चीज होने देना चाहता हूं। मेरे मित्र ने छोटे पैमाने के क्षेत्र के लिये कालगेट तथा टुथपेस्ट के आरक्षण की बात कही है। छोटे पैमाने के क्षेत्र के एकक टुथपेस्ट बनाना नहीं चाहते।

कुछ बहु-राष्ट्रीय निगम बहुत शक्तिशाली बन गए हैं। उनका उत्तरदायित्व अपने प्रति है और उस देश के प्रति नहीं जहां वे काम करते हैं। उनकी दिलचस्पी तो मुनाफा कमाने में है। और इसलिए वे विभिन्न देशों में अपनी शाखाओं के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। और कभी कभी राजनीति में हस्तक्षेप करने में भी नहीं हिचकिचाये है जैसे कि चिली में। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। यह कहना कि वे अपने देश के प्रति अधिक निष्ठावान है, सही नहीं है। इसका एक उदाहरण है कि अमरीकी एक्सोन आयल कम्पनी ने 1973 के तेल संकट के समय अमरीकी सातवें बेड़े को ईंधन देने से इंकार कर दिया था।

यदि आप कह रहे हैं कि विदेशी पूंजी इस देश में बिल्कुल नहीं लायी जानी चाहिए--तब तो यह निर्णय किया जाये। लेकिन हम पैसा कहां से पायें? सभी को बचत करनी होगी। यदि सारा मजदूर वर्ग एक घंटा अधिक काम करें तो क्या यह 'संसाधन' नहीं है। लेकिन हम उत्पादकता के विरुद्ध हैं। और हम इसे शोषण कहते हैं। देश के निर्माण के लिये इस तरह का कार्य आवश्यक है, क्योंकि यदि हमारे पास पैसा नहीं है, तो हमारे पास मानव संसाधन है और हमें यह खोजना होगा कि इन संसाधनों का कारगर ढंग से कैसे उपयोग किया जा सकता है?

आज हमारी नियति आय का 20 से 25 प्रतिशत भाग ऋणों के भुगतान में देना होता है। यह लगभग 650 करोड़ रुपये बैठता है।

हम आपको यह भी बता दें कि हमारे उद्योगों में 20,000 करोड़ रुपये का निवेश है, जिसमें विदेशी पूंजी केवल 1800 करोड़ रुपये है। अतः यह कहना कि इस देश का निर्माण विदेशी पूंजी से हुआ है, सर्वथा गलत है। प्रधान मंत्री ने यह सही कहा है कि इस देश का निर्माण लोगों द्वारा की गई बचत से हुआ है, लोगों के बलिदान से हुआ है। हमने मुद्रास्फीति पर काबू पा लिया है किन्तु बढ़ती हुई बेरोजगारी भी एक वास्तविक समस्या है। यदि इसे हल करना है तो निवेश अधिक करना होगा। यह निवेश चाहे सरकारी, गैर सरकारी अथवा अन्य क्षेत्र में किया जाये।

अब विदेशी पूंजी के बारे में कहा जा रहा है। हमें तो अपने देश के हित को सर्वोत्तम समझना चाहिएं। यदि आवश्यक हो तो हमें बहु-राष्ट्रीय निगमों को देश से दूर रखना चाहिए न कि विदेशी पूंजी को।

यह सही नहीं है कि सरकार ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम का पालन करने में कोई कोताही की है। धारा 29(2)(क) के अधीन अनुज्ञा के लिये प्राप्त हुए 855 प्रार्थना पत्रों पर विचार किया गया और रिजर्व बैंक ने अब तक 381 मामले अंतिम रूप से निपटा दिये हैं। इन 381 मामलों में से 58 मामलों में अनुज्ञा देने से इंकार कर दिया गया है।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि कोका कोला कम्पनी अपनी मनमानी कर रहा है। ऐसी बात नहीं है। हम उन्हें विदेशी पूंजी के अंश को कम कर के 40 प्रतिशत तक लाने के लिये कह रहे हैं। लेकिन इसमें भी समस्या यह है कि जब इस कम्पनी में विदेशी मुद्रा केवल 40 प्रतिशत रह जायेगी तो यह एक भारतीय कम्पनी बन जायेगी। इसके फलस्वरूप एकाधिकार अधिनियम, कम्पनी अधिनियम तथा विभिन्न विदेशी मुद्रा अधिनियमों के अन्तर्गत जो हमारा इस कम्पनी पर नियंत्रण है वह समाप्त हो जायेगा। तत्पश्चात् वे दूसरे क्षेत्रों में भी घुस सकेंगे क्योंकि इसके लिये उन्हें फिर हमारे से मंजूरी नहीं लेनी पड़ेगी। इसलिये हमें इस योजना को क्रियान्वित करते समय काफी सतर्क रहना पड़ेगा।

श्री के० एस० चावड़ा (पाटन) : जब तक विदेशी पूंजी को कम कर के 26 प्रतिशत नहीं कर दिया जाता तब तक उनका नियंत्रण बना रहेगा।

श्री टी० ए० पाई : यह प्रश्न तो तब उठाया जाना चाहिये था जब इस संबंध में विधेयक पारित किया गया था। देखना यह है कि इसके लिये आगामी तीन वर्षों में प्रति वर्ष 85 करोड़ रुपये लगाने होंगे और यह धन जुटाने के लिये हमें ऐसे उद्योगों में, जो सिगरेट या चाकोलेट जैसी गैर-आवश्यक वस्तुएं तैयार कर रहे हैं, लगे धन में कमी करनी होगी और आवश्यक वस्तुएं तैयार करने वाले उद्योगों को प्राथमिकता देनी होगी। जो विदेशी कम्पनियां अनुमति प्राप्त मात्रा से अधिक उत्पादन कर रही हैं उन्हें कार्यक्रम करने को बजाय यह कहा जाना चाहिये कि वे इस प्रकार होने वाले अधिक मुनाफे को बाहर नहीं भेज सकेंगे। क्योंकि अन्यथा उन में कार्यरत कर्मचारियों की छंटनी का सामना करना पड़ेगा और इससे एक और समस्या उत्पन्न हो जायेगी। मेरे विचार से कुछ सीमा तक विदेशी मुद्रा का होना भी आवश्यक है क्योंकि कुछ ऐसे भी क्षेत्र है जहां इस के बिना विकास नहीं हो सकता है। गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष 30 करोड़ रुपये विदेशी धन भारत में लगाया गया जो कि आटे में नमक के बराबर है। इस समय भारत में सभी कम्पनियों की प्रदत्त पूंजी 5,400 करोड़ रुपये है जब कि प्रदत्त विदेशी पूंजी मुश्किल से 259 करोड़ रुपये है।

श्री के० एस० चावड़ा : अब्बोट्स की प्रदत्त पूंजी एक करोड़ रुपये है जबकि वे 24 लाख रुपये प्रति वर्ष बाहर भेजते हैं।

श्री टी० ए० पाई : ऐसा हो सकता है परन्तु यह भी हो सकता है कि विदेशी पूंजी कम कर के 40 प्रतिशत हो जायेगी तो वे शायद अब 70 प्रतिशत पर जो रकम बाहर भेज रहे हैं उससे भी अधिक भेज सकेंगे क्योंकि वे अपना कारोबार बढ़ाने के अधिकारी हो जायेंगे। इसका यह अर्थ नहीं है कि मैं विदेशी कम्पनियों का पक्ष ले रहा हूं। हम इन सभी मामलों पर विचार करने के पश्चात् ही हर मामले के बारे में अपना निर्णय लेंगे।

श्री बसंत साठे : हार्थ समिति ने विदेशी पूंजी 26 प्रतिशत तय कर देने की सिफारिश की है।

श्री टी० ए० पाई : यह सिफारिश तो औषधों के बारे में है। औषधें 51 प्रतिशत के निर्णय के अन्तर्गत नहीं आती हैं। औषध उद्योग के साथ तो एक विशेष बर्ताव करना है। यही कारण है कि केवल आई० बी० एम०, वर्ल्ड ट्रेड कारपोरेशन, केडबरी फ्राई लिमिटड, आई० टी० सी० लिमिटेड को निदेश दिया गया है कि वे विदेशी पूंजी को कम कर के 40 प्रतिशत के स्तर तक ले आयें।

सरकार ने यूनियन कार्बाईड इण्डिया लिमिटेड के सिले सिलाए वस्त्रों और परिष्कृत समुद्री उत्पादों को तैयार करने के उनके प्रस्ताव को इस आधार पर मंजूरी दे दी है कि वे इन चीजों का शत प्रतिशत निर्यात करेंगे। सिले सिलाए वस्त्रों का निर्माण कोई भी कर सकता है। इस बारे में कोई प्रतिबन्ध नहीं है। इस के प्रतिकूल हम उनकी हर सहायता करने के लिये तैयार हैं क्योंकि इसमें कई लोगों को रोज़गार

मिलता है और इसके साथ-साथ विदेशी मुद्रा की भी आय होती है । आज हमें विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है क्योंकि इसी से हम तकनीकी जानकारी खरीद सकते हैं । यूनियन कार्बाईड प्रतिवर्ष 25 करोड़ रुपये का सामान बाहर भेजता है क्योंकि उन्होंने विपणन सम्बन्धी योग्यता प्राप्त कर ली है । हम भी यदि निर्यात व्यापार में वृद्धि करना चाहते हैं तो हमें भी सीधे बाज़ारों में अपना माल भेजना होगा । इसके लिये अवासी भारतीयों द्वारा पूंजी लगायी जानी चाहिये । इस प्रकार हमें विपणन सम्बन्धी सभी सम्भावनाओं का पता लगाना होगा यदि हम चाहते हैं कि इस देश में विदेशी पूंजी अधिक न बढ़े । इस के लिये यह आवश्यक है कि सभी मामलों पर विचार करते समय यह देखा जाये कि क्या कोई प्रस्ताव हमारे देश के हित में है या नहीं ।

जैसा कि सभा को पता है बर्मा शैल रिफाईनरीज़ लिमिटेड अब सरकारी कम्पनी बन चुकी है क्योंकि सरकार ने इसके शत प्रतिशत साम्य अंश 24-1-76 से अपने अधिकार में ले लिये हैं । इसका नाम अब भारत रिफाईनरीज़ लिमिटड रखा गया है । पैट्रोलियम उत्पादों के शोधन और वितरण सम्बन्धी कार्य कर रही कुछ अन्य कम्पनियों को अपने नियंत्रणाधीन लेने के लिये बातचीत हो रही है । कोकाकोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन, हिन्दुस्तान लीवर और ऐसी अन्य कम्पनियों के मामलों पर शीघ्र ही कोई न कोई निर्णय ले लिया जायेगा ।

जहां तक विदेशी व्यापार चिन्हों का प्रयोग करने की बात का सम्बन्ध है, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 28(1)(ग) के अधीन ऐसी सभी विदेशी और भारतीय कम्पनियों को रिज़र्व बैंक आफ इण्डिया की अनुज्ञा लेनी पड़ती है, जिन के मामले में 40 प्रतिशत से अधिक अंश विदेशियों के होते हैं । धारा 28(3) इस समय प्रयोग में लाये जा रहे व्यापार चिन्हों से सम्बन्धित है । सरकार ने इस सम्बन्ध में मागदर्शी हिदायतें दे रखी है । जहां तक शत प्रतिशत निर्यात की जाने वाली वस्तुएं हैं उन के बारे में सामान्य अनुज्ञा दे दी जाती है क्योंकि एसा देखा गया है कि विदेशों में विदेशी छाप की चीज़ों को अधिक पसंद किया जाता है । उदाहरणार्थ, में हाल ही में हंगरी गया था । वहां पर भारत में बनी कोलगेट और पांड्स क्रीम को पसंद किया जाता है । यदि कोई चीज़ विदेशी छाप के आधार पर ही बिकती हो तो हमें उसका लाभ अवश्य उठाना चाहिये । इसी प्रकार जीवन रक्षी और आवश्यक औषधों, कीटनाशी औषधियों, कुछ रसायनों आदि को भी छूट दे दी गई है । व्यापार चिन्हों के बारे में सभी प्रार्थनापत्र एकस्वों, डिज़ाइन और व्यापार चिन्हों के मुख्य नियंत्रक के परामर्श से रिज़र्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा निपटाये जाते हैं ।

यदि हमारी नीति बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों के भारत में आने पर रोक लगाने की है, तो फिर यह रोक केवल अमरीकी कम्पनियों पर ही नहीं अपितु सभी विदेशी कम्पनियों पर होगी । इसका अर्थ यह होगा कि भारतीय कम्पनियां भी बाहर नहीं जा सकेंगी । मेरे विचार में कोई भी माननीय सदस्य इस प्रकार की पृथक्करण की नीति अपनाने के हक में नहीं है ।

यह कहना गलत है कि संयुक्त राष्ट्र संघ असफल रहा है । मेरे विचार में यह संस्था बहुत उपयोगी कार्य कर रही है । हाल ही में लीमा में हुए एक सम्मेलन में एक आचार संहिता बनाने का प्रयत्न किया गया था । कोई भी आचार संहिता तभी सफल हो सकता है जब सम्बन्धित सरकारें दृढ़ संकल्प होकर उसका पालन करें । यह संस्था बहुराष्ट्रीय निगमों की कार्यप्रणाली का यह पता लगाने के लिए अध्ययन कर रही है कि इन का प्रत्येक देशकी राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक विचारधारा पर क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है ।

अमरीकी कम्पनियों पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रस्तावक का सुझाव जमता नहीं है क्योंकि आज जरूरत इस बात की है कि जहां से हम जो कुछ सीख सकें वही अच्छा है । क्योंकि तभी हम आत्मनिर्भर हो

सकेंगे । अतः मेरे विचार में आज जब रूस और चीन जैसे बड़े-बड़े देश बढ़िया तकनीकी जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं, तब हमें भी अमरीकी कम्पनियों के पास जो प्रौद्योगिकी है उसे सीख कर देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहए । यह ठीक है कि हमें अपने देश में प्रयोग और अनुसंधान करने का पूरा पूरा मौका देना चाहिए । परन्तु इसके साथ-साथ उन बहु-राष्ट्रीय निगमों की भी सहायता लेनी चाहिये जो हमारी सहायता करने के योग्य हैं । यह भी देखना चाहिए कि इस में हमारा किसी प्रकार का शोषण न हो । मेरे विचार में तो विकासशील देशों के लिये भी संयुक्त राष्ट्र संघ की तरह का कोई केन्द्रीय संगठन हो जिससे तकनीकी जानकारी का आसानी से आदान-प्रदान हो सके ।

मैं प्रस्तावित संकल्प की भावना से पूर्णतया सहमत हूं । यदि हमें इस बात का कभी भी आभास होगा कि इन बिदेशी कम्पनियों के कारण हमारी स्वतंत्रता और सारभौम सत्ता पर किसी प्रकार की कोई आंच आती है, तो हम इसका विरोध करेंगे । हम इस सम्बन्ध में बहुत ही दृढ़ रुख अपनायेंगे । इसके साथ-साथ हम संयुक्त राष्ट्र संघ का भी समर्थन करेंगे कि वह बहु-राष्ट्रीय निगमों के लिये आचार संहिता बनाए । प्रौद्योगिकी किसी एक देश की सम्पत्ति नहीं है । यह सभी लोगों के लिये है और इसका सभी लोगों को लाभ उठाने का अवसर मिलना चाहिये और यह उचित शर्तों पर उपलब्ध होनी चाहिये ।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : महोदय, इस बात के लिए मैं सदन का आभारी हूं कि मेरे द्वारा पेश किय गय संकल्प को सब का समर्थन मिला है । किन्तु यह कहते हुए मुझे दुःख होता है कि इस बात की बिल्कुल भी आशा नहीं है कि हमारी सरकार इस देश को आत्म-निर्भर बनाने के लिये हमारी आर्थिक नीतियों के साथ आगे बढ़ेगी । खेद की बात यह भी है कि जिस दिन संकल्प पेश कया गया था उसी दिन विदेशी पूंजीपतियों को कुछ छूट देने की घोषणा की गई थी । इसके लिये विदेशी निवेश कर्ता विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत विदेशी फर्मों पर लगे प्रतिबन्धों में दी गई छूट से खुश हैं । बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों के सम्बन्ध में अपनी नीतियों को और अधिक कठोर बनाने के बजाय उन्हें विशेष राहत दी जा रही है ।

क्या आपने इस बात की पूरी व्यवस्था की है कि इन बहु-राष्ट्रीय निगमों द्वारा निर्यात ठीक ढंग से किया जायगा ? शायद आपने ऐसा नहीं किया है । आज सुबह ही संसद में लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन आया है, इसमें आई० बी० एम० बहु-राष्ट्रीय निगम का उल्लेख है । इसके सम्बन्ध में इलक्ट्रोनिक्स आयोग को प्रतिनिधियों ने संसद की लोक लेखा समिति के इस प्रतिवेदन में कहा है कि यह उचित समय है कि हम देश में समुचित टैक्नोलोजी की ओर ध्यान दें और इस सम्बन्ध में हमें एक निश्चित निश्कर्ष पर पहुंचे जाना चाहिए । आयोग ने आगे कहा है कि वे इस निश्कर्ष पर पहुंचे है, कि आई० बी० एम० की प्रणाली देश की जरूरतों के अनुकूल नहीं है यह आई० बी० एम० क्या कर रहा है ? हमारे करों की चोरी कर रहा है । हमारे यहाँ यह उत्तर दिया जाता है कि विदेशी निदेश को इसलिये अनुमति दी जाती है क्योंकि उस पर हमें कर प्राप्त होते हैं किन्तु वह यह कर भी तो ठीक प्रकार से नहीं देते हैं । लोक लेखा समिति के आज प्रस्तुत किये गये प्रतिवदन में यह उल्लेख है 1973 में हमारे सीमाशुल्क विभाग को आई० बी० एम० के बीजक को 350 प्रतिशत मान कर चलना पड़ा क्योंकि उन्हें आई० बी० एम० द्वारा दिये गये आंकड़ों पर विश्वास नहीं था । इन सब बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिये ।

इन बहु-राष्ट्रीय निगमों का हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था पर पूर्ण प्रभुत्व छाया हुआ है । यहाँ तक कि सरकार विदेशी औषधि कम्पनियों तथा कोका कोला के सम्बन्ध में कुछ नहीं कर सकती । हाथी समिति ने प्रतिवेदन को एक ओर रख लिया तथा एकाधिकार प्रतिबन्धात्मक प्रक्रिया आयोग को निष्क्रिय बना दिया क्योंकि फाइज़र तथा अन्य कम्पनियों के विरुद्ध मामले उठाये गये तो उन कम्पनियों ने उच्च न्याया-

लय से याचिका स्वीकार करवा ली । सरकार चुपचाप बैठी रही और अनुच्छेद 226 के संशोधन के बारे में बातें करने लगी । तब तक तो हानि होती रही अतः इन बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों ने देश में ऐसा भ्रष्टाचार फैलाया है कि सरकार को कुछ कार्यवाही नहीं करने दी ।

पिछली बार एक माननीय सदस्य ने यह सुझाव दिया था कि इस मामले की संसदीय समिति जांच करे । यह समिति उन सरकारी समितियों की तरह नहीं होनी चाहिए जो अन्तरिम प्रतिवेदन देने में ही सालों लगा देती है और फिर सरकार उन सिफारिशों पर विचार करने में पांच साल लगा देती है इस समिति को थोड़े समय में ही प्रतिवेदन देना चाहिए ।

सभापति महोदय : मैं हस्तक्षेप नहीं करना चाहता किन्तु श्री ए० के० गोपालन को अपना संकल्प प्रस्तुत करना है और पांच मिनट रह गए हैं ।

श्री एच० एन० मुखर्जी : मैं जानता हूं कि श्री गोपालन को अपना संकल्प प्रस्तुत करना है मैं शीघ्र ही अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं । मैं यह संकल्प वापस ले लेता यदि मंत्री महोदय यह आश्वासन दे देते कि देश में विद्यमान बहु-राष्ट्रीय निगमों की स्थिति की संसदीय जांच कराई जाए। फिर भी यह आश्वासन यहाँ नहीं दिया गया है ।

हम जानते हैं कि बहु-राष्ट्रीय निगम लुप्त हो रहे उपनिवेशवाद के नये हथियार हैं । जब हम ब्रिटिश शासन के अधीन था तो उन्होंने हमें सुनियोजित पिछड़ेपन की स्थिति में रखा हम स्वतन्त्र हो गये हैं और प्रगति के पथ पर बढ़ने का प्रयास कर रह हैं तो वह आकर उसमें बाधा डालते हैं यही बहु-राष्ट्रीय निगमों में चिली में क्या गुल खिलाये और सब जगह बाधा उपस्थित करने की ताक में रहते हैं । प्रधान मन्त्री ने जो बातें कहीं है उनका उसी प्रकार पालन नहीं हो रहा है अतः इस प्रकार सरकार ईमानदारी के साथ कार्य नहीं कर रही है अगर सरकार के पास इस सम्बन्ध में कोई नीति है तो उसका सही पालन होना चाहिए। हाथी समिति का प्रतिवेदन कार्यान्वित किया जाना चाहिये था और भी कई कार्य किए जाने थे । आई० बी० एम० तथा अन्य बहु-राष्ट्रीय निगम हमारे देशवासियों का रक्त चूस रहे हैं और हमें एक स्वतन्त्र सामाजिक ढांचे का निर्माण नहीं करने दे रहे हैं । मैं यह महसूस करता हूं कि सरकार का रवैया असंतोष-जनक है । अतः मैं इस बात पर बल देता हूं कि संकल्प को सभा के मतदान के लिए रखा जाये ।

श्री टी० ए० पाई : महोदय मैं पुनः इस सम्बन्ध में अपील करता हूं मैं संकल्प की भावना के साथ सहमत हूं इसकी शब्दावली ऐसी है कि इससे जटिल समस्याएं उत्पन्न होंगी मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार की एक ही नीति है जिसका सही तौर पर पालन किया जा रहा है ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : किन्तु उन्होंने एक ठोस सुझाव दिया है आप उसे स्वीकार क्यों नहीं कर लेते ।

श्री टी० ए० पाई: मेरी राय में संसदीय जांच की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि सभी इस बात से सहमत है कि बहु-राष्ट्रीय निगमों पर निगरानी रखनी होगी और देश के हितों की रक्षा करनी होगी ।

सभापति महोदय : श्री बी० वी० नायक का एक संशोधन है क्या आप इसे पेश करना चाहते हैं अथवा वापस लेना चाहते है ।

श्री बी० वी० नायम : मैं इसे पेश करना चाहता हूं ।

श्री टी० ए० पाई: भारत सरकार "ग्रुप 77" के देशों को संयुक्त राष्ट्रसंघ के संकल्पों के कार्या-न्वयन के लिये मना रही है ।

सभापति महोदय : तब ठीक है । उत्तर देने के बाद कोई भाषण नहीं हो सकता, मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता । मैं अब श्री बी० वी० नायक के संशोधन संख्या 1 को सदन के मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The amendment was put and negatived

सभापति महोदय : श्री ड़ागा सदन में उपस्थित नहीं हैं । अतः मैं श्री ड़ागा की संशोधन संख्या 2 को सदन में मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The amendment was put and negatived

सभापति महोदय : अब प्रश्न यह है कि :—

"कई देशों में बहु-राष्ट्रीय निगमों की विध्वंसक तथा भ्रष्ट गतिविधियों के हाल के रहस्योद-घाटनों को दृष्टि में रखते हुए, यह सभा सरकार से अनुरोध करती है कि इस खतरे के प्रति, जो समस्त विकासशील देशों के समक्ष मौजूद है पूर्ण सतर्कता बरती जायें और विदेशी विशेषतया अमरीकी बहु-राष्ट्रीय निगमों को देश के आर्थिक जीवन में प्रविष्ट न होने देने के लिये कारगर उपाय किये जाये ।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived

संविधान के अन्तर्गत प्राप्त स्वतंत्रताओं को बहाल करने के बारे में संकल्प

श्री ए० के० गोपालन (पालघाट) : महोदय, मैं निम्नलिखित संकल्प पेश करता हूं :—

"कि इस सभा की राय है कि लोगों को लोकन्त्रात्मक प्रक्रिया और विकास कार्यों में भाग लेना सम्भव करने के लिये संविधान के अन्तर्गत प्रदत्त व्यक्तियों, संगठनों और राजनीति दलों को अपनी वैध राजनीतिक कायवाहियां जारी रखने की स्वतन्त्रता बहाल की जाये, सब राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाये तथा आपात की उदघोषणा के बाद प्रेस पर लगाई गई सेंसरशिप तथा हाल में पास किए गये प्रेस अधिनियमों का निरसन किया जाए ।"

सभापति महोदय : आप अगले दिन अपना भाषण जारी रख सकते है ।

तत्पश्चात् लोकसभा सोमवार 3 मई, 1976/13 वैशाख, 1898 के मध्याह्न पूर्व 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Monday, May 3rd, 1976/ Vaisakha 13, 1898 (Saka)

MGIPRRND—9 LSS/76—Sec. II (N)—9-9-76—200.

P.L.S. 48. LX. 30.76(N)
200

© 1976 प्रतिलिप्याधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों (पांचवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और व्यवस्थापक, भारत सरकार मुद्रणालय, रिंग रोड, नई दिल्ली-110064 द्वारा मुद्रित।

© 1976 By The Lok Sabha Secretariat

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Fifth Edition) and Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, New Delhi-110064.